FOR REFFRNCE ONLY.

NOT TO B' ISSUED

माला, खंड 6, अंक 21

गुरुवार, 20 अप्रैल, 2000
31 चैत्र, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ....64..........
Date ....8/12/24..........

(खण्ड 6 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

जे०एस० वत्स
सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 21, गुरुवार, 20 अप्रैल, 2000/31 चैत्र, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 383	1-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 384 से 400	22-38
अतारांकित प्रश्न संख्या 4119 से 4348	*38-249
सभा पटल पर रखे गए पत्र	249-252
प्राक्कलन समिति	
पहला प्रतिवेदन – प्रस्तुत	252
लोक लेखा समिति	
की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन – प्रस्तुत	252-253
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत	253
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश – प्रस्तुत	253-254
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
क्रिकेट में मैच फिक्सिंग	
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	254
श्री कमलनाथ	256
श्री किरीट सोमैया	257
श्री अजय चक्रवर्ती	257
श्री विजय गोयल	258
श्री कीर्ति झा आजाद	259
श्री माधवराव सिंधिया	261
श्री प्रिय रंजन दासमुंशी	262
श्रीमती श्यामा सिंह	265
डा० विजय कुमार मल्होत्रा	265
श्री मोहन रावले	266
श्री के०पी० सिंह देव	267

*इसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री संतोष मोहन देव. . .	268
श्री श्यामाचरण शुक्ल .	268
श्री राज बब्बर	268-269
श्री रामदास आठवले	269
सभा का कार्य	272-275
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति.	275-276
(दो) नारियल विकास बोर्ड . . .	276
(तीन) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड .	276-277
कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव. . .	277-278
राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000 - पुर:स्थापित	278
ईस्टर रविवार को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के बारे में	282
क	
चार करने के लिए प्रस्ताव .	283
डा० रमण	283
श्री अनादि शाहू	289
श्री जी०एम० बनातवाला .	291
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह .	295
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुर:स्थापित	
(एक) विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (निर्वाचन में मताधिकार) विधेयक	
श्री ई० अहमद . .	296
(दो) असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक	
श्री ई० अहमद .	297
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 आदि का संशोधन)	
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	297
(चार) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक	
श्री प्रवीण राष्ट्रवाल	298
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्री बसुदेव आचार्य	298
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81 और 170 का संशोधन)	
श्री जी०एम० बनातवाला	298
(सात) जामियां मिल्लिया इस्लामिया (संशोधन) विधेयक (विधेयक के पूरे नाम आदि का संशोधन)	
श्री जी०एम० बनातवाला	299

विषय		कॉलम
(आठ)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)	
	श्री जी०एम० बनातवाला	299
(नौ)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 19 आदि का संशोधन)	
	श्री जी०एम० बनातवाला . .	299
(दस)	पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक	
	श्री सुबोध मोहिते	300
(ग्यारह)	सूचना की स्वतंत्रता विधेयक	
	श्री सुबोध मोहिते	300
(बारह)	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 2 आदि का संशोधन)	
	श्री सुबोध मोहिते	301
(तेरह)	अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक, (नई धारा 2ख से 2झ का अंत:स्थापन)	
	श्री सुबोध मोहिते . .	301
(चौदह)	गौ-वध प्रतिषेध विधेयक	
	श्री कृष्णमराजू .	301
(पन्द्रह)	संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 293क और 293 ख का अंत:स्थापन)	
	श्री विजय गोयल	304
(सोलह)	जनसंख्या नियंत्रण विधेयक	
	श्री कृष्णमराजू .	304
(सत्रह)	जनसंख्या नियंत्रण विधेयक	
	श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी.	305
(अठारह)	कृषि उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक)	
	श्री जी०एस० बसवराज	305
(उन्नीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक, (नये अनुच्छेद 151 क से 151 घ का अंत:स्थापन)	
	श्री जी०एस० बसवराज	305
(बीस)	भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक	
	श्री जी०एस० बसवराज	306
(इक्कीस)	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 320 आदि का संशोधन)	
	श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी.	306
(बाईस)	सिनेमा कर्मकार कल्याण विधेयक	
	श्री कृष्णमराजू	306

विषय		कॉलम
(तेईस)	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विशाखापत्तनम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
	श्री कृष्णमराजू . .	307
(चौबीस)	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 29क और 29ख का संशोधन)	
	श्रीमती कृष्णा बोस .	307
(पच्चीस)	निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण के प्रकाशन का प्रतिषेध विधेयक	
	डा० रघुवंश प्रसाद सिंह .	308
(छब्बीस)	भ्रष्टाचार निवारण (एक आयोग की स्थापना) विधेयक	
	डा० रघुवंश प्रसाद सिंह	308
(सत्ताईस)	लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 11क का संशोधन)	
	श्री अनंत गंगाराम गीते .	308
(अटठाईस)	दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 167 आदि का संशोधन)	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य . .	309
(उनतीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (छठी अनुसूची का संशोधन)	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य .	309
(तीस)	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य . .	310
(इकतीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक नये अनुच्छेद 371 ञ का अंत:स्थापन	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य . .	310
(बत्तीस)	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
	श्री पवन सिंह घाटोवार .	310
(तैंतीस)	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)	
	श्री माधव राजवंशी .	311
(चौंतीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (दसवीं अनुसूची के लिए नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)	
	श्री किरीट सोमैया . .	311
(पैंतीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 120 के लिए नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन आदि)	
	डा० ए०डी०के० जयशीलन	311
(छत्तीस)	संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)	
	डा० ए०डी०के० जयशीलन	312

विषय	कॉलम
(सैंतीस) विधवा संरक्षण विधेयक	
डा० ए०डी०के० जयशीलन .	312
(अड़तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 16क और 29क का अंत:स्थापन)	
श्री पी०सी० थामस	323
(उनतालिस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा 21 का संशोधन)	
श्री रमेश चेन्नितला .	323
(चालीस) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) (संशोधन) विधेयक (धारा 10 का संशोधन)	
श्री रमेश चेन्नितला .	323-324
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	
(नई धारा 26क और 26ख का अंत:स्थापन)	
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह .	313
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	324
प्रो० रासा सिंह रावत .	334
श्री रामदास आठवले	335
श्री वैको	341
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	344

लोक सभा

गुरुवार, 20 अप्रैल, 2000/31 चैत्र, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

+

*381. **श्री जी०एस० बसवराज :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मार्च, 2000 को उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती शहर उरी में पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलाबारी की थी;

(ख) यदि हां, तो हाल ही में पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने नियंत्रण रेखा के जिन विभिन्न स्थानों पर गोलीबारी की थी, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) मारे गए व्यक्तियों में कितने भारतीय सेनाओं के जवान थे और कितने नागरिक थे;

(घ) मारे गए व्यक्तियों के परिवारजनों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने तथा मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों के पुनर्वास तथा सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या पाक आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर-श्रीनगर राजमार्ग को अवरुद्ध करने का भी कोई प्रयास किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर भारतीय सुरक्षाबलों की क्या प्रतिकिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

नियंत्रण रेखा के आस-पास नियमित रूप से गोलीबारी होती रहती है। पाकिस्तान विदेशी भाड़े के आतंकवादियों की घुसपैठ कराने, हमारे सैनिकों को हताहत करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में जम्मू-कश्मीर को एक ज्वलंत मुद्दा बनाए रखने के लिए अकारण गोलीबारी करता रहता है। तथापि पाकिस्तान ने 17 मार्च, 2000 को उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती कस्बे उड़ी में गोलीबारी नहीं की।

1 जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2000 तक हुई गोलीबारी की घटनाओं की संख्या निम्नवत है :

(क)	वास्तविक भू-स्थिति रेखा (वास्तविक भू-स्थिति रेखा अर्थात् सियाचिन क्षेत्र)	— 91
(ख)	नियंत्रण रेखा (संगम प्वाइंट से एन जे 9852 प्वाइंट)	— 1003
(ग)	अन्तर्राष्ट्रीय सीमा (संगम प्वाइंट से दक्षिण की ओर)	— 90
	कुल	— **1184**

1 जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2000 की अवधि के दौरान एक अफसर सहित सेना के 22 कार्मिक हताहत हुए।

पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण हताहत हुए सिविलियनों के संबंध में आंकड़े राज्य सरकार से प्राप्त किए जा रहे हैं।

मृतक सेना कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को उदारीकृत पेंशन योजना तथा अनुग्रह अदायगी के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया जाता है। जहां तक सिविलियन हताहतों का संबंध है, जम्मू-कश्मीर सरकार ने एक योजना की घोषणा की है जिसके अनुसार मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 1,00,000 रुपये की अनुग्रह राहत का भुगतान किया जाता है तथा अचल संपत्ति के क्षतिग्रस्त होने के मामलों में प्रति मामला 50 प्रतिशत (1,00,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) के हिसाब से अनुग्रह राहत का भुगतान किया जाता है। मासिक राशन दिए जाने और निर्धारित दरों पर आर्थिक सहायता दिए जाने का भी प्रावधान है जिसमें से कुछ मई, 2000 तक उपबब्ध है।

आतंकवादियों द्वारा संदर्भित राष्ट्रीय राजमार्ग को काटे जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

हमारे सैन्य बलों द्वारा निरंतर चौकसी बरती जाती है तथा पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जानी वाली अकारण गोलीबारी का समुचित जवाब दिया जाता है।

श्री जी०एस० बसवराज : भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इस वर्ष जनवरी से मार्च के अन्त तक कश्मीर में गोलीबारी की 1184 घटनाएं हुई हैं। दुर्भाग्यवश, हम हर रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के कारण जवान या नागरिक मारे जा रहे हैं। सरकार ने भी पिछले वर्ष तारांकित प्रश्न संख्या 54 में स्वीकार किया था कि 500 जवान और 480 नागरिक मारे गए थे।

'द ट्रिब्यून' में 16.1.2000 को छपी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान के सियाचिन सैक्टर में भारतीय फौजों पर हमला होता रहता है। कुछ अन्य रिपोर्टों में कहा गया है कि उरी, पुंछ और अन्य स्थानों में नियंत्रण रेखा के आसपास लगातार गोलीबारी होती रहती है। 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में भी ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है।

इन सभी घटनाओं को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे जवानों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : हम देखते हैं कि रोजमर्रा सीमा पार गोलीबारी होती रहती है। यह सिलसिला पिछले दस वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, उसकी ओर से एक दिन भी गोलीबारी नहीं रुकी। नियंत्रण रेखा पर सीमा पर हमारी चौकियां हैं। कुछ चौकियां तो बिलकुल आमने-सामने हैं। हर समय दूसरी तरफ से गोलीबारी होती रहती है, भारतीय सेनाएं भी जवाबी गोलीबारी करती हैं।

हम जानते हैं कि वे ऐसी गतिविधियों में क्यों लिप्त हैं। ऐसा वातावरण इसलिए तैयार किया जाता है ताकि वे सीमा पार से भाड़े के सैनिकों या आतंकवादियों को हमारे क्षेत्र में घुसाया जा सके। जैसा कि मैंने कहा है, आज जम्मू-कश्मीर में सैनिकों द्वारा ऐसी स्थितियों का सामना करना एक आम बात हो गई है। जब तक हम पाकिस्तान को, चाहे किसी तरह से भी हो, सीमा पार से आतंकवाद रोकने में सफल नहीं होंगे; मैं समझता हूं कि हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा जैसा कि हम इसका सामना कर रहे हैं। वहां जानें जाएंगी ही। उनके भी मरते हैं और हमारे भी। हम एक तरह से अघोषित युद्ध की स्थिति में हैं जिसे छद्म युद्ध कहते हैं और यह लड़ाई जारी है। इसके बारे में यही जा सकता है।

श्री जी०एस० बसवराज (तुमकुर) : पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को विश्व मंच पर उठाकर अन्तर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है और अपने इस प्रयत्न में उसे सफलता भी मिली है।

मैं समझता हूं कि यह हमारी सरकार की कमजोर नीति के कारण हुआ है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन काल में पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब पाकिस्तान 1990 से छद्म युद्ध छेड़े हुए है। यहां तक कि जम्मू-कश्मीर के अल्पसंख्यक समुदाय भी आतंकवादियों का शिकार होते रहे हैं। हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा की पूर्व-संध्या पर चितिसिंहपुरा और जम्मू में लगभग 35 सिखों की हत्या कर दी गई थी। दुर्भाग्यवश, जब हर साल और हर दिन हत्याएं हो रही हैं तो भारतीय सीमा पार में आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कड़ी कार्रवाई की गई है?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : जो कुछ कश्मीर में हो रहा है मैं उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं लाना चाहता। हम आज ऐसी-ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जो वर्तमान आतंकवाद और 1980 के दशक के अन्त में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के कारण उत्पन्न हुई है। अबकि यह आतंकवाद कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इत्यादि इस सब में जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना पूरा देश कर रहा है, इसका सामना करना ही पड़ेगा। मैं पहले ही माननीय सदस्य से कह चुका हूं कि जहां से भी पाकिस्तान हम पर हमला करता है हम उस पर जवाबी हमला करते हैं, उसका मुंहतोड़ जबाव देते हैं। हमने सीमा पर कहीं से भी पाकिस्तान पर हमला करने की कभी पहल नहीं की है। इसलिए जहां तक सरकार का संबंध है मैं पुन: माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि पाकिस्तान सीमा पर हमें जो भी चुनौती देता है। उसका डटकर मुंहतोड़ जवाब देते हुए डटकर मुकाबला किया जाएगा।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, कश्मीर की समस्या के बारे में मंत्री महोदय ने अभी कहा कि वे पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम सबकी जानकारी है कि आज की जो कश्मीर की समस्या है वह इसलिए है कि स्वतंत्रता के तुरन्त बाद किस प्रकार से हमने सीज फायर एक्सैप्ट कर ली थी जबकि आर्मी पूरे जम्मू-कश्मीर को लेने के लिए तैयार थी और उस समय आर्मी सिर्फ 24 से 36 घंटे की मोहलत चाह रही थी, यदि उसे इतना समय दे दिया जाता, तो पूरा जम्मू-कश्मीर अपने कब्जे में आर्मी कर लेती, लेकिन उसको समय नहीं दिया गया और अचानक सीज फायर स्वीकार कर लिया गया।

मंत्री महोदय ने कहा कि हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। मेरा यह मानना है कि उचित जवाब दे रहे हैं और सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, यानी वे हम पर थप्पड़ मारते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं, यह नीति उचित नहीं है। हालांकि मैं इस बात को समझ रहा हूं कि यहां पर इस बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन मेरा यह मानना भी है कि जब तक पाकिस्तान को संदेश नहीं देंगे—जब तक हम उन्हें उनकी कार्यवाहियों का मुंहतोड़ जवाब नहीं देंगे तब तक वह ठीक नहीं होगा और इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस नीति पर दुबारा विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत सारे मैम्बर्स इस पर सवाल पूछना चाहते हैं। कृपया जल्दी प्रश्न पूछें।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें पूछना चाहता हूं। एक तो मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के ए, बी एवं सी भाग में जो बताया है कि 1.1.2000 से 21.3.2000 तक अलग-अलग हादसों में 1184 केजुएलटी हुई हैं, यह नंबर गत वर्ष 1.1.99 से 31.3.99 तक कितना था, यानी इस वर्ष कम है या पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ये 22 केजुएलिटी तीन महीनों के अन्दर भारतीय आर्मी की हुई हैं, तो आपने कितनी केजुएलिटीज दूसरे देश की आर्मी की की हैं?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो नीति विषयक बात छेड़ी है, इस पर इस वक्त मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं एक विषय पर उत्तर दे रहा हूं और जो घटना वहां पर घटी है, यह वहीं तक सीमित है। हम पाकिस्तान के साथ किस तरह से व्यवहार करेंगे जहां तक इस नीति का संबंध है और जो कश्मीर की सीमाओं पर हो रहा है, उसका जवाब किस तरह से देंगे, इस बात का जहां तक संबंध है, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह की परिस्थितियां आती हैं, वैसा जवाब दिया जाता है। ये परिस्थितियां बदलती भी रहती हैं।

आज के दिन हम इस बात पर अटल हैं कि हमारी सीमाओं पर जो भी हमला होगा, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे लेकिन अपनी तरफ से हम किसी हमले की तरफ नहीं जाएंगे।

अभी माननीय सदस्य ने आंकड़ों के बारे में पूछा है। पिछले साल जनवरी से मार्च तक के क्या आंकड़े हैं और वे इससे कम होंगे या

ज्यादा होंगे। इस समय मेरे पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं लेकिन माननीय सदस्य को मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इससे बहुत भिन्न नहीं होंगे। अगर आप ए को देखे तो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का मतलब है, हम सियाचीन की बात कर रहे हैं। तीन महीने की बात है और 91 इंसीडैंट्स हैं। यानी हर दिन पाकिस्तान की तरफ से सियाचीन पर गोलीबारी होती है और हर दिन हम उसका जवाब देते हैं। वही बात अगर आप इंटरनैशनल बॉर्डर पर भी देखें तो वहां पर हमारी जो भी चौकियां मौजूद हैं, उन पर हर दिन गोलीबारी होती है और हम हर दिन उसका जवाब देते हैं। 91 दिवस और 91 इंसीडैंट्स। वही बात लाइन ऑफ कंट्रोल की है। यहां पर 1003 बताए हैं। हमारी वहां पर जो चौकियां हैं, उन पर हर दिन हमले होते हैं और हर दिन जवाब दिया जाता है। इसलिए संख्या में कोई बहुत फर्क नहीं होगा। एक-आध इधर-उधर हो सकता है।

जहां तक उनके अपने हमले की बात है तो वह लगातार चलने वाली है। उसक संख्या में किसी प्रकार का कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। हमारे जो एक अधिकारी और 21 जवान पिछले तीन महीने में मारे गए हैं तो हम लोगों की तरफ से पाकिस्तान के कितने लोग मारे गए, इसका कोई निश्चित आंकड़ा हमारे पास नहीं है क्योंकि लोगों को घायल होते हुए भी देखा जाता है और मरते हुए भी देखा जाता है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यहां औसतन एक मारा जाता है तो वहां कम से कम दो मारे जाते हैं। यह आंकड़े हमारे पास अक्सर आते हैं।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है, उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि जो हमारी सीमा रेखा है, अभी मंत्री जी ने बताया कि हर दिन कैजुवल्टी होती रहती है। जो हमारी नियंत्रण रेखा है, उस पर हमारी कितनी सेनाएं मौजूद हैं या उसके सहायक में मौजूद हैं। क्या इसका कोई मापदण्ड सरकार ने बनाया है? आए दिन देखा जाता है कि हमारी चौकियों पर कम सेना मौजूद है, हमारे रक्षक कम मौजूद हैं और उनके कई गुणा हमले बाहर से हो जाते हैं जिससे हम जख्मी हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मापदण्ड तैयार किया है? यदि नहीं किया है तो क्या सरकार भविष्य में मापदण्ड तैयार करने के लिए सोच रही है?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए और कश्मीर के भीतर जो परिस्थितियां हैं, उनका सामना करने के लिए हमें जितनी सेना की आवश्यकता है, उतनी सेना वहां पर मौजूद है। उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। एक बात हमने वहां पर कारगिल के टकराव के बाद अधिक की है कि हमने "लेह" में एक नए कोर का निर्माण किया है ताकि वहां जहां एक तरफ पाकिस्तान की सीमा लगी है और दूसरी तरफ चीन की सीमा लगी है, उस इलाके में रोजमर्रा की परिस्थिति पर नजर रखने और उसके साथ-साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता रखने में हम और अधिक बलवान हों, इसलिए उस कोर का निर्माण वहां पर किया गया है। माननीय सदस्य को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि वहां सेना की कमी है।

माननीय सदस्य ने जो बात यहां पर कही कि हम मारे जाते हैं और उनकी संख्या बहुत भारी दिखाई देती है तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। मारे तो जाते ही हैं क्योंकि युद्ध है मगर हमने कारगिल में देखा कि अगर एक ऐसी जगह पर आपने आक्रमण किया जहां पिछले 27 सालों से हमारी चौकियां जिस मात्रा में होनी चाहिए थीं, उतनी नहीं बनाई गई थीं। उसका जवाब देने में हमारी सेना ने जो कामयाबी दिखाई है, उसको देखते हुए हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि हम कहीं भी किसी मामले में कम पड़ते हैं।

श्री अली मोहम्मद नाईक : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की लगातार फायरिंग की वजह से हमारे स्टेट में हजारों की तादाद में वे लोग जिनके घर बार्डर पर हैं, वहां से 10-10 किलोमीटर आगे आए हैं। उसका नतीजा यह है कि वे न अपना कारोबार कर सकते हैं, न हल चला सकते हैं। वे कौड़ी-कौड़ी के मोहताज हैं। सरकार ने उनके लिए छः महीने के लिए एक पैकेज का ऐलान किया था जिसमें पर फैमिली 200 रुपये, 7 किलो आटा और 2 किलो चावल दिया जाता है। वह पैकेज मई 2000 के अन्त में खत्म हो रहा है। बार्डर की सूरत-ए-हाल वही है। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि उन लोगों के लिए, जिनकी तादाद कम से कम 30,000 है, जो टैन्टों में रह रहे हैं, क्या इस पैकेज को फर्दर ऐक्सटैंड किया जाएगा? यदि उसे ऐक्सटैंड नहीं किया जाएगा तो वे लोग फागाकशी के शिकार होंगे और भीख मांगने पर मजबूर होंगे।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जो पैकेज उनके लिए ऐलान किया था, वह मई महीने के अन्त में समाप्त हो रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहीं पर खत्म किया जाए। इस बारे में राज्य सरकार से बातचीत जारी है और पाकिस्तान की हरकतों के चलते वहां किसी को परेशानी में नहीं पड़ने दिया जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा कि यदि भारत का एक जवान शहीद होता है तो पाकिस्तान के दो जवान शहीद होते हैं। उत्तर सही है या नहीं, हम नहीं कह सकते यह तो रक्षा मंत्री जी ही बता सकते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तान हम पर ज्यादा हमला कर रहा है और हमारी कैजुवल्टीज ज्यादा हो रही हैं। अगर हिन्दुस्तान का एक जवान शहीद होता है तो पाकिस्तान के कम से कम आठ जवान शहीद होने चाहिए। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान आपसे ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा है। अगर पाकिस्तान के आठ जवान शहीद हों और भारत का एक शहीद हो

तो मैं यह मानकर चलता हूं कि बराबर है। आप कहेंगे कि हम रक्षा मंत्री रह चुके हैं। हां, हम रक्षा मंत्री रह चुके हैं। आप रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट या अधिकारियों से पूछ सकते हो। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं कि हमारे 22 जवान शहीद हों। हमने भी उनके 25 जवान मार दिए। हम यह नहीं चाहते कि आप अपनी तरफ से युद्ध थोपें। लेकिन अगर हमारा एक जवान शहीद हो तो पाकिस्तान के कम से कम आठ जवान मारे जाएं। तब हम मानेंगे बराबर शहीद हुए हैं।

कारगिल की मुख्य सड़क एक ही है। पाकिस्तान को वहां से सबसे ज्यादा हमला करने का मौका मिलता है। उससे हमारी सेना असहाय हो सकती है। उस सड़क का निर्माण हमारे जमाने में स्वीकृत हुआ था। आपने मुझे कभी बातों-बातों में यह कहा था कि काम तेजी से हो रहा है। उस सड़क की स्थिति क्या है।

तीसरी बात भले ही विषय से अलग है लेकिन वह देश के लिए महत्वपूर्ण है। कारगिल में जो कब्जा किया गया है, उसे हमारी बहादुर सेना ने किया है। उसे श्रेय मिलना चाहिए। जब लड़ाई छिड़ी थी, वे घुसपैठिए नहीं थे, वह पाकिस्तानी सेना थी। जब 22 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन आए, उन्होंने स्पष्ट अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तानी सेना को हराया। आपने वोट भी मांगा कि हम जीते हैं। यह सही है कि सेना जीती। लेकिन श्री क्लिंटन ने 22 मार्च को संयुक्त अधिवेशन में साफ जाहिर कर दिया कि कारगिल से फौज हटाने का श्रेय हमारा है। क्या यह सच है?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मरने और मारने वालों का जो गणित रखा है, मैं नहीं समझता कि सीमाओं पर जो परिस्थिति है, उसमें इस प्रकार के गणित से कोई बात होगी। मैंने उस प्रश्न के उत्तर में जो बात कही कि हमारा एक जवान मरता है तो उस तरफ दो मारे जाते हैं, मेरे पास रोज की जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर हमने एक बात कही है। हमने उसका गणित वगैरह रखकर यहां पर नहीं कहा है। हम यह मानते हैं कि परेशानियां होती हैं। हमारा एक-एक जवान मरना तकलीफ देने वाली बात है। हमारे जवानों को इस तरह का कोई भी संदेश या आदेश हम नहीं दे सकते हैं कि आपको गिनकर उसके उत्तर में जो भी करना है, वह करना चाहिए। हम माननीय सदस्य को और सदन को इतना ही कह सकते हैं कि हमारी सेना अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ और बहादुरी के साथ वहां पर कर रही है और वह करती रहेगी।

सड़क की बात आपने छेड़ी। हमारी सीमाओं पर सड़कों का जो अभाव है, वह कहने लायक नहीं है। सुरक्षा के मामलों पर जिनका ध्यान है, वे भी इस बात को कबूल करेंगे कि इन सड़कों के अभाव में परेशानियां हम लोगों की कुछ बढ़ जाती हैं। चूंकि समय पर सेना को उन स्थानों पर पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, जहां पर उनको पहुंचना चाहिए। लेकिन सड़कों के मामले में नई गति आई है और पिछले कुछ सालों से वह गति जारी है। इस साल बजट में जो बहुत ही अधिक रकम मिली है, उसमें से काफी रकम सड़कों के ऊपर जानी है। अन्य कार्यों के साथ-साथ सड़कों पर भी जानी है। मुझे विश्वास है कि हम लोगों की एक जो बहुत बड़ी कमी रही, उसको शीघ्र ही हम दूर करने में कामयाब होंगे। लेकिन यह साल दो साल का काम नहीं है। कुछ ऐसे स्थान हैं, न केवल कश्मीर और लद्दाख के इलाके में, बल्कि पूर्वांचल के इलाके में भी यह बहुत बड़ी समस्या है। कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां पर सड़क बनाने वालों को कई किलोमीटर पैदल जाकर अपना जो भी सामान वगैरह ले जाना पड़ता है, वह वहां पर पहुंचाना भी मुश्किल है। ये सब दिक्कतें हैं, उसका सामना किया जा रहा है।

जहां तक कारगिल में कौन जीता, कौन हारा, इसमें राजनीति में लोग चाहे जो कहें, चुनाव में चाहे जो बात चले, लेकिन इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता है कि विजय हमारे जवानों की है, श्रेय हमारी सेनाओं के अधिकारियों को है। यह बात तो अपनी जगह पर है, इसको दोहराने की जरूरत हममें से किसी की ओर से भी नहीं है। बार-बार यह बात कही गई है कि इसका श्रेय उनको मिलता है। दुनिया में जो कोई भी कुछ कहे तो उसको नकारा नहीं जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव : क्लिंटन साहब कह गए कि हमने सेना को हटाया।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उस पर हम क्या कहें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, इस वक्तव्य के अनुसार, यह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जम्मू-कश्मीर को एक महत्वपूर्ण समाचार के रूप में प्रस्तुत करना है। इस प्रकार पाकिस्तान भारत में भाड़े के सैनिक भेज रहा है। उन्होंने निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी है। जब राष्ट्रपति क्लिंटन भारत में थे उस समय भाड़े के सैनिकों ने अल्पसंख्यक समुदाय के 35 निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या कर दी। स्वयं राष्ट्रपति क्लिंटन महोदय ने यह घोषणा की थी कि यह हिंसा उनके भारत दौरे के कारण हुई।

क्या यह अमेरिकी सरकार द्वारा नृशंस हत्याओं की ओर से ध्यान हटाने का प्रयास है? राष्ट्रपति क्लिंटन के वक्तव्य के संबंध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है? उन्होंने हत्याकाण्ड की पूरी जिम्मेवारी ली है। उनके दौरे के कारण गरीब और निर्दोष लोग मारे गए हैं। अगर वे भारत न आते तो ऐसी घटना न होती। राष्ट्रपति क्लिंटन के वक्तव्य का आम लोग ऐसा ही अर्थ निकालेंगे। आपका दृष्टिकोण क्या है? निर्दोष लोगों की हत्या के संबंध में राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? पैंतीस निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आने वाले थे तो उससे पहले इंटेलिजेंस से भी इस तरह की बातें कही जाती थीं कि उस वक्त पाकिस्तान कोई न कोई ऐसी घटना का निर्माण करने की कोशिश करेगा जिससे उनके यहां आने पर उसका कुछ असर पड़े। हमारे सुरक्षा बलों के हर स्तर पर लोग बहुत सचेत थे और यह घटना कहां हो सकती है, ऐसी भी समझ थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो हीन काम किया, सिख समाज के 35 लोगों को मारने का, ऐसा रास्ता पाकिस्तान पकड़ेगा, मैं नहीं समझता ऐसी बात किसी के मन में आई होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो भी कहा हो, उसका अर्थ यह नहीं कि वे इसलिए आना चाहते थे कि सिख लोग मारे जाएं।

इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी डालना, यह न तो किसी लॉजिक में सही बैठता है और न ही व्यवहार में आ सकता है।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सेना की छावनी पर हो रहे हमले के संबंध में है। जम्मू-कश्मीर में सेना आतंकवादियों का मुकाबला राष्ट्रीय राइफल्स और अर्द्धसैनिक बल के रूप में भी कर रही है। माननीय मंत्री यह जानते हैं कि सैनिक छावनियों पर हमले का अर्थ है आतंकवाद में वृद्धि।

सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। कल भी उन्होंने एक सैनिक छावनी पर हमला किया था। मैं नहीं जानता कि क्या माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं या नहीं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री ने बीएसएफ के मुख्यालय में कल ही एक वक्तव्य दिया है कि हेलीकाप्टर पुंछ और रजौरी सैक्टर में हथियार गिरा रहे हैं।

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : वे गिरा नहीं रहे हैं बल्कि गिरा सकते हैं। उनकी बात माननीय सदस्य की बात से जरा भिन्न है।

श्री राजेश पायलट : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को अखबारों में छपी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हथियार गिराए थे।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत हैं या नहीं क्योंकि आतंकवाद इस हद तक बढ़ रहा है कि इससे सेना की स्थिति जिसने आतंकवादियों के दिमागों में एक खौफ पैदा किया हुआ था और जो आम आदमी की ताकत था, बिगड़ती जा रही है।

मेरी सूचना यह है कि सशस्त्र सेनाएं भी पिछले डेढ़ साल से सरकार को चेतावनी देती रही हैं कि कुपवाड़ा और उरी सैक्टर पूरी तरह आतंकवाद से ग्रस्त है और सेना की छावनियों पर हमले हो रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि सेना के हौंसले बुलंद हैं तथा सरकार नागरिक प्राधिकारियों के साथ मिलकर क्या भावी योजनाएं बना रही है ताकि सेना इन हमलों से हतोत्साहित न हो।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं नहीं मानता कि हमारी सेना एक हतोत्साहित सेना है या इसे हतोत्साहित किया जा सकता है। वहां जो हमले हुए हैं उन्हें या तो बढ़ा-चढ़ाकर या तोड़-मरोड़ कर बताया गया है। यह भी कहा गया है कि आतंकवादी छावनियों में घुस गए हैं और उस जगह पहुंच गए हैं जहां निर्णय लिए जाने हैं, समझो, वे प्रचालन कक्ष में ही घुस गए हैं।

महोदय, ऐसी छह घटनाएं हुई हैं। मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि जो छवि बनाई जा रही है तथा विगत समय में पहली घटना के समय से ही जो छवि बनाई गई है उस छवि को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

पहला हमला 5 अगस्त, 1999 को हुआ था। यह हमला कुपवाड़ा जिले में चाक नुपनुस में स्थित एक कैम्प पर हुआ था। यहां आतंकवादियों ने सैनिक छावनी पर हमला करके पांच को मार डाला था। एक अधिकारी, एक जे.सी.ओ. और अन्य रैंक के तीन अन्य व्यक्ति मारे गए थे। इस कार्रवाई में छह आतंकवादी मारे गए थे और हथियार बरामद हुए थे। यह हमला उस क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा अचानक किए गए हमलों में से एक था।

अगला हमला 3 नवम्बर, 1999 को बदामीबाग छावनी परिसर के पी.आर.ओ. कार्यालय पर हुआ था। उस समय यही बात सुर्खियों में थी और यही चिन्ता का विषय था कि आतंकवादी छावनी में निर्णय लेने वाले स्थल तक घुस गए हैं। यह उसी क्षेत्र में था अर्थात् यह कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित था जहां हमला हुआ था।

अब, यह सच है कि वहां संतरी थे और उनके लिए किसी प्रकार यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं था कि कोई हमला होने वाला है। उस हमले में एक अधिकारी, दो जे.सी.ओ. और छह अन्य सिपाही और एक बी.एस.एफ का जवान मारा गया था। इस कार्रवाई में दो आतंकवादी, जिन्होंने हमला किया था, भी मारे गए थे।

तीसरा हमला 2 दिसम्बर को बारामुला में सेना के वर्कशाप पर हुआ था। दो आतंकवादियों ने बारामुला में राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ स्थित सेना के वर्कशाप में घुसने की कोशिश की थी। मुठभेड़ में दोनों ही आतंकवादी मारे गए थे। सेना को भी एक जे.सी.ओ. और दो अन्य सैनिकों की जान गंवानी पड़ी। हमें आतंकवादियों से हथियार भी बरामद हुए।

चौथा हमला 1 जनवरी को हुआ था जब उन्होंने सुरानकोट में राष्ट्रीय राइफल्स के छठे सेक्टर मुख्यालय पर हमला किया था। इसमें सेना का एक जवान मारा गया था, तीन अन्य जख्मी हो गए थे और इस हमले में दो आतंकवादी मारे गए थे।

अगला हमला 12 जनवरी को हुआ था जब उन्होंने खानाबल में स्थित राष्ट्रीय राइफल्स के पहले सेक्टर मुख्यालय पर हमला किया था। इसमें सेना का एक जवान मारा गया था, तीन अन्य घायल हो गए थे और दो आतंकवादी मारे गए थे।

अन्तिम घटना 24 जनवरी की हुई थी जब उन्होंने 5031 ए.एस.टी. बटालियन पर श्रीनगर में हमला किया था, जिसमें जहां चार सैनिक मारे गए थे, 14 घायल हुए, सेना द्वारा जवाबी कार्यवाही में दो आतंक मारे गए।

महोदय, मैं इन बातों के महत्व को कम करने का प्रत्यन नहीं कर रहा हूं पर जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं वह यही है। अंततः, यह सैनिक छावनियां हैं, जहां हमारे सैनिक तैनात हैं। वह सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं, हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे ही लोग वहां तैनात हैं। उस क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति है, जहां ऐसी परिस्थितियां सदैव रहती हैं जहां लोगों का समूह, या आधे दर्जन लोग, कभी-कभी एक या दो व्यक्ति भी, अचानक हमला कर देते हैं, और इस प्रकिया में वे मारे भी जाते हैं क्योंकि, ये सब तरफ से देखा जाए तो आत्मघाती दस्ते होते हैं। पाकिस्तान अपने शास्त्रागार के सभी हथियार अपना रहा है, चाहे वह कैसा भी हमला हो, किसी भी समय हो और कैसा भी हथियार हो। वे इन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं, वे इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वे उन्हें उकसाते हैं और हमारे यहां ऐसी घटनाएं घटती हैं। परन्तु यह कहना कि वे सेना के ठिकानों पर हमला करते हैं, यह सेना के मनोबल को कम करता है सेना को संरक्षण की आवश्यकता है—ऐसा कहना परिस्थितियों से दूर जाना है।

अब, जहां तक हेलीकाप्टर द्वारा हथियार गिराए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के कल के वक्तव्य का संबंध है, मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि कल देर रात तक मुख्यमंत्री जी मेरे साथ थे। उन्होंने कल शाम 6.30 बजे मुझसे मुलाकात की। परन्तु उन्होंने हथियार गिराने इत्यादि के संबंध में मुझसे कुछ नहीं कहा। परन्तु अखबारों में मैंने उनके द्वारा कही गई बात को पढ़ा, शायद दिल्ली आने के पूर्व या दिल्ली में ही जहां उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद के लिए हमारे भूक्षेत्र में हथियार गिराने में सक्षम है और वह गिरा भी सकता है। वे अपनी आशंका को व्यक्त कर रहे थे, वे चाहते होंगे कि जहां तक आतंकवादियों को पाकिस्तान के समर्थन का प्रश्न है, हमें हर तरह की घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सेना का आत्मबल बहुत ऊंचा है और सेना किसी भी स्थिति से निपट सकती है।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों को प्रशिक्षण

***382. श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान अपहरण की किसी सम्भाव्य घटना से निपटने हेतु एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के पायलटों व अन्य कर्मचारी दल को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अपहरणकर्ताओं को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से देश की वाणिज्यिक उड़ानों के दौरान विमान चालक कक्ष में पायलट के लिए गैस मास्क की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : (क) और (ख) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो किसी विमान के अपहरण के साथ-साथ किसी उड़ानगत विमान में अन्य गैर-कानूनी हस्तक्षेपों के संबंध में होने वाली घटनाओं से निपटने के उद्देश्य से एयरलाइन्स के कॉकपिट तथा केबिन क्रू के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

(ग) और (घ) कॉकपिट क्रू तथा यात्रियों के लिए प्रेशर ब्रीथिंग आक्सीजन मास्क उपलब्ध हैं। किसी गैस जो अपहरणकताओं को गतिहीन कर सकती है, के रिलीज की वजह से यात्रियों विशेषकर शिशुओं और स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान यात्रियों पर कोई प्रतिकूल/खतरनाक प्रभाव भी पड़ सकता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 385 भी इसी से जोड़ दिया जाए, यह इसी से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न यह है कि जिस समय विमान अपहरण हो रहे हैं, जैसे आतंकवादी निरंतर विमान अपहरण कर रहे हैं और उसके बाद वे अपने साथियों को छुड़ाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यह राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और सरकार के लिए गिरावट की बात है कि विमान का अपहरण किया जाता है और उसके बाद आतंकवादियों को छुड़ाकर सुरक्षित लेकर चले जाते हैं, उसके बाद बड़ा हंगामा होता है लेकिन फिर सरकार चुपचाप हो जाती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई फिजिकल, व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था सरकार के पास है? दिनांक 27.12.99 के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक पायलट ने बड़ा लम्बा इंटरव्यू दिया है। पता नहीं उस इंटरव्यू को सरकार ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उन्होंने यह कहा है कि हम लोगों के पास कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे हम आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें। हमें कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिससे हम आतंकवादियों से भिड़ सकें। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पाठ्यक्रम के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। पाठ्यक्रम तो कोई भी पढ़ सकता है, हम लोग भी बैठकर पढ़ सकते हैं। पढ़ाना अलग बात है और प्रेक्टिकल ट्रेनिंग देना अलग बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री पूछिए। आप तो भाषण कर रहे हैं।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हमारा प्रश्न यह है कि क्या सरकार के पास उन्हें कोई प्रेक्टिकल देने की व्यवस्था है? यह मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसी का अंग है कि क्या उन्हें कोई उपकरण दिया जा सकता है जिससे वे आतंकवादियों का मुकाबला कर सकें या कैप्टन क्रू मुकाबला कर सके? दोनों प्रश्नों का सरकार ने उत्तर नहीं दिया है। गैस मास्क का दिया है जिससे बच्चों को खतरा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री पूछिए। आप भाषण कर रहे हैं।

प्रो० चमन लाल गुप्त : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा हमने पहले ही कहा है कि पायलट के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था बराबर है, उन्हें बराबर ट्रेनिंग दी जाती है। अगर कोई ऐसी इवेंचुएलिटी हो जाती है तो कैसे डील करना है, इसकी पूरी व्यवस्था है। दुनिया भर में नियम हैं। हवाई जहाज सिर्फ हमारे देश में ही नहीं चल रहे हैं, सारी दुनिया में चल रहे हैं। हाइजैकिंग भी सारी दुनिया के अंदर हो रही है। उसके लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन जो पायलट को दी जाती है, वह यह है कि आपको अपहरणकर्ताओं के आदेश मानने पड़ेंगे। हवा के अन्दर किसी तरह की गड़बड़ न हो, यह पायलट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। प्रश्न यह है कि ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं दी जाती है? हमारे यहां हैदराबाद, मुम्बई और दिल्ली के अन्दर इसकी व्यवस्था है। हर पायलट को हम इसके लिए ट्रेन करते हैं। पिछले मार्च से लेकर इस समय तक 78 पायलट्स को इसी विषय पर हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। हर महीने हमारे कैम्पस होते हैं लेकिन सवाल यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से वह पायलट उस समय कैसे बिहेव करता है, यह उसकी योग्यता और बुद्धिमता पर निर्भर करता है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हम उनके लिए कोई गैस वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं? हमने बड़े सरल ढंग से इसमें दिया है कि हाइजैकर जो भी आएगा, मरने के लिए आता है। वह काफी अच्छा

तगड़ा जवान होता है। उसको गतिहीन करने के लिए कितनी गैस छोड़नी पड़ेगी, यह देखना पड़ेगा। पैसेंजर्स में वृद्ध और बच्चे दोनों तरह के पैसेंजर्स होते हैं। अगर हम उन्हें दुर्घटना से बचाते-बचाते हम उन्हें ही दुर्घटनाग्रस्त कर दें तो यह कोई बुद्धिमता की बात नहीं है। व्यवस्था हमारे यहां पूरी है और हर तरह से पायलट्स को हम तैयार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य के नोटिस के लिए यह बताना चाहूंगा कि हमें कुछ आतंकवादियों को छोड़ना भी पड़ा। यह हकीकत है कि जिस तरह से हमारे कैप्टन शरण ने इस कांड के अन्दर जिस तरह से बिहेव किया है और 200 यात्रियों की जानें कितने अच्छे ढंग से बचाई, यह नमूना दुनिया के सामने पेश हो चुका है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : हमारे प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि पाठ्यक्रम के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। माननीय मंत्री जी शायद उसे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें प्रेक्टिकल करके दिखाया जाए कि विमान अपहरण हो रहा है और उस समय पायलट कैसे उसका मुकाबला करते हैं, फिजिकली कैसे मुकाबला कर सकते हैं? क्या उन्हें ट्रेनिंग देने वाले कोई रक्षा विशेषज्ञ हैं या इण्डियन एयरलाइन्स के ही अधिकारी ट्रेनिंग देते हैं? शायद सरकार ने विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने पूरा दिया है कि कुछ उपकरण भी ले जाए जा सकते हैं जिससे उनका मुकाबला कर सकते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि कैप्टन ने बहुत ही अच्छा मुकाबला किया। निश्चित रूप से कैप्टन ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया और बहुत ही सूझबूझ और बुद्धिमता के साथ यात्रियों के जीवन को सुरक्षित किया। सरकार ने जितनी देरी की है, जितनी लापरवाही की है, वह निश्चित रूप से निन्दनीय है। सरकार ने समय रहते, कैप्टन की सूचना पर कोई एक्शन ले लिया होता, तो शायद हमें आतंकवादियों को छोड़ना नहीं पड़ता। सरकार ने आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और दूसरा कोई उदाहरण किसी दूसरे देश में नहीं मिल सकता है, जो दूसरे देश की तुलना की जा रही है।

महोदय, मेरा प्रश्न है, भविष्य में ऐसी चीजों को रोकने के लिए और आतंकवादियों के सामने घुटने न टेकने पड़ें, कोई विशेष प्रशिक्षण और कोई उपकरण लाने का प्रावधान क्या सरकार करेगी? उस पायलट ने 21.12.99 को हिन्दुस्तान टाइम्स में इन्टरव्यू दिया है। क्या सरकार उस इन्टरव्यू को पढ़कर कोई विशेष ट्रेनिंग का प्रयोजन करेगी? क्या सरकार कोई विशेष उपकरण लाने का प्रयास करेगी या नहीं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिए।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशेषज्ञ को लाने का सरकार विचार कर रही है? क्या प्रफुल्ल बख्शी के आर्टिकल पर सरकार विचार करेगी, जो उन्होंने 27.12.99 को हिन्दुस्तान टाइम्स में दिया है? उस इन्टरव्यू को पढ़कर सरकार कोई विचार करेगी?

प्रो० चमन लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, हाइजैकिंग के ऊपर हमारे विदेश मंत्री ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। उस समय माननीय सदस्य कहां थे, मैं नहीं समझ पाया कि क्यों अब उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं या नहीं देते हैं। हमने बड़ा साफ कहा है कि हाइली प्रोफैशनल्स के द्वारा उनको ट्रेन्ड करते हैं। ट्रेनिंग बाकायदा व्यवस्था के साथ होती है। जिस चीज का ये रिफ्रेंस दे रहे हैं, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस आर्टिकल को हम देख लेंगे और जो भी योग्य बात अपनाने की होगी, उसको निश्चित रूप से अपनाएंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस : माननीय अध्यक्ष महोदय, विमान अपहरण आज की बड़ी समस्या है क्योंकि इसमें मासूम लोगों को बंधक बनाया जाता है। इसलिए, इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं समझती हूं, सबसे बड़ा प्रश्न प्रशिक्षण का है। विमानचालकों का प्रशिक्षण अधिक मनोवैज्ञानिक हो, वह यह कि उन्हें इन परिस्थितियों में किस प्रकार शांत रहना चाहिए और अपना कार्य जारी रखना चाहिए। मैं यह जानना चाहती हूं कि उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि विमानचालक अपनी सीट छोड़कर अपहरणकर्ताओं से हाथापाई करेंगे या छोड़कर गैस मॉस्क पहनेंगे? यह असंभव है।

प्रो० चमन लाल गुप्त : मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने कुछ इसी तरह का सुझाव दिया है।

श्रीमती कृष्णा बोस : इसलिए, मैं यह जानना चाहती हूं कि उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या वे उन्हें मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण दे रहे हैं?

अन्य मुद्दा है। क्या वे विमान में बाहर के कमांडो या बाहर के सुरक्षा गार्डों को रखेंगे? यह एक खतरनाक बात होगी, मैं जानती हूं। परन्तु क्या उनकी ऐसी कोई योजना है?

[हिन्दी]

प्रो० चमन लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, इसमें सभी तरह के इशूज हैं और उसी दृष्टि से पायलट को ट्रेन्ड करते हैं। मैंने पहले ही कहा, यह मसला इन्टरनेशनल सतह के ऊपर तय होता है और बाकायदा ऐसी चीजें तय की हुई हैं। जिसके अनुसार पायलट को यह डायरैक्शन है कि हाईजैकर्स को फोलो करना है। उनके साथ किसी तरह का झगड़ा नहीं करना है, किसी तरह का स्कफल नहीं करना है, किसी तरह की सिचुएशन पैदा नहीं करनी है, जिससे पैसेन्जर की जान को किसी तरह का खतरा हो। बाकी जैसा इन्होंने कहा है, हमने डिसाइड किया है और सैन्सटिव रूट्स पर स्काईवाशर्स रखे हैं। स्काईवाशर्स रखते हुए, बीच में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हुआ था। उन्होंने कहा कि गड़बड़ हो जाएगी। प्लेन जब ग्राउण्ड पर आ जाएगा, तब कार्यवाही होगी और स्काईमार्शल्स का एयर के अन्दर कोई काम नहीं है। एयर की सुप्रीमेसी पायलट की है। पायलट की डायरैक्शन के मुताबिक क्राफ्ट मूव करेगा। इस तरह की व्यवस्था है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कैप्टन सरन ने बहुत अच्छा काम किया है। इस बात को हम सभी जानते हैं और इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कैप्टन सरन एक वैलट्रेन्ड पायलट हैं और उन्होंने अमृतसर में प्लेन लैंड किया... *(व्यवधान)* सच्चाई यह है कि मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था। आपने स्वयं कहा है कि वे एक अच्छे विमानचालक हैं और वे आतंकवादियों के आदेशों का पालन कर रहे थे। बम्बई के इन्टरव्यू में उन्होंने स्पष्ट

कहा है, यदि मुझे अमृतसर में हैल्प मिल जाती, तो मैं वहीं के वहीं उनका मुकाबला कर सकता था। क्या उस पायलट ने विभाग में जानकारी दी और आपके विभाग ने कोई इन्क्वायरी की?

श्री मुलायम सिंह यादव : लखनऊ में की होगी।

श्री सुशील कुमार शिंदे : उनकी तरफ से आने दीजिए। आपने कहा कि विदेश मंत्री ने उसका उत्तर दे दिया है। वे तो वहां पहुंचाने के लिए गए थे, यह एक अलग बात है। आपने कहा है कि वैलट्रेन्ड पायलट्स हैं। विमानचालकों को आतंकवादियों के आदेशों का पालन करना पड़ता है चाहे वे कोई भी हो उनको ट्रेनिंग मिलती है। मैं जानना चाहता हूं, इतनी जानकारी देने के बाद सरकार क्या कर रही थी—इस बारे में ही बता दीजिए?

प्रो० चमन लाल गुप्त : महोदय, मैं नहीं समझता कि इसका प्रश्न के साथ ताल्लुक है, लेकिन माननीय सदस्य ने एक बात पूछी है। मैं उनको इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि बाहर हमारे पास इन्फार्मेशन का सोर्स होता है। अमृतसर में पायलट की तरफ से इन्फार्मेशन आ रही थी कि चार लोग मारे जा चुके हैं। मैंने उसकी तारीफ सिर्फ इसलिए की है कि वह जहाज को अमृतसर में उतारने में कामयाब हुआ। उसके बाद फ्युअल न होते हुए भी, लाहौर में उसने एयरक्राफ्ट को उतारा। यह उसकी योग्यता थी। क्रैश होने से उसने हवाईजहाज को बचाया और ठीक जगह उतार भी दिया। इस दृष्टि से मैंने उसकी प्रशंसा की है। अगर इनको अच्छा नहीं लगा, तो मैं शब्द वापिस ले लेता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार शिंदे : उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिल सकी यही उन्होंने कहा। मुझे उस मुद्दे पर उत्तर चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० चमन लाल गुप्त : मैंने पहले ही कहा है, इसका जवाब हमारे विदेश मंत्री दे चुके हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट : क्या माननीय मंत्री जी को विमान के कैप्टन के वक्तव्य की जानकारी है या नहीं...*(व्यवधान)* क्या आपको पता है? ...*(व्यवधान)* महोदय, माननीय मंत्री का प्रश्न संगत है। क्या मंत्री जी को कैप्टन के वक्तव्य का पता है या नहीं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० चमन लाल गुप्त : मेरा कहना यह है कि अमृतसर में हमारी तरफ से देरी नहीं हुई। इसके साथ ही जो डायरैक्शन, जो इंसट्रक्शन और जो सूचना पायलट की तरफ से आ रही थी, उसके मुताबिक कन्ट्रोल रूम में सीएमजी ने डायरैक्शन दी। उसमें कहीं कोई गलती नहीं हुई है। इस बारे में विदेश मंत्री काफी अच्छी तरह से ब्यौरा दे चुके हैं। अगर इस मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं, तो कभी भी की जा सकती है।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, हमारा कहना है कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से मामले हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दें...*(व्यवधान)* इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार आधे घण्टे की चर्चा के लिए तैयार है?

प्रो० चमन लाल गुप्त : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, माननीय मंत्री जी सहमत हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे कई प्रश्न उठ रहे हैं और इनका निराकरण होना आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : महोदय, मेरे देवर भी उसी विमान में थे। कृपया मुझे एक मिनट बोलने की अनुमति दीजिए...*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : माननीय मंत्री जी आधे घण्टे की चर्चा के लिए तैयार हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री जी आधे घण्टे की चर्चा के लिए तैयार हैं। अब श्री रघुवंश प्रसाद सिंह।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय नहीं है। कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सिर्फ हिन्दुस्तान में विमान अपहरण नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में विमान अपहरण हो रहा है।...*(व्यवधान)* ये अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ये आतंकवादियों को कौन-सा संदेश देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मैंने पहले ही कहा है कि मंत्री जी आधे घण्टे की चर्चा के लिए तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री अजय चकवर्ती : महोदय, आप मंत्री जी को सीधे उत्तर देने का निर्देश दीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? वे आधे घण्टे की चर्चा के लिए तैयार हैं।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) **:** महोदय, यह साबित हो गया है कि विमान अपहरण की सूचना मिल गई थी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो हो गया है।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, इस प्रश्न का सही जवाब आने दीजिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप बार-बार इस तरह खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, विमान अपहरण की सूचना मिलने के चार घण्टे तक सरकार के क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप ने कोई काम नहीं किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी पहले ही आधे घण्टे की चर्चा के लिए तैयार हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैंने डा० रघुवंश प्रसाद सिंह को बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्वाइं, सभा पर नियंत्रण रखने के लिए यहां मैं हूं, न कि आप।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाइं : महोदय, आप उन्हें अनुमति दे रहे हैं जो प्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। महोदय, विमान अपहरण अलग मुद्दा है और सुरक्षा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय नहीं है। मैं दूसरे प्रश्न पर आना चाहता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रघुवंश प्रसाद सिंह अंतिम पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आप अपना प्रश्न पूछिए, अन्यथा मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, विमान अपहरणकर्ता को सरकार सबक नहीं सिखा सकी, लेकिन उसी समय से एम.पीज को दो-दो बार उनके सामान की पूरी तरह से चैकिंग की जाती है, इसका क्या औचित्य है। दो-दो बार हवाईअड्डे पर प्रवेश के समय, जहाज में प्रवेश के समय, सभी जगह ऐसे हो रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न में से नहीं निकलता। इसलिए, मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। प्रश्न संख्या 383, श्री सुनील खां।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : एम.पीज के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसका उत्तर आना चाहिए। एम.पीज के ब्रिफकेस खोल कर चैक करते हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस सवाल में नहीं आता है, एम.पीज का फ्रिस्किंग इसमें नहीं आता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बिकने वाली मदों की कीमतों में वृद्धि

+

***383. श्री सुनील खां :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले तथा गरीबी की रेखा के ऊपर जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बेचे जाने वाले खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो मदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के व्यक्ति इस वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किए जाने वाले गेहूं और चावल के केंद्रीय निर्गम मूल्य 1.4.2000 से संशोधित किए गए हैं, जो निम्नानुसा हैं :

(रुपये प्रति क्विंटल)

जिन्स	गरीबी रेखा से नीचे के परिवार	गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार
गेहूं	450	900
चावल		
(i) साधारण	590	–
(ii) ग्रेड ''ए''	590	1180
(iii) जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व राज्य, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए साधारण चावल	–	1135

(ग) चूंकि 1.4.2000 से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए गेहूं और चावल का मासिक कोटा 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम कर दिया गया है, इसलिए उनके परिवार बजट में निवल बचत होगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पात्रता को दुगुना करने सहित मूल्यों में संशोधन करने से 41 प्रतिशत और अधिक संसाधन प्रभावी रूप से गरीबों को मिलेंगे। सरकार महसूस करती है कि ये उपाय गरीबों के लिए लाभकारी हैं।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : महोदय, माननीय मंत्री पहले ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और गेहूं की कीमतों में वृद्धि का उल्लेख किया है, परन्तु उन्होंने अभी तक कैरोसीन की मूल्य वृद्धि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा, मूल्य में पहले ही 2.50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जा चुकी है। यह गरीबों के लिए और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए, और जिनके घरों में बिजली नहीं है, उनके लिए यह कीमत वृद्धि बहुत अधिक है।

महोदय, एल.पी.जी. के मूल्य वृद्धि के संबंध में मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता क्योंकि यह, हालांकि इसमें पहले ही 30 रुपये प्रति सिलेण्डर की बढ़ोत्तरी की जा चुकी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नहीं आता। यूरिया की कीमतों में भी पहले ही वृद्धि की गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अनुपातिक रूप से खरीद मूल्य को भी बढ़ाया है। दूसरा...

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल एक पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री सुनील खां : महोदय, मैं दो पूरक प्रश्न पूछ सकता हूं। जिसमें मेरे प्रश्न का प्रथम भाग यह है क्या सरकार ने अनुपातिक रूप से खरीद मूल्य में भी वृद्धि की है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है, वे लोग जो गरीबी रेखा से थोड़े ही ऊपर हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनाज को दुगनी कीमत पर कैसे खरीद पाएंगे? आपने पहले ही कीमत बढ़ा दी है। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी आमदनी एक हजार रुपये है, वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुगनी कीमत पर अनाज कैसे खरीद पाएंगे? मेरे प्रश्न के यही दो भाग हैं और मैं अपना पूरक प्रश्न बाद में पूछूंगा।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : उपाध्यक्ष जी, यह प्रश्न फूड-ग्रेन्स के बारे में है और प्रश्न के पहले भाग में माननीय सदस्य ने केवल फूड-ग्रेन्स से संबंधित प्रश्न पूछा है। जहां तक उन्होंने अबोव और बिलो पावर्टी लाइन की बात कही है तो नई व्यवस्था के अन्तर्गत पावर्टी लाइन से नीचे के लोगों को अनाज की मात्रा 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो कर दी गई है। इक्नोमिक कोस्ट का भाव बढ़ा है 50 प्रतिशत और इसके द्वारा 33 करोड़ लोगों के परिवारों को 2270 करोड़ रुपये की राहत मिली है। उनको दो-गुने भाव से नहीं खरीदना पड़ेगा। भाव तो 68 प्रतिशत बढ़ा है लेकिन मात्रा 100 प्रतिशत बढ़ी है, जिसके कारण एक महीने के बजट में गरीब परिवारों को 30 रुपये की राहत मिली है। बिलो पावर्टी लाइन को लोगों को 2270 करोड़ रुपये की राहत मिली है। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। कंज्यूमर सब्सिडी घटी नहीं है वरन् वह बढ़ी है। पिछले वर्ष कंज्यूमर सब्सिडी 6256 करोड़ रुपये थी लेकिन इस साल उसको बढ़ाकर 7656 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसलिए सब्सिडी फूड पर कम नहीं हुई है बल्कि रि-फोकस हुई है। ए.पी.एल. को इक्नोमिक कोस्ट पर देकर, अमीरों से थोड़ा-सा लेकर गरीबों को 2270 करोड़ रुपये की राहत दी है।

श्री सुनील खां : यह तो सब आपके उत्तर में लिखा है, लेकिन...

[अनुवाद]

मेरे प्रश्न का प्रथम भाग खरीद मूल्य से संबंधित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि खरीद मूल्य बढ़ाए गए मूल्य के अनुपात में है या नहीं।

[हिन्दी]

श्री शांता कुमार : उपाध्यक्ष जी, एम.एस.पी. तय होने का एक नियम है। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाती है तो उसके तय होने के बाद एफ.सी.आई. खरीदती है। उस पर उसके अपने खर्चे आदि आते हैं। खर्चे मिलाकर उसकी इक्नोमिक कोस्ट आती है। सिद्धान्त यह है कि बिलो पावर्टी लाइन के लोगों को हमारी जो इक्नोमिक कोस्ट है उसके पचास प्रतिशत पर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां : खरीद मूल्य क्या है? आप किस कीमत पर खरीद रहे हैं? आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं...*(व्यवधान)* आपने मेरे प्रश्न को समझा ही नहीं, आपने मेरे प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश पायलट, दूसरा पूरक प्रश्न श्री शिवाजी माने पूछेंगे।

श्री राजेश पायलट : सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में 580 रुपये प्रति क्विंटल अदा कर रही है, परन्तु बेच रही है 900 रुपये प्रति क्विंटल। वे 320 रुपये अतिरिक्त ले रहे हैं। यह रुपया कहां जा रहा है?...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : महोदय, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामदास, कृपया प्रश्नों की सूची देखिए। श्री शिवाजी माने को पूरक प्रश्न पूछना है। श्री रामदास आठवले, यह क्या है? उनका नाम यहां है, वे दूसरे सदस्य हैं। कृपया प्रश्न की सूची को देखिए।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में...*(व्यवधान)* गेहूं पांच रुपये महंगा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एन०एन० कृष्णदास : महोदय, हम इस पर आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरक प्रश्न पूछने दीजिए। श्री सुरेश, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रश्न सूची क्यों नहीं देखते?

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि राशन में गेहूं चार रुपये पचास पैसे प्रति किलोग्राम दिया जा रहा है लेकिन महाराष्ट्र में राशन में गेहूं महंगा दिया जा रहा है। वहा राशन में गेहूं नौ रुपये प्रति किलोग्राम में मिल रहा है जो खुले बाजार से ज्यादा महंगा है। क्या सरकार अपनी तरफ से कोई ठोस कदम उठा रही है?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मंत्री महोदय सभा को गुमराह कर रहे हैं, इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति मिलनी चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर, हम इसे नियम 193 के अन्तर्गत ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरा मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री जी प्रश्न के भाग (च) में जो दावा कर रहे हैं उससे सभा गुमराह हो रही है। इसलिए, विशेष रूप से इस प्रश्न पर कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए मूल्य वृद्धि से प्रभावी रूप से 41 प्रतिशत अधिक संसाधन गरीबों को ही मिलेंगे, जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (च) में दावा किया है, इसी तकनीकी मुद्दे पर, मैं आधे घंटे की चर्चा के लिए निवेदन करता हूं।

श्री शांता कुमार : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, हम इसके लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यर, मंत्री महोदय तैयार हैं। आप इसके लिए सूचना दीजिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शस्त्र-प्रणाली का आधुनिकीकरण

•384. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कारगिल विजय आपरेशन के बाद अपनी सशस्त्र तैयारी को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या तीनों रक्षा सेनाओं हेतु शस्त्र प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार सेना के लिए सर्चर मार्क-II, यू.ए.वी., ई.सी. एम.-2140 और रणक्षेत्र निगरानी रडारों को सुपुर्दगी में तेजी लाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वांछित रक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के इच्छुक देशों के साथ बातचीत इस समय किस स्थिति में है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार ने जनवरी, 2000 में लद्दाख-कारगिल क्षेत्र के लिए एक कार्य एवं विशिष्ट क्षेत्र कोर मुख्यालय की स्थापना की है। इस कार्य व विशिष्ट क्षेत्र कोर मुख्यालय का गठन इसलिए किया गया है ताकि यह कोर मुख्यालय 15 कोर तथा 16 कोर मुख्यालयों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में पहले से ही तैनात बल स्तर में वृद्धि करके अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा तथा वास्तविक भू-स्थिति रेखा पर अपने सैन्य बलों को संपूर्ण क्षेत्र में तैनात करके भारतीय सीमाओं की रक्षा कर सके। देश की रक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं की समीक्षा अत्याधुनिक शस्त्रों तथा शस्त्र प्रणालियों को शामिल किए जाने और खतरे की संभावनाओं तथा मौजूदा सामरिक सुरक्षा परिवेश और नवीनतम प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखकर निरंतर की जाती है। रक्षा तैयारी के लिए नई-नई आवश्यकताओं को देखते हुए सशस्त्र सेनाओं के बजट आबंटन में वर्ष 1999-2000 के 48,504 करोड़ रुपये की तुलना में काफी वृद्धि करते हुए उसे वर्ष 2000-2001 के लिए 58,587 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी रेडारों और मानवरहित यानों की शीघ्र अधिप्राप्ति/अर्जन और उन्हें सेनाओं में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं। इस संबंध में और अधिक ब्यौरे देना जनहित में नहीं है।

विमान अपहरण के बारे में नेपाल सरकार की जांच रिपोर्ट

•385. **श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 24 दिसम्बर, 1999 को आई सी-814 विमान के अपहरण के दौरान हुई सुरक्षा संबंधी चूकों के बारे में नेपाल सरकार द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है;

(घ) क्या सरकार काठमांडू के लिए विमान सेवाएं पुन: शुरू करने पर सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ये विमान सेवाएं कब तक शुरू हो जाएंगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन प्रक्रियाओं के अनुरूप अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के बारे में एचएमजीएन के साथ विचार-विमर्श किए हैं। इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है लेकिन कुछ क्रियाविधियों में और सुधार करने और उन्हें अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। ज्योंही आपरेशनल विवरण पर सहमति हो जाएगी उड़ान सेवाएं पुन: शुरू हो जाएंगी।

[हिन्दी]

एअर इंडिया को घाटा हुआ

*386. **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान एअर इंडिया को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या एअर इंडिया द्वारा अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का स्तर अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमानन कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं जैसा नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो सुविधाओं के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। एअर इंडिया को गत तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1997-98	—	181.01 करोड़ रुपये
1998-99	—	174.48 करोड़ रुपये
1999-2000	—	89.75 करोड़ रुपये (अनंतिम)

घाटे की वजह नए विमानों पर ब्याज के कारण व्यय में वृद्धि तथा मूल्यह्रास, विस्तार में बढ़ती तथा प्रचालन लागत की वजह से लाभ में कमी, वेतनबिल तथा अन्य स्टाफ खर्चों में वृद्धि और अवतरण, हैंडलिंग एवं दिक्चालन संबंधी प्रभारों, रुपये की कीमत में गिरावट आदि हैं।

(ग) एअर इंडिया ने अपने वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) अतिरिक्त राजस्व के सृजनार्थ विपणन संबंधी प्रयासों में तेजी लाई गई है, (2) लाभप्रद मार्ग पर बल देते हुए नेटवर्क का युक्तिकरण और समेकन करना, (3) विमानों की बाह्य मरम्मत संबंधी कार्यों पर होने वाले व्यय में कमी लाने के उद्देश्य से और अधिक आंतरिक मरम्मत संबंधी कार्यों को हाथ में लेना, (4) विदेश में एअर इंडिया के भारतीय अधिकारियों के अनेक पद समाप्त कर दिए गए हैं, (5) दो स्वैच्छिक योजनाएं अधिसूचित की गई हैं यथा अपेक्षाकृत छोटा कार्य सप्ताह योजना तथा दो वर्ष की समयावधि तक बिना वेतन/भत्ता छुट्टी योजना जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, (6) सेवानिवृत्ति की आयु फिर से 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है।

(घ) और (ङ) एअर इंडिया का सतत् प्रयास है कि वह अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान विदेशी विमान कम्पनियों तथा अन्य विमानन कम्पनियों के समतुल्य सुविधाएं मुहैया करावे। एअर इंडिया अपनी प्रतिस्पर्धा कम्पनियों के अनुसार अपने यात्रियों को अनेक सेवाओं के प्रस्ताव की पेशकश करती आ रही है, जो इस प्रकार है :

एअर इंडिया

(i) सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए अलग चैक-इन काउंटर।

(ii) प्रथम श्रेणी यात्रियों के लिए टेली-चैक-इन सुविधा।

(iii) सीट के पूर्व चयन की सुविधा।

(iv) कोड शेयर उड़ानों पर चैक इन सुविधा।

(v) विश्वव्यापी सामान पहचान सेवा की सुविधा।

(vi) विश्व की प्रमुख एयरलाइनों की तर्ज पर खोए हुए/क्षतिग्रस्त सामान का मुआवजा।

(vii) अधिकांश भारतीय हवाई अड्डों पर कम्प्यूटरीकृत चैक-इन।

(viii) नेटवर्क के जरिए भोजन का चुनाव।

(ix) समयबद्ध प्रस्थान तथा आगमन मानक स्थिति तथा नेटवर्क के जरिए अन्य सुविधाओं से युक्त आतिथ्य सेवा।

(x) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप समयबद्ध आगमन तथा।

(xi) यात्रियों के सतत् प्रश्रय पाने के लिए फ्लाईंग रिटर्न कार्यक्रम।

(xii) एअर इंडिया के हाई यील्ड फर्स्ट तथा एक्जिक्यूटिव क्लास मार्किट के शेयर में वृद्धि करने की दृष्टि से महाराजा क्लब/लीडिंग एज क्लब।

[अनुवाद]

सशस्त्र बलों को वेतन पैकेज

*387. **श्री सुरेश रामराव जाधव :***
श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मार्च, 2000 को नई दिल्ली से प्रकाशित ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''पे-पैकेज : आर्मी, आई ए एफ कम्प्लेन आफ रॉ डील'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सुरक्षा बलों के पे-पैकेज की विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वास्तविक स्थिति यह है कि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के वेतन और भत्तों में आई विसंगतियों पर विशेष रूप से विचार करने के लिए तत्कालीन रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसके सदस्यों में तीनों सेनाओं के सह सेनाध्यक्ष और वित्त सलाहकार, रक्षा सेवाएं शामिल थे। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने आगे जांच की थी जिसमें रक्षा सेनाओं के तीनों प्रमुख भी सदस्य थे। सरकार ने दो मदों अर्थात् अधिकारी रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों और लेफ्टिनेंट जनरल तथा समतुल्यों के वेतनमानों के सिवाए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर अधिकारियों के समूह की सभी सिफारिशें मान ली थीं। अत्यधिक पेचीदे होने के कारण ये दोनों मुद्दे सरकार के विचाराधीन हैं।

उपर्युक्त किसी भी सिफारिश पर सैन्य कार्मिकों में असंतोष होने का कोई भी मामला सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों पर राजसहायता में वृद्धि

*388. **श्री अरुण कुमार :***
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार कब से खाद्यान्नों पर राजसहायता बढ़ाती रही है और मदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राजसहायता का लाभ आम उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) वर्ष 1990-91 से उपभोक्ता सब्सिडि की प्रगति निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष		उपभोक्ता सब्सिडि
1990-91	—	2071.64
1991-92	—	2890.91
1992-93	—	3223.77
1993-94	—	3173.89
1994-95	—	2350.63
1995-96	—	4183.05
1996-97	—	6131.83
1997-98	—	7028.00
1998-99	—	6860.30
1999-2000	—	6256.25
2000-2001 (अनुमानित)	—	7656.00

(ख) और (ग) सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने की आवश्यकता की ओर कुछ समय से ध्यान दे रही है। यह महसूस किया गया है कि यद्यपि खाद्यान्नों पर सब्सिडि बिल में कई वर्षों से पर्याप्त वृद्धि हो रही है लेकिन लक्षित समूह को खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने से पात्र गरीबों को पर्याप्त राहत नहीं मिली है। इसलिए सरकार ने खाद्यान्नों पर सब्सिडि की हाल ही में समीक्षा की है और निम्नलिखित निर्णय लिए हैं जिन्हें पहली अप्रैल, 2000 से लागू किया गया है।

(i) गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी के लिए खाद्यान्नों की मौजूदा 10 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार की मात्रा को बढ़ाकर दुगुनी अर्थात् 20 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार कर दी गई है;

(ii) गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी के अधीन केन्द्रीय निर्गम मूल्य बढ़ाकर इकनॉमिक लागत का 50 प्रतिशत कर दिया गया है; और

(iii) गरीबी की रेखा से ऊपर की आबादी के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्य इकनॉमिक लागत पर निर्धारित किया गया है।

इन उपायों के फलस्वरूप गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी के लिए सब्सिडि में प्रभावकारी वृद्धि हुई है और यह 5240 करोड़ रुपये से बढ़कर 7656 करोड़ रुपये हो गई है।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्नों की मात्रा को दुगुना करना

*389. **श्री नरेश पुगलिया :**

श्री भालचन्द्र यादव :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 2000 के 'द स्टेट्समैन' में ''डब्लिंग पी.डी.एस. एलाटमेंट फॉर द पुअरेस्ट फ्लॉड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को आबंटित खाद्यान्नों की मात्रा को दुगुना करने तथा साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों के मूल्यों में वृद्धि करने की सरकार की नीति को समाज के सभी वर्गों ने व्यापक रूप से आलोचना की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार की रिपोर्ट निम्नानुसार है :

(i) जिस समय राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों के अपने मौजूदा कोटे को उठाने से इंकार कर रहे हों तो गरीबी रेखा से नीचे का कोटा बढ़ाना कहां तक उचित है।

(ii) सरकार ने राजसहायता को कम करके 8210 करोड़ रुपये तक रखने के लिए गरीब परिवारों पर अधिक मूल्यों का बोझ डाला है, जबकि वसूली, भण्डारण, ढुलाई और वितरण के संबंध में बेहतर दक्षता लाकर खाद्यान्नों की आर्थिक लागत कम करने के लिए बहुत कम उपाय किए गए हैं। वास्तव में राजसहायता बिल की 75 प्रतिशत राशि भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक अकुशलता के कारण खर्च हो जाती है।

(iii) राजसहायता बिल में कटौती करने का सर्वोत्तम तरीका समूची वसूली, भण्डारण, ढुलाई और वितरण प्रणाली का निजीकरण करने का अहम उपाय करना है ताकि हानियों के बहुत बड़े हिस्से की प्रतिपूर्ति की जा सके।

सरकार उपर्युक्त किसी भी दावे से सहमत नहीं है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए उठान कुल आबंटन का औसतन लगभग 80 प्रतिशत रहा है और जब से यह प्रणाली लागू की गई है तब से इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। गेहूं और चावल की आर्थिक लागत के प्रमुख घटक हैं : न्यूनतम समर्थन मूल्य; सांविधिक प्रभार, जिसमें मंडी प्रभार, क्रय कर आदि हैं; असांविधिक प्रभार जिनमें श्रम और ढुलाई प्रभार, भण्डारण और ब्याज प्रभार, धान से चावल बनाने के प्रभार, भाड़ा और हैंडलिंग प्रभार, भण्डारण और ढुलाई प्रभार शामिल है। आर्थिक लागत का केवल दो प्रतिशत भाग ही भारतीय खाद्य निगम के प्रशासनिक प्रभार के रूप में होता है। अत: यह कहना सही नहीं है कि राजसहायता बिल का 25 प्रतिशत भाग वास्तव में भारतीय खाद्य निगम की प्रचालनात्मक अकुशलता के कारण खर्च होता है। खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सरकार खाद्यान्नों की वसूली और वितरण की पारम्परिक जिम्मेदारी को छोड़ना पसन्द नहीं करेगी। तथापि, सरकार कुशल प्रचालनों के हित में अधिक से अधिक गतिविधियों का निजीकरण करने के लिए तैयार है।

(ग) यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों को दुगुना करने का स्वागत लगभग सभी राज्यों ने किया है जबकि मूल्य वृद्धि की आलोचना की है।

(घ) यह अनुमान लगाया गया है कि 1.4.2000 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किए गए परिवर्तन से लगभग 40 प्रतिशत अधिक संसाधन गरीबों के हक में अंतरित हुए हैं। गरीब-इतर परिवारों से राजसहायता को वापस लेते समय इस समूह के उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सरकार महसूस करती है कि ये उपाय गरीबों के हित में है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित मंदिर

*390. **श्री तिरुनावकरसू : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में और विशेष रूप से तमिलनाडु में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अनुरक्षित मंदिरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त रख-रखाव पर आने वाली वार्षिक लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चित्रावसल और कुडुमिनीमलय स्थित गुफा मंदिर खस्ता हालत में है;

(घ) यदि हां, तो उनकी दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इन मंदिरों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए कितनी निधियों का आबंटन करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का राज्यवार ब्यौरा संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है जिसमें मंदिर भी शामिल हैं। तमिलनाडु में 110 मंदिर हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केन्द्रीय संरक्षित हैं।

(ख) तमिलनाडु में संरक्षित स्मारकों, जिनमें अन्य के साथ-साथ मन्दिर भी शामिल हैं, के अनुरक्षण पर वर्ष 1999-2000 के दौरान हुआ व्यय 1,27,88,808.00 रुपये है।

(ग) से (च) तमिलनाडु में सित्तन्नावसल और कुडुमिनिमलई में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक संरचनात्मक दृष्टि से अच्छी प्रकार संरक्षित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश पर कुडुमिनिमलई मंदिर के निकट उत्खनन कार्यों को रोक दिया गया है। सम्पूर्ण राजागोपुरम का 8.00 लाख रुपये की लागत से पुनरुद्धार किया गया है। हजार स्तम्भ वाले

मन्डप सहित मन्दिर के संरक्षण का कार्य करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू की गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास कार्य

***391. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक किए गए विकास कार्यों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला शौचालयों के अभाव के कारण महिलाओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समवर्ती मूल्यांकनों, तीव्र मूल्यांकनों और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन (और उनके प्रभाव) के मूल्यांकन के लिए एक व्यापक प्रणाली विकसित की है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ऐसा मूल्यांकन अभी भी किया जा रहा है।

(ग) और (घ) हालांकि विगत वर्षों में सार्वजनिक शौचालय विशेष सफल नहीं रहे हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जहां वैयक्तिक शौचालय संभव नहीं हैं, ग्रामीण महिलाओं द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक आधार पर महिलाओं के लिए ग्राम स्वच्छता परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन आधारित वार्षिक निधियों के 10 प्रतिशत तक का उपयोग नौवीं योजना अवधि के दौरान उन चयनित गांवों में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए किए जाने का विचार है जिनमें पंचायतें/धर्मार्थ ट्रस्ट/गैर-सरकारी संगठन केवल महिलाओं के लिए ग्राम परिसरों का निर्माण करने और उनका रखरखाव करने की पेशकश करेंगे।

पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति ने विभिन्न राज्यों में प्रायोगिक जिलों में महिलाओं के लिए स्वच्छता परिसरों का निर्माण करने की स्वीकृति दी है।

विमान सेवाओं से जुड़े हुए स्थल

***392. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विमान सेवा में जोड़े गए शहरों के, राज्य-वार, नाम क्या हैं;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश के विभिन्न स्थानों को विमान सेवा से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अप्रैल, 1997 से मार्च, 2000 के दौरान अनुसूचित सेवाओं द्वारा निम्नलिखित स्थानों को हवाई संपर्क से जोड़ दिया गया है :

	राज्य	स्थान
1.	राजस्थान	जैसलमेर
2.	हिमाचल प्रदेश	(i) कुल्लू (ii) धर्मशाला
3.	मध्य प्रदेश	जबलपुर
4.	गुजरात	(i) केशोद (ii) पोरबन्दर
5.	उत्तर प्रदेश	देहरादून
6.	लक्षद्वीप	अगाती

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रचालक अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार किसी स्थान के लिए प्रचालन सेवा करने के लिए स्वतन्त्र है बशर्ते कि वे कतिपय रूटों पर मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त में अनुबंध की गई न्यूनतम प्रचालन सेवा प्रचालित कर उसका अनुपालन करे।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को विमान सेवाओं से जोड़ना

***393. श्री विजय हान्दिक :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर के प्रमुख केन्द्रों को विमान सेवाओं से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सरकारी और निजी विमान कम्पनियों से बेहतर संचालनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित प्रकार के विमानों की खरीद करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड की राजधानियों के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी अन्य राज्य-राजधानियों को पहले ही हवाई संपर्क से जोड़ा जा चुका है।

(ख) से (घ) विमान कंपनियां इस बात का निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र हैं कि वे किस किस्म के विमान खरीदता है और उनका प्रचालन करना चाहते हैं। तथापि, विमानन नीति के प्रारूप में यह अपेक्षा की

गई है कि छोटे विमानों की प्रचालन सेवा को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वे देश के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और अधिक से अधिक गंतव्य स्थलों को विमान सेवाओं के जरिए जोड़ने में सफल हो सके।

सस्ते खाद्य तेलों का आयात

***394. श्री तरुण गोगोई :**
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परिष्कृत आयातित खाद्य तेल तथा मुख्यत: आर.बी.डी. पामोलिन का अत्यधिक और सस्ता अन्त:प्रवाह होने के कारण भारतीय खाद्य तेल और वनस्पति उद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इससे तेल के मूल्यों के साथ-साथ घरेलू तेल उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सस्ते खाद्य तेल का आयात करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय खाद्य तेल और वनस्पति उद्योग की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू उद्योग को तथा किसानों को बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ङ) वनस्पति तेल उद्योग से तथा किसान संगठनों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सस्ते आयातित खाद्य तेलों, मुख्यतया आर.बी.डी. पामोलिन से घरेलू प्रसंस्करण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

घरेलू स्रोतों से खाद्य तेलों की मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार को खुले सामान्य लाइसेंस पर खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देनी पड़ी थी। सरकार ने हाल ही में रिफाइंड खाद्य तेलों, जिसमें वनस्पति भी शामिल है, पर आयात शुल्क 16.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 27.5 प्रतिशत कर दिया है। 4 प्रतिशत की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क भी लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, कच्चे खाद्य तेल का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन किया गया है। वर्तमान आयात नीति वास्तविक प्रयोक्ताओं अर्थात् रिफाइंड तेलों और वनस्पति के विनिर्माताओं को कम आयात शुल्क पर कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता करती है, इससे व्यापारियों द्वारा किया जाने वाला व्यापार हतोत्साहित होता है और इससे उनके द्वारा किया जाने वाला अंधाधुन्ध आयात प्रतिबन्धित होगा। संक्षेप में वर्तमान आयात नीति उपभोक्ताओं, किसानों और संसाधकों के हित में है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में आग लगने की घटनाएं

***395. श्री चन्द्रकान्त खैरे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में जोनवार आग लगने की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) ऐसी घटनाओं में कितने यात्री मारे गए/घायल हुए तथा सरकार द्वारा मारे गए व्यक्तियों के परिवारों तथा घायल लोगों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों में हुई गाड़ियों में आग लगने की परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की जोन-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं में मारे गए तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

घायल यात्रियों और मृत यात्रियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

(i) **चिकित्सा सहायता** : उन दुर्घटनाओं के मामले में, जिनमें यात्री हताहत होते हैं अथवा घायल होते हैं, तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकों के साथ दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन तथा दुर्घटना राहत गाड़ियां भेजी जाती हैं। जिन घायल यात्रियों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है उन्हें मौके पर ही चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के बाद इलाज के लिए रेलवे अथवा निकटवर्ती प्राईवेट अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रेलवे अस्पताल में उनके उपचार के दौरान चिकित्सा संबंधी देखभाल रेलवे द्वारा की जाती है। जिन आपातकालीन मामलों में विशेषज्ञ सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें आवश्यक समझे जाने पर रेलवे डाक्टरों द्वारा निजी अस्पतालों में भेजा जाता है और ऐसे आपातकालीन उपचार के लिए प्रभारों का भुगतान सीधे अस्पतालों को किया जाता है।

(ii) **अनुग्रह राशि तथा क्षतिपूर्ति** : रेल दुर्घटनाओं में किसी यात्री के मारे जाने/घायल होने के मामले में मृतक और घायल व्यक्ति के निकट आश्रितों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अनुग्रह राशि और क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है :

अनुग्रह राशि

(i) मृत्यु के मामले में 15,000 रु.

(ii) गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 5,000 रु.

(iii) साधारण रूप से घायल होने के मामले में 500 रु.

क्षतिपूर्ति

क्षतिपूर्ति की राशि का विनिश्चय, रेल दुर्घटना तथा अवांछित दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम, 1997 के अनुसार रेल दावा अधिकरण द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

(i) मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के मामले में 4 लाख रुपये।

(ii) 32,000 रु. से 3,60,000 रु. जो घायल होने की स्थिति पर निर्भर करता है।

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :

1. रेल अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत सवारी डिब्बों में ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाना निषिद्ध तथा दंडनीय है।

2. विस्फोटकों के खतरों तथा लावारिस वस्तुओं के संबंध में अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत के बारे में जनता को जागरूक बनाने के लिए जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए सघन अभियान चलाया गया है।

3. अपने सामान में ज्वलनशील सामग्री ले जाने के खतरों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए टेलीविजन लघुचित्रों, राष्ट्रीय तथा स्थानीय प्रेस में विज्ञापनों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाता है।

4. मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियों में इन निर्देशों के साथ मार्गरक्षकों की व्यवस्था की गई है कि वे संवेदनशील क्षेत्रों में गाड़ियों में यात्री तथा सामान की आकस्मिक जांच करें।

5. महत्वपूर्ण गाड़ियों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश तथा ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने आदि की रोकथाम करने के लिए त्वरित कार्यदलों की व्यवस्था की गई है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्ष के दौरान जोन-वार आग लगने की दुर्घटनाएं

रेलवे	1997-98	1998-99	1999-2000*
मध्य	3	2	8
पूर्व	—	—	5
उत्तर	1	1	3
पूर्वोत्तर	—	—	—
पूर्वोत्तर सीमा	1	—	1
दक्षिण	1	1	1
दक्षिण मध्य	—	—	—
दक्षिण पूर्व	—	1	2
पश्चिम	—	—	1
मैट्रो	—	—	—
कॉकण रेलवे	—	1	—
जोड़	6	6	21

*1999-2000 में जो 21 दुर्घटनाएं हुईं उनमें से 6 में यात्रियों की मृत्यु हुई।

विवरण-II

आग लगने की दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या

	1997-98	1998-99	1999-2000**
मारे गए	1	—	22*
घायल हुए	6	52	25*

*भुसावल के निकट 2137 डाउन पंजाब मेल में लगी आग से 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 15 व्यक्ति घायल हुए।

**1999-2000 के आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्वच्छता

*396. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आकलन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कितनी वित्तीय आवश्यकताएं हैं; और

(घ) इस संबंध में कितनी धनराशि मंजूर की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए हाल में कोई राज्यवार सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि यह अनुमान है कि देश में कुल ग्रामीण परिवारों में से लगभग 16 से 20 प्रतिशत को स्वच्छता सुविधा उपलब्ध हैं। योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बनाए गए कार्यदल का अनुमान था कि 50 प्रतिशत ग्रामीण स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 6251 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान पुनर्गठित केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत तमिलनाडु राज्य सरकार को केन्द्रीय अंश के रूप में 10.52 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

ए०जे०टी० की खरीद

*397. **श्री आर०एस० पाटिल** :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब रूस के आधुनिकतम प्रशिक्षक विमान मिग यू.टी.एस. जो कि ब्रिटिश प्रशिक्षक विमान मिग से काफी सस्ता है, के बदले ब्रिटिश एरोस्पेस का हाक-115 ए.जे.टी.एस. विमान को खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित एडवांस्ड जेट प्रशिक्षक विमान की सुपुर्दगी कब की जाएगी तथा उन अन्य जेट प्रशिक्षक विमानों की लागत क्या है जो खरीद हेतु उपयुक्त नहीं पाए गए?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) उन्नत प्रशिक्षण वायुयान (एजेटी) की खरीददारी करने के संबंध में सरकार को अभी निर्णय लेना है। इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई वायुयानों की लघु सूची में ब्रिटिश हॉक तथा फ्रांसीसी अल्फा जेट वायुयान हैं। रूसी प्रशिक्षण मिग-ए टी वायुयान भारतीय वायुसेना द्वारा उन्नत प्रशिक्षण वायुयान (एजेटी) के लिए निर्धारित कुछ अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उन्नत प्रशिक्षण वायुयान (एजेटी) की खरीददारी के बारे में निर्णय ले लिए जाने के उपरांत सुपुर्दगी कार्यकम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने जिन प्रशिक्षक वायुयानों को खरीददारी के लिए उचित नहीं पाया था उनके संबंध में वाणिज्यिक प्रस्ताव आमंत्रित नहीं किए गए थे। इसलिए उनकी लागत उपलब्ध नहीं है।

सांविधिक राशन प्रणाली

*398. **श्री पी०सी० थॉमस : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सांविधिक राशन प्रणाली लागू है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन-कौन से हैं;

(ग) इन राज्यों में ऐसी योजनाएं आरम्भ करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी योजनाओं में कोई परिवर्तन करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केरल सरकार ने राज्य में सांविधिक राशन प्रणाली जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

(छ) यदि हां, तो उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। केरल और पश्चिम बंगाल के एक भाग में सांविधिक राशनिंग प्रणाली प्रचलित है। यह भाग कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों (हावड़ा, हुगली जिले का भाग, उत्तर 24 परगना जिले का बैरकपुर उप-मंडल और आसनसोल तथा वर्द्धमान जिले में दुर्गापुर) को कवर करता है।

(ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि केरल राशनिंग आदेश, 1966 के तहत सांविधिक राशनिंग प्रणाली कुछेक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने और उनका समान वितरण सुनिश्चित करने तथा उचित मूल्यों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में सांविधिक राशनिंग की शुरूआत 1943 में बंगाल अकाल को देखते हुए की गई थी। तत्पश्चात् 1947 में सांविधिक राशनिंग को कुछेक औद्योगिक क्षेत्रों से हटा लिया गया था। 1964 में औपचारिक रूप से पश्चिम बंगाल राशनिंग आदेश लाया गया जिससे कलकत्ता और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सांविधिक राशनिंग की पुन:स्थापना हुई। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार सांविधिक राशनिंग प्रणाली जारी रखने का कारण निर्धारित वितरण पैमाने पर खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

(घ) और (ङ) फिलहाल केरल सरकार का सांविधिक राशनिंग प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है। जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने के बाद पश्चिम बंगाल द्वारा सांविधिक राशनिंग प्रणाली में आशोधन किया गया था क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकांश राशन-कार्डधारक गरीबी रेखा से ऊपर हैं और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए सुनिश्चित है, हालांकि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए अस्थायी आबंटन किए जाते हैं। सांविधिक राशनिंग से कवर किए गए राज्य के क्षेत्रों को चिह्नित करने की प्रणाली भी वापस ले ली गई है और अब व्यापारियों को सांविधिक राशनिंग क्षेत्रों में चावल लाने और राज्य सरकार द्वारा जारी भंडारण लाइसेंस के आधार पर बिक्री हेतु इसका स्टाक करने की अनुमति दी गई है।

(च) और (छ) केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य में सांविधिक राशनिंग प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए खाद्यान्न आबंटन जारी रखे जाएं। राज्य सरकार ने इस प्रकार अनुरोध किया है :

- सभी के लिए खाद्यान्न आबंटन जारी रखना (इस बात का ध्यान किए बिना कि वे गरीबी रेखा से नीचे हैं अथवा गरीबी रेखा से ऊपर) और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के आबंटन में वृद्धि करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि नहीं करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार करना।

(ज) भारत सरकार ने 1.4.2000 से आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के खाद्यान्न आबंटन को दुगुना कर 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया है। इसी बीच, गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के आबंटन को उसी स्तर पर बनाए रखा गया है जो कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करते समय आर्थिक लागत पर आबंटित था। यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने सामान्य मासिक आबंटन के अलावा गेहूं अथवा चावल की अतिरिक्त मात्रा की मांग करता है, तो इसका आबंटन आर्थिक लागत पर किया जाएगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य सम्बद्ध खर्चों में हुई वृद्धि और बजटीय बाधाओं को देखते हुए खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि की गई है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के

आबंटन के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य में जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने के समय से वृद्धि नहीं की गई थी।

विगत में, बेमौसमी वर्षा/प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए गुणवत्ता संबंधी विनिर्दिष्टियों में ढील वसूली राज्यों के अनुरोध पर दी गई थी। ये खाद्यान्न भी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की सीमाओं के अन्दर थे। तथापि, अब सरकार ने निर्णय लिया है कि विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्यान्न की ही वसूली की जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीट जन्तुबाधा से मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की ही आपूर्ति की जाए।

रेल दुर्घटनाओं पर निगरानी

*399. **श्री आर०एल० भाटिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने और उन्हें रोकने हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों की जांच करने के लिए एक ''स्वतन्त्र पूर्णकालिक प्राधिकरण'' का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, रेल अधिनियम, 1989 के अनुसार गंभीर रेल दुर्घटनाओं की रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है, जो एक सांविधिक निकाय है और रेल मंत्रालय से स्वतन्त्र तथा नागर विमानन मंत्रालय के अधीन है। हाल ही में हुई खन्ना और गैसल दुर्घटनाओं जैसी अत्यधिक गंभीर दुर्घटनाओं के मामले में न्यायिक जांच आयोग की स्थापना की गई है। गैसल दुर्घटना के मामले में आपराधिक मंशा, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य सभी दुर्घटनाओं के संबंध में उन दुर्घटनाओं की गंभीरता के आधार पर उपयुक्त ग्रेड के अधिकारियों/पर्यवेक्षकों की एक समिति द्वारा जांच की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मालडिब्बों की खरीद

*400. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा मालडिब्बों की खरीद के संबंध में कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, वैगन इंडिया लिमिटेड की उपेक्षा करते हुए निविदाएं जारी की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को मालडिब्बों की खरीद में किसी बड़े घोटाले के बारे में कोई सूचना मिली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ज) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(झ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। खरीद में किफायत, पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय खुली निविदा के माध्यम से मालडिब्बों की खरीद करता है। सभी सुस्थापित मालडिब्बा विनिर्माताओं के पिछले कार्य निष्पादन और उनके द्वारा टेंडर में दी गई दरों को ध्यान में रखते हुए उन्हें थोक मालडिब्बों के लिए आर्डर दिए जाते हैं। मालडिब्बों के आदेश देने का निर्णय करते समय रेलें निरन्तर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को अधिकतम प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करती हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वैगन इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, बल्कि यह उद्योग मंत्रालय के अधीन संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों की, मालडिब्बा निर्माता इकाइयों के सदस्य शामिल हैं। वैगन इंडिया लिमिटेड स्वयं मालडिब्बों का निर्माण नहीं करता है। अत: वैगन इंडिया लिमिटेड की अनदेखी करने का प्रश्न नहीं उठता है। आर्डर सीधे मालडिब्बा विनिर्माता इकाइयों को प्रदान किए जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) से (झ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पासपोर्ट की जांच पड़ताल

4119. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के आप्रवासन पटलों पर पासपोर्टों की जांच-पड़ताल के लिए कम्प्यूटर/मशीन लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर लगभग कितनी लागत आएगी; और

(ग) इन मशीनों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 11.65 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना के दो वर्षों के भीतर पूर्ण होने की संभावना है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के डिपों में अनियमितताएं

4120. **श्रीमती रेनु कुमारी :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के जोनल कार्यालय के सतर्कता विभाग ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिपो के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या इस डिपो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने निगम के हितों की उपेक्षा करते हुए 1996 में शहरी इकाई की इकाई संख्या (2) के अनधिकृत मजदूरों को पहचान पत्र जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित करने के बजाय बहाल करने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई थी और संचयी प्रभाव के बिना वर्ष 2000 के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड देकर इसे अंतिम रूप दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) अनधिकृत श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने के लिए पहचान पत्र जारी करने के संबंध में एक सहायक प्रबंधक (डी.) निलम्बित किया गया और मुख्य दण्ड के अधीन उन्हें आरोप पत्र दिया गया था। उनके विरुद्ध जांच शुरू की गई थी और निलम्बन आदेश रद्द कर दिया गया था। तथापि, जांच पूरी होने पर उन्हें संचयी प्रभाव (क्यूमिलेटिव इफेक्ट) के बिना 3 वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिया गया था।

न्यायालयों में रेलवे के लंबित मामले

4121. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के विभिन्न जिलों में रेलवे के कितने मामले न्यायालयों में लंबित पड़े हैं;

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं; और

(ग) इनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 1840

(ख) 1. पांच वर्षों से अधिक 380

2. चार और पांच वर्षों के बीच 317

3. तीन और चार वर्षों के बीच 391

4. दो और तीन वर्षों के बीच 334

5. एक और दो वर्षों के बीच 418

(ग) मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी स्तरों पर नियमित निगरानी की जाती है। सभी महत्वपूर्ण मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और इन पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

एन०सी०सी०एफ०/सुपर बाजार में अधिकारियों के बच्चों को डीलरशिप

4122. **श्री रामसागर रावत :** क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन सी सी एफ/सुपर बाजार में जिम्मेदार पदों पर नियुक्त अधिकारियों के बच्चे उन शाखाओं को छोड़कर जहां वे स्वयं कार्यरत हैं, अन्य जगहों पर उक्त एजेंसियों के डीलर के रूप में पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था अनुमति प्राप्त है और क्या ऐसे अधिकारी अपने कार्य के प्रति वफादार हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार, दिल्ली दोनों ने सूचना दी है कि उनके ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया।

पेंशनों का संशोधन

4123. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागलपुर (पूर्व रेलवे) से 1983 में सेवानिवृत्त हुए बहुत से कर्मचारियों की पेंशनें पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में 1986 से पहले सेवानिवृत्ति के मामलों में पेंशनभोगी-वार तथ्य क्या हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भागलपुर से प्राप्त सभी सात मामलों पर कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। बहरहाल उनमें से केवल पांच मामलों को अंतिम रूप दिया गया है और शेष दो मामले लंबित हैं क्योंकि आवेदकों/भूतपूर्व कर्मचारियों ने नाम, पते और पेंशन वितरण प्राधिकरण के खाता संख्या प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ख) संबंधित आवेदकों/भूतपूर्व कर्मचारियों को अनुपलब्ध ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए पहले ही कहा जा चुका है।

पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी

4124. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि तटरक्षक दमन और दीव में मछुआरों को उचित चेतावनी संकेत देने में असफल रहे हैं;

(ख) क्या तटरक्षक की इस विफलता के परिणामस्वरूप पाकिस्तानी सेना द्वारा निरंतर मछुआरे गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो चेतावनी प्रणाली को सुचारू बनाने तथा मछुआरों को समय पर उचित चेतावनी और संकेत देना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) तटरक्षक स्टेशन विशेष रूप से उस तटीय मछुआरा समुदाय के साथ नियमित रूप से परस्पर संपर्क करते रहते हैं जो पाकिस्तान की समुद्री सीमा के निकट मछली पकड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, नियमित अनुदेशात्मक भाषण दिए जाते हैं ताकि समुद्री सीमा-रेखाओं और बरती जाने वाली सुरक्षा सावधानियों से अवगत करवाया जा सके। इन मामलों को संबंधित राज्य प्रशासन और मत्स्य विभागों की जानकारी में लाया जाता है ताकि इनका कड़ाई से पालन किया जा सके। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में नेमी निगरानी करने वाले तटरक्षक जलयान भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के निकट मछली पकड़ने वाले जलयानों को भारतीय समुद्री-सीमा के भीतर ही मछली पकड़ने के निर्देश देते रहते हैं। इन अनुदेशों के बावजूद कुछ मछुआरे इस परामर्श की बराबर उपेक्षा करते रहते हैं और जब वे पाकिस्तान के समुद्री-जल में मछली पकड़ रहे होते हैं उस समय उन्हें पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी द्वारा यदाकदा गिरफ्तार कर लिया जाता है।

[हिन्दी]

छोटी विद्युत परियोजनाएं

4125. श्री राजो सिंह : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार सरकार ने छोटी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई मदद मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी धनराशि मंजूर की गई और जारी की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अब तक बिहार राज्य को 1.85 मेवा. की संचयी क्षमता वाली पांच लघु पनबिजली परियोजनाएं और पांच सफरी माइक्रो हाइडल सेट उपलब्ध कराए हैं। इस मंत्रालय को बिहार राज्य से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। इस मंत्रालय को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य में लघु पनबिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए निधियां जारी करने का भी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, नौवीं योजना अवधि के दौरान, मंत्रालय ने बिहार राज्य को अन्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के अन्तर्गत 3.34 करोड़ रु. की कुल धनराशि जारी की है।

[अनुवाद]

रेल पटरियों के चटखने के कारण होने वाली दुर्घटनाएं

4126. श्री अमर रायप्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अधिकांश दुर्घटनाएं रेल पटरियों के चटखने के कारण होती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चटखी हुई रेल पटरियों को नहीं बदले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये रेल पटरियां रेलवे द्वारा प्राप्त की गई घटिया गुणवत्ता वाली रेल पटरियों के कारण चटखी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा रेलवे के दोषी अधिकारियों तथा इन चटखी हुई रेल पटरियों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों/फर्मों/उत्पादकों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। दुर्घटनाओं का केवल एक भाग ही पटरियों में टूट-फूट के कारण होता है।

(ख) जहां कहीं पटरी में टूट-फूट नजर आती है, वहां रेलपथ की मरम्मत के लिए एक निर्धारित प्रणाली है। इस प्रणाली का सुव्यवस्थित तरीके से अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) पटरी में टूट-फूट कई कारणों जैसे अधिक लदान, ज्यादा गति, फ्लैट टायर और जंग लगने से भी हो जाती है। पटरी में टूट-फूट निर्माण खराबी की मौजूदगी एवं सेवा में उस खराबी के बढ़ने से भी हो जाती है।

(घ) पटरियां भारत सरकार के उपक्रम स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि. (सेल) से खरीदी जाती हैं और यह देश में पटरियों की सप्लाई का एकमात्र देशी स्रोत है। समय-समय पर सेल से अनुरोध किया गया है कि वे और अधिक बेहतर गुणवत्ता वाली पटरियां भारतीय रेलों को सप्लाई करने के लिए अपने उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाएं। अब रेलवे के प्रयासों से भिलाई स्टील प्लांट मानकों के अनुसार पटरियां बना रहा है।

[हिन्दी]

पनधारा योजना

4127. श्री रामानन्द सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999-2000 के दौरान पनधारा योजना के लिए मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) मार्च, 2000 के अन्त तक जिले-वार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) "पनधारा (वाटरशेड) योजना" के नाम से कोई योजना नहीं है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग राज्य में बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को निधियों का कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, निधियां परियोजना-दर-परियोजना आधार पर जारी की जाती हैं। वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्य में इस कार्यक्रम के तहत जिला पंचायतों/ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को 1011.12 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन परियोजनाएं

4128. श्री मानसिंह पटेल :
श्री राम टहल चौधरी :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार किन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया और इस प्रयोनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) किन-किन परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है तथा इन परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन आधारभूत सुविधाओं के सृजन/ संवर्धन के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य/संघ शासित सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने मार्गस्थ सुविधाओं, पर्यटक बंगलों, पर्यटक परिसरों, यात्री निवासों, स्मारकों के सौंदर्यीकरण, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनों, साहसिक खेलों के लिए उपकरणों की खरीद, मेले और उत्सवों, साहित्य के उत्पादन आदि के लिए 1257 परियोजनाओं हेतु 17124.72 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है। आठवीं योजना के दौरान, लगभग 475 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। आठवीं योजना के दौरान स्वीकृत/प्रदान की गई राज्य-वार राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिखाया गया है। स्वीकृत पर्यटन आधारभूत परियोजना/योजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 30 प्रतिशत की पहली किश्त, स्वीकृति पर प्रदान की जाती है, दूसरी 50 प्रतिशत की किश्त उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति के आधार पर है और अन्तिम किश्त कार्य समाप्ति तथा परियोजना के चालू होने के प्रमाणपत्र के आधार पर प्रदान की जाती है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान स्वीकृत/प्रदान की गई राज्य-वार केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	राज्य	आठवीं योजना	
		स्वीकृत राशि	प्रदत्त राशि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	437.69	209.26
2.	असम	439.84	195.98
3.	अरुणाचल प्रदेश	155.28	80.75
4.	बिहार	408.41	177.03
5.	गोवा	599.86	364.79
6.	गुजरात	190.58	101.79
7.	हरियाणा	747.58	479.25
8.	हिमाचल प्रदेश	1611.21	883.16
9.	जम्मू और कश्मीर	781.97	380.60
10.	कर्नाटक	1178.48	705.98
11.	केरल	1014.78	467.52
12.	मध्य प्रदेश	80.81	27.70
13.	महाराष्ट्र	1035.31	467.31
14.	मणिपुर	243.45	127.00
15.	मेघालय	110.36	43.39
16.	मिजोरम	458.77	274.09
17.	नागालैण्ड	223.16	164.76
18.	उड़ीसा	902.34	314.60
19.	पंजाब	647.53	278.89
20.	राजस्थान	1408.14	989.57
21.	सिक्किम	351.78	206.34
22.	तमिलनाडु	1134.95	663.54
23.	त्रिपुरा	278.52	163.08
24.	उत्तर प्रदेश	741.06	386.73
25.	पश्चिम बंगाल	810.80	337.66
26.	अंडमान और निकोबार	193.97	119.50
27.	चंडीगढ़	117.22	50.91

1	2	3	4
28.	दादर व नगर हवेली	108.28	72.23
29.	दिल्ली	336.26	244.17
30.	दमन	146.05	95.84
31.	लक्षद्वीप	168.41	93.15
32.	पांडिचेरी	61.87	30.30
	कुल योग	17124.72	9196.87

[अनुवाद]

तेजपुर में सिविल विमान टर्मिनल

4129. श्री एम०के० सुब्बा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजपुर का वर्तमान हवाई क्षेत्र वायुसेना के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित है और इसके प्रयोक्ताओं को हवाई उड़ानें प्रयुक्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेजपुर का निर्माणाधीन सिविल विमान टर्मिनल अब पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सिविल टर्मिनल के कब तक काम करने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। तेजपुर हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण वायुसेना क्षेत्र के बाहर एक नए सिविल एयर टर्मिनल परिसर का निर्माण कर रहा है। यह कार्य जुलाई, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।

सूखे के कारण खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन

4130. श्री अनन्त नायक : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा पीड़ित राज्यों ने अतिरिक्त खाद्यान्नों के आबंटन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सन् 2000-2001 के दौरान उन राज्यों का खाद्यान्न आबंटन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान सूखा राहत के लिए राज्यों को खाद्यान्नों का विशेष आबंटन निम्नानुसार किया गया था :

1. मणिपुर : मंत्रिमंडल के अनुमोदन से जून, 1999 से अक्तूबर, 1999 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू मूल्यों पर प्रतिमाह 1000 टन चावल का विशेष अतिरिक्त आबंटन।

2. जम्मू और कश्मीर : सूखा राहत के लिए जम्मू और कश्मीर को सितम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू मूल्यों पर प्रतिमाह 7789 टन चावल का अतिरिक्त आबंटन।

3. राजस्थान : राजस्थान सरकार ने फरवरी, 2000 से सितम्बर, 2000 तक प्रतिमाह 26,000 टन गेहूं के अतिरिक्त आबंटन की मांग की है ताकि वह राज्य में बाढ़ प्रभावित 26 जिलों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनके लिए लागू मूल्यों पर 30 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह के हिसाब से गेहूं का वितरण कर सके। चूंकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के खाद्यान्नों के आबंटन को अप्रैल, 2000 से 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दुगुना कर दिया गया है, इसलिए राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार

4131. श्री साहिब सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 और 1990 के तुलनात्मक आंकड़ों की तुलना में इस समय व्यस्त समय के दौरान कुल यात्रियों और उड़ानों को नियंत्रित करने के संबंध में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के पास क्या-क्या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) इस हवाई अड्डे का प्रथम विस्तार कार्य किस तारीख को पूरा हुआ था; और

(ग) इस हवाई अड्डे पर कौन-कौन से विकास और विस्तार कार्य करने का प्रस्ताव है और इन पर कितना व्यय होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के पास कुल 5050 एकड़ भूमि उपलब्ध है।

आईजीआई हवाई अड्डे पर प्रति घंटे 3350 अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों तथा 3500 घरेलू यात्रियों की कुल व्यस्त घंटा हैंडलिंग क्षमता की तुलना में, वर्ष 1990 में प्रति घंटा 2250 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 1949 घरेलू यात्रियों को नियंत्रित किया गया था; वर्ष 1995 में प्रति घंटा 2696 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 2250 घरेलू यात्रियों को जबकि अभी तक वर्ष 2000 में प्रति घंटा 2832 अन्तर्राष्ट्रीय तथा 2118 घरेलू यात्रियों को नियंत्रित किया गया है।

आईजीआई हवाई अड्डे पर व्यस्त घंटा विमान संचलन क्षमता 20-25 है। वर्ष 1990 में प्रति घंटा मांग 13, 1995 में प्रति घंटा 23 थी जबकि अभी तक वर्ष 2000 में यह मांग 20 विमानों की है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल का पहला चरण मई, 1986 में चालू हो गया था। अगस्त, 1986 में, 10500 वर्ग मीटर क्षेत्र का एक आगन्तुक

ब्लाक चालू किया गया था जिसे बाद में मुख्य टर्मिनल भवन का भाग बनाने की दृष्टि से आगमन स्तर पर आशोधित किया गया था। एक नया टर्मिनल अनन्य रूप से इंडियन एयरलाइन्स प्रचालनों की पूर्ति करने के लिए जुलाई, 1998 में चालू किया गया था।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 874.43 करोड़ रुपये की लागत से अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल भवन का दूसरा मॉडयूल निर्माण करने की योजना है।

एन०सी०सी०एफ० के प्रबन्ध निदेशक की तैनाती

4132. श्री रघुनाथ झा : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एनसीसीएफ में वर्तमान प्रबन्ध निदेशक सात वर्षों से अधिक समय से इस पद पर है और क्या वे अपनी सरकारी सेवा से अधिवर्षिता के बाद भी इस पद पर बने हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पद पर एक नियमित अधिकारी की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के स्थानापन्न प्रबन्ध निदेशक सेवा निवृत्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी सोसायटी चयन समिति ने अब राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए एक पैनल बना लिया है।

पी०टी०एल० के प्रशासनिक नियंत्रण में परिवर्तन

4133. श्री के० येरननायडू : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राग टूल्स लिमिटेड के कामगार संघ ने उद्योग मंत्रालय से कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण वापिस लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, हां।

(ख) इस कम्पनी द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, उन्हें पूंजीगत सामान संबंधी उद्योगों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समग्र संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है और इनका समाधान महज प्रशासनिक नियंत्रण को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को दिए जाने से नहीं होगा।

एजीमाला नौसेना अकादमी

4134. श्री टी० गोविन्दन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से राज्य में "एजीमाला नौसेना अकादमी" की स्थापना में विलंब दूर करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है; और

(घ) इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है और समय पर काम पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नौसेना अकादमी परियोजना 23 मार्च, 1995 को मंजूर की गई थी और इसे आठ वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था। 9 जुलाई, 1998 को वास्तुविद् के साथ परामर्शी करार पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ था। करार पर हस्ताक्षर होने में विलंब निम्नलिखित कारणों से हुआ था :

(1) संसाधन की कमी के कारण नौसेना मुख्यालय द्वारा अन्य संक्रियात्मक आवश्यकताओं की तुलना में इसे कम प्राथमिकता दी गई।

(2) परामर्शी शुल्क पर लम्बी मूल्य वार्ता।

(3) परामर्शदाता, नौसेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के बीच उत्तरदायित्वों की रूपरेखा के लिए लंबी वार्ता।

परियोजना को वर्ष 1999-2000 से उच्च प्राथमिकता दी गई है तथा इसकी वर्तमान स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

(क) वास्तुविद् के साथ परामर्शी करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

(ख) कार्यस्थल का विस्तृत भूस्थलाकृतिक सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण तथा सामग्री सर्वेक्षण, बाह्य सेवाओं, कैडेट मेस तथा कैडेट आवास की अवधारणात्मक रूपरेखा पूरी कर ली गई है।

(ग) कार्य की कुल लागत 29.24 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत अर्थात् 2.924 करोड़ रुपये के लिए मंजूरी मिल गई है।

(घ) इसी के साथ, परामर्शदाता ने अकादमी के मुख्य भवन परिसर की अवधारणात्मक रूपरेखा पर कार्य प्रारंभ कर दिया है जिसमें अकादमी तथा बाह्य प्रशिक्षण सुविधाएं शामिल हैं।

(ङ) केरल सरकार द्वारा प्रदान की जा रही मूल आधारभूत सुविधाओं की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

(1) निर्माण चरण के लिए प्रतिदिन 9 लाख लीटर पानी की आपूर्ति के लिए पांच बोर कूपों सहित संबद्ध टैंकों से जलापूर्ति योजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

(2) प्रतिदिन 73 लाख लीटर संसाधित जल की आपूर्ति के लिए पेयजल योजना निर्माणाधीन है।

(3) अस्थाई रूप से स्थापित ट्रांसफार्मरों तथा केबलों के माध्यम से निर्माण चरण के लिए विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है। अकादमी के भावी क्रिया-कलाप के लिए 110 के वी उप-केन्द्र निर्माणाधीन है।

(4) पय्यानूर रेलवे स्टेशन से कार्यस्थल तक की सड़क पूरी कर ली गई है। सिविल यातायात द्वारा बाई-पास के रूप में उपयोग के लिए कार्यस्थल के परिसर के चारों ओर की सड़क निर्माणाधीन है तथा यह वर्ष 2000 में पूरी हो जाएगी।

तदर्थ आधार पर कार्यरत रेल अधिकारी

4135. डा० चरणदास महंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में वरिष्ठ वेतनमानों पर अधिकारी तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 2000 तक ऐसे कितने अधिकारी तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं;

(ग) इतने बड़े स्तर पर तदर्थ आधार पर नियुक्तियों के क्या कारण हैं; और

(घ) इन तदर्थ आधार पर इन पदोन्नतियों को नियमित करने हेतु रेल मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) कार्य की आकस्मिकता में तदर्थ पदोन्नतियां की जाती हैं जो नियमित चयनित उम्मीदवारों की उपलब्धता पर निर्भर है। जोनल रेलों/उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों और अन्य इकाइयों के प्रमुखों को वरिष्ठ वेतनमान में तदर्थ पदोन्नतियां करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(ख) ऐसी तदर्थ पदोन्नतियों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन अवसंरचना निर्माण गतिविधि के भाग के रूप में रेलों को पूरे देश में कई निर्माण कार्य शुरू करने हैं। इन कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु कार्य की अवधि के लिए कार्य प्रभारित पदों का सृजन करके जन शान्ति प्राप्त की जाती है। अत: रेलों के पास सभी विभागों पर काफी संख्या में (वरिष्ठ वेतनमान के पदों सहित कार्य प्रभारित पद हैं) कार्य प्रभारित पद अस्थाई होते हैं और स्वीकृत कार्य अनुमानों में मौजूद प्रावधानों के अनुसार एक विशिष्ट छोटी अवधि के लिए सृजित किए जाते हैं। वित्तीय परिव्यय, कार्य की प्रकृति और भौगोलिक क्षेत्र आदि को ध्यान में रखकर इन पदों को भरने के लिए किसी समय विशेष में तदर्थ पदोन्नतियों की जाती हैं।

(घ) वरिष्ठ वेतनमान में चरणबद्ध तरीके में कार्यरत तदर्थ ग्रुप 'बी' अधिकारियों को नियमित करने के प्रयास किए जाते हैं। परन्तु यह संगठन की दीर्घकालिक आवश्यकताओं को देखते हुए तथा सरकार के अनुदेशों का पालन करके किए जाते हैं।

इजरायल के साथ सैन्य सम्बन्ध

4136. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन भारतीय युद्धपोत निकट भविष्य में इजरायल पत्तन जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध किस सीमा तक बेहतर होंगे?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) तीन भारतीय नौसेना पोतों अर्थात् भा नौ पो शक्ति, भा नौ पो गोमती और भा नौ पो रणवीर ने मार्च, 2000 के अंतिम सप्ताह में इजरायल के ईलात बंदरगाह का सद्भावना दौरा किया। भारतीय नौसेना पोतों को निकट भविष्य में इजरायल भेजने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय नौसेना पोतों द्वारा विदेशी बंदरगाहों के सद्भावना दौरों से, दोनों पक्षों की नौसेनाओं के बीच और अधिक विचार-विमर्श एवं सहयोग के रूप में सैन्य संबंधों को बढ़ाने में सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

गणतंत्र दिवस परेड/बीटिंग रिट्रीट पर व्यय

4137. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट्स पर प्रति वर्ष कितना व्यय हुआ और टिकटों की बिकी से इन अवसरों पर अलग-अलग कितनी आय हुई;

(ख) माननीय सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों के अनुरोध पर गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए कितने पास जारी किए गए;

(ग) जन प्रतिनिधियों के अनुरोधों पर पास जारी करने के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन मानदंडों का पूर्णत: पालन किया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) गणतंत्र दिवस समारोहों पर खर्च कम करने के लिए सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) यद्यपि रक्षा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड और समापन समारोह आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है फिर भी इन समारोहों के आयोजन में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों, स्थानीय निकायों और विभिन्न अन्य एजेंसियों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होती है। चूंकि इन व्यवस्थाओं से संबंधित विभिन्न मदों पर आने वाले व्यय को संबंधित संगठनों/एजेंसियों द्वारा वहन किया जाता है और उस

व्यय को किसी एक शीर्ष के अन्तर्गत संकलित अथवा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, इसलिए पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इन समारोहों पर व्यय हुई धनराशि को बताना संभव नहीं है।

2. पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अवसरों पर टिकटों की बिक्री से हुई आय का ब्यौरा इस प्रकार है :

	1998	1999	2000
गणतंत्र दिवस परेड	9,77,140 रु.	9,81,070 रु.	9,90,640 रु.
समापन समारोह	62,525 रु.	64,650 रु.	51,580 रु.
योग :	10,39,665 रु.	10,45,720 रु.	10,42,220 रु.

3. गणतंत्र दिवस परेड/समापन समारोहों के लिए निमंत्रण पत्र/प्रवेश पत्र प्रत्येक वर्ष इस उद्देश्य के लिए स्थापित एक अस्थाई कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं और निमंत्रण-पत्र जारी करने से संबंधित रिकार्ड केवल एक वर्ष के लिए रखा जाता है।

4. निर्धारित मानदंडों के अनुसार कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों को उनके अतिथियों के लिए क्रमश: 20, 12 और 6 निमंत्रण-पत्र/प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं। इन मानदंडों का विधिवत् पालन किया जाता है। तथापि, मंत्रियों/सांसदों की अतिरिक्त आवश्यकताओं की भी यथासंभव पूर्ति की जाती है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड और समापन समारोहों के लिए मंत्रियों और सांसदों के अतिथियों को क्रमश: 5315 और 2716 निमंत्रण-पत्र/प्रवेश पत्र जारी किए गए थे।

5. सभी संबंधित संगठनों/एजेंसियों से सरकार द्वारा जारी किए गए खर्च में किफायत बरतने संबंधी सामान्य निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को समाप्त करना

4138. श्री राशिद अलवी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मार्च, 2000 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार सड़कों पर विशेष रूप से दिल्ली में सड़क यातायात बाधित होने के बाद, अब विमानपत्तनों पर यातायात बाधित होने की बारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इसका कारण अधिकारों के प्रत्यायोजन का अभाव या उसकी अनुपस्थिति है अथवा ढांचागत सुविधाओं का विकेन्द्रीकरण और अत्यधिक केन्द्रीकरण है;

(घ) यदि हां, तो क्या गत कई वर्षों के दौरान मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर, कलकत्ता, आदि विमानपत्तनों से किसी ऐसे बाधित यातायात का समाचार मिला है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को समाप्त करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो यातायात को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) केएलएम फ्लाइट 471 को सम्पर्क खाड़ी में इसलिए प्रतीक्षा करनी पड़ी थी क्योंकि वह अनुसूचित समय से 42 मिनट पहले पहुंच गई थी। इसे दूरस्थ खाड़ी में रुकने का प्रस्ताव दिया गया था जिसे इसने स्वीकार नहीं किया और टैक्सी पथ पर प्रतीक्षा की। अन्य उड़ान एसआर-194 को प्रतीक्षा करनी पड़ी थी क्योंकि एअर इंडिया फ्लाइट 301 में तकनीकी खराबी आ गई थी तथा एआई को दूरस्थ खाड़ी में भी नहीं भेजा जा सका था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण खाड़ी आबंटन प्रणाली को निरन्तर कारगर बना रहा है ताकि इस प्रकार की आकस्मिकता से आसानी से निपटा जा सके।

[हिन्दी]

हालीडे एक्सप्रेस की बारम्बारता

4139. प्रो० रासासिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अजमेर और मुम्बई के बीच चलने वाली हालीडे एक्सप्रेस की बारम्बारता में वृद्धि करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। अजमेर-मुंबई हालीडे स्पेशल गाड़ी (सप्ताह में तीन दिन) को प्रतिदिन चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी जांच की गई थी परन्तु अजमेर-मुंबई हालीडे स्पेशल को प्रतिदिन चलाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

मुम्बई-पनवेल के बीच ई०एम०यू० रेल सेवा शुरू करना

4140. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.एस.टी. मुम्बई से दिवा होते हुए पनवेल तक एम.यू. रेल सेवा शुरू करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) दीवा के रास्ते छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई और पनवेल के बीच ई.एम.यू. गाड़ियां चलाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई और दीवा के बीच ई.एम.यू. सेवाओं की बारम्बारता उपलब्ध है। दीवा और पनवेल के बीच 6 जोड़ी यात्री गाड़ियां हैं। इसके अलावा पनवेल-छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई/लोकमान्य तिलक (टी) (कुर्ला) 4 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों से जुड़ा है। ये सभी सेवाएं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई और पनवेल के बीच यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

एअर इंडिया में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सलाहकार के रूप में पुन: नियोजन

4141. श्री सुबोध राय : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महाप्रबंधक स्तर पर सलाहकार के रूप में पुन: नियुक्त करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक को दी गई परिलब्धियां और अन्य सुविधाएं क्या हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया ने सरकार से नियमानुसार अनुमति लिए बिना भी कुछ अधिकारियों को पुन: नियुक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें किस तारीख से नियुक्त किया गया और उनकी परिलब्धियां आदि कितनी हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। एअर इंडिया के बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्योजनाधीन, प्रबंध निदेशक को रिटेनर आधार पर किसी व्यक्ति की परामर्शदाता के बतौर नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। कथित नियुक्ति के संबंध में सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्ष के दौरान दो परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

नाम	समयावधि	परिलब्धियां
1. श्री एच.एच. सुपनेकर	जनवरी, 97 से दिसम्बर, 98	45,000/- रु. प्रतिमाह
2. श्री एस. नारायणस्वामी	अक्तूबर, 97 से 15 अप्रैल, 2000	20,000/- रु. + परिवहन

[हिन्दी]

लिच्छवी एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित सवारी डिब्बों की सुविधा

4142. श्री बाल कृष्ण चौहान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फपुर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस संख्या 5205/5206 से प्रथम श्रेणी वातानुकूलित सवारी डिब्बे की सुविधा हटा ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को प्रथम श्रेणी के वातानुकूलित सवारी डिब्बों को फिर से लगाने के संबंध में रेल प्रयोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बहुत कम लोकप्रियता के कारण।

(ग) जी, हां। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्रथम वातानुकूल सवारी डिब्बे की बहुत कम लोकप्रियता और वातानुकूल II-टियर सवारी डिब्बे में यात्रा करने वाली जनता से भारी मांग के कारण अधिक जन संतुष्टि के लिए प्रथम वातानुकूल सवारी डिब्बों को वातानुकूल II-टियर सवारी डिब्बे से बदल दिया गया है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में हेलीकॉप्टर सेवा

4143. श्री भीम दाहाल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में चलाई जा रही हेलीकाप्टर सेवा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सिक्किम से और वापसी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने अरुणाचल प्रदेश और मेघालय सरकार दोनों के साथ पट्टे के आधार पर एक डॉफिन 365 एन हेलीकॉप्टर सेवा में लगाया हुआ है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने सिक्किम सरकार को भी पट्टे के आधार पर एक बैल 206 एल 4 हेलीकॉप्टर दिया हुआ है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स ने गृह मंत्रालय को भी पट्टे के आधार पर दो डॉफिन हेलीकॉप्टर मुहैया करवाए हुए हैं जिनका बेस गुवाहाटी (आसाम) और इम्फाल (मणिपुर) है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लोकोशेड को परिवर्तित करना

4144. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का गंगापुर (राजस्थान) स्थित रेलवे लोकोशेड को इलेक्ट्रिक शेड में बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक काम करना शुरू कर देगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उज्जैन में उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र

4145. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उज्जैन हवाई अड्डे पर हवाई उड़ान प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) सुरक्षा और संरक्षा पहलुओं से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करने के आधार पर, नागर विमानन महानिदेशालय ने, एक उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए उज्जैन फ्लाइंग क्लब को सिद्धान्त रूप में ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' दे दिया है।

[अनुवाद]

हैदराबाद में गोलकुण्डा किला

4146. श्री राजैया मल्याला : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय स्मारकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हैदराबाद में गोलकुण्डा किले की मरम्मत का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के 136 स्मारक हैं जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नियमित रखरखाव तथा मरम्मत के अतिरिक्त जब कभी आवश्यक होता है, विशेष मरम्मत भी करता है जो स्मारक की विशेष आवश्यकता पर निर्भर करता है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं०	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	पहाड़ी के प्रवेश द्वार पर पहाड़ी किला और उसमें भवन तथा किलेबन्दी	गूटी	जिला—अनन्तपुर
2.	माधवराया मन्दिर (पुराना विष्णु मन्दिर)	गोरंटला	-वही-
3.	महालक्ष्मी मन्दिर की बाह्य दीवारें	गोरीपल्ली	-वही-
4.	मूर्तियों के समूह	हेमावत्थी	-वही-
5.	समीपवर्ती भूमि सहित पुराने मन्दिर के समूह	-वही-	-वही-
6.	चट्टानी उप पहाड़ी पर भव्य शव-गृह	कल्याणदुर्ग	-वही-
7.	मल्लिकार्जुन (शिव) मन्दिर	काम्बादुरू	-वही-
8.	वीरभद्रा मन्दिर	लेपवशी	-वही-
9.	वासवान्नाह मन्दिर	-वही-	-वही-
10.	पहाड़ी किला	मादाकासिरे	-वही-
11.	विशाल बुर्ज और एक पुराना द्वार मार्ग	-वही-	-वही-
12.	किले द्वार सहित व्यापक पहाड़ी किले की दीवार जिसमें बाह्य किलेबन्दी की गई है	रायादुर्ग	-वही-
13.	महल और रामा कृष्ण के दो मन्दिर	-वही-	-वही-
14.	चिन्तालाराधास्वामी मन्दिर	टाडपली	-वही-
15.	रामेश्वरास्वामी मन्दिर	-वही-	-वही-
16.	बैल के रूप में प्रवेश किए जाने सहित सीढ़ीदार कुआं सितातिरथम	पेनुकोण्डा	-वही-

1	2	3	4
17.	शिलालेखों सहित पहाड़ी किला और उत्तरी द्वार मार्ग	पेनुकोण्डा	जिला—अनन्तपुर
18.	पहाड़ी पर किलेबन्दी और ध्वस्त भवन	-वही-	-वही-
19.	राम के बुर्ज के रूप में विख्यात निगरानी बुर्ज	-वही-	-वही-
20.	लघु मण्डप	-वही-	-वही-
21.	पुराना गोपुराम	-वही-	-वही-
22.	उपजिलाधिकारी कार्यालय परिसर में पुराना स्तम्भ या दीप स्तम्भ	-वही-	-वही-
23.	शायित किलेबन्दी के बिना बृहद् पहाड़ी किला	रायदुर्ग, रत्नागिरी	-वही-
24.	पहाड़ी किला और विशाल दीवार	-वही-	-वही-
25.	निचला किला और संरचना	चन्द्रागिरी	जिला—चित्तूर
26.	ऊपरी किला	-वही-	-वही-
27.	बेंकटेश्वरा विष्णु मन्दिर	मंगापुरम् (पिट्टापालम का हेलमेट)	-वही-
28.	चेन्नाकेशवरास्वामी मन्दिर	सोमपाल्ले	-वही-
29.	किला (ऊपरी)	गुरामकोण्डा	-वही-
30.	निचला किला, केन्द्रीय किले की दीवार, खन्दक, पुराना किला द्वार मार्ग पुराना हनुमान मन्दिर, पुराना मण्डप और पुरानी मस्जिद किला	-वही-	-वही-
31.	पल्लीसवारा मुदेया मुदेया मन्दिर	कालाकाडा	-वही-
32.	परशुरामेश्वरा मन्दिर	गुडीमल्लम	-वही-
33.	महल	गुरुगकोंडा	-वही-
34.	भीमेश्दरा स्वामी मन्दिर	पुष्पागिरी (कोटलुरू का हेमलेट)	जिला—कुड्डापाह
35.	इन्द्रानाधेश्वरा स्वामी मन्दिर	-वही-	-वही-
36.	काम्लासाम्बनेश्वरा स्वामी मन्दिर	-वही-	-वही-
37.	राधेश्वरा स्वामी मन्दिर	-वही-	-वही-
38.	सिवाकेश्वरा स्वामी मन्दिर	-वही-	-वही-
39.	त्रिकोटेश्वरा स्वामी मन्दिर	-वही-	-वही-
40.	वेध्यानधा स्वामी मन्दिर	-वही-	-वही-
41.	प्राचीन गांव स्थल	पेड्डामुदीयाम्	-वही-
42.	कोण्डाराम मन्दिर	-वही-	-वही-
43.	उत्कीर्ण लेख सहित मुकुण्डेश्वर मन्दिर	-वही-	-वही-
44.	नरसिम्हा मन्दिर	-वही-	-वही-
45.	विग्नेश्वरा स्वामी मन्दिर	चिल्पकुरू	-वही-
46.	भूमिगत जैन मन्दिर के अवशेष	दानावालापडु	-वही-

1	2	3	4
47.	प्राचीन भवनों, माधवापेरुमल मन्दिर से संलग्न किला	गान्धीकोटा	जिला—कुड्डापाह
48.	विश्वनाथ स्वामी मन्दिर	सिवालपल्लु	-वही-
49.	स्वामीनाथ मन्दिर	नन्दालूर	-वही-
50.	अथीराला परशुराम मन्दिर	पोली	-वही-
51.	श्री कोदाण्डरामास्वामी मन्दिर तथा साथ लगे भवन	वोण्टीमिट्टा	-वही-
52.	किला-खन्दक और भवन	सिद्दोट	-वही-
53.	उत्कीर्ण लेख सहित पुराना विष्णु मन्दिर	पेड्डानूडियम	-वही-
54.	ध्वस्त बौद्ध स्तूप और अन्य अवशेष	अमरावती	जिला—गुण्टूर
55.	उत्कीर्णित चट्टान धारणीकोटा के पश्चिम में	-वही-	-वही-
56.	ध्वस्त किला	धरणीकोटा	-वही-
57.	शिलालेख सहित प्राचीन शिव मन्दिर	आयंगरिपालम (पोंडुगुला का हेलमेट)	-वही-
58.	भावनारायण मन्दिर	बापटला	-वही-
59.	ध्वस्त बौद्ध स्तूप	भट्टीपरोलू	-वही-
60.	मन्दिर स्थल के अन्तर्गत शिलालेखों संबंधी स्मारकों सहित कपोटेश्वरा मन्दिर (मन्दिर स्थल में पट्टियां)	चेजेरला	-वही-
61.	प्राचीन अवशेषों सहित टीले	ग्रान्थसिर्स (वोरावकाल्लु का हेलमेट)	-वही-
62.	गोपाल मन्दिर के समीप उत्कीर्णित मार्बल स्तम्भ	इपुरू	-वही-
63.	प्राचीन बौद्ध अवशेष और टीले पर ब्राह्मी शिलालेख	मंचीकाल्लू	-वही-
64.	टीले पर प्राचीन अवशेष	वेलपुरू	-वही-
65.	चार मंजिला चट्टान-कटा हिन्दू मन्दिर	अण्डावल्ली	-वही-
66.	राजस्व सीमा के भीतर खोजी गई मूर्तियां, नक्काशी, प्रतिमाएं या अन्य वैसी ही वस्तुएं	वुद्दाम	-वही-
67.	टीले	नागलावरम	-वही-
68.	प्राचीन अवशेष सहित नागार्जुनकोंडा पहाड़ी	पुल्लारेद्दिगुड्डम (अग्रहारम)	-वही-
69.	प्राचीन टीले में मूर्तियां, नक्काशी तथा प्रतिमाएं	-वही-	-वही-
70.	टीले जिनमें बौद्ध अवशेष जैसे स्तूप हैं	अड्डरूरू	जिला—पूर्व गोदावरी
71.	पण्डावुल या पाण्डवाकोण्डा पहाड़ी पर चट्टान कटी गुफाएं और कुण्ड और बौद्ध स्तूपों के अवशेष, चैत्या और विहार (मठ)	कपावरम	-वही-
72.	कोडावली पर बौद्ध अवशेष	कोडावली	-वही-
73.	भीमेश्वरा मन्दिर	समालकोट, भीमावरम	-वही-
74.	भीमेश्वरा मन्दिर	दकशमा	-वही-
75.	गोलिंगेश्वरा मन्दिरों का समूह	बिकावोलू	जिला—पूर्वी गोदावरी

1	2	3	4
76.	अखंडित गणेश की मूर्ति	बिकावोलू	जिला—पूर्वी गोदावरी
77.	चारमीनार	हैदराबाद	हैदराबाद
78.	गोलकोंडा किला, किलाबन्दी	-वही-	-वही-
79.	इतिहास पूर्व स्थल	जानापेट	खम्मम
80.	सर्वेक्षण प्लाट सं० 37 में समाविष्ट प्राचीन स्थल तथा अवशेष	मुनागचेलरा	जिला—कृष्णा
81.	टीले सहित प्राचीन स्थल जिसमें बौद्ध स्तूप अंकित हैं	अलूरू	-वही-
82.	एक टीले में बौद्ध अवशेष	घंटासाला	-वही-
83.	टीला जिसमें बौद्ध अवशेष तथा प्राचीन ग्राम स्थल शामिल हैं	गुडीवडा	-वही-
84.	पहाड़ियां जिनमें टीले अंकित हैं, इस पर स्थित बौद्ध स्तूपों के प्राचीन अवशेष शामिल हैं	गुम्मडिडुरू	-वही-
85.	बण्डर किला	मुसलीपटनम्	-वही-
	(i) शास्त्रागार जिन्हें किले और सीमा-शुल्क कार्यालय, बण्डर किला	-वही-	-वही-
	(ii) बेलफ्राई परिसर	-वही-	-वही-
86.	डच श्मसान	-वही-	-वही-
87.	पहाड़ी पर स्तूप के बौद्ध अवशेष	जग्गेयापाला	-वही-
88.	जम्मीडोडी में ध्वस्त मण्डप जिसमें चार स्तम्भ हैं	विजयवाड़ा	-वही-
89.	इन्द्रकीला पहाड़ी पर दो चट्टान-कटी गुफाएं मन्दिर जिन्हें अक्काड़ा गुफाएं कीरतार्जुना स्तम्भ और इन्द्रकीला पहाड़ी पट्टी उत्कीर्णित स्तम्भ और मल्लेश्वरस्वामी मन्दिर में पट्टियां	-वही-	-वही-
90.	पहाड़ी पर चट्टान-कटी गुफा मन्दिर	मोंगलराजपुरम	-वही-
91.	पुरानी मस्जिद के नजदीक प्राप्त मूर्तियां, नक्काशी, प्रतिमाएं तथा अन्य ऐसी वस्तुएं	गुडूर	-वही-
92.	मल्लेश्वरास्वामी मन्दिर में अंकित खम्भे तथा पटिया	विजयवाड़ा	-वही-
93.	इंदिराकिल्ला पहाड़ी पर कीरतार्जुन खम्भे	-वही-	-वही-
94.	उसमें ध्वस्त किला और भवन रमजान मस्जिद को छोड़कर	अडोनी	जिला—कुरनूल
95.	शिव मन्दिर के पूर्व में उपलब्ध उत्कीर्णित पत्थर	राजाचोटी	-वही-
96.	उत्कीर्णित गोलाश्म मृत्तिका जिसमें आन्ध्र प्रदेश अभिलेख 150 ईसा पूर्व शताब्दी के हैं	चिन्नाकाडाबुर	-वही-
97.	एक विशेष ग्रेनाइट पहाड़ी जिसमें सम्राट अशोक संबंधी शिलालेख है	जोन्नागिरी	जिला—कृष्णा
98.	एक सम्राट अशोक संबंधी शिलालेख दो पूर्ववर्ती चालुक्या शिलालेख और एक आधुनिक चालुक्या शिलालेख	राजुलामानडागिरी	-वही-
99.	अब्दुल वहाव खान के मकबरे के रूप में जाने जाना वाला मकबरा तथा साथ में लगे भवन	करनूल	-वही-

1	2	3	4
100.	पुराने किले के रास्ते तथा बुर्ज जैसे (1) बुर्ज नं. 1 बीच घंटकी बुर्ज (2) बुर्ज नं. 2 लाल बंगला बुर्ज (3) गोपाल दरवाजे का रास्ता (4) पनीकिड्डी का रास्ता	कुरनूल	जिला–कृष्णा
101.	नंदावरम मन्दिर जिसमें सुब्रामणियम की मूर्ति भी शामिल है	नंदावरम	-वही-
102.	पुराना गुफा मन्दिर	यागन्ति	-वही-
103.	उमा महेश्वरा स्वामी मन्दिर	-वही-	-वही-
104.	प्राचीन टीला	कोंडापुर	मेढ़क
105.	अलामपुर मन्दिर	अलामपुर	महबूबनगर
106.	बोडीपती डिब्बा के रूप में जाने जाना वाला किला	रामतीर्थम् (वारिणी का हेमलेट)	नेल्लौर
107.	प्राचीन किला	रामतीर्थम्	-वही-
108.	प्राचीन भवनों वाला पहाड़ी किला	उदयगिरि	-वही-
109.	गोपुरम्, कल्याणमंडप तथा ईंट से बना टैंक	-वही-	-वही-
110.	रंगानायकुला मन्दिर	-वही-	-वही-
111.	प्राचीन टीले	कनूपारती	प्रकाशम
112.	भैरवाकोंडा पहाड़ी पर आठ पहाड़ काटकर बनाए गए मन्दिरों का समूह	कोट्टापल्ली	-वही-
113.	चोला मन्दिर	भोतूपल्ले	-वही-
114.	प्राचीन टीला	पेडागंजम	-वही-
115.	पिट्टीकेश्वरा मन्दिर समूह जिसमें पहुंच वाली सड़क भी शामिल है	पिट्टीकेगुल्ला	-वही-
116.	प्राचीन स्थल	पसलापड्डू	-वही-
117.	रामालिंगेश्वरा मन्दिर समूह	सतिचावेल	-वही-
118.	प्राचीन बौद्ध स्थल	कलिंगापट्टनम	श्रीकाकुलम
119.	श्री सोमेश्वरा मन्दिर	मुखलिंगम	-वही-
120.	भीमेश्वरा मन्दिर, मुखलिंगेश्वर मन्दिर	मुखलिंगेश्वर	-वही-
121.	बौद्ध अवशेष 1. छह प्रतिमाएं 2. तीन प्रतिमाएं तथा कुछ प्रतिमाएं पहाड़ी पर 3. एक प्रतिमा 4. तीन प्रतिमाएं	सलीहंडम	श्रीकाकुलम
122.	सलीहडम पहाड़ी का पूर्वी भाग जिसमें बौद्ध अवशेष भी हैं (एक चैत्य तथा चार स्तूप)	-वही-	-वही-
123.	प्राचीन बौद्ध टीले जिन्हें स्थानीय रूप से "धन डिब्बलू" के नाम से जाना जाता है	कोट्टरू (गोकीवडा)	विशाखापट्टनम

1	2	3	
124.	बोजाना कोंडा के नाम से जाने जानी वाली दो जुड़ी हुई पहाड़ियों पर चट्टान काटकर बनाए गए बौद्ध स्तूप, दगावास तथा गुफाएं और अपने उपभवनों के साथ संरचना चैत्य के अवशेष	संकाराम	विशाखापट्टनम
125.	(दुर्गा भैख कोंडा) एक प्राचीन स्मारक जिसे दुर्गा कहते हैं	नीलावटी	विजीजंगारम
126.	गुरू भक्तुल कोंडा स्थित ध्वस्त बौद्ध मठ	रामतीर्थालू रामातीर्थम	-वही-
127.	प्राचीन, डिब्बेश्वर स्वामीपुर मन्दिर	सारापल्ली	-वही-
128.	हजार खम्भों वाला मन्दिर	हनामकोंडा	वारंगल
129.	रामप्पा मन्दिर	पालमपेट	-वही-
130.	वारंगल किला, सुरक्षा तथा रास्ते	वारंगल	-वही-
131.	बौद्ध अवशेष रखने वाले टीले	अरूगोलानू	पश्चिम गोदावरी
132.	स्थानीय रूप से भीमलिंगडिब्बा के नाम से प्रख्यात टीले	देन्दूलुरू	-वही-
133.	बौद्ध स्मारक		
	1. चट्टान काटकर बनाया गया मन्दिर 2. विशाल मठ 3. लघु मठ 4. ईंट का चैत्य 5. ध्वस्त मंडप 6. पत्थर निर्मित स्तूप तथा वृहद् स्तूप समूह	गुन्टू पल्ले	-वही-
134.	धर्मलिंगेश्वरास्वामी पहाड़ी पर पुरातात्विक रुचि की गुफाएं तथा संरचनात्मक स्तूप	जिला कारागुड्डम (हेमलेट ऑफ गुट्टूपल्ले)	-वही-
135.	पेडावेगी के टीले		
	1. डिब्बा नं. 1 2. डिब्बा नं. 2 3. डिब्बा नं. 3 4. डिब्बा नं. 4 5. डिब्बा नं. 5	पेडावेगी	-वही-
136.	प्राचीन टीले	-वही-	-वही-

[हिन्दी]

सूरत-भुसावल मार्ग पर रेल दुर्घटनाएं

4147. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सूरत-भुसावल रेलमार्ग पर कितनी सवारी और माल गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं में जान और माल का कुल कितना नुकसान हुआ; और

(ग) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेल दावा अधिकरण द्वारा दी गई डिक्री के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।

विवरण

(क) और (ख) सूरत-भुसावल खंड पर परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	यात्री	मास	जन क्षति	संपत्ति को हानि
1997-98	—	6	1	1,27,30,000
1998-99	—	1	—	80,000
1999-2000	2	5	—	40,35,000

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

4148. श्री बाबूभाई के० कटारा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में पश्चिम रेल के अभी भी अनेक मीटर गेज की छोटी लाइनें हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी लाइनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मीटर गेज लाइनों तथा छोटी लाइनों को कब तक बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गांधीधाम-भुज, बांकानेर-दाहिनसारा-नवलाखी-मलिया मियाना, धरंगधरा-कुडा, राजकोट-वेरावल, सुरेन्द्रनगर-भावनगर-ढोला-ढसा-महुआ संबद्ध लाइनों सहित, वीरमगाम-मेहसाणा-पाटन और गांधीधाम-पालनपुर का आमान परिवर्तन स्वीकृत है। इनमें से गांधीधाम-भुज, बांकानेर-दाहिनसारा-नवलाखी-मलिया मियाना, धारंगधरा-कुडा 2000-01 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। शेष परियोजनाएं आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार पूरी की जाएंगी।

भुज-नलिया, बंसजलिया-जेतलसर, अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर, मेहसाणा-तरंगा हिल, कलोल-काडी-कटोसन रोड और प्रतापनगर-दबोही-छोटा उदयपुर मीटर लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। इन परियोजनाओं पर आगे विचार सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने/को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही संभव होगा।

शेष मीटर/छोटी लाइनों के बड़ी लाइन में परिवर्तन पर पहले से ही आरंभ परियोजनाओं के पूरा हो जाने तथा संसाधनों की स्थिति में सुधार हो जाने और उस समय उनकी यातायात संभावनाओं के आधार पर विचार किया जाएगा।

आमान परिवर्तन

4149. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न मीटर गेज/नैरो गेज लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का निर्णय किया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसी कितनी लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है; और

(ग) गुजरात में पश्चिम रेलवे के राजकोट, भावनगर, बड़ौदा और रतलाम मंडलों में विशेषकर जामनगर, दामोद रेलवे-स्टेशनों पर, ऐसी कितनी लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। चुनिंदा मी०ला०/छो०ला० लाइनों का आमान परिवर्तन किया जा रहा है।

(ख) गत 5 वर्षों के दौरान 50 अदद मी०ला०/छो०ला० खंडों को बड़ी लाइन में बदला गया है।

(ग) इन मंडलों में तीन मी०ला० खंडों अर्थात् मेहसाणा-आबू रोड, नबलाखी-दहीसरा तथा मोरनी-दहीसरा-मलिया मियाणा को बड़ी लाइन में परिवर्तन किया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिकारों का प्रत्यायोजन

4150. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमिश्रित पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन, तेल निगमों के अधिकारियों को कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अधिनियम में केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को वास्तविक दरों पर आवश्यक वस्तुएं वितरित करने की ही बात की गई है और उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण आई०एस०आई० मानकों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो किस संस्थान ने पेट्रोलियम उत्पादों सहित अन्य उत्पादों की विशेषताएं निर्धारित की हैं और नमूना लेने की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या उक्त प्रावधान अंतिम होते हैं अथवा उन्हें इच्छित रूप से किसी विभाग/विभागीय आदेश द्वारा उपेक्षित किया/हटाया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का गठन

4151. श्री एस०डी०एन०आर० चाडियार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (आर०आर०डी०ए०) गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के गठन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या ग्रामीण सड़क नेटवर्क का आर०आर०डी०ए० के माध्यम से विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण और विकास करने के लिए अन्य कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम बना रही है तथा सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास समिति बनाई है जिसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

शिक्षण संस्थाओं में नागरिक दायित्वों की शिक्षा

4152. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय गणतंत्र की स्वर्ण जयंती के दौरान शिक्षण संस्थाओं में नागरिक दायित्वों की शिक्षा पर बल देने का है;

(ख) यदि हां, तो विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी के बीच कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है; और

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान इस कार्य के लिए कितनी निधि का आबंटन किया गया?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने स्थाई परिसंपत्तियों के सृजन तथा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के द्वारा हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं प्रगति के प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय गणराज्य की 50वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया है। ऐसे समारोहों के लिए निधियों के राज्यवार आबंटन पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है।

पनधारा योजना

4153. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्षा के पानी के संरक्षण, भू-जल स्तर में सुधार तथा सूखे की स्थिति से प्रभावित जिलों के किसानों की सहायता हेतु पनधारा योजनाओं का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार भी राज्य में पनधारा की आवश्यकता महसूस कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु अब तक कितनी निधियां प्रदान की हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) 'पनधारा (वाटरशेड) योजना' के नाम से कोई योजना नहीं है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग, बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। देश के सूखे और शुष्क क्षेत्रों को विकसित करने के लिए यह विभाग सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इन तीनों कार्यक्रमों को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य वर्षा के जल परिरक्षित करना, और भू-जल के स्तर को बढ़ाना और वाटरशेड प्रबंधन की आवश्यकता स्वीकार करते हुए सूखे की स्थिति से प्रभावित जिलों के किसानों की सहायता करना है। इन तीनों योजनाओं के तहत वर्ष 1999-2000 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को उपलब्ध कराई गई निधियां निम्नानुसार हैं :

योजनाओं के नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
(i) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	949.98
(ii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	2670.75
(iii) मरुभूमि विकास कार्यक्रम	437.06

लघु जल-विद्युत परियोजनाओं की पहचान

4154. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में 900 मेगावाट क्षमता वाली 158 लघु जल-विद्युत परियोजनाओं की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन सभी परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा इन पर कब से काम शुरू कर दिया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) बिहार राज्य में लघु पनबिजली परियोजनाओं के लिए समग्र रूप से 160 मेवा० के 159 संभाव्यता स्थलों की पहचान की गई है।

(ख) अब तक 6 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और 14 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 120 स्थलों में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्य प्रगति पर हैं और 19 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं।

(ग) बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि०, यदि वन, पर्यावरण इत्यादि जैसी आवश्यक अनापत्तियां दे दी जाती हैं; तो 9वीं, 10वीं और 11वीं योजना के दौरान क्रमश: 10, 12 और 20 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करता है।

मुम्बई ट्रेवल एजेन्ट की सांठगांठ

4155. श्री रामजी मांझी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के एक ट्रेवल एजेन्ट ने आईएसआई के उन चार एजेन्टों को पासपोर्ट उपलब्ध कराए थे जिनकी इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट आईसी-814 के अपहरणकर्ताओं से कथित रूप से सांठगांठ थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के पूर्ववृत्त की जांच के लिए क्या उपाय किए जाते हैं जिन्हें देश में और देश से बाहर ट्रेवल एजेन्सियां चलाने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं;

(ग) क्या वर्तमान ट्रेवल एजेंटों व उनके साथ काम कर रहे कर्मचारियों के पूर्ववृत्त की जांच-पड़ताल और संबंधित पुलिस के यहां उनके पंजीकरण अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या आई०एस०आई० एजेंटों को पासपोर्ट उपलब्ध कराने में लिप्त रहे उक्त मुम्बई ट्रेवल एजेंसी की ट्रेवल एजेंसी को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (च) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) विमान-अपहरण के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले की जांच कर रहा है। जांच-कार्य अभी पूरा किया जाना है।

असम में ग्रामीण विकास निधि का दुरुपयोग

4156. श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में विशेषत: नलबाड़ी, बारपेटा और बोंगाईगांव में इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, 'मिलियन वेल्ज' योजना इत्यादि के लिए निर्दिष्ट ग्रामीण विकास निधि का गबन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में दोषी पाए गए कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) असम के नलबाड़ी, बारपेटा और बोंगाईगांव जिलों में ग्रामीण विकास निधियों का गबन किए जाने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कोई शिकायत नहीं मिली है। तथपि सामान्यत: असम में गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निधियों का गबन किए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग) इन शिकायतों की जांच करने और उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इन्हें राज्य सरकार के पास भेजा गया है। गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में असम के कुछ जिलों का दौरा किया था। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के अधिकारियों और कार्यक्रमों के लाभार्थियों के साथ बातचीत और क्षेत्र दौरों की टिप्पणियों के आधार पर दल ने असम सरकार के प्रतिनिधियों को सुझाव दिया था कि वे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक मूल्यों पर हमले का खतरा

4157. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के निर्बाध आवागमन से भारत को सांस्कृतिक विकृति का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सैनिकों की विधवाओं के लिए कल्याण कोष

4158. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मियों की विधवाओं के कल्याण के लिए बहुत से गैर-सरकारी संगठन कार्यरत हैं;

(ख) क्या वे पंजीकृत हैं और कोष के संग्रहण और निधियों का लेखा तैयार करने के उनके क्या तरीके हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा उन्हें कोई अनुदान दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कल्याण कोष का बहुत बड़ी मात्रा में दुरुपयोग हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सरकार को युद्ध में शहीद कार्मिकों की पत्नियों के कल्याणकारी क्रियाकलापों में लगे हुए गैर-सरकारी संगठनों के विषय में कोई जानकारी नहीं है और न ही सरकार ने दिल्ली स्थित वार विडोज एसोसिएशन को छोड़कर किसी अन्य संगठन को अनुदान दिया है। वार विडोज एसोसिएशन, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत निकाय है और यह युद्ध में शहीद कार्मिकों की पत्नियों के कल्याण के कार्य में लगी है। इस एसोशिएशन को 1988 से 4,29,534/- रुपये की अनुदान राशि दी गई है। इस एसोसिएशन को उपलब्ध कराए गए धन के दुरुपयोग की कोई शिकायत सरकार को नहीं मिली है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से राजसहायता समाप्त किया जाना

4159. श्री किरीट सोमैया : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु दी जा रही राजसहायता संशोधित या समाप्त कर दी गई है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों द्वारा एक समान बिक्री कर औपचारिक रूप से मान ली गई है तथा विभिन्न राज्यों द्वारा इन उद्यमों को दी जा रही राजसहायता पूर्णत: समाप्त कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के औद्योगिक एसोसिएशन ने कुछ वैकल्पिक राजसहायता देने या राज्य सरकारों से राजसहायता बहाल करने हेतु अनुरोध करने के लिए सरकार से संपर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के विकास के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय आर्थिक राजसहायता न तो समाप्त की गई है और न ही वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान संशोधित की गई है।

(ख) से (घ) सभी राज्य सरकारों द्वारा एक समान बिक्री कर ढांचे को स्वीकार नहीं किया गया है। अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के लिए राज्यों द्वारा एकरूप आर्थिक राजसहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की औद्योगिक एसोसिएशनों से वैकल्पिक आर्थिक राजसहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

ग्रिड गोदाम योजना के अंतर्गत गोदामों का निर्माण

4160. श्री पी०आर० खूंटे : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रिड गोदाम योजना के अंतर्गत गोदामों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वित्तीय सहायता कब तक दिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए गोदामों का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन 24 गोदामों का निर्माण करने के लिए 497.23 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मांगी है।

(ग) इस स्कीम पर मंजूरी हेतु तभी विचार किया जाएगा जब राज्य सरकार विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार पिछले वर्षों में मंजूर की गई इसी प्रकार की सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगी।

[अनुवाद]

किलों का रख-रखाव

4161. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में स्थित किलों का नियंत्रण और रख-रखाव सेना/राज्य सरकार/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन किलों के अंदर निर्मित मंदिरों की देख-रेख और नियंत्रण किस प्राधिकरण द्वारा किया जाता है;

(घ) क्या इन किलों के अंदर निर्मित मंदिरों में से कुछ को तोड़े जाने की भी खबर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) आम नागरिकों/राज्य सरकार/पुलिस या कुछ व्यावसायिक इकाइयों द्वारा कितने किलों पर अतिक्रमण किया गया है, इनका किलेवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन किलों के संरक्षण और अनधिकृत अतिक्रमणकारियों से इनको मुक्त करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। 21 किले सेना के अधिकार में हैं, 200 किलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है और इनका रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है ओर 178 किले विभिन्न राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। सेना के नियंत्रण में जो किले हैं उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। अन्य किलों के विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सेना के अधीन जो किले हैं उनमें अवस्थित मंदिरों का रख-रखाव सेना या सार्वजनिक निकाय/व्यक्ति करते हैं।

(घ) और (ङ) इन किलों के भीतर निर्मित मंदिरों को गिराए जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(च) सेना के नियंत्रणाधीन किलों के अतिक्रमण के विवरण संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं। तथापि अन्य किलों के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(छ) किसी किले के संरक्षित क्षेत्र के भीतर अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होते ही प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत उनका संरक्षण किए जाने के उपाय किए जाते हैं।

विवरण

सेना के नियंत्रणाधीन किलों के विवरण

क्रम सं०	राज्य	किले का नाम	अवस्थिति	अतिक्रमण	अभ्युक्तियां
1.	महाराष्ट्र	सीताबुल्दी	नागपुर	शून्य	
		अहमदनगर	अहमदनगर		
		पुरंधर	पुणे	शून्य	
2.	गुजरात	अहमदाबाद किला	अहमदाबाद	1986 से किले के चारों ओर मोट में 0.526 एकड़ भूमि मामला न्यायाधीन है।	
		भुजिया किला	भुज	शून्य	
3.	राजस्थान	सेवर किला	भरतपुर	शून्य	
4.	तमिलनाडु	सेंट जॉर्ज किला	चेन्नई	जी, हां आंशिक रूप से	राष्ट्रीय स्मारक
5.	कर्नाटक	बेलगांव किला	बेलगांव	मस्जिद/दरगाह का निर्माण और कर्नाटक सेंट सड़क निगम द्वारा आंशिक रूप से अतिक्रमण।	
6.	आंध्र प्रदेश	गोलकुंडा किला	हैदराबाद	शून्य	
7.	पंजाब	फिरोजपुर किला	फिरोजपुर	शून्य	
		गोविन्द गढ़ किला	अमृतसर	जी हां, सिविलियनों द्वारा	
8.	दिल्ली	लाल किला	दिल्ली	शून्य	कुछ हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है।
9.	पश्चिम बंगाल	फोर्ट विलियम	कलकत्ता	शून्य	
10.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद किला	इलाहाबाद	शून्य	कुछ हिस्सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है।
		आगरा किला	आगरा	शून्य	
		फतेहगढ़ किला	फतेहगढ़	शून्य	
		बरेली किला	बरेली	शून्य	
		महू किला	महू	शून्य	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	जोरावर किला	लेह	शून्य	
		हरि प्रभात किला	श्रीनगर	शून्य	
		खंबा किला	झांगर (नौशेरा)	शून्य	

[हिन्दी]

फतेहपुर सीकरी में उत्खनन कार्य

4162. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
डा० एस० वेणुगोपाल :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को हाल में फतेहपुर सीकरी में हुए उत्खनन के दौरान जैन मंदिरों तथा दूसरी शताब्दी की अन्य मूर्तियों के अवशेष मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आगे और उत्खनन कार्य करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है; और

(ग) ऐतिहासिक महत्व की इस विरासत के संरक्षण के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी स्थित बीर छबीली का टीला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जा रही खुदाई में चौंतीस मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उनमें से कुछ जैन तीर्थंकरों नामत: ऋषभनाथ, संभवनाथ तथा कुन्तुनाथ की हैं और कुछ जैन देवियों अम्बिका और सरस्वती की हैं और ये सभी नौवीं-ग्यारहवीं शताब्दी ईसवी की हैं।

(ग) यह स्थल फतेहपुर सीकरी के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र में पड़ता है।

सेना के उच्च अधिकारियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखना

4163. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुफिया एजेंसी सेना के कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के उच्च अधिकारियों के कार्यकलापों पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उनकी तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में संलिप्तता के मद्देनजर ऐसी किसी एजेंसी के गठन के प्रस्ताव हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) इस तरह की निगरानी के लिए किसी खुफिया एजेंसी को नहीं लगाया जाता है। तथापि, यदि खुफिया एजेंसियों को अपनी सामान्य ड्यूटी के दौरान कोई अवैध बात दिखाई देती है तो वे उस पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई हेतु ध्यान देती हैं।

[अनुवाद]

सुपर बाजार के आपूर्तिकर्ता

4164. श्री शीराम सिंह रवि : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुपर बाजार और एन०सी०सी०एफ० द्वारा दुकानों और आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह पांच वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में मानदंडों के उल्लंघन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा मदों का चयन और उनकी आपूर्ति अपने वाणिज्यिक कार्यों के एक मांग के रूप में स्वतंत्र रूप से की जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

वायु सेना के नए हवाई अड्डे

4165. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 में दुश्मन के हवाई जहाजों का जल्दी पता लगाने हेतु फलौदी, दीसा आदि स्थानों पर वायु सेना के हवाई अड्डों के निर्माण का फैसला किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अभी तक वायु सेना के इन हवाई अड्डों को विकसित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बदले हुए परिदृश्य और पाकिस्तान की आक्रामक मुद्रा को देखते हुए वायु सेना के हवाई अड्डों की कमी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा; और

(घ) यदि हां, तो राजस्थान और गुजरात में वायु सेना के हवाई अड्डों को विकसित करने का कार्य कब तक शुरू करने का विचार है और इनके निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु कौन-सी तिथि निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। 1980 वाले दशक के मध्य में फलौदी, दीसा और महाजन में छोटे एयर बेस विकसित करने की योजनाएं थीं। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन एयर बेसों का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका।

(ग) और (घ) सरकार पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा परिवेश से अवगत है। फलौदी में एयर फील्ड विकसित करने का मामला फिर से हाथ में लिया गया है। इस परियोजना को वर्ष 2004 तक पूरा किए जाने की योजना बनाई जा रही है।

रोजगार आश्वासन योजना

4166. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रतिवर्ष के दौरान केरल को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(घ) क्या केरल को चालू वर्ष 1999-2000 की उसकी आबंटित धनराशि नहीं दी गई है और यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और क्या आबंटित राशि को शीघ्र जारी कर दिया जाएगा; और

(ङ) क्या सरकार का विचार योजना को रोक देने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) सुनिश्चित रोजगार योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना की निधियों में केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा 75 : 25 अनुपात में होता है। 1.4.99 से पहले सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग आधारित योजना थी जिसके तहत राज्यों के लिए कोई निश्चित आबंटन नहीं होता है। सुनिश्चित रोजगार योजना को 1.4.99 से पुनर्गठित किया गया है तथा यह आबंटन आधारित योजना बन गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय अंश का आबंटन पूरे देश में ग्रामीण गरीबों की कुल संख्या की तुलना में उस राज्य में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत केरल को आबंटित/जारी निधियां निम्न प्रकार थी :

वर्ष		राशि (आबंटित/जारी की गई)
1997-98	—	3989.00 लाख रुपए
1998-99	—	3661.00 लाख रुपए
1999-2000	—	3589.13 लाख रुपए

(घ) 1999-2000 के दौरान केरल के लिए केन्द्रीय आबंटन 3589.13 लाख रुपए निर्धारित किया गया था तथा यह राशि वर्ष के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप दो किस्तों में जारी की गई थी।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

सोयाबीन का मूल्य

4167. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्थानों पर सोयाबीन की खरीद निर्धारित दर की अपेक्षा कम मूल्य पर खरीदी जाती है जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या हाल ही में सोयाबीन तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सोयाबीन के बीजों के मूल्यों में गिरावट के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) उचित औसत किस्त (एफ०ए०क्यू०) की सोयाबीन नैफेड द्वारा मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त की जा रही है। यह बताया जाता है कि सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1998 में 795 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1999 में 845 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

किसानों के सम्मुख समस्याओं में से एक उचित औसत किस्म से निम्न स्तर की सोयाबीन की उपलब्धता को लेकर है। उचित औसत किस्त के मानक के अनुसार नमी 12 प्रतिशत तक तथा बदरंग सोयाबीन 3 प्रतिशत तक अनुमत है। फसल काटने के समय हुई भारी वर्षा के कारण काटे गए सोयाबीन की फसल में नमी का तत्व 15 प्रतिशत तथा बदरंग सोयाबीन 20 प्रतिशत तक था। अक्तूबर, 1999 में मध्य प्रदेश के किसानों ने उचित औसत किस्म के मानकों में ढील देने की मांग की थी ताकि वे इस किस्म के सोयाबीन के लिए उचित औसत किस्म के सोयाबीन के समान मूल्य प्राप्त कर सकें।

(ग) विगत छः महीनों में सोयाबीन के तेल के थोक मूल्य निम्नानुसार रहे हैं :

मास		मूल्य रुपये प्रति क्विंटल परिष्कृत सोयाबीन तेल
नवंबर, 1999	—	2360
दिसंबर, 1999	—	2406
जनवरी, 2000	—	2387
फरवरी, 2000	—	2255
मार्च, 2000	—	2330
अप्रैल, 2000	—	2420

(घ) सोयाबीन के मूल्य की वर्तमान स्थिति के कारण मांग में कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वैतेलित सोया केक के कम मूल्य हैं।

पनधारा योजना

4168. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र के कितने गांवों में गत वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान 'वाटरशेड स्कीम' (पनधारा योजना) पहले से ही चल रही है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इसमें राज्य-वार कितने गांवों को शामिल किया जाएगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) 'पनधारा (वाटरशेड) योजना' के नाम से कोई योजना नहीं है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग, बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। महाराष्ट्र राज्य में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 159 गांवों को शामिल करते हुए 9 परियोजनाएं कार्यान्वित की

रही हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1995-96 से लेकर 31.3.2000 तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं की राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है। चूंकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है अत: किसी भी राज्य में और गांवों को शामिल नहीं किया गया है।

(ख) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के लिए सभी राज्यों से पूर्ण प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले गांवों की संख्या को बता पाना संभव नहीं है।

विवरण

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की संख्या

क्रम सं०	राज्य	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	4
4.	बिहार	2
5.	दिल्ली	
6.	गुजरात	14
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	9
9.	जम्मू और कश्मीर	3
10.	कर्नाटक	14
11.	केरल	1
12.	महाराष्ट्र	9
13.	मणिपुर	7
14.	मध्य प्रदेश	21
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	
17.	नागालैंड	7
18.	उड़ीसा	15
19.	पंजाब	1
20.	राजस्थान	13
21.	सिक्किम	6
22.	तमिलनाडु	11
23.	त्रिपुरा	
24.	उत्तर प्रदेश	32
25.	पश्चिम बंगाल	
	योग :	193

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की मांग और आपूर्ति

4169. **श्री कोडीकुनील सुरेश :**
श्री टी० गोविन्दन :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार, वर्ष-वार और वस्तु-वार कितने गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल और खाद्य तेलों की मांग की गई और उन्हें कितनी आपूर्ति की गई;

(ख) क्या कुछ राज्यों को इन वस्तुओं की आपूर्ति उनकी मांग की तुलना में कम मात्रा में की गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों की मांग के अनुरूप उन्हें इन वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) वर्ष 1991 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए क्या प्रावधान किया गया है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान आबंटित गेहूं और चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की मात्रा क्रमश: विवरण I, II, III और IV में दी गई है। वर्तमान वर्ष 2000-2001 के दौरान गेहूं और चावल, चीनी और मिट्टी के तेल का किया गया आबंटन क्रमश: विवरण V, VI और VII में दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की मांग सामान्यतया भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटनों से अधिक होती है क्योंकि ये आबंटन राजसहायताप्राप्त होते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनके आबंटनों में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं।

जून, 1997 से आरंभ की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल के आबंटन किए गए थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा खाद्यान्नों के पिछले 10 वर्षों के वार्षिक औसत उठान और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की उनकी आवश्यकता के बीच अंतर के बराबर खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के अस्थायी आबंटन भी गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए किए गए थे। अत: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के आबंटन मांग पर आधारित नहीं होते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुले बाजार की प्रतिस्थानी नहीं है, बल्कि इसका केवल अनुपूरक है। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग पर विचार करते हुए खाद्यान्नों की उपलब्धता और सब्सिडि बाध्यताओं की शर्त के अध्यधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर गेहूं और चावल के अतिरिक्त आबंटन भी किए गए थे। पहली अप्रैल, 2000 से गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के आबंटन को 10 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति बी०पी०एल० परिवार प्रति मास कर दुगुना कर दिया गया है। गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आबंटन भी किया जा रहा है, जो जून, 97 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आरंभ होने के समय निर्धारित किया गया था। सामान्य मासिक आबंटन के अलावा गेहूं और चावल की अतिरिक्त मात्रा के लिए यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग की जाती है, तो उस पर खाद्यान्नों की उपलब्धता और इक्नॉमिक लागत की शर्त के अध्यधीन विचार किया जाएगा।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का लेवी चीनी का कोटा उनकी मांग के आधार पर आबंटित नहीं किया जाता है यद्यपि विभिन्न राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यतया जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर चीनी के अपने संबंधित कोटे में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर रही हैं। केन्द्रीय सरकार ने 1.3.1999 को अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 1.3.2000 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का आबंटन करने का निर्णय किया है। तद्नुसार, मार्च, 2000 से लेवी चीनी के आबंटन में वृद्धि कर दी गई है। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के मामले में लेवी चीनी की हकदारी 425 ग्राम से बढ़ाकर 700 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति मास कर दी गई है।

मिट्टी के तेल का आबंटन ऐतिहासिक आधार अर्थात् पिछले वर्ष की आपूर्तियां जमा राष्ट्रीय स्तर पर दी गई वृद्धि में से अतिरिक्त आबंटन पर दिया जाता है। मिट्टी का तेल कमी वाला उत्पाद है। समय-समय पर मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होते हैं। तथापि, उत्पाद की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा और इसमें अंतर्ग्रस्त भारी सब्सिडि की बाध्यताओं के कारण ऐसी मांगों को पूरी तरह पूरा करना संभव नहीं है। तथापि, देश स्तर पर उस फार्मूला के अनुसार अतिरिक्त उपलब्धता में से संभावी वृद्धि की जाती है जिसके अधीन अतिरिक्त मात्रा में से अधिक आबंटन उस राज्य को दिया जाता है जहां प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती है, ताकि काफी समय से चल रही अंतर-राज्यीय असमानता को कम किया जा सके।

फरवरी, 2000 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए किया जा रहा आयातित आर०बी०डी० पामोलिन का मासिक आबंटन उतना ही किया जाता है जितना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मांग की जाती है।

(ङ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 1995 की अनुमानित जनसंख्या पर आधारित गरीबी की रेखा से नीचे की प्रतिशतता के आधार पर खाद्यान्नों का आबंटन किया जाता है और लेवी चीनी 1.3.2000 से 1.3.99 को अनुमानित जनसंख्या के आधार पर आबंटित की जा रही है।

विवरण-I

1997-98 (जून, 1997-मार्च, 1998), 1998-99 और 1999-2000 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए चावल और गेहूं के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं			चावल		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	153.00	137.00	141.00	1889.00	2350.40	2300.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.91	7.20	7.80	86.66	109.20	109.20
3.	असम	263.08	363.60	213.90	480.85	620.00	670.00
4.	बिहार	674.20	831.04	861.04	422.80	507.36	507.36
5.	दिल्ली	531.47	694.80	724.80	134.30	164.68	154.68
6.	गोवा	26.10	33.72	33.72	61.80	75.96	75.96
7.	गुजरात	607.50	494.00	739.50	238.00	356.00	292.50
8.	हरियाणा	150.50	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	107.02	139.70	142.44	112.19	144.87	146.76

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	जम्मू व कश्मीर	230.59	364.55	364.55	342.70	386.53	433.27
11.	कर्नाटक	200.00	300.00	420.00	780.00	940.00	900.00
12.	केरल	304.04	452.64	452.64	1511.38	1788.84	1743.84
13.	मध्य प्रदेश	464.90	503.88	503.88	343.50	417.20	412.20
14.	महाराष्ट्र	1061.80	1178.16	1208.16	535.40	722.48	762.48
15.	मणिपुर	21.06	32.60	23.22	81.40	122.52	125.00
16.	मेघालय	21.54	29.52	14.46	165.28	209.58	207.58
17.	मिजोरम	13.94	24.06	14.08	90.19	125.08	125.08
18.	नागालैंड	27.53	38.06	23.49	96.97	125.80	125.10
19.	उड़ीसा	199.00	435.00	420.00	515.40	656.98	1169.85
20.	पंजाब	51.30	61.56	61.56	9.60	11.52	11.52
21.	राजस्थान	641.30	839.56	533.22	46.86	47.47	15.86
22.	सिक्किम	4.48	10.68	2.09	66.78	87.72	87.72
23.	तमिलनाडु	200.00	360.00	360.00	1029.71	1310.76	1814.76
24.	त्रिपुरा	14.88	21.60	17.16	139.65	200.00	197.60
25.	उत्तर प्रदेश	1007.22	1319.04	1529.44	441.59	632.40	739.70
26.	पश्चिम बंगाल	983.20	1047.35	1061.10	406.90	567.25	518.60
27.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	9.00	7.50	9.00	30.00	30.00	30.00
28.	चंडीगढ़	13.98	21.60	21.60	2.34	3.60	3.60
29.	दादर और नगर हवेली	1.48	3.00	3.00	3.95	6.60	6.60
30.	दमन और दीव	1.10	2.40	2.40	3.18	7.20	7.20
31.	लक्षद्वीप	0.50	0.25	0.50	8.70	3.15	6.30
32.	पांडिचेरी	3.32	9.00	9.00	16.14	26.00	24.00
	जोड़ :	7994.94	9919.66	10175.35	10093.26	12757.15	13724.62

विवरण-II

चीनी का लेवी कोटा और त्यौहार कोटा दर्शाने वाला विवरण (1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पर आधारित)

(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.1.1996 से मासिक कोटा	संशोधित कोटा (जनवरी, 2000 से प्रभावी)	वार्षिक त्यौहार कोटा
2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	28267	28267	7614
अरुणाचल प्रदेश	366	602	94
असम	9524	15687	2896
बिहार	36707	36707	10078
गोवा	508	508	150
गुजरात	17557	17557	4878
हरियाणा	6996	6996	1924
हिमाचल प्रदेश	2197	3619	608
जम्मू व कश्मीर	3567	5404	868
कर्नाटक	19117	19117	5350

1	2	3	4	5
11.	केरल	12368	12368	3600
12.	मध्य प्रदेश	28127	28127	7536
13.	महाराष्ट्र	33550	33550	9014
14.	मणिपुर	782	1288	208
15.	मेघालय	752	1239	200
16.	मिजोरम	293	483	78
17.	नागालैंड	542	847	128
18.	उड़ीसा	13456	13456	3730
19.	पंजाब	8619	8619	2392
20.	राजस्थान	18704	18704	5092
21.	सिक्किम	174	287	50
22.	तमिलनाडु	23741	23741	6790
23.	त्रिपुरा	1173	1932	302
24.	उत्तर प्रदेश	59122	59122	15936
25.	पश्चिम बंगाल	28934	28934	7796
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	282	282	74
27.	चंडीगढ़	391	391	112
28.	दादर और नगर हवेली	60	60	14
29.	दमन और दीव	43	43	12
30.	दिल्ली	11973	11973	2316
31.	लक्षद्वीप	81	81	22
32.	पांडिचेरी	360	360	64
33.	कराईकल	86	86	18
34.	माहे	18	18	04
35.	यनम	08	08	02

विवरण-III

1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों की राज्य-वार मांग और आबंटन

(आंकड़े टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-1998		1998-1999		1999-2000	
		मांग	आबंटन	मांग	आबंटन	मांग	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	65200	28000	69000	56000	98000	56700
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	300	300	1200	800	शून्य	शून्य
5.	गोवा	3500	3500	2000	2000	3600	2430
6.	गुजरात	20000	20000	36000	28000	40330	25400
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	400	400	200	200
8.	हिमाचल प्रदेश	1400	1400	1800	1300	3200	2060
9.	जम्मू व कश्मीर	400	400	875	616	1500	1262
10.	कर्नाटक	10000	10000	10000	8000	14000	13600
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	30000	30000	46000	40231	56000	41800

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	800	800	2400	1600	7800	5215
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	400	400	1000	560
16.	मिजोरम	800	800	800	270	600	306
17.	नागालैंड	1600	1600	2400	2400	4800	3740
18.	उड़ीसा	7300	7300	11000	9000	20900	10000
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	8000	2000	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	880	880	1480	1000	2200	1720
22.	तमिलनाडु	4000	4000	5500	5000	5400	3950
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	200	200	1100	660
24.	उत्तर प्रदेश	1700	1700	15000	5000	5000	5000
25.	पश्चिम बंगाल	20000	20000	14000	14000	53000	28000
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	100	100	400	275	250	177
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दादर और नगर हवेली	320	320	660	500	960	808
29.	दमन और दीव	500	500	800	790	1850	1561
30.	दिल्ली	2104	2104	8704	6398	5900	4950
31.	लक्षद्वीप	400	400	400	300	400	334
32.	पांडिचेरी	2000	2000	6000	4000	1100	6800
	जोड़ :	173304	136104	245318	190480	338990	217233

विवरण-IV

1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए मिट्टी के तेल का राज्य-वार आबंटन

(आंकड़े टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	4743	7155	6736
2.	आंध्र प्रदेश	650785	675056	679848
3.	अरुणाचल प्रदेश	9948	10240	10295
4.	असम	263760	271235	272623
5.	बिहार	679329	863745	870036
6.	चंडीगढ़	21562	21778	15408
7.	दादर और नगर हवेली	3202	3237	3238
8.	दिल्ली	245768	248325	204672
9.	दीव/दमन	3033	3064	2438
10.	गोवा	27954	28257	28075
11.	गुजरात	822339	831600	832432
12.	हरियाणा	164653	170563	171731
13.	हिमाचल प्रदेश	58984	60737	61067
14.	जम्मू और कश्मीर	88828	91433	91921
15.	कर्नाटक	513054	528301	531167
16.	केरल	289540	300006	302078
17.	लक्षद्वीप	906	919	921

1	2	3	4	5
18.	मध्य प्रदेश	532741	661812	666632
19.	महाराष्ट्र	1558397	1576298	1577953
20.	मणिपुर	22064	22670	22781
21.	मेघालय	20245	20847	20960
22.	मिजोरम	7868	8102	8146
23.	नागालैंड	13797	14207	14284
24.	उड़ीसा	239501	316597	318903
25.	पांडिचेरी	15329	15342	15363
26.	पंजाब	337118	342376	343127
27.	राजस्थान	361736	440060	443265
28.	सिक्किम	7794	7885	7895
29.	तमिलनाडु	698837	716830	720076
30.	त्रिपुरा	31451	32386	32562
31.	उत्तर प्रदेश	1178862	1391123	1401255
32.	पश्चिम बंगाल	785065	808013	812301
	जोड़ :	9659193	10490199	10490199

विवरण-V

अप्रैल, 2000 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं के मासिक आबंटन बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल					गेहूं					कुल खाद्यान्न
		गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	उप जोड़	अतिरिक्त	जोड़	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	उप जोड़	अतिरिक्त	जोड़	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	75.56	153.92	229.48		229.48	0.00	8.00	8.00		8.00	237.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.40	5.86	7.26		7.26	0.14	0.53	0.67		0.67	7.93
3.	असम	38.12	25.94	60.06		60.06	0.00	10.30	10.30		10.30	74.36
4.	बिहार	68.72	7.92	76.64		76.64	103.08	11.88	114.96		114.96	191.60
5.	दिल्ली	0.00	13.61	13.61		13.61	0.00	42.64	42.64		42.64	56.25
6.	गोवा	0.52	3.57	4.09		4.09	0.24	1.69	1.93		1.93	6.02
7.	गुजरात	4.50	0.00	4.50		4.50	35.50	29.50	65.00		65.00	69.50
8.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00		0.00	14.66	0.72	15.38		15.38	50.38
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	5.23	5.23		5.23	8.52	3.20	11.72		11.72	16.95
10.	जम्मू और कश्मीर	9.40	12.51	21.91		21.91	2.96	7.36	10.32		10.32	32.23
11.	कर्नाटक	46.00	37.00	83.00		83.00	11.50	9.25	20.75		20.75	103.75
12.	केरल	30.70	109.97	140.67		140.67	0.00	22.72	22.72		22.72	163.39
13.	मध्य प्रदेश	48.00	10.35	58.35		58.35	58.66	12.65	71.33		71.33	129.68
14.	महाराष्ट्र	42.32	22.38	64.70		64.70	78.60	41.38	119.98		119.98	184.68
15.	मणिपुर	2.60	2.86	5.46		5.46	0.00	1.71	1.71		1.71	7.17
16.	मेघालय	2.86	9.53	12.39		12.39	0.00	1.00	1.00		1.00	13.39
17.	मिजोरम	1.06	6.81	7.87		7.87	0.00	1.01	1.01		1.01	8.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	नागालैंड	1.54	8.63	10.17		10.17	0.38	1.54	1.92		1.92	12.09
19.	उड़ीसा	63.64	3.72	67.36		67.36	0.00	0.00	0.00		0.00	67.36
20.	पंजाब	1.36	0.28	1.64		1.64	7.24	1.51	8.75		8.75	10.39
21.	राजस्थान	0.50	0.78	1.28		1.28	42.90	32.68	75.58		75.58	76.86
22.	सिक्किम	0.68	2.97	3.65		3.65	0.00	0.10	0.10		0.10	3.75
23.	तमिलनाडु	91.58	38.44	130.02		130.02	0.00	0.00	0.00		0.00	130.02
24.	त्रिपुरा	4.62	9.12	13.74		13.74	0.00	1.28	1.28		1.28	15.02
25.	उत्तर प्रदेश	63.00	11.20	74.20		74.20	128.00	22.17	150.17		150.17	224.37
26.	पश्चिम बंगाल	44.14	10.73	54.87		54.87	47.30	64.70	112.00		112.00	166.87
27.	अंडमान और निकोबार	0.30	2.35	2.65		2.65	0.14	0.68	0.82		0.82	3.47
28.	चंडीगढ़	0.04	0.17	0.21		0.21	0.32	0.97	1.29		1.29	1.50
29.	दादर और नगर हवेली	0.24	0.18	0.42		0.42	0.06	0.05	0.11		0.11	0.53
30.	दमन और द्वीप	0.04	0.11	0.15		0.15	0.02	0.04	0.06		0.06	0.21
31.	लक्षद्वीप	0.00	0.55	0.55		0.55	0.00	0.04	0.04		0.04	0.59
32.	पांडिचेरी	1.30	0.29	1.59		1.59	0.00	0.02	0.02		0.02	1.61
	कुल	644.74	516.98	1161.72		1161.72	540.24	331.32	871.56		871.56	2033.28

विवरण-VI

मार्च, 2000 और इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन लेवी चीनी की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवश्यकता (1.3.2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित जनसंख्या पर आधारित)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक कोटा (राज्य के लिए) टन में	वार्षिक त्यौहार कोटा टन में
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	31712	7614
2.	आंध्र प्रदेश	377	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	809	94
4.	असम	18114	2896
5.	बिहार	41707	10078
6.	चंडीगढ़	525	112
7.	दादर और नगर हवेली	78	14
8.	दिल्ली	17054	2316
9.	दीव/दमन	671	150
10.	गोवा	59	12
11.	गुजरात	20212	4878
12.	हरियाणा	8307	1924
13.	हिमाचल प्रदेश	4582	608
14.	जम्मू और कश्मीर	6796	868
15.	कर्नाटक	21860	5350
16.	केरल	13592	3600
17.	लक्षद्वीप	112	22
18.	मध्य प्रदेश	33294	7536
19.	महाराष्ट्र	38301	9014
20.	मणिपुर	1709	208
21.	मेघालय	1651	200
22.	मिजोरम	645	78

1	2	3	4
23.	नागालैंड	1140	128
24.	उड़ीसा	15102	3730
25.	पांडिचेरी	627	88
26.	पंजाब	9896	2392
27.	राजस्थान	22372	5092
28.	सिक्किम	379	50
29.	तमिलनाडु	26033	6790
30.	त्रिपुरा	2566	302
31.	उत्तर प्रदेश	70722	15936
32.	पश्चिम बंगाल	33138	7796
	जोड़ :	444142	99950

विवरण-VII

एकसमान आबंटन के लिए विकल्प देने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल, 2000 माह के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन (अनंतिम)

(आंकड़े टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2000 के लिए माहवार आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	56654
2.	अरुणाचल प्रदेश	858
3.	असम	22719
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	561
5.	बिहार	72503
6.	चंडीगढ़	1284
7.	दिल्ली	17056
8.	दमन और दीव	203
9.	दादर और नगर हवेली	270
10.	गोवा	2340
11.	गुजरात	69369 *
12.	हिमाचल प्रदेश	5089
13.	हरियाणा	14311
14.	कर्नाटक	44264
15.	केरल	25173
16.	लक्षद्वीप	77
17.	मध्य प्रदेश	55553
18.	मणिपुर	1898
19.	मिजोरम	679
20.	महाराष्ट्र	131496
21.	मेघालय	1747
22.	नागालैंड	1190
23.	उड़ीसा	26575
24.	पांडिचेरी	1280
25.	पंजाब	28594
26.	राजस्थान	36939
27.	सिक्किम	658
28.	तमिलनाडु	60006
29.	त्रिपुरा	2713
30.	उत्तर प्रदेश	16771
31.	पश्चिम बंगाल	67692
	जोड़ :	866522

*गुजरात के आबंटन में 390 टन शामिल है जो पूरे वर्ष के दौरान प्रतिमाह मत्स्य क्षेत्र को दिया जाना है।

ब्लाकवार आबंटन के लिए विकल्प देने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अप्रैल, 2000 माह के लिए मिट्टी के तेल का आबंटन (अनंतिम)

(आंकड़े टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अप्रैल, 2000 के लिए मासवार आबंटन
1.	जम्मू और कश्मीर	6128*
	जोड़ :	6128

*जम्मू व कश्मीर के आबंटन में पूरे वर्ष भर लेह और करगिल जिलों के लिए प्रतिमाह देने के प्रयोजनार्थ 300 टन शामिल है। जम्मू और कश्मीर राज्य को मिट्टी के तेल का आबंटन शीत मौसम के दौरान वार्षिक आबंटन के 60 प्रतिशत और ग्रीष्म ब्लाक में 40 प्रतिशत के हिसाब से दो ब्लाकों अर्थात् ग्रीष्म (अप्रैल-सितंबर) और शीत (अक्तूबर-मार्च) में किया जाता है।

संविधान का संशोधन

4170. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संविधान में संशोधन करके राज्यों को और अधिक स्वायत्तता देने का है ताकि वह पंचायतों के विभिन्न उत्तराधिकारियों के कार्यकरण की शैली के संबंध में निर्णय ले सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को संविधान के अनुच्छेद 243-ग में संशोधन करने के लिए कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ग(2) तथा (5) के संशोधन में राज्य विधानमंडलों को यह विवेकाधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे निचले स्तर की पंचायतों के अध्यक्षों को उसके ठीक ऊपर स्तर की पंचायतों का सदस्य घोषित कर सकती हैं तथा वे ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव का तरीका निर्धारित कर सकती है।

(ग) और (घ) इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है। संविधान (87वां संशोधन) विधेयक, 1999 के संदर्भ में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की राय मांगी गई है।

गुजरात में पेयजल

4171. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे कितने गांव हैं जहां अब तक पेयजल सुविधा नहीं है;

(ख) मौसम विशेष में कठिनाइयों का सामना करने वाले गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) कितने गांव 'बगैर स्रोत वाले' घोषित किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार का उक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) पेयजल आपूर्ति राज्यों का विषय है। राज्य सरकारें राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम का कार्यान्वयन करती हैं। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में केवल सहायता करती है। राज्यों को अपनी-अपनी जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, उन्हें स्वीकृत करने और उनका कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

गुजरात राज्य सरकार से 1 मार्च, 2000 तक प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य की कुल 30269 ग्रामीण बसावटों में से 26207 पूर्णत: कवर की गई, 3727 आंशिक रूप से कवर की गई और 335 बसावटें कवर न की गई बसावटें हैं। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि राज्य में 6312 गांवों में मौसमी परेशानी है।

अगले पांच वर्षों में सभी ग्रामीण बसावटों को पेयजल मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने कार्य योजना बनाई है। इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है बशर्ते की निधियां उपलब्ध हों।

गेहूं का आयात

4172. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जुलाई, 1998 को ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आयातित गेहूं की जांच का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इस मामले में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने दिनांक 20.7.1998 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कहा है कि वह 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान सरकारी खाते पर किए गए गेहूं के आयात की जांच करे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 26.2.1998 को राज्य व्यापार निगम द्वारा आस्ट्रेलियन व्हीट बोर्ड के साथ ठेकाबद्ध गेहूं के आयात की जांच करने के लिए एक पी०ई० 14(ए)/98-दिल्ली दिनांक 4.8.98 दर्ज की है। राज्य व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि विभाग, खाद्य विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय से संबंधित संगत रिकार्ड एकत्र कर लिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी संवीक्षा भी की गई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कनाडियन व्हीट के ठेके के संबंध में तब तक आगे कार्यवाही बढ़ाने के संबंध में अपनी असमर्थता व्यक्त की है जब तक कि विशिष्ट आरोप/मुद्दे न हो।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4173. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने और आम लोगों के हितों की रक्षा करने में असफल रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे और उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) गत एक वर्ष के दौरान अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उचित स्तर पर बने रहे या फिर उनके मूल्यों में गिरावट आई है। 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार गत एक वर्ष के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1993-94) में आया प्रतिशत उतार-चढ़ाव नीचे दर्शाया गया है :

वस्तु	प्रतिशत उतार-चढ़ाव (1.4.2000) (3.4.2000)
चावल	0.7
गेहूं	6.9
चना	14.9
अरहर	−1.0
चीनी	4.1
मूंगफली का तेल	−2.1
सरसों का तेल	−14.1
वनस्पति	−22.8
चाय	−3.6
आलू	−9.8
प्याज	−40.8
नमक	−14.5

(ख) से (घ) सरकार ने देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने और उनकी उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से अनेक उपाय किए हैं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों को करने के अतिरिक्त दालों और खाद्य तेलों जैसी कम आपूर्ति वाली वस्तुओं का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत आयात करने की अनुमति दी गई है। दालों का आयात शून्य प्रतिशत आयात शुल्क पर करने की अनुमति दी गई है। प्याज के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया गया है। चावल, गेहूं, पामोलीन और मिट्टी के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुएं भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर सप्लाई की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा जमाखोरों, चोरबाजारियों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

गुजरात में रेल परियोजनाएं

4174. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**
श्री पी०एस० गढ़वी :
श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया :
डा० जी०जे० जावीया :
श्री दिन्शा पटेल :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री बाबूभाई के० कटारा :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे को नई रेल लाइनें बिछाने, रेल लाइनों का विस्तार करने, मीटर गेज/छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने तथा रेल लाइनों का दोहरीकरण करने के संबंध में गुजरात सरकार तथा अन्य संगठनों से कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा परियोजना-वार सर्वेक्षण पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नई बिछाई गई रेल लाइनों, बड़ी लाइनों में परिवर्तित की गई लाइनों तथा दोहरीकरण की गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) चालू रेल परियोजनाओं/लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा इन पर परियोजना-वार अब तक कितना खर्च हुआ है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्रम सं०	परियोजना आमान परिवर्तन	खर्च (करोड़ रु. में) परियोजना	सर्वेक्षण	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	राजकोट-वेरावल खंड का आमान परिवर्तन और इसका कोडिनार/सोमनाथ तक विस्तार	18.19	0.0764	राजकोट-वेरावल खंड का आमान परिवर्तन स्वीकृत है। मिट्टी संबंधी छोटे पुलों और बड़े पुलों को सुदृढ़ करने से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं और ये प्रगति पर हैं। इस कार्य के आगामी वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

1	2	3	4	5
				इस लाइन को कोडिनार-सोमनाथ तक बढ़ाने से संबंधित सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।
2.	पिपावाव तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-ढोला-द्वासा-महुआ खंड का आमान परिवर्तन	15.01	0.12	इस परियोजना पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य पहले ही अच्छी प्रगति पर हैं। यह प्रस्ताव है कि रेलपथ से संबंधित कार्य विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा किया जाए जिसमें रेलवे और गुजरात पिपावाव पोर्ट लि० की बराबर-बराबर इक्विटी होगी और इसके लिए धनराशि बाजार ऋणों के जरिए जुटाई जाएगी। इस योजना को तदनुसार कार्यान्वित करने के लिए गुजरात पिपावाव पोर्ट लि० के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
3.	(क) वीरमगाम-मेहसाणा आमान परिवर्तन (भिलड़ी-वीरमगाम परियोजना का एक भाग)	11.43	0.4158	कार्य स्वीकृत है। यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
	(ख) मेहसाणा-पाटन (भिलड़ी-वीरमगाम परियोजना का एक भाग)			मेहसाणा-पाटन खंड के आमान परिवर्तन का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है। इस खंड पर पुलों के पुनर्निर्माण से संबंधित कार्य पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।
4.	नवलाखी-दर्हीसरा, मोरबी-वांकानेर और मोरबी-दर्हीसरा-मलिया मियाना	19.42	कुछ नहीं	नवलाखी-दर्हीसरा और मोरबी-दर्हीसरा-मलिया मियाना मीटर लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। शेष खंड अर्थात् वांकानेर-मोरबी का कार्य अच्छी प्रगति पर है और यह 2000-01 के दौरान पूरा हो जाएगा।
5.	गांधीधाम-भुज-नलिया	8.30	0.0460	गांधीधाम-भुज खंड का कार्य स्वीकृत है और अच्छी प्रगति पर है तथा इसे 2000-01 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। भुज-नलिया खंड के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और रक्षा मंत्रालय के परामर्श से सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस संबंध में कोई निर्णय संसाधनों की उपलब्धता तथा सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार आगामी समय में लिया जाएगा।
6.	गांधीधाम-सामाख्याली-पालनपुर	10.00	0.1409	यह कार्य 1998-99 के बजट में स्वीकृत किया गया है और इसे अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।
7.	ध्रांगध्रा-कुडा साल्ट साइडिंग	3.09	0.0050	यह कार्य 1997-98 के पूरक बजट में शामिल किया गया है। यह कार्य गुजरात सरकार तथा उद्योग मंत्रालय के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है और इसके 2000-01 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि सहभागीदारों द्वारा शेष राशि उपलब्ध करा दी जाए।
8.	भरूच-सामनी-दहेज	कुछ नहीं	0.0407	भरूच-सामनी-दहेज खंड को, अहमदाबाद से विरार के लिए प्रस्तावित तीसरी लाइन में शामिल किया गया है, बहरहाल नए कार्यों के लिए प्रस्तावों तथा संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करने के बाद इस खंड के आमान परिवर्तन कार्य को 2000-01 के बजट में शामिल करना संभव नहीं पाया गया है।

1	2	3	4	5
9.	अंकलेश्वर-राजपीपला	कुछ नहीं	कुछ नहीं	विगत में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इस लाइन के लिए यातायात संभावना अपर्याप्त है। अत: इस कार्य को शुरू करना फिलहाल संभव नहीं पाया गया है।
10.	अहमदाबाद-हिम्मतनगर	कुछ नहीं	0.0812	अहमदाबाद-हिम्मतनगर-उदयपुर खंड के आमान परिवर्तन के सर्वेक्षण कार्य पहले ही प्रगति पर हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।
11.	अहमदाबाद-बीजापुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
12.	दभोई-मियां गांव	कुछ नहीं	0.0237	विरार-अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित तीसरी लाइन के संरेखण के विकल्प के रूप में इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा हो गया है। बहरहाल, इस लाइन को तीसरी लाइन के भाग के रूप में नहीं समझा जाएगा, क्योंकि विरार-अहमदाबाद बड़ी लाइन के पश्चिमी सिरे के संरेखण को परिचालनिक दृष्टि से तीसरी लाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया है। इसे देखते हुए इस लाइन का आमान परिवर्तन करना निकट भविष्य में संभव नहीं होगा।
13.	छोटा उदयपुर-प्रतापनगर	कुछ नहीं	0.1224	इस लइन के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कार्य पहले ही प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।
	नई लाइन			
1.	कपड़वंज-मोडासा	50.00	0.0089	नादियाड़ और कपड़वंज के बीच आमान परिवर्तन कार्य जो एक स्वीकृत परियोजना का भाग था, 1992-93 में पूरा हो गया था। नई लाइन के भाग पर अब कार्य अच्छी प्रगति पर है और इसके 2000-01 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।
2.	गोधरा-दाहोद-इंदौर तथा देवास-मक्सी	21.09	0.57	यह कार्य चरणों में निष्पादित किया जा रहा है। देवास और मक्सी के बीच प्रथम चरण का कार्य अच्छी प्रगति पर है, सभी 8 बड़े पुलों पर कार्य प्रगति पर है। सभी 49 छोटे पुलों से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। मिट्टी संबंधी तथा मिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य जैसी अन्य मदें भी प्रगति पर हैं। इस खंड के नौवीं योजना अवधि के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
	दोहरीकरण			
1.	अहमदाबाद-गांधीधाम-कांडला के लिए अतिरिक्त रेलपथ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	अहमदाबाद और वीरमगाम के बीच दोहरी लाइन पहले ही उपलब्ध है। वीरमगाम से आगे यातायात के मौजूदा स्तर को उपलब्ध इकहरी लाइन द्वारा सुविधाजनक रूप से संभाला जा सकता है। जब कभी यातायात का स्तर इसके दोहरीकरण के औचित्य तक पहुंच जाएगा, इस खंड के दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा।

(ग) वांकानेर-मलिया मियाना आमान परिवर्तन परियोजना के एक भाग के रूप में नवलाखी-दर्हीसरा तथा मोरबी-दर्हीसरा-मलिया मियाना मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है। अब तक इस परियोजना पर 19.42 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(घ) और (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात में चालू/लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	परियोजना	लंबाई (कि०मी०)	लागत करोड़ रु० में	31.3.2000 तक हुआ खर्च	2000-01 के लिए बजट परिव्यय	स्थिति
	नई लाइन					
1.	कपड़वंज-मोडासा	59.71	62.74	50.00	10.00	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
2.	गोधरा-इंदौर-देवास-मक्सी	316	597	21.09	10.00	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
3.	गांधीनगर-अदराजमोती-कलोल	20	52	0.00	2.00	2000-01 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य।
	आमान परिवर्तन					
1.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद			0.00	15.00	कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया है और इसे चालू कर दिया गया है। अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं।
2.	भिलड़ी-वीरमगाम	157	64.88	11.43	6.90	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
3.	राजकोट-वेरावल	185	153.4	18.19	10.00	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
4.	वांकानेर-मलिया मियाना	97	82.48	19.42	30.00	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
5.	गांधीधाम-भुज	58	52	8.30	20.00	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
6.	सुरेन्द्रनगर-भावनगर	385	536.1	15.01	53.00	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
7.	ध्रांगध्रा-कुडा साइडिंग	22	13.27	3.09	0.01	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
8.	गांधीधाम-पालनपुर	313	337.8	10.00	3.00	उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) में स्थिति स्पष्ट की गई है।
	दोहरीकरण					
1.	सूरत-कोसाम्बा, वडोदरा और विरार के बीच तीसरी लाइन का चरण-1	31	49	0.00	1.00	2000-01 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में विमान सेवाएं

4175. श्री सुरेश चन्देल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर कुल्लू जिले के भुंटेर और कांगड़ा जिले के गगल में विमान सेवाओं का विस्तार करने और बिलासपुर जिला मुख्यालय में एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों के एक दल ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और इस संबंध में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) इस समय केवल 18 सीटर विमान कुल्लू जिला के भूंटर तक और कांगड़ा जिला के गग्गल तक प्रचालित हो रहे हैं। गग्गल और भूंटर विमानपत्तनों को विकसित करने तथा बिलासपुर में एक नए विमानपत्तन के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) दल ने निष्कर्ष दिया है कि बिलासपुर में नए विमानपत्तन के निर्माण के लिए भारी मात्रा में कटाई और मिट्टी भराई की जरूरत होगी। प्रस्तावित कार्यस्थल के संबंध में प्रतिषेधात्मक लागत और प्रचालनात्मक कठिनाइयों की वजह से, इस प्रस्ताव को व्यवहार्य नहीं पाया गया है। मौजूदा गग्गल और भूंटर विमानपत्तनों के विकास के बारे में, दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को निधियां आबंटित की गई हैं और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन कार्यों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित होने वाले समझौता ज्ञापन के आधार पर राज्य सरकार के लिए शेष कार्यों के रूप में निष्पादित करेगा।

[अनुवाद]

मैसूर-हुबली के बीच सीधी रेल सेवा का शुरू किया जाना

4176. श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर से हुबली या दावणगेरे तक यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को आरसीकेरे पर गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हासन और आरसीकेरे से होकर मैसूर-हुबली के बीच कोई सीधी रेल सेवा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार हासन और आरसीकेरे से होकर मैसूर-हुबली के बीच कोई सीधी पैसेंजर रेलगाड़ी चलाए जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब से चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल, मैसूर और दावनगेरे/हुबली बरास्ता हसन-अरसीकेरे के बीच 1035/1036 मैसूर-मुंबई एक्सप्रेस (साप्ताहिक) सीधी गाड़ी सेवा मुहैया कराती है।

(ग) और (घ) मैसूर और हुबली बरास्ता हसन-अरसीकेरे के बीच कोई सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खाने-पीने के सामानों के मूल्य में वृद्धि

4177. श्री राजनारायण पासी :
श्रीमती रीना चौधरी :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली रेलवे स्टेशन में खाने-पीने के सामानों के मूल्य में 12 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या जहां मूल्य में वृद्धि की गई है वहां संबद्ध ठेकेदारों से लिए जाने वाले लाइसेंस शुल्क में भी 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो जुलाई 1999 से फरवरी 2000 तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में ठेकेदारों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि में खाने-पीने के सामानों, ताजे फलों/जूस की कीमतों में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। रेलवे केटरिंग/वेडिंग लाइसेंसधारियों से उनकी कुल बिक्री का कुछ प्रतिशत लाइसेंस फीस के रूप में वसूल करती है। प्रतिशत प्रभार में 1987 से कोई संशोधन नहीं किया गया है। जब यह कुल बिक्री के 3 से 5 प्रतिशत की दर निर्धारित किया गया था। बहरहाल, इस अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों की बिक्री मूल्यों में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

खाद्य पदार्थों और ताजे फलों/फलों के रस की कीमतें स्थानीय बाजार के हिसाब से क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित की जाती है।

[अनुवाद]

कालीकट हवाई अड्डे की धावन पट्टी का विस्तार

4178. श्री के० मुरलीधरन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट हवाई अड्डे की धावन पट्टी को 6000 फुट से 9000 फुट करने संबंधी विस्तार कार्य के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कालीकट हवाई अड्डे पर रात्रि के समय विमान उतरने की सुविधा शुरू करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) कालीकट विमानपत्तन पर धावनपथ का 6000 फुट से 7500 फुट तक विस्तार कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। धावनपथ का 7500 फुट से 9380 फुट तक और आगे विस्तार कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को लगातार भारी वर्षा तथा श्रमिक समस्याओं की वजह से निष्पादित करने में विलंब हुआ है। दिनांक 31.12.2000 तक धावनपथ के विस्तार कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से अतिरिक्त जनशक्ति तथा मशीनरी को जुटाया गया है।

(घ) और (ङ) कालीकट विमानपत्तन पर रात्रि अवतरण संबंधी सुविधा उपलब्ध है।

रेल टिकटों की कालाबाजारी

4179. डा० सी० कृष्णन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल-सतर्कता विभाग द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से देश भर में रेल-टिकटों की अवैध कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1999 और 2000 के दौरान (मार्च तक) रेलवे टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेल सतर्कता द्वारा स्थानीय पुलिस/रा०रे०पु०/सी०बी०आई० की मदद से विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 63 छापे मारे गए थे। इसके परिणामस्वरूप 106 दलाल/गैरप्राधिकृत ट्रैवल एजेंटों को पकड़ा गया। दलालों और गैर-प्राधिकृत एजेंटों से 3,73,622 रु० के रेलवे टिकट जब्त किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में हाल्ट-स्टेशनों का निर्माण

4180. श्री लाल बिहारी तिवारी :

श्रीमती रीना चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास दिल्ली में तिलक ब्रिज और आनंद बिहार के बीच एक हाल्ट स्टेशन के निर्माण का प्रस्ताव लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त हाल्ट स्टेशन का निर्माण कब तक हो जाएगा; और

(ग) मंडावली रेलवे हाल्ट का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और इस पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तिलक ब्रिज और आनंद विहार स्टेशनों के बीच मंडावली हाल्ट स्टेशन का निर्माण 31.9.2000 तक 20 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण

4181. श्री अकबर अली खांदोकर :
श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री दिन्शा पटेल :
श्री जी०एस० बसवराज :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण हेतु राज्य-वार आबंटित राशि और निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए पर्याप्त निधियां नियत की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन मकानों के निर्माण की गति से संतुष्ट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य-वार आबंटन तथा लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) 2000-2001 के दौरान इंदिरा आवास योजना सहित ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए 1710 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। योजना आयोग द्वारा निधियां वर्ष दर वर्ष के आधार पर आबंटित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि प्रगति सामान्यत: संतोषजनक रही है फिर भी आवश्यकतानुसार समय पर कार्रवाई शुरू की जाती है ताकि प्रगति में तेजी आए तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार हो।

हवाई अड्डों का विकास

4182. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों के विस्तार, आधुनिकीकरण और विकास के संबंध में हवाई अड्डावार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं पर पिछले दो वर्षों के दौरान हवाई अड्डे-वार और परियोजना-वार कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) प्रत्येक परियोजना कब तक पूरी होगी;

(घ) क्या सरकार का विचार नये हवाई अड्डों के निर्माण के लिए विदेशी पूंजी आमंत्रित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(छ) उक्त कार्य हेतु कितनी विदेशी पूंजी जुटाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के बारे में विमानपत्तन-वार की गई प्रगति, गत दो वर्षों के दौरान परियोजना-वार व्यय की गई रकम तथा समापन की वास्तविक/संभाव्य तारीख संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित विमानपत्तन आधारिक संरचना नीति (पैरा-15.4) में 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी को स्वतः अनुमोदन तथा विशेष अनुमति से 100 प्रतिशत तक इक्विटी भागीदारी की अनुमति देती है।

(च) और (छ) नए विमानपत्तनों के निर्माण की परियोजनाएं प्रारंभिक अवस्था में है। इसलिए इस समय संभाव्य अनुमानित व्यय तथा विदेशी पूंजी संबंधी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

विवरण-I

हवाई अड्डा-वार हुई प्रगति, पिछले दो वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के संबंध में कार्य समापन की संभावित तारीख संबंधी विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	पिछले दो वर्षों 4/98-3/2000 के दौरान किया गया व्यय	प्रत्यक्ष प्रगति	पूरा होने की वास्तविक/संभावित तारीख
1	2	3	4	5
	मुम्बई हवाई अड्डा			
	पूरे हुए कार्य			
1.	नया अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल काम्प्लेक्स (चरण-3)	55.66	100%	अगस्त, 1999
2.	धवनपथ 14/32 पर कारपोट बिछाना	3.27	100%	अप्रैल, 1999
3.	अंतर्देशीय रिमोट के पीछे हाई स्टैंड	0.72	100%	नवम्बर, 1998
	कार्य प्रगति पर			
4.	एफटी/टी का विस्तार और सामान्तर टैक्सी ट्रेक का निर्माण	4.00	87%	जून, 2000
5.	बे संख्या 14 का निर्माण	0.50	25%	मार्च, 2001
6.	सुरक्षा दीवार के साथ बे सं० 17, 18 और 19 पर एयरोब्रिज	27.25	56%	जुलाई, 2001
7.	विविध कार्य	34.68		
	कुल	92.84		
	इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली			
	पूरे हुए कार्य			
1.	टर्मिनल एए का पुनर्निर्माण	5.50	100%	जून, 1998
	कार्य प्रगति पर			
2.	निर्यात कार्गो भवन का निर्माण चरण-2	6.86	97%	अप्रैल, 2000
3.	धावनपथ 10 से आरंभ होकर धावनपथ 09 को जोड़ने वाली टैक्सी लिंक का निर्माण	1.44	सिविल 68% इलेक्ट्० 40%	जून, 2000
4.	आयात कार्गो भवन का निर्माण चरण-3	6.76	70%	सितंबर, 2000
5.	बे सं० 23 से 32 के लिए एप्रन का पुर्निर्माण	4.25	72%	नवंबर, 2000
6.	मुख्य धावनपथ का स्तरोन्नयन-आईएलएस श्रेणी 3 आईसी मुख्य धावनपथ सुदृढ़ीकरण/पुन सतहलेपन	2.69	19%	अक्तूबर, 2000

1	2	3	4	5
7.	गौण धावनपथ 09/27 और सामांतर टैक्सी ट्रेक का सुदृढ़ीकरण	5.52	60%	अक्तूबर, 2000
8.	विधि कार्य	29.30		
	कुल	62.32		
	चेन्नई हवाई अड्डा			
	पूरे किये गये कार्य			
1.	वर्तमान गौण धावनपथ 12/30 का सुदृढ़कीरण और ग्रेड करेक्शन	8.35	100%	नवंबर, 1999
2.	अंतर्देशीय एप्रन पर 3 रिमोट पार्किंग बे का निर्माण	1.82	100%	अक्तूबर, 1999
3.	1 रिमोट पार्किंग बे आई/सी का निर्माण/अंतर्राष्ट्रीय एप्रन पर नाली	2.97	100%	नवंबर, 1999
4.	प्रशासनिक भवन का डिजाइन और निर्माण	9.66	98%	मार्च, 2000
	कार्य प्रगति पर			
5.	एकीकृत कार्गो कॉम्प्लेक्स का निर्माण	6.75	63%	मार्च, 2001
6.	बे सं० 29 और 32 आई/सी आरसीसी स्ट्रक्चर एयर साइट कोरिडोर संख्या 4 का विस्तार	0.93	35%	सितम्बर, 2000
7.	अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शहरी ओर पर आरसीसी कनोपी का निर्माण	1.23	53%	जून, 2000
8.	अन्नना अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल (एनआईटीसी) का विस्तार और परिवर्धन चरण-2	1.35	16%	दिसंबर, 2002
9.	विविध कार्य	20.69		
	कुल	52.90		
	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कलकत्ता			
	पूरे किये गये कार्य			
1.	एनटीसी का निर्माण तीसरे एयरोब्रिज के लिए नये एप्रन का निर्माण	1.36	100%	फरवरी, 1999
	कार्य प्रगति पर			
2.	बे सं० 1 और 2 पुनर्निर्माण और बे सं० 13, 15 और 16 के नॉनलोड बेयरिंग क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	3.00	61%	जून, 2000
3.	'सी' टी/टी से 'डी' टी/टी का निर्माण	2.94	68%	अगस्त, 2000
4.	हेगर का निम्नण–एसएस-हैंगर और एननेक्सी का निर्माण	0.01	कार्य हाल ही में आरंभ हुआ	सितम्बर, 2001
5.	एनडीटीसी के कार पार्क और अतिरिक्त टैक्सी लेन का विस्तार	0.56	38%	नवंबर, 2000
6.	आईटीबी का परिवर्धन चरण	5.04	90%	जून, 2000
7.	विविध कार्य	16.57		
	कुल	29.48		

1	2	3	4	5
	त्रिवेन्द्रम् हवाई अड्डा			
	पूरे किये गये कार्य			
1.	एप्रन का विस्तार	2.52	100%	मार्च, 1999
2.	डी और ई टैक्सी जंक्यान पर फिल्टर का निर्माण	0.34	100%	सितंबर, 1999
3.	टर्मिनल 2 का परिवर्धन एचएचएसी की व्यवस्था ड्यूट कवरिंग/फल्स सीलिंग	0.69	100%	जून, 1999
4.	पूरे किये गये/प्रगति में विविध कार्य	8.13		
	कुल	11.68		

विवरण-II

विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों पर मूलभूत ढांचे में सुधार संबंधी विवरण
(31.3.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं०	कार्य का नाम	गत दो वर्षों के दौरान व्यय	प्रत्यक्ष प्रगति	कार्य पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	अगरतला हवाई अड्डे पर एप्रन और टैक्सीवे को मजबूत बनाना	229.23	54 प्रतिशत	जून, 2000
2.	अहमदाबाद हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार और मजबूत बनाना	2278.00	65 प्रतिशत	मार्च, 2000
3.	आगरा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन, एप्रन का विस्तार	—	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
4.	भोपाल हवाई अड्डे पर शेल्डर्स और टर्निंग पैड की व्यवस्था करना, धावनपथ का पुन: सतहलेपन करना	86.00	100 प्रतिशत	पूरा किा गया
5.	भोपाल हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार	45.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
6.	बागडोगरा हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	815.00	98 प्रतिशत	अप्रैल, 2000
7.	भुंटर हवाई अड्डे के धावनपथ का पुन:सतहलेपन	—	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
8.	भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर धावनपथ का विस्तार	576.00	72 प्रतिशत	जून, 2000
9.	भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	138.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
10.	बंगलौर हवाई अड्डे पर नए भवन का निर्माण	1629.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
11.	कालीकट हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार	3555.00	92. प्रतिशत	दिसंबर, 2000
12.	दीमापुर हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निर्माण	—	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
13.	गोवा हवाई अड्डे पर एप्रन का विस्तार	495.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
14.	गुवाहाटी हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	368.00	85 प्रतिशत	जुलाई, 2000
15.	हैदराबाद हवाई अड्डे के नए अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक का निर्माण	477.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
16.	इम्फाल हवाई अड्डे के तकनीकी ब्लाक और कंट्रोल टावर का निर्माण	249.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
17.	इंदौर हवाई अड्डे पर धावनपथ और एप्रन का विस्तार	83.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
18.	इंदौर हवाई अड्डे के तकनीकी ब्लाक और फायर स्टेशन का निर्माण	71.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
19.	जबलपुर हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार	630.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया

1	2	3	4	5
20.	कारगिल हवाई अड्डे पर नए हवाई अड्डे का निर्माण	2843.00	70 प्रतिशत	अक्तूबर, 2000
21.	लीलबाड़ी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन और कंट्रोल टावर का निर्माण	450.00	52 प्रतिशत	जून, 2000
22.	लीलाबाड़ी हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार	999.00	81 प्रतिशत	दिसंबर, 2000
23.	मुख्य एप्रन का विस्तार और मजबूत बनाना, लखनऊ हवाई अड्डे पर नए टैक्सी ट्रैक का निर्माण	410.00	46 प्रतिशत	जून, 2000
24.	लखनऊ हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	—	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
25.	चेन्नई हवाई अड्डे पर तकनीकी खंड पर कंट्रोल टावर का निर्माण	447.00	75 प्रतिशत	दिसंबर, 2000
26.	नागपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	—	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
27.	पटना हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	318.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
28.	पोर्टब्लेयर हवाई अड्डे पर सिविल एयर टर्मिनल काम्पलेक्स का निर्माण	1407.00	94 प्रतिशत	मई, 2000
29.	राजकोट हवाई अड्डे के धावनपथ, एप्रन और टैक्सीवे को मजबूत बनाना	573.85	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
30.	रायपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण	60.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
31.	सिल्चर हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का विस्तार और आशोधन	169.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
32.	तेजपुर हवाई अड्डे पर नए हवाई टर्मिनल काम्पलेक्स का निर्माण	737.00	90 प्रतिशत	जुलाई, 2000
33.	तिरुपति हवाई अड्डे पर बी-737 और एबी-320 श्रेणी के एयरक्राफ्ट के लिए हवाई अड्डे का विकास	583.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
34.	उदयपुर हवाई अड्डे के धावनपथ का विस्तार	—	100 प्रतिशत	पूरा किया गया
35.	विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे का विकास	800.00	100 प्रतिशत	पूरा किया गया

[हिन्दी]

सांस्कृतिक कार्यक्रम

4183. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान भी 297.10 करोड़ रुपए का कारोबार किया;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम ने पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर वाराणसी तथा भदोही में कितने रुपए का कारोबार किया;

(ग) क्या सरकार की 'हैरिटेज सिटी वाराणसी' में पर्यटन के विकास हेतु कोई महत्वकांक्षी योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पर्यटन मंत्रालय शहस्त्राब्दि वर्ष में देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक तथा भारत की खोज संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : (क) जी हां, वर्ष 1998-99 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम का कारोबार 297.10 करोड़ रु० था।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने वर्ष 1999-2000 के अनंतिम आंकड़ों सहित और वाराणसी में भारत पर्यटन विकास निगम के एकक से संबंधित 5.76 करोड़ रु० सहित उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 12.25 करोड़ रु० का कारोबार किया।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय, धन की उपलब्धता के आधार पर, राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके, प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान वाराणसी में पर्यटक परिसर के निर्माण के लिए बनी परियोजना को 40.00 लाख रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई, इसमें से 12.00 लाख रु० की पहली किश्त प्रदान की गई।

(ङ) और (च) सरकार ने भारत-दर्शन वर्ष को 1.1.2001 तक और बढ़ा दिया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के सहयोग से मुख्य कार्यक्रमों को भारत-दर्शन वर्ष के दौरान आयोजित करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। ये कार्यक्रम भारत-दर्शन वर्ष के आयोजन का एक हिस्सा होंगे।

पटना से सऊदी अरब के लिए सीधी उड़ान

4184. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से सऊदी अरब तक सीधी उड़ान न होने के कारण हज यात्रियों को दिल्ली के रास्ते हज के लिए जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पटना से सऊदी अरब के लिए सीधी उड़ान के लिए लोगों से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) पटना से सऊदी अरबिया के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपहृत विमान से सबूत मिटाना

4185. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 फरवरी, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'फोरेन्सिक एवीडेन्स ऑन आई सी 814 लॉस्ट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। 1 जनवरी, 2000 को दिल्ली हवाई अड्डे पर अपहृत विमान के पहुंचने पर इंडियन एयरलाइंस के इंजीनियरों के सहयोग से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने तोड़-फोड़ रोधी जांच की थी और उसी दिन इंडियन एयरलाइंस को विमान सौंप दिया था। विमान अपने बेस अर्थात् मुम्बई को उड़ गया था।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर राजसहायता

4186. श्री सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में मूल्य निर्धारण नीति का उद्देश्य राजसहायता की राशि में कटौती न करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के कारण वार्षिक राजसहायता राशि में उतार-चढ़ाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) भविष्य में इस प्रणाली के माध्यम से आम लोगों/उपभोक्ताओं को कितना लाभ पहुंचने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मूल्य निर्धारित करने की नीति का लक्ष्य खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राजसहायता को केवल लक्षित आबादी तक सीमित रखना है।

(ख) वार्षिक राजसहायता में 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी होने की संभावना है।

(ग) चूंकि गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के 10 किलोग्राम प्रति माह प्रति परिवार के आबंटन को दुगुना करके 20 किलोग्राम प्रतिमाह प्रति परिवार कर दिया गया है इसलिए गरीबी रेखा से ऊपर की आबादी के लिए राजसहायता समाप्त करने से लक्षित आबादी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य पर खाद्यान्नों की बढ़ी हुई मात्रा मिलेगी।

[अनुवाद]

पंजाब में सड़क ऊपरि पुलों का निर्माण

4187. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में पंजाब में किन-किन स्थानों पर सड़क ऊपरि पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है और उनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इन पर कितना खर्च आया और चालू बजट में उनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) उपरोक्त पुलों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या मंडी गोविंदगढ़ में किसी ऊपरि पुल के निर्माण का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	रेलवे का हिस्सा	राज्य सरकार का हिस्सा	31.3.2000 तक व्यय	2000-01 के लिए बजट आबंटन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लुधियाना में समपार सं. 2-ए/2 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	95-96	267	714	281	31	रेलों का हिस्सा पूरा हो गया है, पहुंच मार्ग शीघ्र पूरा होने की संभावना है।
2.	समपार सं० 25-बी के स्थान पर बठिंडा-फिरोजपुर ऊपरी सड़क पुल	96-97	356	617	196	165.09	कार्य प्रगति पर है तथा सितंबर, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।
3.	रामामंडी-लुधियाना-अमृतसर खंड पर समपार सं० 68-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	96-97	314	379	259	34.79	ऊपरी सड़क पुल चालू हो गया है।
4.	लुधियाना-धुरी खंड पर समपार सं० ए-2 के स्थान पर लुधियाना में ऊपरी सड़क पुल	96-97	234	735	1	100	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार को अभी भी पहुंच मार्गों के लिए योजना को अंतिम रूप देना है।
5.	जालंधर-दो-मरिया पुल के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	97-98	490	1328	—	150.00	लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अभी भी पहुंच मार्गों के लिए संशोधित योजना को अंतिम रूप दिया जाना है।
6.	सरहिंद-समपार सं० 144-बी के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	98-99	459	463	—	100	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं है। बहरहाल, प्रोफाइल स्केच अनुमोदित हो चुका है।
7.	राजपुरा-समपार सं० 135-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	99-2000	436	456	–	110	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि प्रोफाइल स्केच को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है और राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के लिए आंशिक अनुमान अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।
8.	सुनाम-समपार सं० ए-76 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	99-2000	574	662	—	100	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि प्रोफाइल स्केच को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है और राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के लिए आंशिक अनुमान अभी प्रस्तुत किए जाने हैं।
9.	बठिंडा-समपार सं० 245-ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	2000-01	700.49	1204.17	—	100	लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं है क्योंकि इस कार्य का प्रस्ताव 2000-01 के निर्माण कार्यक्रम में किया गया है और रेलवे बजट पारित होने के बाद स्वीकृत माना जाएगा।
10.	डेराबस्सी पर ऊपरी सड़क पुल	बोट के अंतर्गत	—	—	—	—	कार्य पंजाब सरकार द्वारा निर्माण, परिचालन एवं हस्तांतरण के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। शीघ्र समापन के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल की जानी है और इसलिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

चेन्नई में मेट्रो रैपिड सिस्टम के किनारे बसी मलिन बस्तियां

4188. **श्री पी०एच० पांडियन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई का रेल प्रशासन चेन्नई में मेट्रो रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के किनारे हर जगह बसी मलिन बस्तियों से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें वहां से हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) चेन्नई व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली चरण-II के मार्ग में आने वाली झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के लिए स्लम क्लीयरेंस बोर्ड, तमिलनाडु जो कि झुग्गीवासियों के पुनर्वास के लिए जिम्मेदार है, से अनुरोध किया गया है और यह कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

सिवान से दिल्ली तक देशरत्न एक्सप्रेस का चलाया जाना

4189. **मोहम्मद शहाबुद्दीन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय गणतंत्र के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर डा० राजेन्द्र प्रसाद के गृह जिले सिवान, बिहार और नई दिल्ली के बीच एक रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगियों के कारण।

[अनुवाद]

रानीगुंटा कोच मरम्मत कार्यशाला की क्षमता

4190. **डा० एन० वेंकटस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति के निकट रानीगुंटा स्थित कोच मरम्मत कार्यशाला अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। कर्मशाला का निर्माण प्रतिमाह सवारी डिब्बों की 200 इकाई के अंतिम आवधिक ओवरहालिंग के आउटटर्न के लिए किया गया है। परंतु वर्तमान प्राप्ति के आधार पर 80 सवारी डिब्बा इकाई प्रतिमाह की आवधिक ओवरहालिंग आउटटर्न के लिए स्टाकिंग की गई है और इस क्षमता का पूर्णतया उपयोग किया जा रहा है।

(ग) भारतीय रेलों पर बड़ी लाइन के सवारी डिब्बे बेड़े में समग्र वृद्धि को देखते हुए इस कर्मशाला से कर्मशाला की अंतिम आवधिक मरम्मत क्षमता की प्राप्ति के उद्देश्य से सवारी डिब्बों के आउटटर्न में धीरे-धीरे वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों को पेश आ रही कठिनाइयां

4191. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विमानपत्तनों पर कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल के अभाव के कारण विदेशी पर्यटकों और अन्य यात्रियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। नागर विमानन महानिदेशक की अध्यक्षता में हवाई अड्डा सुविधा समिति, हवाई अड्डा सुरक्षा समिति और स्थायी सुविधा समिति की नियमित रूप से बैठक होती है जिसमें एयरलाइंस सहित सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इन बैठकों में विदेशी पर्यटकों सहित यात्रियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर चर्चा की जाती है और तद्नुसार उपचारी कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

आदिपुर-मुंडरा रेलवे लाइन का निर्माण

4192. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिपुर-मुंडरा रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। आदिपुर-मुंद्रा रेल संपर्क का कार्य मैसर्स गुजरात अदानी पोर्ट लि० के परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मुंबई के लिए लाइट रेल प्रणाली

4193. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुंबई हेतु कई मिलियन रुपए लागत वाली प्रस्तावित लाइट रेल प्रणाली में गैर-सरकारी निवेश की अनुमति दिए जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

4194. श्री श्याम बिहारी मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनवार ऐसे कितने रेलवे स्टेशन हैं जहां इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक बड़े रेलवे स्टेशन पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) विवरण के रूप में जोनवार सूची संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य इकाइयों की सूची

रेलवे जोन	संख्या
मध्य रेलवे	1
पूर्व रेलवे	1
उत्तर रेलवे	4
उत्तर-पूर्व रेलवे	कोई नहीं
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	कोई नहीं
दक्षिण रेलवे	1
दक्षिण-मध्य रेलवे	17
दक्षिण पूर्व रेलवे	1
पश्चिम रेलवे	3
जोड़	28

मध्य प्रदेश हवाई अड्डों पर गार्डों की तैनाती

4195. श्री कांतिलाल भूरिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर राज्य सरकार द्वारा गार्ड तैनात किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इन गार्डों की तैनाती पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राशि की प्रतिपूर्ति कब तक हो जाएगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) मध्य प्रदेश में भोपाल को छोड़कर सभी प्रचालनात्मक विमानपत्तनों पर सुरक्षा कार्यों के लिए राज्य पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है। भोपाल हवाई अड्डे पर हाल ही में सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए राज्य पुलिस की जगह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी०आई०एस०एफ०) की तैनाती की गई है।

(ख) से (घ) विमानपत्तनों पर सुरक्षा कार्यों पर राज्य पुलिस द्वारा किए जाने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा०वि०प्रा०) द्वार की जाती है। इन्दौर, भोपाल, खजुराहो और रायपुर विमानपत्तनों के मामले में क्रमशः 3.18 लाख, 88.53 लाख, 17.00 लाख रुपए (लगभग) और 20.52 लाख रुपए के बिल जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार से भा०वि०प्रा० को प्राप्त हुए, उन पर कार्रवाई की जा रही है और दिनांक 31.5.2000 तक इसके निपटारा किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में राष्ट्रीय स्मारक

4196. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री प्रभात सामन्त राय :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कितने स्थल हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) इन स्थलों की देखरेख करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में विशेषरूप से भुवनेश्वर में कुछ और स्थलों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनके रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) विवरण-I के रूप में एक सूची संलग्न है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए 3,15,30,741/- रु० दिए गए। ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) जी. नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

भुवनेश्वर मंडल के अधीन उड़ीसा के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों की सूची

	अंगुल जिला	
1.	शिलोत्कीर्ण विष्णु मंदिर	रसोल
	बालनगीर जिला	
2.	चौसठी योगिनी मंदिर	रानीपुर-झरियल
	बौद्ध जिला	
3.	नील माधव एवं सिद्धेश्वर के युग्म मंदिर	गंधराडी
4.	पश्चिम सोमनाथ एवं कपिलेश्वर मंदिर समूह	बोंध
	कटक जिला	
5.	अगरहाट बंदल छतीस, गोविंदजू, पटना किलों के अवशेष	चौदर
6.	हाथीखाल (ललित गिरि के निकट) स्थित बौद्ध मंदिरों के अवशेष	बंदरेश्वर
7.	बाराबती किला	कटक शहर
8.	चौरनगढ़ किला	दाधापटना
9.	बौद्ध स्थल	ललितगिरि
10.	दुर्गा मंदिर	वैद्येश्वर
11.	पंच पांडव मंदिर	गणेश्वरपुर
12.	महिमामनी मंदिर	रगिदी (बांकी)
13.	सिंहनाथ मंदिर	गोपीनाथपुर
14.	बनेश्वरनाशी स्थित प्राचीन स्थल	पदमल
15.	चौदर स्थित प्राचीन स्थल	चौदर
	अंगुल जिला	
16.	भृंगेश्वर महादेव मंदिर	बाजराकोट
	गजपति जिला	
17.	भीम मंदिर	महेन्द्र गिरि
18.	कुन्ती मंदिर	महेन्द्र गिरि
19.	युधिष्ठिर मंदिर	महेन्द्र गिरि
	गंजम जिला	
20.	गंगाधर स्वामी मंदिर	कोट्टाकोल (बुद्धाखोल)
21.	जगदीश्वर स्वामी मंदिर	कोट्टाकोल (बुद्धाखोल)
22.	अशोक शिला अभिलेख	जौगड़ा
	जगसिंहपुर जिला	
23.	भुवनेश्वर महादेव मंदिर	बलिया
	जाजपुर जिला	
24.	एस०डी०सी० परिसर (चामूडा, इन्द्राणी, बोधिसत्व, वाराही) में चार विशाल प्रतिमाएं	जाजपुर कस्बा
25.	एस०डी०सी० परिसर में तीन बौद्ध प्रतिमाएं	जाजपुर कस्बा
26.	बौद्ध स्थल (उत्खनित)	रत्नागिरि
27.	बौद्ध स्थल (उत्खनित)	उदयगिरि
28.	अठरनला सेतु	जाजपुर कस्बा (सिरियापुर)
29.	अखंडित स्तंभ (चंद्रेश्वर स्तंभ)	जाजपुर कस्बा (सिरियापुर)
30.	धर्म महाकाल मंदिर	रत्नागिरि
31.	जगन्नाथ मंदिर	जाजपुर
32.	त्रिलोचनेश्वर मंदिर	जाजपुर
33.	वराहनाथ मंदिर	जाजपुर
	झारसुगुदा जिला	
34.	शिलालेख	विक्रमखोल
	कालाहांडी जिला	
35.	असुरगढ़ किला	असुरगढ़
	क्यूंझर जिला	
36.	रावण-छाया के रूप में विख्यात शिलाचित्र कला एवं अन्य प्राचीन अवशेष	सीताभंजी
	खुर्दा जिला	
37.	भास्केश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
38.	ब्रह्मेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
39.	नवकिशोर मंदिर	भुवनेश्वर
40.	रामेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
41.	माधेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
42.	अनंतवासुदेव मंदिर	भुवनेश्वर
43.	वक्रेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
44.	वैटल दीयुल मंदिर	भुवनेश्वर
45.	चित्रकारणी मंदिर	भुवनेश्वर

46.	यामेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
47.	लिंगराज मंदिर (परिसर में सभी लघु मंदिरों सहित)	भुवनेश्वर
48.	मैत्रेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
49.	मकरेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
50.	मार्कंडेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
51.	मुक्तेश्वर तथा परिसर में अन्य तीर्थ मंदिर	भुवनेश्वर
52.	परशुरामेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
53.	परमगुरु मंदिर	भुवनेश्वर
54.	सिद्धेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
55.	पापनाशिनी टैंक	भुवनेश्वर
56.	सहस्र लिंग टैंक	भुवनेश्वर
57.	सारी दुयुल	भुवनेश्वर
58.	सिसिरेश्वर मंदिर	भुवनेश्वर
59.	चौरंगगढ़ किला (वही क्रम सं० में है)	भालुका
60.	अशोक के शिला-आदेशपत्र तथा हाथी की मूर्ति	धौलि
61.	शैलकृत छोटी कोठरी और ताख तथा शांतिकर का एक शिलालेख	धौलि
62.	चौंसठ-योगिनी मंदिर	हीरापुर
63.	खंदागिरि तथा उदयगिरि की जैन गुफाएं	जागमारा (भुवनेश्वर के पास)
64.	शिशुपाल गढ़	भुवनेश्वर
65.	दक्षप्रजापति मंदिर	बानपुर
66.	राजारानी मंदिर	भुवनेश्वर
	मयूरभंज जिला	
67.	नवपाषाणिक स्थल	वैधपुर
68.	नवपाषाणिक स्थल	कुचाई
69.	पुरापाषाण युग स्थल	कुलियाना
70.	प्राचीन किले तथा ईंट के मंदिरों के अवशेष	हरिपुर गढ़
	पुरी जिला	
71.	भगवान जगन्नाथ मंदिर	पुरी
72.	अथरानाला पुल	पुरी
73.	बाराही मंदिर	चौरासी
74.	सूर्य मंदिर	कोणार्क

विवरण-II

उड़ीसा के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों के रखरखाव के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना

वर्ष	राशि
1990-91	
एस०आर० (योजना)	12,88,266.00
एस०आर० (गैर-योजना)	2,66,701.00
ए०आर० (गैर-योजना)	6,78,645.00
1991-92	
एस०आर० (योजना)	9,43,465.00
एस०आर० (गैर-योजना)	5,37,557.00
ए०आर० (गैर-योजना)	7,71,927.00
1992-93	
एस०आर० (योजना)	72,81,819.00
एस०आर० (गैर-योजना)	2,07,097.00
ए०आर० (गैर-योजना)	7,31,026.00
1993-94	
एस०आर० (योजना)	1,25,55,233.00
एस०आर० (गैर-योजना)	1,87,874.00
ए०आर० (गैर-योजना)	9,05,902.00
1994-95	
एस०आर० (योजना)	37,79,176.00
एस०आर० (गैर-योजना)	14,822.00
ए०आर० (गैर-योजना)	13,81,211.00

बद्रीनाथ-केदारनाथ-गंगोत्री-यमुनोत्री तीर्थ स्थलों का विकास

4197. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी : क्या पर्यटन मंत्री बद्रीनाथ-केदारनाथ-गंगोत्री-यमुनोत्री तीर्थों के विकास के बारे में 9.3.2000 के तारांकित प्रश्न सं.-201 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चार तीर्थ स्थलों में से प्रत्येक के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) इन योजनाओं को अंतिम रूप देने और इनके कार्यान्वयन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) नियोजित विकास संबंधी गतिविधियों के कार्यान्वयन का कार्य कौन-सी एजेंसी देख रही है; और

(घ) इन केन्द्रों के विकास का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (घ) तीर्थ केन्द्र सहित किसी भी पर्यटक स्थल पर पर्यटक अवसंरचनात्मक सुविधाओं के पूरा तरह विकास का उत्तरदायित्व मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकार से प्राप्त विशिष्ट परियोजनाओं/प्रस्तावों पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है और परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गंगोत्री, बद्रीनाथ तथा यमुनोत्री में निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं :

(i) गंगोत्री में 20 बिस्तरों वाले पर्यटक लॉज का निर्माण (वर्ष 1998-99 के दौरान 12.73 लाख रुपए स्वीकृत)

(ii) बद्रीनाथ में आधुनिक कूड़ा-कचरा निपटान प्रणाली की स्थापना करना (वर्ष 1998-99 के दौरान 5.00 लाख रुपए स्वीकृत)

(iii) यमुनोत्री में 20 बिस्तरों वाली एफ आर पी हट्स का निर्माण (वर्ष 1999-2000 के दौरान 20.00 लाख रुपए स्वीकृत)

राष्ट्रीय संस्कृति कोष

4198. श्री के० येरननायडू : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संस्कृति कोष का सृजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) अभी तक उस कोष से लेखकों, कलाकारों आदि को दी गई सहायता का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां। इसे दिनांक 29.3.1997 को प्रारंभ किया गया था।

(ख) और (ग) निधि का आशय विभाग की स्कीमों के अनुलिपिकरण का नहीं है जिनमें लेखकों और कलाकारों को वित्तीय सहायता शामिल है। इसके बजाय इसका आशय देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने, परियोजनाओं के संकल्पन और कार्यान्वयन के लिए निजी-सार्वजनिक साझेदारी को बढ़ावा देने का है। प्रारंभ की गई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

(i) आगा खां संस्कृति न्यास के सहयोग से हुमायूं का मकबरा परिसर के परिवेश का स्तरोनयन।

(ii) पुणे नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास और पुणे के उद्योगपतियों के सहयोग से शनिवारवाडा, पुणे के परिवेश का पुनरुद्धार करना और उसे जीवन्त बनाना।

(iii) बाल अकादमी, दुर्गापुर के सहयोग से बाल नगर, दुर्गापुर।

(iv) ज्ञान प्रवाह न्यास, वाराणसी की साझेदारी में वाचिक विरासत का परिरक्षण; और

(v) किष्किंदा न्यास की साझेदारी में एक जीवन्त धरोहर ग्राम के रूप में अनेगुंडी ग्राम का परिरक्षण।

इसके अतिरिक्त, स्मारकों के संरक्षण एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि को सहयोग देने के उद्देश्य से, भारतीय तेल निगम 25 करोड़ रु० की संचित निधि के साथ प्रतिष्ठान की स्थापना कर रहा है। प्रारंभ में, संरक्षण एवं विकास के लिए आठ स्मारक अभिज्ञात किए गए हैं।

रक्षा वित्त संबंधी नीति

4199. डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थल सेना प्रमुख ने सरकार से रक्षा वित्त संबंधी नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्षा बलों द्वारा कोई वित्तीय प्रबंधन नीति तैयार कर ली गई है और अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय तथा सेना मुख्यालयों द्वारा रक्षा वित्त प्रणाली में सुधार करना एक सतत् प्रयास है।

जहां तक रक्षा क्षेत्र को वित्त मुहैया करवाए जाने का संबंध है, सरकार ने नौवीं योजना अवधि में रक्षा आवश्यकताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। रक्षा आबंटनों को वर्ष 1999-2000 के संशोधित प्राक्कलन के 48504 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000-2001 के बजट प्राक्कलन में 58587 करोड़ रुपए कर दिया गया है, अर्थात् 21% की वृद्धि की गई है।

(ग) और (घ) रक्षा सेनाओं द्वारा तैयार वित्तीय प्रबंधन नीति से संबंधित कोई भी दस्तावेज अनुमोदन के लिए संघ सरकार को नहीं भेजा गया है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदाम

4200. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री अनन्त नायक :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के राज्य-वार कितने गोदाम हैं और आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार उनकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या राज्यों की आवश्यकता के अनुसार गोदामों की संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार और राज्य वार कितने गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कुछ राज्यों में ऐसे गोदामों की जर्जर स्थिति ने महंगे खाद्यान्नों के भंडारण को बहुत कठिन बना दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे गोदामों की स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 1.3.2000 को स्थिति के अनुसार संपूर्ण देश में भारतीय खाद्य निगम के 1678 गोदाम (अपने और किराए के) (ढके हुए और ढका हुआ क्षेत्र तथा प्लिंथ) हैं जिनकी कुल भंडारण क्षमता 25.11 मिलियन टन है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) राज्यों की आवश्यकता वसूली/उपभोक्ता राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली और उठान/बिक्री की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है और इसलिए यह परिवर्तित होती रहती है। इस प्रवृत्ति पर निर्भर करते हुए भारतीय खाद्य निगम स्वयं अपने गोदामों का निर्माण करके और/अथवा केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडारण निगम, राज्य सरकार और प्राइवेट पार्टियों जैसी विभिन्न एजेंसियों से अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराए पर लेकर अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन करता है।

(ग) गोदामों का निर्माण सतत् प्रकिया है जो मांग और आपूर्ति द्वारा नियंत्रित होती है। वर्तमान नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय खाद्य निगम का प्रस्ताव लगभग 7.25 लाख टन भंडारण क्षमता सृजित करने का है जिसमें से 4.55 लाख टन का निर्माण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों और 2.70 लाख टन का सृजन केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा किया जाना है। राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे संलग्न विवरण-III और IV में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) अपने गोदामों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से आम सर्वेक्षण किया जाता है।

(च) यदि बजट अनुमति दे तो जब कभी गोदाम मरम्मत योग्य पाए जाते हैं तब निगम द्वारा मरम्मत कार्य किया जाता है।

विवरण-I

1.3.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (अपने और किराये के/ढके हुए और कैप) की राज्य-वार संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ढकी हुई			कैप			सकल जोड़
		भा०ख०नि० के अपने	किराये के	जोड़	अपने	किराये के	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिहार	19	33	52	—	—	—	52
2.	उड़ीसा	22	29	51	—	—	—	51
3.	पश्चिम बंगाल	26	24	50	—	—	—	50
4.	सिक्किम	01	03	04	—	—	—	04
5.	असम	18	23	41	—	—	—	41
6.	अरुणाचल प्रदेश	04	—	04	—	—	—	04
7.	मेघालय	02	03	05	—	—	—	05
8.	मणिपुर	02	01	03	—	—	—	03
9.	मिजोरम	04	02	06	—	—	—	06
10.	नागालैंड	04	02	06	—	—	—	06
11.	त्रिपुरा	02	05	07	—	—	—	07
12.	दिल्ली	07	01	08	03	—	03	11
13.	हरियाणा	37	45	82	23	02	25	107
14.	हिमाचल प्रदेश	04	13	17	—	—	—	17
15.	जम्मू व कश्मीर	11	06	17	—	—	—	17
16.	पंजाब	111	213	324	81	88	169	493

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	चंडीगढ़	04	06	10	02	03	05	15
18.	राजस्थान	35	34	69	14	07	21	90
19.	उत्तर प्रदेश	54	87	141	28	12	40	181
20.	आंध्र प्रदेश	35	94	129	10	01	11	140
21.	केरल	22	02	24	02	—	02	26
22.	कर्नाटक	15	44	59	12	01	13	72
23.	तमिलनाडु	16	19	35	07	—	07	42
24.	पांडिचेरी	03	—	03	—	01	01	04
25.	गुजरात	14	16	30	11	06	17	47
26	महाराष्ट्र और गोवा	18	29	47	06	01	07	54
27	मध्य प्रदेश	41	76	117	14	02	16	133
	सकल जोड़	531	810	1341	213	124	337	1678

विवरण-II

1-3-2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की क्षेत्र-वार भंडारण क्षमता (अपनी और किराये की/ढकी हुई और कैप) और इसके पास उपलब्ध स्टाक और इसकी प्रतिशत उपयोगिता दर्शाने वाला विवरण

लाख टन में

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ढकी हुई			कैप			सकल जोड़	स्टाक	प्रतिशत उपयोगिता
		भा०ख०नि० की अपनी	किराये की	जोड़	अपनी	किराये की	जोड़			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बिहार	4.33	1.31	5.64	0.40	0.00	0.40	6.04	2.80	46
2.	उड़ीसा	2.68	2.05	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73	4.15	88
3.	पश्चिम बंगाल	3.44	1.70	5.14	0.00	0.00	0.00	5.14	2.62	51
4.	जे.एम. (पी.ओ.) कलकत्ता	5.18	1.07	6.25	0.00	0.00	0.00	6.25	2.44	39
5.	सिक्किम	0.08	0.09	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.09	57
6.	असम	1.99	1.02	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	2.07	69
7	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.08	44
8.	मेघालय	0.10	0.07	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.07	37
9.	मणिपुर	0.18	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.10	55
10.	मिजोरम	0.18	0.05	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.02	10
11.	नागालैंड	0.08	0.13	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.10	46
12.	त्रिपुरा	0.17	0.17	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.17	50
13.	दिल्ली	3.36	0.05	3.41	0.21	0.00	0.21	3.62	2.36	65
14.	हरियाणा	7.64	3.70	11.34	2.69	0.19	2.88	14.22	8.67	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	हिमाचल प्रदेश	0.11	0.15	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.19	72
16.	जम्मू व कश्मीर	0.77	0.24	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.99	98
17.	पंजाब	21.37	31.88	53.25	4.63	18.52	23.15	76.40	66.55	87
18.	चंडीगढ़	0.40	0.38	0.78	0.08	0.29	0.37	1.15	0.97	85
19.	राजस्थान	7.07	2.06	9.13	1.54	0.92	2.46	11.59	8.90	77
20.	उत्तर प्रदेश	15.26	5.79	21.05	3.30	0.55	3.85	24.90	17.86	72
21.	आंध्र प्रदेश	11.40	9.79	21.19	2.48	1.20	3.68	24.87	22.86	92
22.	जे.एम. (पी.ओ.) विजाग	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.32	78
23.	केरल	5.35	0.12	5.47	0.13	0.00	0.13	5.60	5.52	98
24.	कर्नाटक	2.76	2.34	5.10	1.16	0.04	1.20	6.30	5.14	82
25.	तमिलनाडु	5.47	3.11	8.58	0.53	0.00	0.53	9.11	7.74	85
26.	जे.एम. (पी.ओ.) चेन्नई	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.05	12
27.	पांडिचेरी	0.41	0.00	0.41	0.00	0.47	0.47	0.88	0.75	85
28.	गुजरात	3.36	2.82	6.18	1.27	1.61	2.88	9.06	7.60	84
29.	पी.ओ. कांडला	1.44	0.00	1.44	0.57	0.00	0.57	2.01	1.97	98
30.	महाराष्ट्र	11.77	3.17	14.94	1.02	0.58	1.60	16.54	12.30	74
31.	गोवा	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.14	92
32.	मध्य प्रदेश	8.31	5.26	13.57	0.95	1.47	2.42	15.99	12.43	78
	सकल जोड़	125.81	78.53	204.34	20.96	25.84	46.80	251.14	198.02	79

विवरण-III

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-2002) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण करने के लिए प्रस्तावित भंडारण क्षमता

हजार टन में

क्षेत्र	केन्द्र का नाम	प्रस्तावित क्षमता
1	2	3
जम्मू व कश्मीर	श्रीगनर	3.33
	बारामूला	5.00
	कुपवाड़ा	5.00
	पुलवामा	2.50
	बदगाम	2.50
	किश्तवार	2.50
हिमाचल प्रदेश	करगिल	5.00
	कुल्लू	1.67
	केलांग	2.50
	चंबा	1.67
उत्तर प्रदेश	धगोरा	25.00
	रोजा	10.00
	पिथौरागढ़	2.50
	पडरौना	2.50
	सिमली	5.00
	मल्लूपानी	2.50
दिल्ली	नरेला	50.00

1	2	3
पंजाब	राजपुरा	15.00
	टांडा उरमेर	18.36
हरियाणा	तरावड़ी	10.00
कर्नाटक	उडुपी	10.00
	कुशलनगर	2.50
	तुमकर	20.00
	बीजापुर	10.00
	बेलगाम	20.00
	रायचूर	15.00
	हसन -	10.00
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	2.50
केरल	एरनाकुलम	5.00
	पायनूर	30.00
	मीनानगडी	5.00
आंध्र प्रदेश	नेल्लौर	30.00
	अमलापुरम	10.00
तमिलनाडु	रामनाथपुरम	10.00
मध्य प्रदेश	धगदरी	10.00
महाराष्ट्र/गोवा	शोलापुर	10.00
गुजरात	राजकोट	20.00
बिहार	गुमला	3.34
उड़ीसा	झरसागुडा	15.00
	परलेकेमुंडी	10.00
नागालैंड	धीमापुर	10.00
	कोहिमा	5.00
मेघालय	जोवई	3.75
	शिलांग	5.00
मिजोरम	लवंगतलई	3.34
मणिपुर	जीरीबाम	2.50
त्रिपुरा	अगरतला	5.00
	जोड़	455.46

विवरण-IV

9वीं योजना की शेष अवधि (1999-2000 से 2001-02) के दौरान भारतीय खाद्य निगम के प्रयोग के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा निर्माण के लिए प्रस्तावित भंडारण क्षमता

राज्य	केन्द्र का नाम	प्रस्तावित क्षमता टन में
कर्नाटक	मैसूर	20000
	थावेरकापा (शिमोगा)	10000
केरल	चिंगावनम (कोट्टायम)	10000
	थिरुनवाया (मल्लापुरम)	25000 (साइडिंग सहित)
आंध्र प्रदेश	दिचापल्ली (निजामाबाद)	10000
	अंडमान व निकोबार (पोर्टब्लेयर के बाहर)	5000
	द्वारापुडी (पूर्वी गोदावरी)	20000
तमिलनाडु	विरुद्ध नगर	20000
	थिरुनलवेली	20000
हिमाचल प्रदेश	शिमला	5000
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	60000 (20000 टन अथवा अधिक के काम्पलैक्स)
गुजरात	सूरत	30000
गोवा	वर्णा	10000
असम	हैबरगांव	10000
फैरी टर्मिनल		
	करीमगंज	5000
	बदरपुर घाट	5000
	पांडु	5000
	जोड़ :	270000

[अनुवाद]

पारिस्थितिकी पर्यटन

4201. श्री राजेश वर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पारिस्थितिकी-पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता के प्रति सचेत है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) राज्य वार किन किन स्थानों की पारिस्थितिकी-पर्यटन के लिए पहचान की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 1998 में, भारत में पारिस्थितिकी-पर्यटन हेतु नीति तथा दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। राज्य/संघराज्य सरकारों से, उनके राज्य में पारिस्थिकी पर्यटन के विकास हेतु स्थानों का पहचान करने का अनुरोध किया गया है।

नौसेना द्वारा पकड़े गए विदेशी पोतों को छोड़ना

4202. **श्री अनन्त गंगाराम गीते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 फरवरी-2000 को जनसत्ता में प्रकाशित इस समाचार रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय नौसेना और तटरक्षक द्वारा पकड़े गए अतिसंवदेनशील कार्गो ले जा रहे 'आलोन्द्रा रैनबो' नामक एक विदेशी पोत को महाराष्ट्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए लेकर छोड़ दिया;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को विदेशी पोत छोड़ने की अनुमति दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तटरक्षक बल तथा नौसेना ने अनधिकृत पोत आलोन्द्रा रैनबो को 16 नवंबर, 99 को पकड़ा था और इस पोत को चालक दल सहित आगे की जांच के लिए 21 नवंबर, 99 को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया था। न्यायालय द्वारा एक करोड़ रुपए की सुरक्षित जमानत राशि प्राप्त करने के उपरांत इस पोत को न्यायालय के 22 जनवरी, 2000 के आदेशों के तहत छोड़ दिया गया था। पकड़ा गया चालक दल अभी भी न्यायिक हिरासत में है।

भारी वाहन कारखाना अवाडी पर प्रशासनिक नियंत्रण

4203. **श्री आनन्दराव बिठोबा अडसुल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी वाहन कारखाना अवाडी चेन्नई को सीधे रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1972 में श्रमिक असंतोष के दौरान गठित अग्रवाल समिति की रिपोर्ट को भारी वाहन कारखाना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार 1972 की हड़ताल के पीड़ितों को पुन: बहाल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या राजमिस्त्री के कार्य से जुड़े व्यक्तियों के वेतनमानों से संबंधित मामले को हल करने का कोई विचार है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अग्रवाल समिति की सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा चुका है।

(घ) अग्रवाल समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार मशीनिस्ट के ग्रेडों का उन्नयन किया गया था और 1.12.1974 से उन्हें निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया था :

मशीनिस्ट 'सी' (85-110 रुपये)	210-290 रुपये
मशीनिस्ट 'बी' (110-143 रुपये)	260-350 रुपये
मशीनिस्ट 'ए' (140-180 रुपये)	320-400 रुपये

(ङ) और (च) जिन कर्मचारियों की सेवाएं अत्यधिक कदाचार और दुर्व्यवहार के कारण 1972 में समाप्त कर दी गई थीं, उनमें से केवल 7 कर्मचारियों को समुचित रूप से विचार करने के बाद नए सिरे से नियुक्त किया गया था।

(छ) और (ज) जी, हां। राजमिस्त्री 'ग' के वेतनमान को अर्ध-कुशल मिस्त्री के वेतनमान से कुशल मिस्त्री के वेतनमान में उन्नयन करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

दिल्ली-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण

4204. **श्री हरपाल सिंह साथी** :
श्री सईदुज्जमा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली-मेरठ-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा अब तक इस पर कितना व्यय किया जा चुका है; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) (1) गाजियाबाद से मुरादगनर तक दोहरीकरण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा मुरादनगर मे मेरठ तक दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

(2) मेरठ से सहारनपुर तक दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(3) इस समय सहारनपुर-देहरादून के बीच दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) मुरादनगर-मेरठ शहर दोहरीकरण परियोजना की अनुमानित लागत और खर्च इस प्रकार है :

अनुमानित लागत	—	61.37 करोड़ रु०
आज तक हुआ खर्च	—	29.00 करोड़ रु०

(ग) मुरादनगर से मेरठ तक की दोहरीकरण परियोजना दिसंबर, 2000 तक पूरी होने की संभावना है।

इंदिरा आवास योजना के तहत आबंटन

4205. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुचछेद 13 के अनुसार इंदिरा आवास योजना के तहत पंचायत वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या 1995 के बाद से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के बरनहाल विकास खंड की नौरमे ग्राम पंचायत में इंदिरा आवास योजना के तहत किसी मकान का निर्माण नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य तथा जिला स्तर पर इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

4206. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को संसद सदस्यों से रीवा, मध्य प्रदेश से दिल्ली के बीच कोई सीधी रेल सेवा न होने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) रीवा और दिल्ली के बीच एक सीधी गाड़ी की शुरुआत करने के लिए श्री सुन्दर लाल तिवारी, संसद सदस्य सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी मामले की जांच की गई है परंतु रीवा और दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी का चलाना परिचालनिक कठिनाई और संसाधनों की तंगी के कारण व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों का न हटाया जाना

4207. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस ने एक ही दिन में (फरवरी 19, 2000) 800 से अधिक कर्मचारियों को बिना तीन महीने की अनिवार्य सूचना के सेवा निवृत्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ठेके के आधार पर कुछ प्रशिक्षित विमान चालकों, फ्लाईट इंजीनियरों तथा तकनीकी कार्मिकों को पुन: नौकरी देने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सेवानिवृत्ति की आयु फिर से 58 वर्ष करने की वजह से 29 फरवरी, 2000 को इंडियन एयरलाइंस के 823 कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गए हैं। इन कर्मचारियों को 3 माह के वेतन के बराबर अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई थी।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने छह सेवा निवृत्त इंजीनियरों को लगभग अढ़ाई माह की समयावधि के लिए संविदा आधार पर नियुक्त किया है। एक मास्टर तकनीशियन को भी संविदा आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा रहा है। दो पायलेट संविदा आधार पर सेवा में रत हैं। किसी भी उड़ान इंजीनियर को संविदा आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है।

आमान परिवर्तन

4208. श्री त्रिलोचन कानूनगो :
श्री मनोज सिन्हा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने से पहले देश में छोटी लाइन/मीटर गेज लाइन की जोन-वार कुल लंबाई कितनी थी;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक जोन-वार जिन-जिन छोटी लाइन/मीटर गेज लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन किया गया है उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर परियोजना-वार कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या इन योजनाओं की प्रगति कार्यक्रम के अनुसार हो रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) नौवीं योजना के शुरूआत अर्थात् 31 मार्च, 1997 से पहले देश में छोटी लाइन/मीटर लाइनों (मार्ग कि०मी०) की जोन-वार कुल लंबाई नीचे दी गई है :

रेलवे जोन	31.3.1997 की स्थिति के अनुसार मार्ग कि०मी०	
	मीटर लाइन	छोटी लाइन
मध्य	–	996
पूर्व	–	133
उत्तर	1,772	261
पूर्वोत्तर	3,153	–
पूर्वोत्तर सीमा	2,685	88
दक्षिण	3,030	102
दक्षिण मध्य	1,919	–
दक्षिण पूर्व	–	1,254
पश्चिम	4,485	876
जोड़	17,044	3,710

(ख) और (ग) ब्यौरा निम्नानुसार है :

रेलवे/जोन	परिवर्तित खंड का नाम	खर्च (करोड़ रुपये में)
1	2	3
उत्तर	जोधपुर-मारवाड़	110
पूर्वोत्तर	(i) हाजीपुर-बछवाड़ा	69.46
	(ii) नरकटियागंज-गोरखपुर	136
	(iii) इंदारा-फेफना	33.36
	(iv) काशीपुर-लालकुआं	41.90
पूर्वोत्तर सीमा	जोरहाट-फरकेटिंग्र, सिमलगुड़ी-शिवसागर, जोरहाट-मरियानी, शिवसागर-मोरनहोट (लमडिंग-डिब्रूगढ़ का भाग)	660.60
दक्षिण	(i) कोलार-बंगारपेट	58.66
	(ii) हसन-सकलेशपुर (अरसीकेरे-हसन-मंगलोर का भाग)	129.7
	(iii) यशवंतपुर-सेलम	175.7
	(iv) त्रिची-तंजावूर (त्रिची-नागौर-कराईकल का भाग)	81.15
	(v) ताम्बरम-त्रिची और अरक्कोणम-चेंगलपट्टू (चेन्नई बीच-त्रिची का भाग)	607.1
	(vi) डिंडीगुल-त्रिची	110
दक्षिण मध्य	(i) सोलापुर-होतगी और होतगी-बीजापुर (सोलापुर-गदग का भाग)	120
	(ii) द्रोणाचलम-मेहबूबनगर (सिकंदराबाद-द्रोणाचलम का भाग)	232.5
दक्षिण पूर्व	बाबूपेट-बल्लारशाह और नागबीर-चांदफोर्ट (गोंदिया-चांदाफोर्ट का भाग)	232.9
पश्चिम	मोरबी-मलिया मियाना और दहींसरा से नवलाखी (बांकानेर-मलिया मियाना का भाग)	19.42

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

4209. श्री दिनेश पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना' नामक कोई नयी योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे;

(घ) क्या योजना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में समयबद्ध विकास कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) ग्राम स्तर पर सतत् मानवीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के रूप में एक नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत 2000-2001 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के आबंटन की परिकल्पना की गई है। पी एम जी वाई के तहत दो घटक होंगे—ग्रामीण सड़क जिसके लिए आबंटन 2500 करोड़ रुपये है तथा पी एम जी वाई के अन्य कार्यक्रमों जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा पोषण जिसके लिए 2500 करोड़ रुपये का अन्य आबंटन है।

(घ) और (ङ) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

रेलवे द्वारा अर्जित आय

4210. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक रेलवे जोन और विभिन्न मंडलों द्वारा अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक मंडल में विशेषकर धनबाद, मुगलसराय और आद्रा में विकास कार्यों पर अर्जित आय में से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) सरकार द्वारा बड़े और छोटे स्टेशनों के लिए क्या उपाय किए गए हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्राथमिकता निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत रेलवे वार आमदनी दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है. बहरहाल क्षेत्रीय रेलों की आमदनी का मंडलवार विभाजन नहीं किया जाता है।

(ख) मंडलों पर विकासात्मक कार्य मंडल की आवश्यकताओं के आधार पर किए जाते हैं और उनका सीधा संबंध मंडल की आमदनी से नहीं होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान धनबाद, मुगलसराय और आद्रा मंडलों में विकासात्मक कार्यों पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	1997-98	1998-99	1999-2000 फरवरी, 2000 तक
धनबाद	51.15	25.63	34.71
मुगलसराय	29.15	50.86	36.10
आद्रा	33.55	31.52	50.68

(ग) स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाएं मुहैया कराने की दृष्टि से अब तक 122 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में चुना गया है। अगले वर्ष के दौरान उन्नत यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए मॉडल स्टेशन विचारधारा में सभी ए श्रेणी के स्टेशनों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। जिन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें साइनेज की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली, मॉड्यूलर स्टाल और स्वचल वेंडिंग मशीनों की व्यवस्था करना, प्रतीक्षा कक्षों, बुकिंग कार्यालयों और परिचलन क्षेत्र में सुधार करना, ऊपरि पैदल पुल का परिचलन क्षेत्र तक विस्तार करना और प्रसाधनों का जीर्णोद्धार करना शामिल है।

विवरण

1997-98 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक रेलवे द्वारा अर्जित आमदनी का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	यात्री	अन्य कोचिंग	माल	विविध	जोड़
1	2	3	4	5	6
मध्य	1547.10	100.98	2820.59	10.91	4539.58
पूर्व	752.45	57.90	2406.41	65.20	3281.96
उत्तर	1444.81	128.26	3062.98	155.02	4791.07
पूर्वोत्तर	429.18	22.84	289.44	16.47	757.93
पूर्वोत्तर सीमा	142.25	21.01	299.49	20.43	483.18
दक्षिण	765.76	94.10	1091.70	70.17	2021.73
दक्षिण-मध्य	668.45	43.32	2097.47	46.64	2855.88
दक्षिण-पूर्व	503.92	57.43	4944.29	39.14	5544.72
पश्चिम	1300.12	60.27	2854.07	56.02	4270.48

1998-99 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक रेलवे द्वारा अर्जित आमदनी का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

रेलवे	यात्री	अन्य कोचिंग	माल	विविध	जोड़
मध्य	1733.77	115.94	2939.10	74.30	4863.11
पूर्व	843.00	62.75	2336.69	72.80	3315.24
उत्तर	1653.94	133.48	3304.76	225.62	5317.80
पूर्वोत्तर	511.97	33.75	390.99	34.11	970.82
पूर्वोत्तर सीमा	167.55	24.11	375.93	23.28	590.87
दक्षिण	843.20	102.19	1092.58	76.24	2114.21
दक्षिण-मध्य	760.42	46.31	2066.42	55.64	2928.79
दक्षिण-पूर्व	557.72	67.02	4698.79	46.20	5369.73
पश्चिम	1455.17	63.42	2755.13	56.41	4330.13

1999-2000 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक रेलवे द्वारा अर्जित आमदनी का ब्यौरा (फरवरी, 2000 तक)

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	यात्री	अन्य कोचिंग	माल	विविध	जोड़
मध्य	1743.85	136.25	2926.10	72.13	4878.33
पूर्व	834.85	58.70	2334.08	56.07	3283.70
उत्तर	1715.72	174.62	3607.94	99.48	5597.76
पूर्वोत्तर	490.27	33.55	379.00	29.54	932.36
पूर्वोत्तर सीमा	168.48	37.51	375.65	20.23	601.87
दक्षिण	844.81	120.47	1065.05	63.39	2093.72
दक्षिण-मध्य	784.61	55.94	2013.26	43.15	2896.96
दक्षिण-पूर्व	554.54	51.52	4717.84	36.98	5360.88
पश्चिम	1453.83	65.34	2518.77	58.86	4096.80

नोट—मार्च, 2000 के आंकड़ों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

कन्याकुमारी में राष्ट्रीय पुस्तकालय

4211. **डा० ए०डी०के० जयशीलन** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, कन्याकुमारी में पर्यटन के महत्व को देखते हुए वहां एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा कलकत्ता में संस्कृति विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में एक पुस्तकालय नामत: राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जा चुका है।

स्मारकों को रख-रखाव के लिए निजी पार्टियों को सौंपा जाना

4112. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी ऐतिहासिक स्मारकों का रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या धन की कमी के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इन स्मारकों का सही प्रकार से रख-रखाव नहीं कर पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ चुनींदा स्मारकों का रख-रखाव निजी पार्टियों को सौंपने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3602 स्मारकों तथा किलों का रखरखाव करता है। राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उपलब्ध कराए गए संसाधनों में से, उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

भा.पु.स. के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की राज्यवार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संरक्षित स्मारकों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	136
असम	49
अरुणाचल प्रदेश	5
बिहार	76
दिल्ली	165
दमन और द्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	12
गोआ	21
गुजरात	201
हरियाणा	87
हिमाचल प्रदेश	39
जम्मू और कश्मीर	69
कर्नाटक	503
केरल	26
मध्य प्रदेश	330
महाराष्ट्र	288
मणिपुर	1
मेघालय	8
नागालैंड	4
उड़ीसा	72
पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	7
पंजाब	30
राजस्थान	153
सिक्किम	3
तमिलनाडु	413
त्रिपुरा	5
उत्तर प्रदेश	785
पश्चिम बंगाल	114
योग :	3602

निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस का देरी से चलना

4213. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की ओर जाने वाली कुछ रेलगाड़ियां, विशेषकर निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस और मौर पर विलंब से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इन गाड़ियों के नियमित रूप से निर्धारित समय पर चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, कतिपय दिनों में आंध्र प्रदेश की ओर जाने वाली गाड़ियों जिसमें निजामुद्दीन-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस भी शामिल है, का समयपालन विभिन्न कारणों जैसे दुर्घटनाएं, आंदोलन/बंद, खराब मौसम, खतरे की जंजीर खींचना, शरारती तत्वों की गतिविधियों, कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं, उपस्करों की विफलताएं, ग्रिड की विफलताएं, मानवीय भूलों इत्यादि से प्रभावित होता है।

(ग) रेलवे गाड़ियों को समय से चलाने के हर संभव प्रयास करती हैं। गहन अनुसरण और मंडल, क्षेत्रीय मुख्यालय और रेलवे बोर्ड जैसे विभिन्न स्तरों पर चौबीस घंटे गहन निगरानी रखी जाती है। इसके अलावा निरीक्षणकर्ताओं और अधिकारी दोनों स्तरों पर समयपालन अभियान भी चलाए जाते हैं।

गोवा में पर्यटन भवन और पर्यटन गृह

4214. **श्री श्रीपाद येसो नाईक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोवा में पर्यटन भवन तथा पर्यटन गृह बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके निर्माण पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) पर्यटक संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य मुख्यत: राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्रत्येक वर्ष प्राथमिकता प्रदत्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 1999-2000 के दौरान पर्यटन मंत्रालय के केन्द्रीय वित्तीय सहायता की योजना के तहत गोवा में पर्यटन भवन और पर्यटन गृह के निर्माण के किसी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई है।

खेदब्रह्मा-अम्बाजी-आबू सड़क रेल लाइन का निर्माण

4215. **श्री जी०जे० जावीया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेदब्रह्मा-अम्बाजी-आबू क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए इस क्षेत्र में एक रेल लाइन बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में लाल किला

4216. **श्री बी०बी०एन० रेड्डी** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में दिल्ली के लाल किले के पुनरुद्धार हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किले के प्रवेश शुल्क को भी बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली के लाल किला में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण, संरक्षण तथा परिरक्षण सतत् आधार पर करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लाल किला परिसर में कुछ विशिष्ट स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण के वास्ते एक दीर्घकालिक संकल्पनात्मक योजना भी तैयार की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की सेना का जमाव

4217. **डा० संजय पासवान** :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री कमलनाथ :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर के निकट नियंत्रण रेखा के साथ-साथ परमाणु अस्त्रों अत्याधुनिक हथियारों तथा भाड़े के सैनिकों को तैनात किया गया है;

(ख) क्या पाकिस्तान की सेना द्वारा यूरोपीय देशों से सर्दी के मौसम हेतु भारी संख्या में जुराबें, बर्फीले स्थानों हेतु जूते, स्की और पर्वतारोहण संबंधी उपस्करों की खरीद की गई है;

(ग) क्या भारतीय सेनाओं द्वारा इन क्षेत्रों में कट्टरवादी अफगानी आतंकवादियों को असैनिकों के परिधान में घूमते हुए पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में किसी अनहोनी को रोकने और पाकिस्तान की ओर से युद्ध जैसी स्थिति का सामना करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) यद्यपि रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान के पास परमाणु शस्त्र हैं, किंतु ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि इन परमाणु शस्त्रों को नियंत्रण रेखा के आसपास तैनात किया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि नियंत्रण रेखा के समीप कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित आतंकवादी जमा हैं।

रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान अपनी सामान्य आवश्यकताओं के अतिरिक्त विशेष किस्म के वस्त्रादि/उपस्करों की अधिप्राप्ति में लगा हुआ है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखी जाती है तथा समुचित रक्षा तैयारी को बनाए रखने के लिए समय-समय पर सभी आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

[अनुवाद]

'नेफा' में सेना की पराजय संबंधी रिपोर्ट

4218. डा० नीतिश सेनगुप्ता : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962 में भारतीय सेना की 'नेफा' में, पराजय संबंधी जनरल हेन्डरसन द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या चार दशकों के पश्चात् ये कारण अभी भी वैध हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापक जनहित में अब इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) इस दस्तावेज में कुछ संक्रियात्मक विवरण एवं अन्य संवेदनशील सामग्री है, जिसको प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

घटिया खाद्यान्न की खरीद

4219. श्री कुंवर अखिलेश सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के दिनांक 1 अक्तूबर, 1991 के आदेश संख्या 2 सी-5(22) प्रोसीजर क्वालिटी कम्प्लेंट/83 भाग-2 के अनुसार निगम के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, प्रत्येक क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को निर्धारित खाद्यान्न की बजाय घटिया खाद्यान्न की खरीद करने और देश में इस घटिया खाद्यान्न की खपत के लिए अन्य राज्यों में भेजने का दोषी भी माना जाएगा;

(ख) यदि हां, तो 1993-94, 1994-95, 1995-96 और 1997-98 में भारतीय खाद्य निगम के पंजाब क्षेत्र में घटिया खाद्यान्न की खरीद के कारण कुल कितना आर्थिक उन्नयन हुआ और अन्य राज्यों को घटिया खाद्यान्न की आपूर्ति से कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक (प्रभारी) पंजाब को इस काम के लिए दंडित किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कार्यवाही कब तक की जाएगी?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) अभी इस मामले की जांच की जा रही है और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित होगी तो यह अवश्य की जाएगी।

रेल डिब्बों में एंटी क्लाईबिंग विशेषता का अभाव

4220. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल के सवारी डिब्बों में दुर्घटना के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से एंटी-क्लाइबिंग विशेषता उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सवारी डिब्बों में इस एंटी-क्लाइबिंग विशेषता को शामिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सुरक्षा संबंधी इन विशेषताओं को इस समय उपयोग किए जाने वाले डिब्बों में लगाया जाना संभव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मौजूदा सडिका टाइप के सवारी डिब्बों में टेलिस्कोपिक संरचना है। जिससे टक्कर होने की स्थिति में यात्रियों को कम से कम हानि पहुंचती है। बहरहाल, इसे प्रौद्योगिकी में स्क्रू कपलिंग में इस्तेमाल किया जाता है तथा उपलब्ध जानकारी यह दर्शाती है कि ऐसे सवारी डिब्बों में एंटी-क्लाइबिंग विशेषता मुहैया नहीं कराई जा सकती है। बहरहाल, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के अंतर्गत मैसर्स एलस्टोम एल०एच०बी० जर्मनी को नई तकनीक के सवारी डिब्बों का इस्तेमाल शुरू करने के लिए भारतीय रेलें सतत् हैं, जो सी०बी०सी० टाइप कपलरों से युक्त है, जिनमें एंटी क्लाबिंग विशेषता उपलब्ध है। एंटी क्लाबिंग विशेषता वाले कपलरों को अपनाने के लिए सवारी डिब्बों के मौजूदा अभिकल्प में आशोधन करने की संभावना को रेलों के अनुसंधान संगठन द्वारा ध्यान में रखा गया है।

सी०वी०डी० में कनिष्ठ लिपिकों/चपरासियों की नियुक्ति

4221. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल विहीकल डिपो (सी०वी०डी०) दिल्ली छावनी द्वारा हाल ही में कनिष्ठ लिपिकों/चपरासियों के पद विज्ञापित किए गए थे;

(ख) क्या कुछ उम्मीदवारों का चयन और नियुक्ति कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रवेश पत्र भेजने/साक्षात्कार और नियुक्ति में क्या पात्रता मानदंड अपनाए गए तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया;

(घ) क्या चयन की विधि के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सी०वी०डी० में नियुक्ति की पूरी प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) दिनांक 17.12.99 को केवल अवर श्रेणी लिपिकों और संदेशवाहकों के पद विज्ञापित किए गए थे।

(ख) अवर श्रेणी लिपिक का कोई चयन नहीं किया गया है क्योंकि डिपु की शांति स्थापना की पुनरीक्षा की गई थी और उसमें कटौती कर दी गई थी। संशोधित प्राधिकार के अनुसार इस समय केन्द्रीय वाहन डिपु में अवर श्रेणी लिपिक का कोई पद रिक्त नहीं है। संदेशवाहक के चयन संबंधी कार्रवाई की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) केन्द्रीय वाहन डिपु में किसी भी भर्ती के लिए चयन अलग से गठित अधिकारियों के बोर्ड द्वारा चरणों में किया जाता है। अधिकारियों के बोर्ड के मार्गदर्शन के लिए इस प्रयोजन हेतु मानक प्रचालन पद्धतियां निर्धारित की गई हैं।

सशस्त्र बलों की संख्या में कमी

4222. डा० वी० सरोजा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बलों में भर्ती में कटौती लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सशस्त्र बलों की संख्या में कटौती के प्रतिकूल परिणामों की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद द्वारा मंजूर परियोजनाएं

4223. श्री रमाकांत आंग्ले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा में लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) द्वारा राज्य-वार कितनी परियोजनाएं मंजूर की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गोवा में 'कपार्ट' द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान किन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक संगठन को कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपार्ट ने वाटरशैड प्रबंध तथा परियोजना निर्माण के संबंध में स्वैच्छिक संगठनों की एक कार्यशाला आयोजित करके गोवा वाटरशैड डेवलपमेंट सोसाइटी, पणजी, गोवा के लिए केवल एक परियोजना को मंजूरी दी है जिसके लिए 55000 रुपये की राशि जारी की गई है।

सहायता उपलब्ध कराने के लिए एंजिल चैरिटीज एगनेलग्ब वर्ना, सैलसीट, पणजी, गोवा से मार्च, 2000 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

इजरायली विमानों की खरीद

4224. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना और भाड़े के विदेशी सैनिकों पर नजर रखने के लिए इजराइल से विमान विशेषत: चालकरहित विमान खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इन विमानों की क्या-क्या विशेषताएं हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। सरकार का इजराइल से चालकरहित विमान खरीदने का विचार है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से चालकरहित विमानों की विनिर्दिष्टियों के बारे में ब्यौरे प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

4225. श्री शंकर चंद गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उज्जैन-नागदा-रतलाम और बड़ोदरा रेलवे स्टेशनों पर फैजाबाद-अहमदाबाद-साबरमती एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-अहमदाबाद-साबरमती एक्सप्रेस और वाराणसी-अहमदाबाद-साबरमती एक्सप्रेस आठ घंटे से अधिक समय तक विलंब से कितने दिन पहुंची;

(ख) इन रेलगाड़ियों के विलंब से पहुंचने का क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इन रेलगाड़ियों के समय पर चलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवास

4226. श्री उत्तमराव पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में जिलावार कितने आवास निर्मित किए गए;

(ख) क्या इस मामले में कोई समीक्षा की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन आवासों के निर्माण की गति से संतुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध महरिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में निर्मित आवासों की जिलावार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इंदिरा आवास योजना की राज्यों से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्टों के आधार पर सतत् समीक्षा की जाती है। मंत्रालय से नियुक्त क्षेत्र अधिकारी भी राज्य/संघ सज्य क्षेत्र का दौरा करते हैं और मौके पर कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मंत्रालय और जिला विकास एजेंसियों दोनों की अपनी बैठकों में समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) हालांकि प्रगति सामान्यतया संतोषजनक रही है परंतु उसमें तेजी लाने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए यथावश्यक सामयिक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् : 1997-98 से 1999-2000 के दौरान निर्मित आवासों की संख्या

क्रम सं.	जिले का नाम	निर्मित आवास		
		1997-98	1998-99	1999-2000*
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	3657	2167	1907
2.	अकोला	1751	2030	599
3.	अमरावती	1867	2094	1963
4.	औरंगाबाद	1305	421	830
5.	भान्द्रा	2844	2890	3632
6.	बीड़	1131	1172	740
7.	बुल्डाना	2014	1692	586
8.	चन्द्रपुर	2556	1342	1717
9.	धुले	4307	6065	2519
10.	गढ़चिरौली	3265	1922	881
11.	जलगांव	2562	3601	1491
12.	जालना	974	1241	570
13.	कोल्हापुर	948	1995	1440
14.	लातूर	1461	1919	1502
15.	नागपुर	2334	42	1491
16.	नांदेड़	3523	1323	2201
17.	नासिक	4836	4215	4469
18.	उस्मानाबाद	932	1233	577
19.	परभनी	1806	1586	948
20.	पुणे	2074	1149	1383
21.	रायगढ़	1348	1392	1004
22.	रत्नागिरी	208	240	116
23.	सांगली	729	1583	366
24.	सतारा	1100	1393	0
25.	सिंहभूमि	265	284	169
26.	सोलापुर	2027	2595	1758
27.	थाणे	4088	4915	4401
28.	वरधा	2137	1144	800
29.	यवतमाल	2882	887	2897
	कुल	60709	34532	42957

*अनंतिम।

[अनुवाद]

मोहितनगर रेल फाटक पर सड़क-ऊपरिपुल का निर्माण

4227. **श्रीमती मिनाती सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और रानीनगर रेलवे स्टेशनों के बीच राज्य के राजमार्ग में मोहितनगर रेले फाटक पर सड़क-ओवरब्रिज बनाने के लिए संसद सदस्य से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा समपार जिसके बदले ऊपरि सड़क पुलों की मांग की गई है, पर यातायात घनत्व बहुत कम है जिसके कारण लागत में भागीदारी के आधार पर यह बदलाव के लिए अर्हक नहीं है। राज्य सरकार/स्थानीय प्रशासन ने निक्षेप शर्तों के आधार पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

बुक स्टाल करारों में बिक्री अधिकार खंड

4228. **श्री धन सिंह पौरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्र सं० 461-टी०जी० III/58/9 दिनांक 18 अगस्त, 1960 और 1 नवंबर, 1960 के अनुसार सभी बुक स्टाल करारों में अनन्य बिक्री अधिकार खंड का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या एकाधिकार से बचने के लिए मौजूदा सभी बुक स्टाल करारों से उक्त अनन्य बिक्री अधिकार खंड को सं० 75 टी०जी० III/461/19 दिनांक 2 जनवरी, 1976 के जरिए वापस ले लिया गया है;

(ग) क्या उक्त अनन्य बिक्री अधिकार खंड मै० ए०एच० व्हीलर एंड कंपनी के करार से भी संपूर्णत: वापस ले लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विगत में केवल मैसर्स ए०एच० व्हीलर एंड कंपनी को संपूर्ण रेलवे या रेलवे के अधिकांश भाग में बुक स्टाल चलाने का एकाधिकार था। 1.9.1960 से ये एकाधिकार केवल स्टेशनों पर बिक्री के अधिकार तक ही सीमित कर दिए थे जहां उनको पहले ही बुक स्टाल दिए गए थे। यह उपबंध 1975 एवं 1976 में अधिसूचित किया गया था जिसके तहत रेलें उन स्टेशनों पर जहां मैसर्स व्हीलर को बिक्री का अधिकार दिया गया था। 1.1.1976 के पश्चात् निर्मित प्लेटफार्मों पर किसी अन्य पात्र कोटियों के बुक स्टाल आबंटित कर सकते हैं।

पशु ऊर्जा केन्द्र

4229. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :**
श्री सुकदेव पासवान :
मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7वीं योजना में पैरा 6.200 और 6.223 के अनुसार पशु ऊर्जा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पशु ऊर्जा केन्द्र के प्रस्ताव को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वीकृति नहीं मिली और बाद में आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं में इसे शामिल नहीं किया गया। अत: इसके कार्यान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन

4230. **श्री मनोज सिन्हा** : क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उत्पादन में 1998-99 की तुलना में 1999-2000 के दौरान गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) देश में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाई गई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान मौसम के दौरान 15.3.2000 को स्थितिनुसार चीनी का उत्पादन 127.75 लाख टन (अनंतिम) था जबकि पिछले मौसम की इसी तारीख को यह 110.09 लाख टन (अनंतिम) था। इस प्रकार उत्पादन में 16.04% की वृद्धि हुई है।

(ग) देश में चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते हैं, जैसे चीनी मिलों को शीघ्र और विलंब से पेराई के लिए प्रोत्साहन देना, आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण, गन्ने के विकास के लिए और गन्ने की बेहतर पैदावार के लिए आदानों को खरीदने आदि के लिए चीनी विकास निधि से ब्याज की कम दर पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध करवाना।

[हिन्दी]

नई रेलगाड़ियां चलाना

4231. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1998-99 और 1999-2000 में स्वीकृत की गई सभी नई रेलगाड़ियों को शुरू भी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रेलगाड़ी वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल बजट 1998-99 में घोषित सभी गाड़ियां शुरू कर दी गई हैं। रेल बजट 1999-2000 में घोषित तीन गाड़ियों अर्थात् चेन्नै-तिरुपति शताब्दी एक्सप्रेस, कामाख्या-न्यू बोंगाईगांव पैसेंजर और पुणे-एर्णाकुलम साप्ताहिक एक्सप्रेस को छोड़कर सभी गाड़ियां शुरू कर दी गई हैं।

(ग) ये सेवाएं कोचिंग स्टाक की अनुपलब्धता, आमान परिवर्तन संबंधी कार्य के पूरा न होने और ऊपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए बेंगलूरू क्षेत्र में आंदोलन के कारण शुरू न की जा सकी।

[अनुवाद]

पनचारा योजना

4232. **श्रीमती रीना चौधरी :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज तथा खीरी लखीमपुर जिलों में पनचारा योजना की स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के तहत जिलों में कितने जलाशयों तथा बांधों का निर्माण किया गया तथा कितने एकड़ भू-क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया;

(ग) ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जहां इस पनधारा योजना के तहत जल स्तर में सुधार हुआ है; और

(घ) राज्य में चारा उत्पादन के क्षेत्र में भी हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) "पनधारा (वाटरशेड) योजना" नाम से कोई योजना नहीं है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग, बंजरभूमि-अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के खेरी लखीमपुर जिले में दो परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। प्रथम परियोजना 489.60 लाख रुपये की कुल लागत पर 12240 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1998-99 से लेकर 2001-2002 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना के लिए अभी तक 122.40 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। दूसरी परियोजना 484.10 लाख रुपये की कुल लागत पर 12104 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने हेतु वर्ष 1999-2000 से लेकर 2003-2004 तक की अवधि के लिए स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना के लिए अभी तक 72.62 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मोहनलाल गंज जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) से (घ) वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :

(i) किफायती और स्थानीय तौर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी के जरिए मृदा और नमी संरक्षण।

(ii) जल निकास (ड्रैनेज लाइन) आधार पर विकास।

(iii) जल एकत्रण की छोटी संरचनाएं।

(iv) वनीकरण, कृषि वानिकी, बागवानी विकास तथा चरागाह विकास आदि।

इन कार्यकलापों का प्रभाव सामान्य और धीमे स्वरूप का है और इसे परियोजनाओं के पूरा होने के बाद तथा संपादित कार्यों के कुछ समय तक बने रहने के बाद ही देखा जा सकता है। संरचनाओं के संबंध में निर्णय वाटरशेड विकास दल आदि के साथ मश्वरा करके वाटरशेड समितियों के द्वारा परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान किया जाता है।

सुपर बाजार द्वारा ठेका देना

4233. श्री रामजीवन सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार के निदेशक-मंडल द्वारा शहर में उसके बहुमंजिली व्यवसाय केन्द्र के लिए ठेका दिए जाने के संबंध में की गई जांच का क्या परिणाम निकला; और

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) शहर में बहुमंजिले परिसर के लिए ठेका देने के मामले में सुपर बाजार के निदेशक मंडल द्वारा कोई जांच नहीं की गई है।

रेल लाइन को पुनः शुरू करना

4234. श्रीमती रानी नरह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुम्रामुख और धीमाजी स्टेशनों के बीच रेल लाइन टूटकर बाढ़ में बह गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन को पुनः शुरू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 19.7.1999 को टूटे रेलपथ को 8.3.2000 को पूर्णतया ठीक कर दिया गया है जबकि बाढ़ द्वारा 21.6.1999 तथा 23.6.1999 को क्षतिग्रस्त रेलपथ का भाग अस्थायी तौर पर क्रमशः 22.6.1999 तथा 24.6.1999 को बहाल कर दिया गया था।

10वें वित्त आयोग के अंतर्गत जारी धनराशि

4235. श्री जी०एस० बसवराज : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के लिए 10वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 की किस्त के रूप में अब तक 100.88 करोड़ रुपये जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 की किस्त के रूप में क्रमशः 55.44 करोड़ रुपये तथा 55.45 करोड़ रुपये और जारी करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कई अनुस्मारकों के बावजूद अब तक धनराशि जारी नहीं की है;

(घ) क्या मुख्य मंत्री ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं० सीएम० 313/जी०ओ०आई०/99 दिनांक 8 नवंबर, 1999 के द्वारा धनराशि जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को अनुस्मारक भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ङ) दसवें वित्त आयोग द्वारा कर्नाटक को प्रदत्त 1996-97 के लिए 55.44 करोड़ रुपये तथा 1997-98 के लिए 55.45 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई थी। इस संबंध में राज्य के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार से संपर्क किया था तथा राज्य सरकार द्वारा रिलीज की शर्तों को पूरा करने तथा कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव करवाने की सूचना दिए जाने के बाद अनुदान राशि मार्च 2000

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

4236. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार से केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के आदर्श गांवों से संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने प्रस्ताव सरकार के पास अब भी लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा आदर्श गांवों के लिए अब तक कितना धन जारी किया जा चुका है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा लंबित प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपूर्ति आदेश न दिया जाना

4237. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुपर बाजार और एन सी सी एफ द्वारा पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को आपूर्ति आदेश न दिए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वे सरकारी विभागों की जरूरतों के अनुसार, अधिकांशत: अपने यहां पंजीकृत सप्लायरों को ही आर्डर देते हैं।

पूर्वोत्तर में रेल पटरियों में दरारें

4238. श्री एम०के० सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर में रेल पटरियों में काफी बड़े पैमाने पर दरारें पड़ जाने से रेलगाड़ियां दौड़ने की बजाय सिर्फ रेंगती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दरारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले तथा इनमें कितनी दरारें हैं; और

(घ) क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सेवा के दौरान दरार वाली अथवा खराब होने वाली पटरियों की पहचान अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्शन टैस्टरों तथा दृश्य जांच के द्वारा की जाती है। दोषपूर्ण पटरियों की निगरानी रखी जाती है तथा यदि आवश्यक होता है तो उन्हें बदल दिया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

4239. श्री साहिब सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास 'पूर्णत: उपेक्षित' है, जैसा 16 फरवरी, 200 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक, वास्तविक विकास की प्रगति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) प्रश्नगत प्रेस रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ पिछले अनेक दशकों की देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की स्थिति को परिलक्षित करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अब संयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं जो कि चालू वित्तीय वर्ष में जारी हैं।

वर्ष 1997-98 से आगे वास्तविक रूप में सूचित उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रमवार वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	इकाइयां	उपलब्धियां			
			1997-98	1998-99	1999-2000@	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	जवा०रो० योजना	सृजित रोजगार के लाख श्रमदिन	3958	3766	*	7724
2.	इंदिरा आवास योजना	निर्मित आवासों की सं०	770936	835764	600454	2207154

1	2	3	4	5	6	7
3.	दस लाख कुओं की योजना	निर्मित कुएं लाख में	1.03	0.95	*	1.98
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	सृजित रोजगार के लाख श्रमदिन	4718	4165	1889	10772
5.	आई०आर०डी०पी०	सहायता प्राप्त लाभार्थी (लाख में)	17.07	16.57	*	33.64
6.	डवाकरा	निर्मित समूह (लाख में)	0.36	0.47	*	0.83
7.	ट्राइसेम	प्रशिक्षित युवा (लाख में)	2.51	2.24	*	4.75
8.	ग्रामीण कारीगरों को उन्नत टूल कीट आपूर्ति	किटों की आपूर्ति (लाख में)	1.62	2.47	*	4.09
9.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	वाटरशेड सं०	4362	5956	प्राप्त नहीं	10318
10.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	वाटरशेड सं०	1747	2202	प्राप्त नहीं	3949
11.	ग्रामीण जलापूर्ति	कवर किए गए बसावटों की सं०	110026	112933	44968	267927
12.	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	निर्मित शौचालय	1027802	1630922	804396	3463120
13.	जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	सृजित रोजगार के लाख श्रमदिन	$	$	1711	1711
14.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	सहायता प्राप्त स्वरोजगारी (लाख में)	$	$	6.32	6.32

@जनवरी-फरवरी 2000 तक सूचित।

*ये योजनाएं 1.4.99 से बंद कर दी गई।

$योजनाएं 1.4.99 से शुरू की गई।

जम्मू हवाई अड्डे को विकसित किया जाना

4240. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जम्मू विमानपत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाएंगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का समग्र सुधार

4241. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पर्यावरण में समग्र सुधार करने के लिए भीड़-भाड़ दूर करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब से क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एक आधुनिक रेलवे टर्मिनल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में वैचारिक योजनाओं में स्टेशन के समग्र विकास और वाहन यातायात को सुप्रवाही बनाने तथा भीड़भाड़ को कम करने के संबंध में ध्यान दिया गया है।

इस योजना के वास्तविक कार्यान्वयन को हाथ में लेने से पहले विस्तृत अध्ययन करने के लिए मैसर्स राइट्स को नियुक्त किया गया है।

समूह 'ख' अधिकारियों के स्वीकृत पद

4242. डा० चरण दास महंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 2000 की तिथि के अनुसार विभाग-वार कनिष्ठ वेतनमान समूह ख (सहायक अधिकारी संवर्ग) में (स्थाई, अस्थाई, कार्य प्रभारित और अन्य) अलग-अलग कितने पद स्वीकृत हैं;

(ख) 1 जनवरी, 2000 की तिथि के अनुसार इन पदों पर विभाग-वार कितने अधिकारी सीधी भर्ती तथा पदोन्नति वाले काम कर रहे हैं;

(ग) 1 जनवरी, 2000 की तिथि के अनुसार विभागवार कितने पद खाली पड़े हैं; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इन्हें कब तक भर लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास की योजनाएं

4243. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु अनेक ग्रामीण विकास योजनाएं प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी योजनाओं को वर्ष-वार मंजूरी दी गई?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण विकास योजनाओं और प्राप्त प्रस्तावों में से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा दर्शाया गया है :

क्रम सं.	कार्यक्रम और योजनाएं	प्रस्तावों की संख्या					
		1997-98		1998-99		1999-2000	
		प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत	प्राप्त	स्वीकृत
1.	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	–	–	–	–	4	4
2.	समन्वित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	2	1	6	1	15	8
3.	संपूर्ण स्वच्छता अभियान	–	–	–	–	5	4
4.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	–	–	–	–	1	1
5.	ग्रामीण आवास एवं पर्यावास विकास हेतु अभिनव कार्यक्रम	–	–	–	–	8	8
6.	ग्रामीण निर्मित केन्द्र	–	–	–	–	3	0
7.	समग्र आवास योजना	–	–	–	–	3	2

एअर-इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा दिए गए काम्प्लीमेन्टरी टिकट

4244. श्री सुनील खां : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस और एअर-इंडिया द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने काम्प्लीमेन्टरी टिकट दिए गए; और

(ख) इन टिकटों का भारतीय मुद्रा में कितना मूल्य है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

इंडियन एयरलाइंस

वर्ष		मानार्थ टिकटों की संख्या
1997	–	1129
1998	–	1369
1999	–	1248
एअर-इंडिया		
1997-98	–	726
1998-99	–	1164
1999-2000	–	983

(ख) चूंकि इन पासों में किसी प्रकार के राजस्व का प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए इन्हें सामान्यत: सीटों की उपलब्धता के आधार पर दिया जाता है।

वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं

4245. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 2000-2001 के दौरान कुछ और सुविधाएं देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) (i) रेलें महिलाओं के मामले में कम से कम 60 वर्ष और पुरुषों के मामलों में 65 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को सभी श्रेणी के मेल/एक्सप्रेस के किरायों में और राजधानी/शताब्दी गाड़ियों के किरायों में 30 प्रतिशत की रियायत देती है।

(ii) वरिष्ठ नागरिकों को स्वत: ही नीचे की शायिकाएं आबंटित की जाती हैं बशर्ते कि बुकिंग के समय नीचे की शायिकाएं उपलब्ध हों।

(iii) मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मध्य रेलवे पर प्रत्येक उपनगरीय गाड़ियों के कल्याण और मुंबई छोर पर और पश्चिम रेलवे पर प्रत्येक उपनगरीय गाड़ी के चर्चगेट छोर और विरार छोर से द्वितीय श्रेणी में 7 शायिकाएं निर्धारित की गई है।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नौसेना प्रमुख की रूस यात्रा

4246. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा गे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना प्रमुख ने पनडुब्बी जहाजों, विमान वाहकों हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने के विषय पर विचार-विमर्श हेतु ी में एक उच्च-स्तरीय शिटमंडल के साथ रूस की यात्रा की

(ख) यदि हां, तो रूस इस संबंध में किस हद तक मदद करने इच्छुक है; और

(ग) हमारी नौसेना प्रहार क्षमता के आधुनिकीकरण में कितनी लागत ने का अनुमान है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) नौसेनाध्यक्ष रूसी नौसेना के कमांडर-इन-चीफ के निमंत्रण पर सितंबर, 1999 आपसी हित के नौसेना संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए रूस दौरा किया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में अन्य ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते

हिन्दी]

बिहार में एनओएपी, एनएफबीएस और एनएमबीएस

4247. श्री राजो सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में आपरेशन ब्लैक बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था न योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ जना के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियों का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण ाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों की तुलना में इन योजनाओं अंतर्गत प्राप्त वास्तविक उपलब्धियों का स्तर कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार में इन जनाओं की उपलब्धियां कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) नहीं। जहां तक इस मंत्रालय को ज्ञात है–'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' ा बिहार में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संबंध में पहले ई भी अध्ययन नहीं करवाया गया है। तथापि नई दिल्ली स्थित मै० परेशन रिसर्च ग्रुप नामक अनुसंधान संगठन द्वारा 1998 में बिहार सहित ठ राज्यों में रा०सा०स० कार्यक्रम के संबंध में एक मूल्यांकन अध्ययन वाया गया था।

(ख) और (ग) आपरेशन रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट से पता चलता है कि कवर किए गए 8 राज्यों में से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत बिहार का निष्पादन गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और प० बंगाल से ज्यादा बेहतर था। इसी प्रकार, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के मामलों में बिहार का निष्पादन केरल और महाराष्ट्र जैसे कुछ अन्य राज्यों से ज्यादा बेहतर था। आपरेशन रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में दर्शायी गई वर्ष 1997-98 की वास्तविक उपलब्धि (राज्य-वार) का विवरण इस प्रकार है।

विवरण

चयनित राज्यों में रा०सा०स० कार्यक्रम के मूल्यांकन के संबंध में आपरेशन रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट में दर्शायी गई 1997-98 की वास्तविक उपलब्धि (राज्यवार) का विवरण

राज्य	प्रतिशत उपलब्धि (वास्तविक) 1997-98		
	रा०वृ०पें० योजना	रा०प०ला० योजना	रा०मा०ला० योजना
आंध्र प्रदेश	100.00	120.10	120.00
बिहार	90.44	36.17	36.42
गुजरात	65.01	4.51	9.84
केरल	42.92	69.77	14.19
मध्य प्रदेश	130.00	79.00	55.00
महाराष्ट्र	20.40	20.10	11.20
उड़ीसा	98.80	108.00	10.70
पश्चिम बंगाल	87.00	38.00	46.00

पूर्ववर्ती वर्षों में बिहार के पिछड़े निष्पादन को प्रारम्भिक कठिनाइयों के रूप में माना जा सकता है और इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को सक्रिय करने की जरूरत है और योजना को शुरू करने के लिए अंतरविभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना चाहिए।

(घ) निष्पादन में आगे सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में रा०सा०स० कार्यक्रम के राज्य स्तरीय नोडल सचिव के साथ लगातार संपर्क शामिल है जिससे बिहार में योजना का यथोचित कार्यान्वयन सुनिश्चित हों। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और तीन योजनाओं में से प्रत्येक के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सभी संबंधित लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कदम भी उठाए गए हैं। कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय निधियों को जारी करने और लाभार्थियों को सहायता का वितरण करने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं। इन कदमों के उठाए जाने के फलस्वरूप बिहार के निष्पादन में विशेषकर 31 मार्च, 2000 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान रा०प०ला० योजना और रा०मा०ला० योजना के संबंध में और भी सुधार आया है जिनमें पहले राज्य पिछड़ा हुआ था। रा०वृ०पें० योजना, रा०प०ला० योजना और राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत जारी की गई राशि की दृष्टि से प्रतिशत उपलब्धि क्रमशः 83.77, 96.77 और 84.33 है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष और नागर विमानन के महानिदेशक के लिए योग्यताएं

4248. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष और नागर विमानन के महानिदेशक के चयन हेतु क्या योग्यता आवश्यक है; और

(ख) इन पदों के वर्तमान में कार्य कर रहे व्यक्ति किस-किस तारीख से कार्य कर रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए योग्यता अच्छी शैक्षणिक रिकॉर्ड सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और किसी प्रसिद्ध संगठन में वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन में पर्याप्त अनुभव है। विमानन प्रबंधन तथा हवाई परिवहन के ज्ञान सहित एम०बी०ए० योग्यता तथा तकनीकी योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

नागर विमानन महानिदेशक का पद संयुक्त महानिदेशक/उप महानिदेशक/विहित वर्षों की सेवा सहित निदेशक की प्रोन्नति देकर भरा जाता है। इस पद को अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के अधिकारी जो भारत सरकार से अपर सचिव पर नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, से तथा भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल रैंक के अधिकारियों से भी तदर्थ आधार पर स्थानांतरण के द्वारा भरी जाती है।

(ख) दिनांक 6.7.1998 से श्री डी०वी० गुप्ता अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पद पर कार्यरत हैं तथा श्री एच०एस० खोला दिनांक 24.2.1998 से नागर विमानन महानिदेशक के पद पर आसीन हैं।

राजस्थान में ऐतिहासिक स्मारक

4249. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत कितने ऐतिहासिक स्मारक हैं;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इन स्मारकों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) राजस्थान में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन, राष्ट्रीय महत्व के घोषित 153 स्मारक तथा स्थल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस संबंध में, उनके द्वारा पर्यटन मंत्रालय से वित्तीय सहायता मांगी गई है। इसमें जैसलमेर किला तथा अजमेर जिले में अकबर की कोस मीनारों के संरक्षण कार्यों तथा रणथम्भोर किले में पर्यटन सुविधाओं के लिए धन सम्मिलित है।

बीकानेर मंडल के अंतर्गत संपार पर दुर्घटना

4250. श्री राम सिंह कस्वां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के बीकानेर मंडल के अंतर्गत चुरू जिले में रेलवे संपारों पर फाटकों की कमी के कारण अनेकों दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चुरू जिले के अंतर्गत आने वाली सभी रेलवे संपारों पर फाटक लगाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) औ (ख) बीकानेर मंडल के चुरू जिले में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दिल्ली-मास्को-दिल्ली सेक्टर में उड़ानें

4251. श्री राजैया मल्याला : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली-मास्को सेक्टर में सप्ताह में उड़ान भरने वाली एअर-इंडिया की उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एअर इंडिया ने दिल्ली-मास्को-दिल्ली सेक्टर में विमान चालन के लिए एरोफ्लोट (एइआरओएफएलओटी) से विमान किराये पर ले रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एअर-इंडिया को रख-रखाव आदि पर प्रति विमान कितन खर्चा आता है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) इस समय एअर-इंडिया दिल्ली/मास्को/दिल्ली सेक्टर पर आई.एल. 62 एम विमान जो एयरोफ्लॉट से वेट लीज पर लिया गया है, से सप्ताह में एक बार प्रचालन करती है। पट्टे की दर 5000 अमेरिकी डालर प्रति उड़ान घंटा के अनुसार है और ये प्रभार आयटा के 5 दिनों के माध्यमिक विनिमय दर पर भारतीय रुपए में भुगतेय है। इस वेट लीज की दर में लगभग सभी लागत के मद यथा ईंधन, हैंडलिंग, लैंडिंग, दिक्चालन तथा विमान अनुरक्षण शामिल हैं। जिन मदों को शामिल नहीं किया गया है, उनमें विमान बीमा, यात्री और सामान न्यायिक देयता, बुकिंग एजेंसी कमीशन, भोजन और यात्री सुविधाएं तथा एयरोफ्लॉट कार्मिकों के लिए भारत में भूतल परिवहन शामिल हैं। विमानों का रख-रखाव एयरोफ्लॉट के कारण है। एअर-इंडिया पट्टाकृत दर का भुगतान एयरोफ्लॉट को करती है जिसमें विमान अनुरक्षण का व्यय शामिल है।

[हिन्दी]

दसवें वित्त आयोग के अंतर्गत धन का आबंटन

4252. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान राजस्थान के लिए योजना परिव्यय निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने ए.बी.सी.डी.ई. मदों के अंतर्गत योजना परिव्यय का व्यय किया है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार उक्त दों ार इस राशि का व्यय नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल टवा) : (क) से (घ) 1996-2000 की अवधि के लिए दसवें वित्त ायोग ने राजस्थान को पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान देने की ‌फारिश की थी। जैसा कि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट , राजस्थान सरकार ने राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को विकासात्मक तिविधियों संबंधी व्यय के लिए अनुदान (भारत सरकार से 1998-99 क प्राप्त) जारी कर दिया है।

ऊर्जा की संभाव्यताओं का दोहन

4253. श्रीमती शीला गौतम : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की ही तरह चीनी, उर्वरक और वस्त्र जैसे द्योगों में उपलब्ध क्षमता का विद्युत के सह-उत्पादन के लिए उपयोग ‌िए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाने का ार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० नप्पन) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय चीनी ों में खोई सहउत्पादन के माध्यम से ईष्टतम अतिरिक्त विद्युत उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर है। खोई आधारित सहउत्पादन से 3500 मेवा० की अतिरिक्त विद्युत ादन की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। 184 मेवा० की अतिरिक्त विद्युत क्षमता पहले ही स्थापित की जा चुकी है।

औद्योगिक क्रियाकलापों में, कीमती ऊर्जा संसाधनों के बेहतर उपयोग प्रोत्साहित करने तथा प्रणाली में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता ृजन के उद्देश्य से उद्योग में सहउत्पादन को प्रोत्साहित करने के , विद्युत मंत्रालय ने विस्तृत दिशा-निर्देश भी प्रकाशित किए हैं।

(ग) राष्ट्रीय खोई सहउत्पादन कार्यक्रम, सीमित प्रदर्शन परियोजनाओं लिए, पूंजीगत आर्थिक राज सहायता तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं लिए ब्याज आर्थिक राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध ा है। केन्द्रीय और राज्य सरकारें करों तथा शुल्कों से राहत, त्वरित अवमूल्यन, आदि सहित राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन भी उपलब्ध करा रहे हैं। 14 राज्यों ने अब तक अक्षय स्रोतों से विद्युत की वाणिज्यिक परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की व्हीलिंग, बैंकिंग तथा वापसी-खरीद के लिए प्रोत्साहक नीतियों की घोषणा की है। वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) द्वारा उदार ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, व्यापारिक/संपर्क बैठकें तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

उद्योग में सहउत्पादन के प्रोत्साहन संबंधी विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में, राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा ऐसे स्वीकार्य शुल्क की अधिसूचना का प्रावधान है जो ईंधन मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि को छोड़कर, उत्पादन की सीमान्त लागत और संयंत्र की मियाद के दौरान उस दर पर अदायगी को दर्शाता है।

एलोरा गुफाओं का पुनरुद्धार

4254. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में स्थित एलोरा गुफाओं की मरम्मत और पुनरुद्धार कार्य समुचित ढंग से नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एलोरा गुफाओं को उनके मूल स्वरूप में बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी नहीं, एलोरा की गुफाएं अच्छी तरह संरक्षित हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एलोरा की गुफाओं का अनुरक्षण तथा संरक्षण पुरातत्व के मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है।

(घ) एलोरा की गुफाओं के अनुरक्षण तथा संरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान हुआ व्यय निम्नवत है :

1997-98	—	रु० 9,49,425/-
1998-99	—	रु० 65,97,373/-
1999-2000	—	रु० 9,96,863/-

इंदिरा आवास योजना

4255. श्री रामदास आठवले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा आवास योजना मुख्यत: अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के लिए शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों की आवास समस्याएं उक्त योजना में सभी समुदायों को शामिल करने के कारण सुलझाई नहीं जा सकी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आवास सुनिश्चित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया) : (क) से (ग) इंदिरा आवास योजना को 1985-86 के दौरान शुरू किया गया था जिसका प्राथमिक उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों को आवास प्रदान करना था। वर्ष 1993-94 से योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित लोगों को भी शामिल किया गया। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार यह आवश्यक बनाया गया है कि इंदिरा आवास योजना की कुल निधियों का कम से कम 60 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के लिए मकानों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित परिवारों के लिए सामान्यतया पर्याप्त आबंटन उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) सरकार ने नौवीं योजना अवधि के अंत तक आश्रयविहीनता को समाप्त करने और दसवीं योजना के अंत तक मरम्मत न करने लायक सभी कच्चे घरों को अर्ध पक्के/पक्के घरों में तबदील करने का लक्ष्य रखा है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के परिवारों को पर्याप्त लाभ मिलेगा।

[अनुवाद]

विमान अपहरण संबंधी चेतावनी

4256. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 2000 को 'फ्री प्रेस जर्नल' में 'डिड मुम्बई कॉप्स नेग्लेक्ट इंडियन एयरलाइंस हाइजैक वार्निंग' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। इस संबंध में तथ्यों को अभिनिश्चित किया जा रहा है।

नियंत्रण रेखा पर गश्त

4257. श्री विजय झान्दिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 2000 को 'द टाइम्स आफ इंडिया' में 'आर्मी रिजेक्ट्स टेक-इट-ईजी आर्डर आफ एम ई ए' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, संदर्भित रिपोर्ट निराधार है।

(ख) नियंत्रण रेखा तथा जम्मू व कश्मीर के भीतर स्थिति पर निरंतर नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए सभी समुचित कदम उठाए जा रहे हैं।

डिविजनल सिगनल और दूरसंचार इंजीनियरों के स्वीकृत पद

4258. श्री सुरेश चन्देल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत डिविजनल सिगनल और दूरसंचार इंजीनियरों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है और इनमें से फिलहाल कितने पद रिक्त हैं; और

(ख) वर्तमान में उक्त पदों पर कितने अधिकारी तैनात हैं और वे दिल्ली क्षेत्र में कब से हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) उत्तर रेलवे के अधीन दिल्ली क्षेत्र में मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर (डी एस टी ई) के तीन पद स्वीकृत हैं और फिलहाल कोई पद रिक्त नहीं है।

(ख) दिल्ली क्षेत्र में मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियरों (डी एस टी ई) के इन तीन पदों पर तीन अधिकारी 5.7.96; 26.4.99 और 24.5.99 से तैनात हैं।

कथित अस्वस्थता के कारण उड़ानों का रद्द होना

4259. श्री प्रभनाथ सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल :
श्री रामसागर रावत :
श्री शिवाजी माने :
श्री किरीट सोमैया :
श्री तूफानी सरोज :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 मार्च, 2000 को द इंडियन एक्सप्रेस के प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह खबर दी गई थी कि 17 फरवरी को एअर-इंडिया के पायलटों की कथित अस्वस्थता के कारण मुम्बई-लंदन-शिकागो उड़ान को रद्द करना पड़ा था जिससे 400 से अधिक यात्रियों को असुविधा हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चन्दा आयुध कारखाने में आग

4260. श्री नरेश पुगलिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मार्च, 2000 को भद्रावती (महाराष्ट्र) के चन्दा आयुध कारखाने में बड़ी आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप जान और संपत्ति का कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या आग लगने के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) 22 मार्च, 2000 को 1535 बजे आयुध निर्माणी, चान्दा की एक इमारत में आग लग गई थी और एक घंटे के भीतर उस पर काबू पा लिया गया था।

(ख) इसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही किसी को चोट लगी। इसमें इमारत तथा उसमें पड़ी सामग्री को कुछ क्षति पहुंची। प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार, 4.39 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान है।

(ग) जी हां, आग लगने के कारणों और परिस्थितियों के बारे में जांच करने के लिए एक जांच बोर्ड बिठाए जाने के आदेश दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटा

4261. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को वर्ष 1993 की सहायक ग्रेड की चयन सूची में सीधी भर्ती की 12 रिक्तियों और पदोन्नति कोटे की 12 रिक्तियों को शामिल करने के बारे में प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से उक्त रिक्तियों को सीधी भर्ती से भरने के लिए उम्मीदवारों के नामों की कोई सूची प्राप्त हुई है और वहां इन पदों पर कितने उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सचिवालय नियम, 1962 के अनुसार शेष रिक्तियां पदोन्नति कोटे से भर ली गई हैं;

(घ) क्या कतिपय कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उक्त चयन वर्ष के लिए रिक्तियों की संख्या 114 तक बढ़ा दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में चल रही विभागीय जांच की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(च) वर्ष 1994, 1995 और 1996 में सीधी भर्ती और पदोन्नति कोटे के लिए सहायक ग्रेड की कितनी-कितनी रिक्तियां सूचित की गई थीं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) 12 नामांकन प्राप्त हुए थे तथा वास्तव में 6 व्यक्तियों ने कार्यभार संभाला था।

(ग) वर्ष 1993 से संबंधित सभी रिक्त पद भर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1993 की रिक्तियों को बाद में अप्रैल, 1995 में संशोधित करके 114 (57 सीधी भर्ती और 57 पदोन्नति कोटा) कर दिया गया था। रिक्तियों की पुनरीक्षा करके इस तरह बढ़ा दिए जाने के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच कार्य चल रहा है।

(च)

वर्ष	पदोन्नति कोटा	सीधी भर्ती कोटा	कुल
1994	10	10	20*
1995	शून्य	शून्य	शून्य
1996	23	23	46

*वर्ष 1994 की चयन सूची के लिए रिक्तियों की स्थिति नवंबर, 1995 में संशोधित करके शून्य कर दी गई थी।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता से ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

4262. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से दमन और दीव में चल रही ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक योजना हेतु कितनी राशि आबंटित तथा जारी की गई है तथा प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) संघ राज्य क्षेत्र के दमन और द्वीव में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आईजीआईए पर एस्कैलेटर दुर्घटना की जांच रिपोर्ट

4263. डा० सी० कृष्णन :
श्री शिवाजी माने :
श्री अखिलेश यादव :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई एस्कैलेटर दुर्घटना की जांच कर रही समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जांच समिति की अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं। कार्य क्षेत्र में वृद्धि को देखते हुए जिसमें सुरक्षा पहलू भी शामिल है, अंतिम रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का समय 30 जून, 2000 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 7.2.2000 को प्रस्तुत की गई समिति की अंतरिम रिपोर्ट सरकार ने स्वीकार कर ली है। सदस्य (योजना), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अध्यक्षता के अंतर्गत एक ग्रुप गठित किया गया है जो समय सीमा के दायरे में समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा। भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले से ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) एस्कैलेटर और इस तरह के अन्य उपकरणों को उन्नयन किया जा रहा है।

(ii) इन उपकरणों के उपयोग हेतु उपयोगकर्त्ताओं की भलाई के लिए निर्देश मुख्य रूप से प्रदर्शित किए गए हैं; और

(iii) उपकरणों के उपयोग और किसी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर सभी एजेंसियों के कर्मचारियों को सुपरिचित प्रशिक्षण दिया गया है।

सुपर बाजार द्वारा अधिक लाभ लेना

4264. श्री रामसागर रावत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार विद्युत उपकरणों जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब इत्यादि की बिक्री पर 30 प्रतिशत अधिक मार्जिन लाभ ले रहा है जिससे एन०सी०सी०एफ० की तुलना में सरकारी विभागों को की जा रही सप्लाई में विक्रय मूल्य को बढ़ाकर लिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है कि सुपर बाजार एन०सी०सी०एफ० की तुलना में अधिक लाभ के लिए विक्रय मूल्य को बढ़ाकर न लें?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि बिजली के सामानों पर उनके लाभ का मार्जिन 2.87% से 30% तक होता है और उसके मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्यों तक होते हैं।

(ग) भारत सरकार सामान्यतौर पर सुपर बाजार और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कारोबार संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। इन संस्थाओं के लाभ का मार्जिन बाजार व्यवहारों, कारोबार संबंधी कारकों, ओवर हैड लागत आदि पर निर्भर करता है।

एअर-इंडिया का वायुमार्ग प्रबंधन कार्यक्रम

4265. श्री आर०एल० भाटिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक कार्य कुशलता के उद्देश्य से, एअर-इंडिया अत्यधिक संख्या में यात्रियों को लाने-ले-जाने की बारंबार होने वाली समस्या को कम से कम करने के लिए एक नए वायुमार्ग प्रबंधन कार्यक्रम को शुरू करने हेतु कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एअर-इंडिया की शीघ्र ही आटोमेटेड स्पेस/रिवेन्यू मैनेजमेन्ट सिस्टम शुरू करने की योजना है। नई प्रणाली ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर मांग का पूर्वानुमान करती है इससे खाली सीटों के साथ-साथ उतारे गए यात्रियों की संख्या के खतरे को न्यूनतम करते हुए आय में वृद्धि होने की प्रत्याशा है। इस समय, उड़ानों की मॉनिटरिंग मैनुअल रूप से की जाती है और इसलिए यात्रियों को उतारने के खतरे को कम करने तथा वे अधिकतम क्षमता का प्रचालन करे इसे सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर अर्थदंड देना होता है।

धार्मिक स्थलों का विकास

4266. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित सुविधाओं की दृष्टि से पर्यटकों की रुचि वाले कई धार्मिक स्थल खस्ता हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहायक आधारभूत सुविधाओं को सृजित और सुदृढ़ करके पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे स्थलों का पता लगाने हेतु नए सिरे से प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन स्थलों का पता लगाया गया है और चालू वर्ष के दौरान पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) धार्मिक स्थलों तथा पर्यटन अवसंरचना के विकास की जिम्मेदारी प्रथमत: संबद्ध राज्य/संघ राज्य सरकारों की है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक वर्ष प्राथमिक प्रदत्त विशिष्ट परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

(घ) धार्मिक पर्यटन समिति ने धार्मिक पर्यटन के विकास के लिए महाराष्ट्र के तीन धार्मिक स्थलों यथा—शिरडी, नांदेड़ और ज्योतिबा को निर्दिष्ट किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ

है। तथापि, वर्ष 1999-2000 के दौरान नीचे दी गई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है :

1. ज्योतिबा में यात्री निवास का निर्माण (स्वीकृत राशि 48.39 लाख रुपए)
2. नांदेड़ में यात्री निवास का निर्माण (स्वीकृत राशि 48.77 लाख रुपए)
3. शिरड़ी में कमरों का उन्नयन (स्वीकृत राशि 21.50 लाख रुपए)

[हिन्दी]

पटना विमानपत्तन पर विकास कार्य

4267. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पटना विमानपत्तन पर हवाई पट्टी की मरम्मत करने, नए एप्रन का निर्माण करने और पटना विमानपत्तन से टैक्सी-मार्ग को जोड़ने की मंजूरी प्राप्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हवाई अड्डे के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण पहले ही कर दिया गया है। दीवार को ऊंचा किया जा रहा है ताकि सुरक्षा अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके। एप्रन और लिंक टैक्सीवे के विस्तार से संबंधित कार्य जुलाई, 1997 में पूरे किए गए थे।

[अनुवाद]

पनधारा कार्यक्रम

4268. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनधारा प्रबंधन कार्यक्रम की उपयोगिता जानने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों को और किस सीमा तक सम्मिलित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) और (ख) वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम की उपयोगिता जानने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, यह कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी है। भूमि संसाधन विभाग, 1.4.95 से समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 1993-94 से लेकर 1999-2000 तक 88,573 हैक्टेयर बंजरभूमि को विकसित करने के लिए 4250.69 लाख रुपये की कुल लागत पर 17 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 21,138 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 1556.89 लाख रुपये की कुल लागत पर छः परियोजनाएं वर्ष 1993-94 और 1994-95 में पुराने मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत स्वीकृत की गई थीं और शेष परियोजनाएं 1.4.95 के बाद स्वीकृत की गई हैं।

खाद्य तेल का आयात

4269. श्री शिवाजी माने :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री आर०एस० पाटिल :
श्री जी०जे० जावीया :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मस्टर्ड ग्रोअर्स कन्सर्न्ड ओवर इम्पोर्ट आफ इडेबल ऑयल' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार का तथ्य क्या है;

(ग) सम्मेलन में सुझाए गए सुझावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) देश में खाद्य तेलों की मांग और निवल उपलब्धता के बीच निरंतर कमी रही है। वर्ष 1999-2000 के लिए 216.2 लाख टन तिलहन का उत्पादन होने के कृषि मंत्रालय के पूर्वानुमान के आधार पर, तिलहन की 3 मिलियन टन से अधिक की कमी होने की संभावना है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्य तेलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सरकार को खुले सामान्य लाइसेंस पर खाद्य तेलों के आयात की अनुमति देनी पड़ी। व्यापार और उद्योग के अनुसार वर्ष 1998-99 में 43.9 लाख टन खाद्य तेलों का आयात हुआ था।

(ग) और (घ) खाद्य तेलों के आयात को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :

(1) रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 16.5 प्रतिशत से 27.5 प्रतिशत तक वृद्धि।

(2) कच्चे तेलों के आयात के लिए 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त लगाना।

(3) वास्तविक प्रयोक्ताओं को छोड़कर अन्यों द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेलों तथा अन्य रिफाइंड तेलों के आयात पर 38.5 प्रतिशत का अधिक सीमा शुल्क।

(4) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त की आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले खाद्य तेलों के आयात के लिए 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाना।

1986-1990 के बीच दोषपूर्ण मिग विमानों का आयात

4270. श्री माधवराव सिंधिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1986 से 1990 तक भारत को भेजे गए मिग 29 विमान भारतीय वायुसेना की प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे और इनमें से अधिकांश विमान समय से पहले ही इंजन खराब होने के कारण उड़ान नहीं भर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लड़ाकू विमानों के संबंध में लेखा परीक्षा की रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक कितने मिग 29 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) इस वायुयान ने भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया है। 1987 से 1990 की अवधि के दौरान कई इंजनों को समयपूर्व सेवा से हटा लिया गया था और इन्हें मरम्मत के लिए निर्माणकर्त्ताओं को भेजा गया था। इन वायुयानों को सेवा से मुख्य रूप से छोटी-मोटी तकनीकी खराबियों और विजातीय वस्तुओं के कारण होने वाली क्षति के कारण हटाया गया था। उपचारात्मक उपाय करके और आशोधनों के जरिए इन समस्याओं पर काबू पा लिया गया है। 10वीं लोकसभा की लोकलेखा समिति ने मिग-29 को शामिल करने और वायुयानों के उपयोग की आरंभिक अवस्था में इनके उपयोग/अनुरक्षण से संबंधित समस्याओं के सभी दृष्टिकोणों की जांच की थी।

(ग) आज की तारीख तक कुल पांच (चार लड़ाकू और एक प्रशिक्षण) वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

[हिन्दी]

आई०टी०डी०सी० के होटलों को हुए घाटे

4271. डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजी मांझी :
श्री नवल किशोर राय :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आई०टी०डी०सी० के स्थान-वार कितने होटल हैं;

(ख) ये होटल किस तारीख को स्थापित किए गए और विभिन्न स्रोतों से इनमें होटल-वार कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया है;

(ग) क्या इन होटलों को वित्तीय घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे किस प्रकार पूरा किया जा रहा है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) होटल प्रचालन का कार्यकलाप कुल मिलाकर लाभ कमाने के लिए है। तथापि, पिछले दो वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार घाटा उठाया है :

वर्ष	उठाया गया घाटा (करोड़ रु० में)
1998-99	13.70
1999-2000 (अनंतिम)	39.61 (दैनिक मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान सहित)

यह घाटे मुख्यतया कारोबारी यात्रियों में कमी, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा-संकट की वजह से उनका सस्ता गन्तव्य-स्थल बनना, उच्चतर मजदूरी बिल आदि की वजह से है। यह घाटा सरकार से कोई बजटीय सहायता मांगे बिना, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वयं उठाया जा रहा है।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम (अशोक समूह) के होटलों की अवस्थिति-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्रम सं०	होटल का नाम	अवस्थिति	स्थापित/ प्रारंभ होने की तिथि	31.3.99 तक लगाई गई पूंजी (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
1.	अशोक होटल	नई दिल्ली	1.10.56	25.45
2.	होटल जनपथ	नई दिल्ली	1.4.64	2.58
3.	लोधी होटल	नई दिल्ली	15.9.65	(–)0.60
4.	होटल रंजीत	नई दिल्ली	7.11.65	0.09
5.	होटल अशोक	बंगलौर	1.5.71	4.95
6.	होटल हसन	हसन	27.7.72	0.89
7.	होटल जम्मू	जम्मू	9.9.72	0.71
8.	होटल औरंगाबाद	औरंगाबाद	1.10.72	0.95
9.	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट	कोवलम	17.12.72	10.26
10.	होअल खजुराहो	खजुराहो	19.11.72	0.45
11.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल	उदयपुर	26.1.73	1.92
12.	टैम्पल बे अशोक बीच रिजार्ट	मामल्लापुरम	19.3.73	3.42
13.	होटल वाराणसी	वाराणसी	14.9.73	1.67
14.	कुतुब होटल	नई दिल्ली	4.11.73	3.14
15.	ललित महल पैलेस होटल	मैसूर	13.9.74	2.77

1	2	3	4	5
16.	होटल एयरपोर्ट	कलकत्ता	12.6.75	5.24
17.	होटल पाटलिपुत्र	पटना	7.4.76	2.04
18.	होटल जयपुर	जयपुर	14.12.78	2.49
19.	होटल कलिंग	भुवनेश्वर	17.12.79	1.57
20.	होटल मदुरै	मदुरै	1.12.80	0.99
21.	होटल कनिष्का	नई दिल्ली	3.8.82	8.66
22.	होटल इन्द्रप्रस्थ	नई दिल्ली	18.10.82	2.65
23.	होटल सम्राट	नई दिल्ली	14.11.82	12.84
24.	होटल आगरा	आगरा	17.9.86	2.82
25.	होटल बौद्धगया	बौद्धगया	11.7.88	1.70
26.	होटल मनाली	मनाली	20.5.92	1.47
	जोड़			101.12

[अनुवाद]

रेलवे परियोजनाएं

4272. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :
श्री भीम दाह्मल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनवार/राज्यवार उन रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी आधारशिला तो रखी गई थी लेकिन उन पर काम शुरू नहीं हुआ;

(ख) उक्त परियोजनाएं कब से लंबित हैं और इनकी आधारशिला रखे जाने पर कितनी धनराशि खर्च हुई थी;

(ग) इन परियोजनाओं पर धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद इन पर काम शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब में रेल परियोजनाएं

4273. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने गत वर्षों के दौरान रेल परियोजनाओं का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुमोदित परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा क्या इस संबंध में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है;

(ग) पंजाब में चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और अभी तक उन परियोजनाओं पर अनुमानित कितनी लागत अथवा व्यय हुआ है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रणाली की आवश्यकताओं की एक एकीकृत विचारधारा अपनाई जाती है। निवेश का निर्णय लेते समय, विशेषकर जब बहुत-सी रेल परियोजनाएं एक से अधिक राज्य में पड़ती हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों में पंजाब सरकार से प्राप्त कुछ प्रस्ताव और उनकी मौजूदा स्थिति इस प्रकार है :

(i) **फाजिल्का और अबोहर के बीच रेल लाइन**—यह कार्य बजट में पहले से ही शामिल है। क्लीरेंस के लिए कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक क्लीरेंस प्राप्त कर लेने के पश्चात् ही कार्य शुरू किया जाएगा।

(ii) **चंडीगढ़ से लुधियाना तक नई लाइन**—यह कार्य बजट में शामिल है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। चंडीगढ़ से मोरिंदा तक पहले चरण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिगृहित की जा रही है। भूमि उपलब्ध होते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

(iii) **लुधियाना-अमृतसर का विद्युतीकरण**—कार्य बजट में शामिल है। इसे पूरा करने की लक्ष्य तिथि दिसंबर, 2002 है।

(ग) और (घ) पंजाब में चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पंजाब में चालू परियोजनाएं

नई लाइन	परियोजना का नाम	राज्य	लागत	31.3.2000 तक खर्च	2000-01 के लिए बजट परिव्यय	1.4.2000 को ग्रो फारवर्ड	स्थिति
			(राशि करोड़ रुपये में)				
1	2	3	4	5	6	7	8
दोहरीकरण	जालंधर-पठानकोट जम्मू तवी	पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश	488.00	5.00	5.10	475.90	कार्य अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
नई लाइन	चंडीगढ़-लुधियाना	पंजाब	248.40	10.17	30.00	208.23	9.9.98 को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। चंडीगढ़ से मोरिंदा के बीच पहले चरण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहित की जा रही है। कार्य भूमि उपलब्ध होते ही शुरू कर दी गई है।
नई लाइन	कालका-परवानू	पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा	23.00	2.00	4.00	17.00	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण के लिए नक्शे और दस्तावेज तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
नई लाइन	नांगल डैम-तलवाडा और मुकेरियां तलवाड़ा की साइडिंग का अधिग्रहण	पंजाब, हिमाचल प्रदेश	210.00	39.39	8.00	162.61	नांगल डैम से ऊना तक पहले चरण को खोल दिया गया है। शेष भाग पर कार्य चरणों में पूरा करने की योजना और ऊना-चुरारू तकराला (26 कि०मी०) का कार्य उपलब्ध सरकारी भूमि (26 हेक्टयेर) पर अब शुरू कर दिया गया है। परियोजना भूमि की शेष 300 हेक्टेयर है। भूमि 6 महीने में उपलब्ध हो जाने की आशा है। इस समय दो प्रमुख पुलों पर कार्य प्रगति पर है।
नई लाइन	ब्यास से डेरा बाबा जयमल सिंह	पंजाब	4.78	1.57	0.10	3.11	कार्य समझौते पर हस्ताक्षर होने और डेरा प्राधिकरण द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के बाद शुरू किया जाएगा।
नई लाइन	तरण तारण गोइंदवाल	पंजाब	37.15	4.75	1.30	31.10	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और अन्य प्रारंभिक कार्य पूरे हो गए हैं। भूमि नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
नई लाइन	अबोहर-फाजिल्का	पंजाब	72.00	0.00	0.10	71.90	स्वीकृतियां प्राप्त की जा रही हैं। कार्य अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बाद शुरू किया जाएगा।
रेल विद्युतीकरण	दिल्ली-अंबाला कैंट-लुधियाना	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली	291.47	239.08	20.20	32.19	दिल्ली से लुधियाना तक मुख्य लाइन का कार्य पूरा हो गया है। शाखा लाइनें अंबाला-कालका और सरहिंद नांगल डैम का कार्य चल रहा है और मार्च, 2001 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।
रेल विद्युतीकरण	लुधियाना-अमृतसर	पंजाब	93.06	1.80	10.25	81.01	पूरा करने की लक्ष्य तिथि 2002 है।

[हिन्दी]

होटल रेस्तरां एसोशिएशन ऑफ इंडिया

4274. श्री के० येरननायडू : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999 में काठमांडू में 'होटल रेस्तरां एसोशिएशन ऑफ इंडिया' का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या सुझाव दिए गए; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) जी हां, उनके द्वारा दिए गए सुझावों में, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में उदारीकरण हेतु ओपन स्काई पॉलिसी को अपनाना और होटलों एवं रेस्तराओं में कर ढांचे को तर्कसंगत/कमी करना सम्मिलित है।

सिफारिशों को केन्द्र/राज्य सरकारों/संघराज्यों के संबंधित विभागों के ध्यान में लाया गया है।

[अनुवाद]

गंदी बस्तियों को ध्वस्त करना

4275. श्री किरीट सोमैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई में मध्य रेलवे की गंदी बस्तियों को ध्वस्त किए जाने संबंधी अभियान अचानक बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ट्रैक अवैध कब्जों से मुक्त हो गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो मध्य रेलवे द्वारा गंदी बस्तियों को ध्वस्त किए जाने संबंधी अभियान को रोकने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने रेलवे ट्रैक को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) चूंकि मानखुर्द-कुर्ला-वडाला खंड पर कतिपय अतिक्रमण रेलवे लाइनों के अति निकट आ गए थे जिससे रेल परिचालनों की संरक्षा को खतरा पैदा हो गया था, इसलिए रेलवे संरक्षा आयुक्त, मुंबई ने इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे के साथ यह मामला उठाया था। इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई थी। तद्नुसार 1.1.95 के बाद किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए 28.2.2000 को एक अभियान शुरू किया गया था और इस क्षेत्र में रेलपथ अंशत: अतिक्रमणों से मुक्त हो गया है। इस आशय की शिकायतों के बाद कि 1.1.95 से पूर्व किए गए अतिक्रमणों को भी हटा दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह अभियान अस्थाई तौर पर रोक दिया गया था। अब महाराष्ट्र सरकार ने 1.1.95 से पहले के अतिक्रमणों की पहचान करने में एक गैर-सरकारी संगठन का सहयोग लेने का विनिश्चय किया है ताकि उनकी नीति के अनुसार उन्हें मुंबई आवास एवं विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों में बसाया जा सके तथा साथ ही साथ 1.1.95 के बाद के अतिक्रमणों को हटाया जा सके।

बहरहाल, मुंबई में मध्य रेलवे के अन्य खंडों में 1.1.95 के बाद के अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है।

एर्णाकुलम-त्रिचूर-मालाप्पूटम रेल लाइन का निर्माण

4276. श्री टी० गोविन्दन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल के एर्णाकुलम-त्रिचूर-मालाप्पूटम जिलों को जोड़ने वाली तटवर्ती रेल लाइन के निर्माण हेतु प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। गुरुवायूर के रास्ते तिरूर से इदापल्ली तक एक नई तटीय लाइन के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) तनूर से गुरूवायूर तथा गुरूवायूर से इदापल्ली तक नई लाइन के निर्माण के लिए दो सर्वेक्षण रिपोर्टों की संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से जांच की जा रही है। परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप दिए जाने पर संभव होगा।

राज्यों को लेवी चीनी की आपूर्ति

4277. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर लेवी चीनी की आपूर्ति की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक माह प्रति यूनिट 425 ग्राम चीनी की मात्रा निकलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में परिवारों को किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह की दर से चीनी की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को चीनी के आबंटन में विसंगति के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से पिछड़े राज्यों में दी जा रही लेवी चीनी की मात्रा बढ़ाकर 1 किलोग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश को पर्यावरणीय दृष्टि से कमजोर राज्य की श्रेणी में मानते हुए वहां भी चीनी के आबंटन को 425 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह से बढ़ाकर 1 किलोग्राम प्रतिमाह करने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) राजस्थान को 29 फरवरी, 2000 तक 1991 की जनगणना के आधार पर लेवी चीनी की आपूर्ति की जाती थी लेकिन 1.3.2000 से अन्य सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों सहित उनका लेवी कोटा 1.3.1999 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर बढ़ा दिया गया है जबकि प्रति यूनिट चीनी की उपलब्धता वही है।

(ख) से (च) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को छोड़कर, जिन्हें इन क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर 425 ग्राम की निर्धारित मात्रा से अधिक लेवी चीनी आबंटित की जाती है, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत चीनी के वितरण के लिए 425 ग्राम प्रति यूनिट/प्रत्येक माह का मानदंड है।

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का नाम	मानदंड (ग्राम)
अंडमान एवं निकोबार	1008
चंडीगढ़	611
दिल्ली	1271
गोवा, दमन एवं दीव	434
लक्षद्वीप	1625
जम्मू और कश्मीर	700
पांडिचेरी	583
नागालैंड	700
अरुणाचल प्रदेश	700
असम	700
त्रिपुरा	700
मेघालय	700
मिजोरम	700
मणिपुर	700
हिमाचल प्रदेश	700

उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित की गई मात्रा को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वितरण करने का एकमात्र उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का है। विद्यमान फार्मूले के आधार पर लेवी की वर्तमान प्राप्ति के मद्देनजर प्रति व्यक्ति मानदंड में और वृद्धि करने अथवा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कोटे को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड

4278. डा० एन० वेंकटस्वामी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड अपने पूरे कर्मचारियों के साथ कार्य कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बंजरभूमि विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का गठन (31.12.1998 की स्थिति के अनुसार पुनर्गठित) संलग्न विवरण में दिया गया है। चूंकि बोर्ड के नामित सदस्यों की पदावधि समाप्त हो गई है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि यह अपनी पूरी सदस्य संख्या के साथ कार्य कर रहा है।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत 7.01 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 280.40 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 73 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

विवरण

पुनर्गठित राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड की संरचना (31.12.1998 की स्थिति के अनुसार)

पदेन सदस्य

1.	ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री	अध्यक्ष
2.	सदस्य, योजना आयोग	सदस्य
3.	सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
4.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
5.	सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।	सदस्य
6.	सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।	सदस्य
7.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
9.	सचिव, पशुपालन और डेरी विभाग	सदस्य
10.	अध्यक्ष (नाबार्ड)	सदस्य

नामित सदस्य

(i) संसद सदस्य

11.	श्री गोर्धनभाई जाविया संसद सदस्य (लोकसभा) मार्फत—लोकसभा सचिवालय संसद भवन, नई दिल्ली	सदस्य

12. श्री भगवान माझी — सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा)
मार्फत–राज्य सभा सचिवालय
संसद भवन, नई दिल्ली

(ii) गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी संगठन, सहकारी संस्थाएं

13. श्रीमती निर्मला बुच — सदस्य
ई-4/97 गिरीश कुंज
अरेरा कॉलोनी, भोपाल।

14. डा० जी० हेडगे, — सदस्य
अध्यक्ष
भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
डा० मणी भाई देसाई नगर,
राष्ट्रीय राजपथ संख्या-4,
वार्जे, पुणे-411029

15. श्री अनिल अग्रवाल — सदस्य
निदेशक, सेन्टर फार साइन्स एण्ड
एनवायरनमेन्ट,
41-तुगलकाबाद औद्योगिक क्षेत्र,
बत्रा अस्पताल के निकट,
नई दिल्ली-110062

16. श्री अरुण कुमार सी० पाटिल — सदस्य
'अरुणोदय'
चन्द्रशेखर पाटिल नगर,
गुलबर्गा-585102

17. श्री एस० परमेश्वरप्पा — सदस्य
189, 12वीं क्रास तीसरी मेन
आर०ए०वी०-II स्टेज
बंगलोर-560094

(iii) तीन अलग-अलग राज्यों से तीन विकास आयुक्त

18. विकास आयुक्त — सदस्य
आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद

19. विकास आयुक्त — सदस्य
बिहार सरकार पटना

20. विकास आयुक्त
असम सरकार गुवाहाटी

सदस्य सचिव

21. सचिव, — सदस्य सचिव
बंजरभूमि विकास विभाग
ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली।

[हिन्दी]

पुराने पड़ चुके विमानों को हटाया जाना

4279. श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री हरिभाऊ शंकर महाले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विमान बेड़ों में इस समय प्रयोग में नहीं लाए जा रहे विमानों की कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ख) अप्रयुक्त विमानों के रख-रखाव पर वार्षिक कितना खर्च आ रहा है; और

(ग) इन अप्रयुक्त विमानों को हटाए जाने और उनकी जगह नये विमानों को खरीदे जाने का प्रस्ताव किस चरण पर है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) एयर इंडिया में मध्य-फरवरी, 2000 से 3बी747-200 विमान प्रचालन में नहीं हैं। इन विमानों की बिक्री हेतु पेशकश की गई है। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, इस समय 32 विमान प्रचालन में नहीं हैं।

(ख) इन जमीन पर खड़े विमानों के रख-रखाव पर अभी तक 90 लाख रु० का खर्चा आया है। जहां तक इंडियन एयरलाइंस का संबंध है, इन विमानों के रख-रखाव पर कोई खर्चा नहीं किया जा रहा है।

(ग) एयर इंडिया ने दो विमानों की बिक्री के संबंध में मै० कैरी एयर लीजिंग एविएशन लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरे विमान के संबंध में एयर इंडिया ने एक विज्ञापन दिया था।

इंडियन एयरलाइंस के विमानों के निपटान से संबंधित मामला विचाराधीन है।

चूंकि ये विमान इस समय एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की अपेक्षाओं की तुलना में फालतू हैं, इन विमानों के प्रतिस्थापनार्थ नए विमानों की खरीद करने संबंधी प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारवाहक पशु-शक्ति का योगदान

4280. श्री पी०एस० गढ़वी :
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारवाहक पशु-शक्ति का बेहतर इस्तेमाल करने के बारे में सलाह देने के संबंध में के०पी०ए० मेनन की अध्यक्षता में गठित समिति ने यह सुझाव दिया है कि भारवाहक पशु-शक्ति का इस्तेमाल करने से लगभग 24 मिलियन टन डीजल की बचत होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार की गई हैं;

(ग) क्या बर्फीले इलाकों के लिए सभी पशुओं जैसे कि हाथियों, ऊंटों, घोड़ों, खच्चरों, गधों, मवेशियों, बकरियों, सुरांगायो (याक) को शामिल किया गया है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) जी, हां। समिति ने 30,000 मेगावाट के बराबर भारवाहक पशु शक्ति के परिमाण का अनुमान लगाया है।

(ख) समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को स्वीकार किया गया तथा वर्ष 1994-95 और 1995-96 में कार्यान्वित किया गया।

(ग) जी, नहीं। समिति ने भारवाहक पशु शक्ति के परिमाण का आकलन केवल बैल, भैंसें, जुताई में लगी गायों, घोड़ों और ऊंटों की तादाद के आधार पर किया है।

(घ) नवीं योजना अवधि के लिए पशु ऊर्जा कार्यक्रम हेतु 2.14 करोड़ रु० का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय चीनी एवं गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाना

4281. **श्री बालकृष्ण चौहान** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मऊ में राष्ट्रीय चीनी एवं गन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) आरंभ से लेकर आज की स्थिति के अनुसार इसे वर्ष-वार उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संस्थान अपने प्रस्तावित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां। मऊ (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने की परियोजना का कार्य वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन है। भारत सरकार ने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के व्यक्तियों को विस्तारित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, 1993 में, मऊ में राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया क्योंकि ये क्षेत्र इन क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता और गैर-अंतरण के कारण गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की तुलना में पीछे छूट रहे थे।

(ग) इस संस्थान के लिए वर्षवार बजट प्रावधान निम्नानुसार है :

1993-94	—	305.00 लाख रुपये
1994-95	—	525.00 लाख रुपये
1995-96	—	753.90 लाख रुपये
1996-97	—	852.00 लाख रुपये
1997-98	—	773.00 लाख रुपये
1998-99	—	873.00 लाख रुपये
1999-2000	—	775.00 लाख रुपये

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 665 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

(घ) से (च) संस्थान के भवन का निर्माण और अन्य सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है और पूरा होने वाला है। आवश्यक स्टाफ में से कुछ की भर्ती की गई है और अन्य के संबंध में भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। संस्थान का शैक्षणिक सत्र अभी आरंभ नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

राजस्थान के सीमावर्ती जिलों को रेल नेटवर्क के साथ जोड़ना

4282. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुख्य रेलवे जंक्शनों के साथ राजस्थान के सीमावर्ती जिलों को जोड़ने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या बीकानेर-कोलायत-पोखरन-बाड़मेर और जैसलमेर-बाड़मेर-कांडला का सर्वेक्षण हेतु अनुमोदन किया गया;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त लाइन हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन रेल लाइनों पर कब तक काम शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बीकानेर-कोलायत-बाड़मेर तथा जैसलमेर-कांडला के बीच रेल संपर्क मुहैया कराने के लिए सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं उनके पूरा होने की अभी तक कोई लक्ष्य तिथि तय नहीं की गई है

(घ) परियोजनाओं पर आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध होने पर संभव होगा।

[हिन्दी]

खंडवा-अजमेर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

4283. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खंडवा-अजमेर रेल लाइन के आमान परिवर्तन की क्षेत्रवार वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस लाइन का आमान परिवर्तन कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सेक्टर-वार स्थिति निम्नलिखित है :

(i) अजमेर-चित्तौड़गढ़—यह कार्य अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपु आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में स्वीकृ है। चित्तौड़गढ़-उदयपुर का कार्य प्रथम चरण में पू

किया गया है जबकि दूसरे चरण का कार्य आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

(ii) चित्तौड़गढ़-नीमच-बड़ी लाइन पहले ही मौजूद है।

(iii) नीमच-रतलाम-कार्य प्रगति पर है।

(iv) रतलाम-खंडवा-सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के बाद इस पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ख) कोई लक्ष्य तिथि अभी तक निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

कोणार्क मंदिर

4284. श्री भर्तृहरि महताब : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोणार्क मंदिर को नष्ट होने से बचाने हेतु विशेषज्ञों द्वारा एक दीर्घकालीन संरक्षण तथा सतत विकास युक्ति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यनीति में, सूर्य मंदिर के संरचनात्मक स्थायित्व के मूल्यांकन के लिए अध्ययन तथा इसके रखरखाव, संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास के लिए उपाय सम्मिलित हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की ने इस स्मारक के पत्थर मृदा तथा संरचनात्मक स्थायित्व का अध्ययन किया है। कोणार्क मंदिर के संरक्षण उपायों के लिए अपनाई जाने वाली कार्य नीति का निर्धारण करने के लिए, अध्ययन को कार्य दल समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में कोई समय-सीमा सूचित कर पाना संभव नहीं होगा।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों पर दलालों की समस्या

4285. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश हवाई अड्डों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी और दलालों की बढ़ती समस्या के कारण पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हवाई अड्डों पर दलालों द्वारा विदेशी पर्यटकों को परेशान किए जाने पर रोक लगाने और विदेशी पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। दलालों की समस्या कानून और व्यवस्था की समस्या है जो स्थानीय पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा०वि०प्रा०) के अधिकारी इस समस्या से निपटने के लिए विमानपत्तन सुरक्षा अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस से निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। स्थानीय पुलिस ने स्वयं भी दलालों को पकड़ा है। पुलिस द्वारा दलाली को रोकने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किए गए हैं। विमानपत्तन सुविधा समिति की बैठकों में इस मामले की मासिक आधार पर समीक्षा की जाती है जिसमें हवाई अड्डे पर कार्यरत सभी संबंधित प्राधिकारी भाग लेते हैं। विविध बुनियादी सुविधाएं जैसे–'मे आई हेल्प यू' काउंटर अग्रिम भुगतान वाली टैक्सी सेवाएं, कार को किराए पर देना, पर्यटक सूचना काउंटर की भी पर्यटकों की सहायता के लिए व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

अतिरिक्त आप्टिक फाइबर केबल्स की प्राप्ति

4286. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के पास अतिरिक्त मात्रा में अनुपयुक्त आप्टिक फाइबर केबल्स लाइनें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार वाइस एंड डाटा कम्युनिकेशन उपलब्ध कराकर पार्टियों को प्रदान करने के लिए केबल लाइनें जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन लाइंस को जारी करके कितना राजस्व अर्जित किए जाने की आशा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। रेलवे के पास कुछ उन खंडों में फालतू फाइबर हैं, जहां रेलों की संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए गए हैं।

1989 से शुरू करके रेलों ने विभिन्न खंडों में 8, 10, 18 और 24 फाइबर ओ एफ सी बिछाए हैं। इस समय नीति के तौर पर रेलें केबल 24 फाइबर ओ एफ सी ही बिछा रही हैं। उपलब्ध फाइबरों में से रेलें अपनी मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 4 फाइबरों का उपयोग कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। क्षेत्रीय रेलों को सलाह दी गई है कि वे डाटा संचार के लिए रेलों की अधिशेष/फालतू संचार क्षमता को पट्टे/किराए पर दें। ध्वनि चैनलों को पट्टे पर देना, राष्ट्रीय लंबी दूरी संचार नीति से संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू किया जाएगा।

(ङ) रेलों ने फालतू दूरसंचार क्षमता को हाल ही में पट्टे पर देना शुरू किया है। अब तक मुंबई-अंधेरी, मुंबई-अहमदाबाद तथा भुसावल-नंदगांव खंडों पर दूरसंचार चैनलों को पट्टे पर दिया गया है जिससे रेलों को प्रतिवर्ष 84 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है।

जब कभी फालतू क्षमता को पट्टे पर दिया जाएगा तो इसमें और वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना

4287. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1966 के अंतर्गत राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार कितने उपभोक्ता न्यायालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या लंबित मामलों के निपटान के लिए उपभोक्ता न्यायालयों की मौजूदा संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो देश में अगले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता न्यायालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे न्यायालयों की स्थापना प्रत्येक तहसील में करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत देश में एक राष्ट्रीय आयोग, 32 राज्य आयोग और 545 जिला मंच स्थापित किए गए हैं। राज्य आयोगों और जिला मंचों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। वर्ष-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक जिले में जिला मंच और राज्य की राजधानी में एक राज्य आयोग स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। मामलों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकारें संबंधित जिले में अतिरिक्त जिला मंच स्थापित कर सकती हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला मंच स्थापित किया जाएगा।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग की संख्या	जिला मंचों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	25
अरुणाचल प्रदेश	1	13
असम	1	23
बिहार	1	55
गोवा	1	2
गुजरात	1	20
हरियाणा	1	17
हिमाचल प्रदेश	1	12
जम्मू व कश्मीर	1	2
कर्नाटक	1	21
केरल	1	14
मध्य प्रदेश	1	45
महाराष्ट्र	1	34
मणिपुर	1	8
मेघालय	1	7
मिजोरम	1	3
नागालैंड	1	8
उड़ीसा	1	31
पंजाब	1	17
राजस्थान	1	33
सिक्किम	1	4
तमिलनाडु	1	24
त्रिपुरा	1	3
उत्तर प्रदेश	1	87
पश्चिम बंगाल	1	19
अंडमान निकोबार द्वीप	1	2
चंडीगढ़ प्रशासन	1	2
दादरा व नगर हवेली	1	1
दमन व दीव	1	2
दिल्ली	1	9
लक्षद्वीप	1	1
पांडिचेरी	1	1
कुल	32	545

[अनुवाद]

शुल्क मुक्त दुकानें

4288. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर शुल्क मुक्त दुकानों हेतु परामर्श देने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

'कपार्ट' के माध्यम से सहायता

4289. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद ने जम्मू-कश्मीर के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष जिले-वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत कीं;

(ख) 'कापार्ट' के माध्यम से किन-किन एजेंसियों को कौन से स्थानों पर सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) इनमें से प्रत्येक एजेंसी को आज की तारीख तक कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है;

(घ) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों के दौरान इन एजेंसियों द्वारा अनियमितताएं किए जाने की जानकारी मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेंसियों के नाम क्या-क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जम्मू व कश्मीर राज्य के जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान कपार्ट द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की जिला-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) स्वैच्छिक संगठनों के नाम और पता और गत तीन वर्षों के दौरान कपार्ट द्वारा इन सभी स्वैच्छिक संगठनों के लिए स्वीकृत तथा रिलीज की गई धनराशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) गत दो वर्षों के दौरान इनमें से किसी भी स्वैच्छिक संगठन को दोषी नहीं पाया गया था।

विवरण-I

क्रम सं०	जिले का नाम	स्वीकृत परियोजना की सं.
1	2	3
1997-98		
1.	अनंतनाग	1
2.	जम्मू	1
3.	लेह और लद्दाख	2
	कुल	4
1998-99		
1.	जम्मू	7
2.	लेह और लद्दाख	1
3.	श्रीनगर	2
	कुल	10
1999-2000		
1.	जम्मू	4
2.	कूपवाड़ा	1
3.	लेह लद्दाख	1
4.	श्रीनगर	1
	कुल	7

विवरण-II

क्रम सं०	स्वैच्छिक संगठनों का नाम तथा पता	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1997-98			
1.	हीलाल इंस्टीटयूट, जिला—अनंतनाम	1,97,300	1,97,300
2.	लद्दाख डेवल्पमेंट आर्गेनाइजेशन, पी.बी. 129, जंगसी, जिला—लेह, लद्दाख	7,56,900	3,00,000
3.	लेह न्यूट्रीशियन प्रोजेक्ट हाऊसिंग कालोनी, जिला—लेह, लद्दाख	1,26,400	63,200
4.	जम्मू व कश्मीर पर्यावरण संस्था मुबारक मंडी, जाम	50,000	50,000
	कुल	11,30,600	6,10,500
1998-99			
1.	जम्मू व कश्मीर जाफरान वूमेन वेल्फेयर एण्ड चाइल्ड डेवल्पमेंट सोसाइटी, जिला—श्रीनगर	3,15,900	2,15,900
2.	जम्मू व कश्मीर जरी आर्ट सोसाइटी, जिला—जाम	1,85,200	1,06,100
3.	-वही-	55,000	55,000
4.	सोशल वर्क तथा रूरल डेवल्पमेंट सोसाइटी, जिला—जाम	2,61,400	1,45,200
5.	सोसाइटी सैनिटेशन डेवल्पमेंट इक्नोमिक, जिला—जाम	4,26,282	1,15,000
6.	-वही-	55,000	10,000

1	2	3	4
7.	वैली वूमैन वेल्फेयर सोसाइटी, श्रीनगर	3,44,900	2,53,200
8.	जम्मू व कश्मीर अलमी खुदाई खिदमत-गार एसोसेशन, जम्मू तवी	50,000	50,000
9.	लेह महिला मंडली, लेह लद्दाख	2,00,000	1,00,000
10.	जम्मू व कश्मीर पर्यावरण संस्थान, मुबारक मंडी, जाम	79,07,200	35,58,240
	कुल	98,00,882	46,08,640
1999-2000			
1.	खाकनी लेडीज वूकेशनल सेंटर, जिला—जाम	6,30,550	4,25,300
2.	शिवम वूमैन एंड चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसाइटी, जाम	4,14,400	4,14,400
3.	डा० अम्बेडकर वेल्फेयर ट्रस्ट, जम्मू	2,61,520	1,45,520
4.	सोशल वर्क एंड रूरल डेवल्पमेंट सोसाइटी, जाम	55,000	27,500
5.	वूमैन वेल्फेयर एंड ॲपलिफ्टमेंट सोसाइटी, जिला—कूपवाड़ा	3,32,720	2,20,760
6.	जुबेदा नेशनल इंस्टीट्यूट, श्रीनगर	2,64,000	1,67,000
7.	लद्दाख इकोलोजिकल डेवल्पमेंट ग्रुप, लेह लद्दाख	4,75,000	अभी जारी नहीं किया गया है।
	कुल	24,33,190	14,00,480

[अनुवाद]

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति

4290. श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष-वार असम में परिसंपत्तियों के संबंध में क्या वित्तीय प्रगति हुई है;

(ख) क्या जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान असम के नलबाटी, बारपेटा तथा बोंगाइगांव जिलों में वित्तीय प्रगति संतोषजनक स्तर से अत्यधिक कम हुई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त तीन जिलों में जवाहर रोजगार योजनाओं की वास्तविक जांच का पता लगाने के लिए करने का है कि क्या उद्देश्य निर्धारित दिशानिर्देश तथा मानदंडों के अनुरूप प्राप्त किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) जवाहर रोजगार योजना जो एकमात्र सबसे बड़ा मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था, को 1.4.1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुनर्गठित, कारगर तथा पुन: नामित किया गया है। पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी रोजगार के सृजन की बजाए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्देश्य आवश्यकता आधारित ग्रामीण ढांचे का सृजन करना है। सृजित परिसंपत्तियों के संदर्भ में 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान असम में जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि विवरण-I और II के अनुसार है।

(ख) और (ग) 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान नलबेरी, बारपेटा तथा बोंगई गांव के जिलों में जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति विवरण-III के अनुसार है। जवाहर रोजगार योजना/जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों में एक वर्ष में निधियों के शत-प्रतिशत उपयोग की परिकल्पना नहीं की गई है। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1997-98 तक 25 प्रतिशत तथा 1998-99 के दौरान 20 प्रतिशत निधियों को अगले वर्ष ले जाने की अनुमति थी जबकि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1999-2000 से 15 प्रतिशत निधियों को अप्रयुक्त राशि के रूप में अगले वर्ष ले जाने की अनुमति है। इन जिलों में कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादन को कुल मिलाकर संतोषजनक पाया गया है।

(घ) और (ङ) इस स्तर पर ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना में स्वयं ही निगरानी तथा मूल्यांकन तंत्र बनाया गया है। दिशा-निर्देशों में राज्य/जिला/उप-डिवीजन/ब्लाक स्तरों पर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना से जुड़े अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र निरीक्षणों के जरिए कार्यों की वास्तविक जांच की व्यवस्था है। केन्द्र स्तर पर असम सहित प्रत्येक राज्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र अधिकारियों के रूप में मनोनीत किया गया है। उन्हें प्रत्येक तिमाही में सौंपे गए राज्यों का दौरा तथा योजना के अंतर्गत कार्यों की स्थिति की वास्तविक जांच करनी होती है तथा यह देखना होता है कि क्या निधियों का उसी प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है जिसके लिए वह निर्धारित की गई थी। इसके अलावा केन्द्रीय सहायता की दूसरी किस्त को जारी करते समय विगत वर्ष के दौरान जारी किए गए अनुदानों के संबंध में आडिट रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त और उनकी जांच की जाती है। असम सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि वे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सहित मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए राज्य/जिला तथा ब्लाक स्तरों पर सतर्कता तथा निगरानी समितियां गठित करें। योजना के अंतर्गत सोशल आडिट का प्रावधान भी है।

विवरण-I

1997-98, 1998-99, 1999-2000 के दौरान वित्तीय प्रगति

(लाख रु० में)

वर्ष	लघु सिंचाई					ग्रामीण सड़कें	पेयजल तथा अन्य स्रोत	स्वच्छ शौचालय
	ग्रामीण टैंक/ तालाब/कुंए	फील्ड चैनल	वाटरशेड परियोजनाएं	जल एकत्री-करण ढांचा	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1997-98	151.57	162.42	8.36	21.86	245.14	2181.71	155.76	18.09
1998-99	476.18	222.87	42.58	35.39	310.24	4778.24	337.14	35.07
1999-2000								

वर्ष	भूमि विकास				भवन					अन्य कार्य
	मृदा संरक्षण	भूमि विकास	बाढ़ संरक्षण	पानी के जमाव को रोकना	स्कूल भवन	महिला मंडल	पंचायत-घर	निर्मित आवास	सामाजिक वानिकी	
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1997-98	60.89	174.57	155.74	56.76	685.51	170.80	76.75	168.13	2.35	787.27
1998-99	173.40	294.25	229.93	97.18	1024.71	140.09	80.01	736.36	39.04	822.92
1999-2000										5392.09*

*जनवरी 2000 तक उपयोग की गई निधियां। अब तक कार्यवार ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

विवरण-II

1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरा सृजित परिसंपत्तियां

वर्ष	लघु सिंचाई										ग्रामीण सड़कें	पेयजल तथा अन्य स्रोत
	ग्रामीण बैंक/ तालाब/कुएं		फील्ड चैनल		वाटरशेड परियोजनाएं		जल एकत्री-करण ढांचा		अन्य			
	संख्या	हैक्टेयर	संख्या	हैक्टेयर	संख्या	हैक्टेयर	संख्या	हैक्टेयर	संख्या	हैक्टेयर	(किलोमीटर)	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1997-98	691	99.52	332	111.42	25	27.94	28	24.20	402	53.10	1422.90	629
1998-99	937	387.62	723	719.61	70	166.00	57	33.50	633	1181.43	3337.78	2770
1999-2000												

वर्ष	भूमि विकास					भवन				कवर किया गया क्षेत्र	लगाए गए वृक्ष	अन्य कार्य
	स्वच्छ शौचालय	मृदा संरक्षण	भूमि विकास	बाढ़ सुरक्षा	पानी के जमाव को रोकना	स्कूल	महिला मंडल	पंचायत घर	निर्मित आवास			
	(संख्या)	------हैक्टेयर------				------संख्या------				(हैक्टेयर)	लाख सं.	संख्या
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1997-98	42	18.92	88.70	91.40	33.00	749	130	147	747	5.50	0.00	2888.00
1998-99	170	16.66	55.45	289.30	166.50	998	221	129	1472	8.58	76.00	649.00
1999-2000												11535*

*जनवरी, 2000 तक पूरे किए/प्रगति वाले कार्य। अब तक कार्यवार ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

विवरण-III

वर्ष 1997-98

(लाख रु० में)

जिला	अथशेष	आबंटन (केन्द्र+ राज्य)	रिलीज (केन्द्र+ राज्य)	कुल उपलब्धता	उपयोग की गई निधियां	प्रतिशत उपयोग
नलबारी	37.47	340.36	424.10	461.57	299.48	64.88
बारपेटा	136.11	280.81	276.50	412.61	315.61	76.49
बोंगई गांव	170.91	408.18	415.23	586.14	475.30	81.09

वर्ष 1998-99

(लाख रु० में)

जिला	अथशेष	आबंटन (केन्द्र+ राज्य)	रिलीज (केन्द्र+ राज्य)	कुल उपलब्धता	उपयोग की गई निधियां	प्रतिशत उपयोग
नलबारी	11.67	445.24	996.30	1007.97	372.31	36.94
बारपेटा	42.70	367.34	714.09	756.79	248.99	32.90
बोंगई गांव	69.47	533.95	1770.38	1839.85	889.88	48.37

वर्ष 1999-2000

(लाख रु० में)

जिला	अथशेष	आबंटन (केन्द्र+ राज्य)	रिलीज (केन्द्र+ राज्य)	कुल उपलब्धता	उपयोग की गई निधियां	प्रतिशत उपयोग
नलबारी	382.01	378.17	189.09	571.10	550.02	96.31
बारपेटा	490.81	312.00	156.00	646.81	505.75	78.19
बोंगई गांव	347.00	453.52	226.75	573.75	434.31	75.70

जनवरी 2000 तक रिलीज/उपयोग।

भारतीय रेलवे प्रयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद का गठन

4291. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे प्रयोगकर्ता परामर्शदात्री परिषद के गठन को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सभापति तथा सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके पैनल के लिए मनोनीत/चयनित सभापति और सदस्यों के लिए निर्धारित मानदंड अलग-अलग क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पैनल की मौजूदा स्थिति क्या है तथा इसे अंतिम रूप देने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद का 1.4.2000 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया गया है। विभिन्न वर्ग जो राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रकार है :

1. भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव	3
2. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य	7
3. संसद सदस्य (10 लोक सभा से 5 राज्य सभा से)	15
4. प्रत्येक क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति का एक-एक प्रतिनिधि	9
5. कतिपय चैम्बर्स आफ कॉमर्स और अखिल भारतीय एसोसिएशनों प्रत्येक से एक सदस्य	7
6. कृषि हित	1
7. कोंकण रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति का प्रतिनिधि	1
8. रेलवे के सेवानिवृत्त अधिकारी (बोर्ड के सदस्य/महाप्रबंधक)	2
9. विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य	रेल मंत्री जी द्वारा जैसा भी आवश्यक समझा जाए और नामित किया जाए।

क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के 9 प्रतिनिधि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधि और कृषि हित के एक प्रतिनिधि के अलावा सभी अन्य नामांकन अब प्राप्त हो गए हैं और यथासमय औपचारिक सूचना भेज दी जाएगी।

राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद की बैठक की अध्यक्षता रेल मंत्री जी करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में रेल राज्य मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

[हिन्दी]

हज तीर्थ यात्री

4292. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भी हज तीर्थ यात्रियों को लाने ले जाने का ठेका उसी निजी एयरलाइंस को दिया गया है जिसे 2-3 वर्ष पहले से इस काम के लिए दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस एयरलाइंस के विमान नई दिल्ली और जेद्दाह में दो बार एक-दूसरे के साथ टकरा चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस घटना के कारण उड़ानों में दो दिन का विलंब हो गया था जिससे हजारों हज तीर्थ यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ीं; और

(छ) यदि हां, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) हज चार्टर समिति द्वारा मूल्यांकन की गई वैश्विक निविदा के द्वारा, हज-2000 के लिए हज यात्रियों को लाने-ले-जाने का ठेका मैसर्स मिडो एविएशन ग्रुप को दिया गया था। हज-1999 का ठेका भी उसी पक्ष को दिया गया था। किन्तु हज-1998 के लिए मैसर्स एयर चार्टर वर्ल्ड को ठेका दिया गया था।

(ग) दिनांक 25.2.2000 को जेद्दाह में मात्र एक दुर्घटना हुई थी जब टावर एयर के दो बी-747 विमानों के विंग टीप एक-दूसरे से टकरा गए जब विमानपत्तन हैंडलिंग कर्मचारी द्वारा एक विमान ले जाया जा रहा था। दूसरी घटना दिनांक 9.2.2000 को पालम हवाई अड्डा दिल्ली में हुई जहां टावर एयर का बोइंग 747 विमान एन 618 एफ एफ एयरोब्रिज से टकरा गया।

(घ) और (ङ) नागर विमान महानिदेशालय द्वारा पहली घटना के संबंध में की गई छानबीन में रहस्योद्घाटन किया गया कि :

(1) रैम्प एरिया संख्या 11 में विमानों की पार्किंग के लिए रैम्प पर कोई चिह्नांकन नहीं था।

(2) रैम्प की प्रकाश-व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी।

(3) विमान की मार्शलिंग के लिए कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था। विमान की टैक्सिंग करने वाले अभियंता ने टैक्सी पथ की पीली रेखा का अनुसरण किया; और

(4) विंग टीप क्लियरेंस को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपस्थित नहीं था। पालम हवाई अड्डा पर उपलब्ध कराई गई पापा एग्नीस प्रणाली (ऑटो मार्शलिंग प्रणाली) से विमान-चालक की अनभिज्ञता के कारण दूसरी घटना घटित हुई।

(च) और (छ) जी, हां। ऐसी घटना से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) रैम्प क्षेत्र 11 में रखे गए सभी विमानों को टैक्सीपथ से पार्किंग स्थल पर रखा जाएगा जिसमें विंग टिप्स पर टहलने वाले व्यक्ति भी शामिल होंगे जिससे उपयुक्त क्लियरेंस सुनिश्चित हो सके।

(2) टैक्सी की घटना में अंतर्ग्रस्त अभियंता को अगली जांच-पड़ताल होने तक टैक्सी ड्यूटी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) एयरलाइनों को सलाह दी गई है कि वे हज-2000 प्रचालनों के लिए अंतर्ग्रस्त पायलट को रोस्टर में शामिल नहीं करें।

(4) प्रचालक को ऐसी भी सलाह दी गई थी कि वे विभिन्न भारतीय विमानपत्तनों पर विमानपत्तन भू-सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर हज-2000 की उड़ानें प्रचालित करने के बारे में विमानचालकों को पर्याप्त जानकारी दें।

[अनुवाद]

बुलढाना जिले में सांस्कृतिक केन्द्र

4293. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिले में कोई सांस्कृतिक केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्र को कब खोल दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत में वृद्धि

4294. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खरीद की आर्थिक लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 के दौरान गेहूं और चावल की खरीद की अनुमानित आर्थिक लागत कितनी है;

(ग) उक्त लागत गत वर्ष की लागत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है; और

(घ) इस वृद्धि के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान गेहूं और चावल की भारतीय खाद्य निगम की अनुमानित आर्थिक लागत क्रमशः 820/- रुपए प्रति क्विंटल और 1076/- रुपए प्रति क्विंटल (लगभग) थी।

(ग) 1998-99 की अनुमानित आर्थिक लागत की तुलना में 1999-2000 के दौरान गेहूं और चावल की अनुमानित आर्थिक लागत में प्रतिशत-वार क्रमशः 2.87 प्रतिशत और 4.80 प्रतिशत (लगभग) की वृद्धि हुई है।

(घ) आर्थिक लागत में वृद्धि मुख्यरूप से गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई वृद्धि के कारण हुई है जो यथामूल्य आधार पर राज्यों द्वारा लगाए गए सांविधिक प्रभारों में वृद्धि के कारण हुई है।

[अनुवाद]

स्वतंत्र रेलवे विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

4295. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने रेलवे के निगमितीकरण हेतु स्वतंत्र रेलवे विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 14.1.2000 को 'रेल बजट, 2000-01 बजट पूर्व प्रस्तावों' के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) द्वारा परिपत्रित किए गए पृष्ठभूमि प्रलेख में निम्नलिखित सुझाव अंतर्विष्ट था :

"भारतीय रेल के लिए ऑपरेटरों से अलग और वित्तीय रूप से स्वतंत्र एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। यह विनियामक प्राधिकरण ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में मदद करेगा जिससे अधिकतम प्रतिस्पर्धा हो सके। इससे मतभेदों को दूर करने, आम जनता के हितों की रक्षा करने, जवाबदेही में सुधार लाने, निजी भागीदारों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तथा टैरिफ को औचित्यपूर्ण बनाने में मदद मिलेगी। यह विनियामक प्राधिकरण यथाशीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए।"

(ग) रेल प्रणाली के समग्र कामकाज की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और विभिन्न मंचों से प्राप्त ऐसी सभी सिफारिशों पर विचार किया जाता है और जब कभी अपेक्षित होता है आवश्यक परिवर्तन/सुधार किए जाते हैं। इस समय नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनामिक रिसर्च के महानिदेशक डॉ० राकेश मोहन की अध्यक्षता में रेल क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। इस कार्यदल के विचारार्थ विषयों, में से एक विषय उन उपयुक्त विनियामक प्रबंधों की सिफारिश करना है जिनसे प्रणाली का सुचारू विस्तार करने, प्रतिस्पर्धा में वांछित स्तर तक वृद्धि करने तथा गुणवत्ता वाली सेवा के संबंध में उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने में सुविधा हो।

[हिन्दी]

सामान का परिवहन

4296. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सामान के परिवहन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पार्सल सामान को समय पर न भेजने, मेल एक्सप्रैस, यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों द्वारा सामान को गंतव्य स्थानों से आगे भेजने के परिणामस्वरूप दावों के रूप में रेलवे द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया और इस संबंध में कितने मामले लंबित पड़े हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 2000-2001 के लिए 475 मिलियन टन का लक्ष्य 1999-2000 (सं० अ०) के लिए निर्धारित 450 मिलियन के लक्ष्य की तुलना में 25 मिलियन टन की वृद्धि प्रक्षेपित करता है। यह वर्धमान माल लदान मुख्यत: कोयले, सीमेंट, इस्पात संयंत्रों के लिए सामग्री, तैयार इस्पात और पेट्रोल, तेल स्नेहक उत्पादों के संचलन से फलीभूत होने की आशा है। इस वर्धमान यातायात की ढुलाई के लिए पर्याप्त परिवहन क्षमता सृजित करने के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में खुले, बंद तथा सपाट माल डिब्बे और रेल इंजन प्राप्त करने की योजना बनाई गई है। मुख्य माल गलियारों के संतृप्तता के निकट होने की समस्या का समाधान करने के लिए प्रापण योजना में उच्च अश्वशक्ति वाले डीजल और बिजली रेल इंजनों को सेवा में लगाने की व्यवस्था की गई है। टर्मिनलों की क्षमता जो ग्राहकों की मांग पर्याप्त तरीके से पूरा नहीं कर पा रही है, बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अन्य साधनों की तुलना में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के उद्देश्य से रेलों ने नवंबर 99 में डीजल मूल्यों में वृद्धि के बावजूद किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि नहीं की है। इसके अलावा, हालांकि बजट प्रस्तावों में 5 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, तथापि मुख्य राजस्व उपार्जक यथा कोयला, इस्पात, पेट्रोलियम, और सीमेंट को काफी राहत दी गई है ताकि इन पण्यों के मालभाड़े में केवल लगभग 2 प्रतिशत की सीमा तक वृद्धि हो। इसके अलावा, आयातित कोयले के लिए पहले प्रदान की गई रियायत 1.4.2000 से वापिस ले ली गई। इसके साथ ही, धुले हुए कोयले पर अधिभार भी जो घरेलू धुले हुए कोयले को आयातित किस्म की तुलना में प्रतिकूल स्थिति में पहुंचा रहा था, वापिस ले लिया गया है। इन दोनों कार्रवाइयों से घरेलू कोयले की लंबी दूरी की ढुलाई बढ़ने की आशा है।

(ख) स्वभावत: पारवहन विलंब अथवा अधिक ढुलाई के कारण मुआवजा दावों के भुगतान के तब तक पात्र नहीं हैं जब तक इसके परिणामस्वरूप माल को क्षति, नुकसान अथवा ह्रास नहीं होता जिसके लिए रेलें रेल अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत उत्तरदायी हैं। अत: इस कारण लंबित दावों का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के बेड़े का विस्तार

4297. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :
प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने 'ड्राई लीज' पर चार ए 310 विमान लेकर अपने बेड़े को विस्तृत करने के एक प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये चार विमान कब तक बेड़े में शामिल कर लिये जाएंगे;

(ग) क्या इसके साथ ही एयर इंडिया का विचार छ: और एससीसीआर विमान खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या पुराने विमानों को एयर इंडिया के वर्तमान बेड़े से हटा दिया जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या नये विमानों के लिए पर्याप्त संख्या में यात्री उपलब्ध होंगे;

(च) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया के लिए नए विमान लेना व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई अध्ययन कराए गए हों तो उनका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (छ) एयर इंडिया कुछ विमान किस्मों को बेचकर जबकि बाकी विमान किस्मों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता से सामंजस्य रखकर ड्राई लीज के जरिए ऐसी क्षमता का प्रतिस्थापन करते हुए अपने विमान-बेड़े के युक्तिकरण की संभावना का पता लगा रही है। इस समय नए विमान की खरीद संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

आस्ट्रेलिया के साथ सैन्य संबंध

4298. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सैन्य संबंध पुन: स्थापित करने का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) इससे दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों में किस हद तक सुधार होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने मार्च, 2000 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान हमारे विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था। इस विचार-विमर्श के दौरान दोनों देशों ने यह महसूस किया कि केवल अप्रसार संधि के अकेले मामले को लेकर आपसी संबंधों में गतिरोध नहीं आना चाहिए और 'सिद्धांत रूप' में यह सहमति हुई कि दोनों देशों के मध्य रक्षा संबंध बहाल किए जाएं। रक्षा संबंधों की बहाली के तौर-तरीके राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।

रक्षा संबंधों की बहाली में रक्षा अताशों की पुन: तैनाती, दोनों देशों के रक्षा कार्मिकों द्वारा आपसी दौरे, सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त नौसेना अभ्यास और अन्य प्रकार के रक्षा सहयोग आदि शुरू करना शामिल हैं।

हेलीकाप्टर सेवा की शुरूआत

4299. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला के पर्यटक महत्व को देखते हुए वहां के लिए हेलीकाप्टर सेवा शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्षमता तंगी और राज्य सरकारों/तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इत्यादि के साथ लंबी अवधि के लिए की गई वचनबद्धताओं के कारण, पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड की शिमला के लिए हेलीकाप्टर सेवाएं प्रचालित करने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

[हिन्दी]

अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मूलभूत सुविधाएं

4300. श्री मानसिंह पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के अहमदाबाद हवाई अड्डे से कितनी मासिक आमदनी होती है;

(ख) अहमदाबाद हवाई अड्डे के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या उक्त हवाई अड्डे पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए वहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास अहमदाबाद हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए यात्री निवास और अमानती सामान घर की सुविधा संबंधी कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) वर्ष 1999-2000 के लिए अहमदाबाद विमानपत्तन से प्राप्त मासिक आय 118.92 लाख रु० थी।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान अहमदाबाद विमानपत्तन के विकास कार्य पर व्यय की गई राशि 20.05 करोड़ रु० थी।

(ग) इस विमानपत्तन पर यात्रियों के लिए सभी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। किन्तु, यात्री यातायात में वृद्धि को पूरा करने के लिए, एक समय में 40 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर 600 यात्रियों की सेवा करने के लिए एक नये अंतर्देशीय प्रस्थान टर्मिनल की योजना है।

(घ) और (ङ) प्रस्तावित नए अंतर्देशीय प्रस्थान भवन में विश्राम-कक्ष के रूप में अमानती घर तथा ठहरने की सुविधा का प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य को अवार्ड किए जाने की तारीख से 30 महीने के भीतर परियोजना के पूरा होने की संभावना है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का निजीकरण

4301. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के कतिपय विमानपत्तनों का निजीकरण किए जाने के अपने निर्णय की पुन: समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलौर और हैदराबाद के विमानपत्तनों का निर्माण अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप संयुक्त उद्यम द्वारा किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार से इन परियोजनाओं के लिए विचार-विमर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) बंगलौर और हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर के नए विमानपत्तन के निर्माण कार्य का प्रस्ताव क्रमश: कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा रखे गए थे। संघ सरकार ने प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है।

ओन योर वेगन स्कीम

4302. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने 'ओन योर वेगन स्कीम' के पट्टा प्रभार को मुख्य ऋण ब्याज दर के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 'ओन योर वेगन स्कीम' के अंतर्गत कितने वैगन पट्टे पर दिए गए हैं;

(घ) क्या इस स्कीम के अपेक्षित परिणाम नहीं निकले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्कीम को संशोधित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) पट्टा प्रभारों का भुगतान मिडियम टर्म प्राइम लैंडिंग रेट, कॉर्पोरेट टेक्स और मूल्यह्रास लाभ से संबद्ध कर दिया गया है ताकि इसे वास्तविक धन बाजार शर्तों के अनुरूप लाया जा सके।

(ग) फरवरी 2000 तक भारतीय रेलों को 16470 माल डिब्बे (चौपहियों के हिसाब से) पट्टे पर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) योजना के प्रति रुझान सामान्य है। बहरहाल, योजना को समय-समय पर कारगर बनाया जाता है ताकि ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बिहार में गंगा नदी के ऊपर रेल सह सड़क पुल का निर्माण

4303. श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर और खगड़िया जिलों के बीच गंगा नदी पर रेल सड़क पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि जारी की गई और अभी तक उस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। तकनीकी मापदंड और निश्चित लागत तथा प्रतिफल की दर निर्धारित करने के लिए मॉडल अध्ययन सहित अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं। इसके उपलब्ध हो जाने के बाद, योजना आयोग, विस्तारित बोर्ड और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति से स्वीकृति के लिए परियोजना पर कार्रवाई की जाएगी।

(ख) और (ग) इस सर्वेक्षण पर 31.3.2000 तक 50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। 2000-2001 के बजट में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान भाड़े में छूट

4304. श्री रमाकांत आंग्ले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में यात्रा करते समय वरिष्ठ नागरिकों, खिलाड़ियों, विकलांग व्यक्तियों और स्कूल/कॉलेज के छात्रों को आज की तारीख में भाड़े में ग्राह्य छूट का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : इंडियन एयरलाइंस इस समय वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, नेत्रहीन व्यक्तियों तथा 80 प्रतिशत तथा उससे अधिक गति-विषयक विकलांग व्यक्तियों को घरेलू सैक्टरों पर यात्रा हेतु इकॉनामी क्लास आईएनआर किराया संघटक पर 50 प्रतिशत छूट दे रही है। वे खिलाड़ी जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के रहने वाले हैं को सामान्य इकॉनामी क्लास किराया संघटक पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। एक ओर जहां कलकत्ता और गुवाहाटी के बीच वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर किसी स्थान के लिए भी यात्रा हेतु छूट दी जाती है।

जम्मू-कश्मीर में रेलगाड़ियों के सुरक्षा संबंधी खतरों के संबंध में जानकारी

4305. श्रीमती रक्षमा सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक ने हाल ही में रेलवे बोर्ड को जम्मू-तवी रेल स्टेशन से जाने वाली रेलगाड़ियों के सुरक्षा संबंधी खतरों के संबंध में जानकारी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा रेलवे सुरक्षा हेतु भेजे गए अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 37.36 लाख रुपये की लागत पर जम्मूतवी और अटारी रेलवे स्टेशनों पर सी सी टी वी की व्यवस्था करने और जम्मू और धधवाल पर 41.54 लाख रुपये की लागत से रा०रे०पु० के लिए बैरकों के निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने रेलवे को (i) जम्मूतवी से धधवाल तक रेलपथ के साथ-साथ प्रकाश व्यवस्था करने; (ii) रेलपथ की संरक्षा के लिए गश्त लगाने हेतु पैदल पथ; और (iii) जम्मूतवी से धधवाल तक कटीले तार लगाने की व्यवस्था करने के लिए कहा था।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को इन कार्यों को जम्मू एवं कश्मीर सरकार से स्वीकृति करने और रेलवे द्वारा किसी कार्य को शुरू करने से पहले आवश्यक निधियों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास

4306. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों की विकास योजना (डी०डब्ल्यू०सी०आर०ए०) के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार क्या उपलब्धियां रहीं?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) के अंतर्गत देश के सभी जिलों को कवर किया गया था।

(ख) डवाकरा 1.4.1999 से अस्तित्व में नहीं है। एक नया व्यापक स्व-रोजगार कार्यक्रम-स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी० एस०वाई०)-1.4.1999 से शुरू की गई है।

(ग) 1997-98 और 1998-99 के दौरान डवाकरा के अंतर्गत लाभान्वित लोगों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान डवाकरा की राज्य-वार प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीज (लाख रु०)	राज्य रिलीज (लाख रु०)	बनाए गए समूहों की संख्या	केन्द्रीय रिलीज (लाख रु०)	राज्य रिलीज (लाख रु०)	बनाए गए समूहों की संख्या
1	2	5	7	12	5	7	12
1.	आंध्र प्रदेश	2914.29	217.54	2557	362.25	362.25	7178
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.21	0.38	20	12.48	14.74	154
3.	असम	554.78	62.51	369	136.16	74.75	1256
4.	बिहार	620.08	786.87	4834	226.78	236.10	2354
5.	गोवा	1.51	1.51	12	3.15	4.04	30
6.	गुजरात	705.11	697.50	1365	127.64	193.16	1375
7.	हरियाणा	58.73	21.17	366	63.38	63.38	553
8.	हिमाचल प्रदेश	28.36	17.83	295	30.87	30.24	348
9.	जम्मू व कश्मीर	30.01	27.27	659	59.97	60.00	695
10.	कर्नाटक	635.28	164.24	1364	169.33	169.34	2243
11.	केरल	131.66	136.49	1397	88.83	88.83	1355
12.	मध्य प्रदेश	358.22	206.51	3290	332.89	268.38	2717
13.	महाराष्ट्र	453.33	300.00	2763	239.15	239.15	2324

1	2	5	7	12	5	7	12
14.	मणिपुर	4.10	एनआर	0	12.22	15.00	247
15.	मेघालय	21.92	12.42	33	16.13	26.43	261
16.	मिजोरम	7.71	3.78	25	8.56	8.57	136
17.	नागालैंड	12.00	0.00	25	8.19	0.00	104
18.	उड़ीसा	603.80	142.08	2379	179.13	178.66	1730
19.	पंजाब	28.74	44.30	338	60.61	62.29	529
20.	राजस्थान	0.00	0.00	90	7.56	75.00	360
21.	सिक्किम	5.42	10.50	138	10.90	10.50	126
22.	तमिलनाडु	543.41	245.83	2292	245.79	245.83	2041
23.	त्रिपुरा	68.04	67.91	220	11.34	10.32	182
24.	उत्तर प्रदेश	1504.57	559.98	9205	491.27	472.50	6098
25.	पश्चिम बंगाल	114.28	45.23	14440	82.03	140.74	1986
	संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.26	—	14	5.29	—	28
2.	दादरा व नगर हवेली	0.00	—	0	0.00	—	0
3.	दमन व दीव	0.00	—	0	0.00	—	0
4.	लक्षद्वीप	0.00	—	6	0.00	—	6
5.	पांडिचेरी	0.00	—	7	0.00	—	14
	कुल	9416.79	3771.84	35503	2991.96	3060.20	36436

[अनुवाद]

बुक स्टॉल के समझौतों में स्वत: नवीकरण खंड का अंत:स्थापित किया जाना

4307. श्री भान सिंह भौरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 7 दिसंबर, 1961 के पत्र संख्या 61 टी जी III/461 के अनुसार सभी बुक स्टॉलों में स्वत: नवीकरण खंड अंत:स्थापित किया गया था;

(ख) क्या उक्त स्वत: नवीकरण खंड को दिनांक 4 फरवरी, 1967 के पत्र संख्या 66 टी जी II/461 के अनुसार विधि मंत्रालय के परामर्श से सभी बुक स्टॉलों समझौतों से हटा दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कंपनी के मामले में 9 वर्षों की अवधि के लिए सभी बुक स्टॉलों का नवीकरण न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1.1.1967 से प्रभावी 9 वर्ष की अवधि के लिए बुक स्टॉल करार का नवीकरण मैसर्स ए०एच० व्हीलर एंड कंपनी मैसर्स हिग्गिनबॉथम लि० को उनकी पिछली पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर स्वीकृत किया गया था। अन्य बुक स्टालों के मामले में, लाइसेंस प्रत्येक पांच वर्ष के बाद नवीकृत किए जाते हैं जो भारतीय रेलों पर अन्य खानपान/वेंडिंग लाइसेंसों की शर्तों के अनुरूप हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित समूह 'घ' के रिक्त पद

4308. श्रीमती रीना चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ, उत्तर प्रदेश, उत्तर रेलवे में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित समूह 'घ' के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) क्या संगत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से आवेदन कर चुके आवेदक अपने साक्षात्कार का काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो आवेदकों के चयन से संबंधित सभी औपचारिकताएं कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पनधारा विकास योजनाएं

4309. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और पुंछ क्षेत्र में पनधारा विकास योजना हेतु वित्त वर्ष 1999-2000 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और योजना के तहत कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या इस योजना ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) 'पनधारा (वाटरशेड) योजना' के नाम से कोई योजना नहीं है। तथापि, भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है परन्तु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई अलग-अलग परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कार्यवाही की जाती है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान जम्मू और पुंछ जिलों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई थी।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

बुलेट प्रूफ वाहनों में प्रयुक्त इस्पात की घटिया गुणवत्ता

4310. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के सहयोग से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा तैयार बुलेट प्रूफ इस्पात, जिसका उपयोग व्यापक रूप से बुलेट-प्रूफ वाहनों के लिए किया जाता है, इन वाहनों के लिए अनुपयुक्त साबित हुए हैं;

(ख), यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया बुलेट प्रूफ इस्पात, जो बुलेट प्रूफ वाहनों के निर्माण में व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है, को अनुपयुक्त प्रमाणित नहीं किया गया है। तथापि, बुलेट प्रूफ इस्पात के कुछ नमूने बैलिस्टिक परीक्षण में विफल हुए थे। जिन बैचों की सामग्री में विफलता पाई गई थी, उस सामग्री को निर्माण के लिए जारी नहीं किया गया था।

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने उत्पादन में होने वाली गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं।

गुजरात में रेल परियोजनाएं

4311. श्री दिनशा पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान रेल बजट में शामिल की गई गुजरात की उन विभिन्न रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो या तो संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण अथवा धन को अन्य कार्यों में खर्च करने के कारण आरंभ नहीं की जा सकीं;

(ख) धन के अन्यत्र उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लागत मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप सरकार को कितना घाटा उठाना पड़ा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस समय गुजरात में ऐसी कोई परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुवाहाटी-दीमापुर-तेजपुर सैक्टर के लिए उड़ान

4312. श्री एम०के० सुब्बा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुवाहाटी-दीमापुर-तेजपुर के बीच इस सैक्टर में उड़ान बारंबारता दो दिन से बढ़कर चार दिन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अग्रिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) इस समय, कोई विमान कंपनी गुवाहाटी-दीमापुर-तेजपुर मार्ग पर सेवा प्रचालित नहीं कर रही है। एलायंस एयर कलकत्ता-तेजपुर-दीमापुर-कलकत्ता मार्ग पर सप्ताह में दो बार जबकि जोरहाट-दीमापुर-कलकत्ता मार्ग पर भी सप्ताह में दो बार उड़ान सेवा प्रचालित करती है। गुवाहाटी-कलकत्ता-दिल्ली को जोड़ते हुए तेजपुर से उड़ानों की आवृत्ति में वृद्धि करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) विमान कंपनियां उन मार्ग संवितरण मार्गदर्शी सिद्धांत, जो विशिष्ट मार्ग-श्रेणी पर कतिपय न्यूनतम प्रचालन सेवाओं की व्यवस्था करते हैं, का अनुपालन करके अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार किसी भी स्थान की हवाई संपर्क से जोड़ने/किसी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

रेल कर्मचारियों को विदेश में प्रशिक्षण प्रदान करना

4313. डा० चरणदास महंत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों को अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/ज्ञानवर्धन दौरों आदि के लिए विदेशों में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 से लेकर अब तक संवर्गवार अर्थात् वर्ग 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष भेजा गया; और

(ग) कितने अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने/कार्य के संबंध में विदेशी दौरों पर एक से अधिक बार भेजा गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण/अल्पावधि कोर्स तथा ज्ञानवर्धक दौरों के लिए विदेश भेजा जाता है।

(ख) 1990-1999 के दौरान विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	वर्ग			
	'क'	'ख'	'ग'	'घ'
1990	155	6	52	कोई नहीं
1991	139	12	35	कोई नहीं
1992	149	25	49	कोई नहीं
1993	99	5	6	कोई नहीं
1994	101	1	2	कोई नहीं
1995	225	10	61	कोई नहीं
1996	139	3	21	कोई नहीं
1997	142	7	43	कोई नहीं
1998	86	19	124	कोई नहीं
1999	147	9	33	कोई नहीं

(ग) 1990-99 के दौरान 127 अधिकारियों को एक बार से अधिक विदेश प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और 6 अधिकारियों को एक बार से अधिक विदेश में कार्य दौरे पर भेजा गया।

रानीगंज रेल लाइन के बांकुरा तक विस्तार के लिए धन आबंटित करना

4314. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में रानीगंज से बांकुरा तक रेल लाइन के विस्तार कार्य के लिए धन आबंटित करने का है जो कि मेजिया एम०टी०पी०एस० तक पहले ही पूरा किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को कब तक आरंभ किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की अत्यधिक तंगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

4315. श्री अमर राय प्रधान : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनके मंत्रालय/विभागों/स्वायत्त निकायों और उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष-वार/श्रेणी-वार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने लोगों को नौकरियां दी गईं;

(ख) 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त प्रत्येक कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) ये रिक्त पद भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी आयात को ओ०जी०एल० से मुक्त करना

4316. श्री चितेन्द्र प्रसाद : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत चीनी के आयात को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार के पास चीनी के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड की उपलब्धियां

4317. श्री राजो सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार क्या उपलब्धि प्राप्त की है;

(ख) बिहार के लिए बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त/मंजूर परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित की जा रही वर्तमान गतिविधियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) भूमि संसाधन विभाग में राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड का कार्य बायो-मास विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत आधार पर वनेतर बंजरभूमि को विकसित करना है। इस प्रयोजन हेतु, बंजरभूमि के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता जारी की जाती है :

(i) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम।

(ii) गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता।

(iii) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण।

(iv) निवेश संवर्धन योजना।

(v) बंजरभूमि विकास कार्य बल।

विगत तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000 तक) के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए राज्य-वार उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बिहार में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का योजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) यद्यपि बंजरभूमि विकास कार्य बल संबंधी योजना को समाप्त कर दिया गया है तथा गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता योजना को कपार्ट को अंतरित कर दिया गया है तथापि, अन्य तीन योजनाएं चल रही हैं।

विवरण-I

क्रम सं०	राज्यों के नाम	जारी राशि (करोड़ रुपये में) (1997-98 से लेकर 1999-2000 तक)			
		समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण	गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता	निवेश संवर्धन योजना
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	30.06	5.54	0.06	0.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.09			
3.	असम	2.59	0.04		
4.	बिहार	0.38	0.33	0.12	
5.	दिल्ली		0.20		
6.	गुजरात	13.45	0.50	0.01	0.02
7.	हरियाणा	2.46	4.59	0.01	
8.	हिमाचल प्रदेश	11.84	1.55		
9.	जम्मू और कश्मीर	3.36		1.58	
10.	कर्नाटक	16.55	0.19	0.05	
11.	केरल	1.19	0.26	0.20	
12.	मध्य प्रदेश	14.84	0.29	0.10	
13.	महाराष्ट्र	6.60	0.26	0.05	0.02
14.	मेघालय	0.65	0.01		
15.	मणिपुर	5.88			
16.	नागालैंड	8.50	0.02		
17.	उड़ीसा	11.53	0.31	0.04	
18.	पंजाब	0.14	5.53		
19.	राजस्थान	11.96	1.90	0.03	0.02
20.	सिक्किम	6.32			
21.	तमिलनाडु	9.43	0.40	0.22	0.15
22.	त्रिपुरा	0.70			
23.	उत्तर प्रदेश	37.90	0.25	0.20	
24.	पश्चिम बंगाल		0.05	0.06	
	योग	196.42	22.22	2.73	0.28
25.	कपार्ट	2.50	शून्य	3.90	शून्य
	कुल योग	198.92	22.22	6.63	0.28

जहां तक बंजरभूमि विकास कार्य बल संबंधी योजना का संबंध है, इसे मध्य प्रदेश के मोरैना जिले में चंबल के बीहड़ों में, मृदा और नमी संरक्षण आदि सहित वनीकरण के जरिए बंजरभूमि को पुन: उपजाऊ बनाने हेतु एक अनुशासित बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित किया गया था। गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु 2.98 करोड़ रुपये के लगभग निधियां जारी की गई थीं। कार्य बल को 31.12.1999 को समाप्त कर दिया गया है।

विवरण-II

क्रम सं०	योजना का नाम	जारी निधियां (करोड़ रुपये में) (1997-98 से 1999-2000 तक)
(i)	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम	0.38
(ii)	गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता	0.12
(iii)	प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण	0.33
(iv)	निवेश संवर्धन योजना	शून्य
(v)	बंजरभूमि विकास कार्य बल	शून्य

एयर इंडिया में कर्मचारी

4318. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया में प्रति विमान 700 कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अन्य विमान कंपनियों जैसे ब्रिटिश एयरवेज, एयरफ्रांस और अमीरात इत्यादि विमानन कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) एयर इंडिया कर्मचारियों की संख्या कम करने और व्यवहार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) एयर इंडिया के 26 विमानों की विमान-बेड़ा क्षमता के आधार पर प्रति विमान कर्मचारियों की संख्या 686 है। एयर इंडिया में विमानों की संख्या की तुलना में कर्मचारियों की संख्या अधिक है क्योंकि मुश्किल से ही कोई बाह्य स्रोत अथवा सेवा राजसहायता तथा विमान बेड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

विमान कंपनियों के नाम	कर्मचारियों की संख्या
ब्रिटिश एयरलाइंस	64051
एयर फ्रांस	55747
अमीरात	5662

(घ) एयर इंडिया द्वारा स्टाफ खर्च में कमी लाने की दृष्टि से जनशक्ति को युक्तियुक्त बनाने तथा इसे व्यवहार्य बनाने की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) विदेश में भारतीय अधिकारियों के अनेक पद समाप्त कर दिए गए हैं; (2) दो स्वैच्छिक योजनाएं अधिसूचित की गई हैं—एक अपेक्षाकृत छोटा कार्य दिवस सप्ताह योजना जबकि दूसरी दो वर्ष तक बिना वेतन/भत्ते के अवकाश योजना जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है; (3) सेवानिवृत्ति की आयु सीमा फिर से 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है; (4) अप्रचालन क्षेत्र से प्रचालन क्षेत्रों में कर्मचारियों की पुनः तैनाती; और (5) अप्रचालन श्रेणियों में बाह्य भर्ती पर रोक।

[अनुवाद]

एन०सी०ई०एस० के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन

4319. श्री राजैया मल्लाला : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (एन०सी०ई०एस०) के अंतर्गत किन्हीं परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में नई परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में विभिन्न कार्यान्वयनाधीन अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं और आरंभ की जाने वाली संभावित नई परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश राज्य में प्रमुख कार्यान्ववयनाधीन अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं तथा आरंभ की जाने वाली संभावित नई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं०	स्रोत/प्रणालियां/ परियोजनाएं	कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	आरंभ की जाने वाली संभावित परियोजनाएं
1.	लघु पनबिजली	11.15 मेवा० क्षमता की 22 परियोजनाएं	34.20 मेवा० क्षमता की 14 परियोजनाएं
2.	एस पी वी विद्युत संयंत्र	100 किवा०पी० की 1 परियोजना	शून्य
3.	बायोमास विद्युत/ सहउत्पादन	118.91 मेवा० क्षमता की 19 परियोजनाएं	शून्य
4.	पवन विद्युत	शून्य	44 मेवा० क्षमता की 13 परियोजनाएं
5.	ऊर्जा पार्क	1 परियोजना	शून्य
6.	बायोमास गैसीफायर	1200 किवा० ई० की 14 परियोजनाएं	शून्य
7.	अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति कार्यक्रम	प्रतिदिन 105 टन ईंधन गुटिका क्षमता की 1 परियोजना (फेज-II) और ठोस अपशिष्ट से प्रतिदिन 3000 घनमीटर बायोगैस का 1 बायोमिथेनीकरण संयंत्र	शून्य

किवा० = किलोवाट
किवा०पी० = किलोवाट पीक
किवा०ई० = किलोवाट विद्युत
एसपीवी = सौर प्रकाशवोल्टीय

टी-90 टैंकों की खरीदारी

4320. श्री जी०एस० बसवराज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस से टी-90 टैंकों की खरीदारी का मामला इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या अर्जुन टैंकों के इंजन में निरन्तर एवं बार-बार तकनीकी खराबियां आ जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या टी-90 टैंकों की खरीदारी अर्जुन टैंकों के बदले में की गई है; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक टी-90 टैंक अर्जुन टैंक के समकक्ष हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) मूल्य वार्ता प्रगति पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लंबित रेल परियोजनाएं

4321. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति द्वारा रेलवे में दोषपूर्ण बजट और वित्तीय प्रबंधन जिससे अत्यधिक व्यय के कई मामले हुए परियोजनाओं को निष्पादित करने और लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता, अप्रयुक्त निधियों की वापसी इत्यादि के विविध प्रकरण सामने आए, के संबंध में केन्द्र सरकार विनियोग लेखे (रेल) 1996-97 संबंधी अपनी तृतीय रिपोर्ट (1998-99) में की गई सिफारिशों पर रेल विभाग ने अपनी कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार विनियोग लेखा (रेलवे) 1996-97 पर लोक लेखा समिति की अपनी तीसरी रिपोर्ट (1998-99) में रेल मंत्रालय से संबंधित की गई सिफारिश सं० 43 से 52 पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट 14.1.2000 को लोक लेखा समिति शाखा, लोक सभा सचिवालय को प्रस्तुत किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर संचार परियात

4322. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य रेलवे के अंतर्गत मुम्बई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्थित रेलवे टेलीफोन एक्सचेंज भारी संचार परियात कार्य करता है तथा कार्य के मुख्य घंटों में इसके माध्यम से 7 सैटेलाइट एक्सचेंज का कार्य होता है और यहां कनेक्शन आसानी से नहीं मिलता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने और इसके लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। यह सत्य है कि मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुम्बई स्थित रेलवे दूरभाष केन्द्र अत्यधिक दूरसंचार यातायात को संभालने के लिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस दूरभाष केन्द्र और 7 अन्य सैटेलाइट दूरभाष केन्द्रों के बीच पर्याप्त संख्या में जंक्शन लाइनों की व्यवस्था की गई है। बहरहाल, भारी दूरभाष यातायात के लगातार बढ़ने तथा टेलीफोन लाइनों की आवश्यकता में वृद्धि के कारण वर्ष 2000-2001 के रेल बजट में 1.0 करोड़ रु० की लागत से और अधिक जंक्शन लाइनों की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य शामिल किया गया है। कार्य निष्पादन के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई जाएगी।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति का गठन

4323. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक कर दिया जाएगा;

(घ) क्या राजभाषा हिन्दी का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें किन-किन हिन्दी समर्थकों को नियुक्त किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रेल मंत्रालय को हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग का प्रचार-प्रसार करने का एकमात्र आदर्श माना गया है;

(छ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने तदनुरूप हिन्दी स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह आयोजित किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रयोजन के लिए सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(ङ) चूंकि स्वर्ण जयंती वर्ष का कार्यक्रम रेल मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित रेलवे हिन्दी सलाहकर समिति की बैठक में इस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित था, अत: उपरोक्त समिति में किसी बाहरी सदस्य को सहयोजित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(च) हालांकि रेल मंत्रालय रेल कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का यथासंभव प्रयास करता रहा है, फिर भी वह स्वयं को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार के लिए एकमात्र आदर्श नहीं मानता।

(छ) बहरहाल रेल मंत्रालय उचित ढंग से स्वर्ण जयंती वर्ष उचित ढंग से मना रहा है।

(ज) एक विवरण संलग्न है। जिसमें राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष के महत्वपूर्ण कार्य-कलापों की रूपरेखा दर्शाई गई है।

विवरण

1. 'रेल और हिन्दी' विषय पर टी०वी० धारावाहिक का निर्माण।
2. संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी के माध्यम से भारत की मिली-जुली संस्कृति का संदेश सारे भारत में पहुंचाने के लिए 'राजभाषा कोच' चलाना।
3. विशेष राजभाषा कैलेंडर/स्टिकर/पत्र शीर्षों आदि का प्रकाशन।
4. भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अवसर पर रेलवे राजभाषा प्रदर्शनी का आयोजन।
5. निम्नलिखित विषयों पर हिन्दी में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था :

5.1 'भारतीय रेल के इतिहास के सुनहरे पन्ने'।

5.2 'रेल और हिन्दी साहित्य'।

5.3 'रेल और पुरातत्व'।

5.4 'रेल और विज्ञान'।

6. रेलवे वेबसाइट को द्विभाषी बनाने के लिए प्रयास।
7. द्विभाषिक रेलनेट बनाने के लिए प्रयास।
8. इंटरनेट पर भारतीय रेल के संबंध में तकनीकी शब्दावली उपलब्ध कराने के लिए प्रयास।
9. तकनीकी विषयों पर राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी में सेमिनारों का आयोजन।
10. रेले कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष कार्य योजना।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

4324. श्री चन्दकान्त खैरे :
डा० गिरिजा व्यास :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में आदर्श गांवों के रूप में विकसित किए गए गांवों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्यवार कितने गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में विशेषकर से औरंगाबाद में ऐसे कितने गांवों को विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन गांवों को कब तक विकसित करने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत केरल के नौ गांवों को आदर्श गांव के रूप में अनुमोदित किया गया था। केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को 1.4.99 को पुनर्गठित किया गया है। आबंटन आधारित कार्यक्रम को धीरे-धीरे 2002 तक समाप्त किया जा रहा है। अत: 2000-2001 के दौरान किसी नए आदर्श गांव के प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।

(ख) किसी आदर्श गांव के लिए अलग से कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, कर्नाटक की सरकार को केन्द्रीय अंश के रूप में लगभग 2.13 करोड़ रुपये की राशि नौ प्रस्तावों के लिए जारी की गई।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, औरंगाबाद जिले में किसी आदर्श स्वच्छता गांव को विकसित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाएं

4325. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के द्वारा भेजी गई ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को दी गई वित्तीय और प्रशासकीय मंजूरी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : (क) से (ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमन और दीव ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास की कोई योजना केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ नहीं भेजी है।

आप्टिक फाईबर बिछाने हेतु संयुक्त उद्यम

4326. डॉ० सी० कृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राइट्स और गैर-सरकारी कंपनियों के बीच चेन्नई और दिल्ली, दिल्ली और मुम्बई के मध्य पूर्व में दूरसंचार क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के रूप में कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा और इन समझौता ज्ञापनों की शर्तें और मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) क्या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व इसे रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या समझौता ज्ञापन की कोई समीक्षा किए जाने के आदेश दिए गए थे;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) संबंधित कंपनियों द्वारा आप्टिकल फॉइबर को शीघ्रता से बिछाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यह पूरी परियोजना कब तक पूरी कर दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (छ) 3.10.97 को राइट्स ने रेलों के मार्गाधिकार का उपयोग करते हुए दूरसंचार व्यवसाय संयुक्त रूप से करने की संभावना का पता लगाने के लिए मैसर्स ग्लोबल टेली सिस्टमस, यू०एस०ए० के साथ एक सामान्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता ज्ञापन सामान्य प्रकृति का था और इसमें चेन्नई तथा दिल्ली या दिल्ली तथा मुम्बई के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए कोई निर्दिष्ट व्यवस्था नहीं थी। यह समझौता ज्ञापन 1.5.98 को समाप्त हो गया था क्योंकि मैसर्स ग्लोबल टेली सिस्टमस ने इस मामले में आगे दिलचस्पी नहीं दिखाई थी।

राइट्स ने 31.3.89 को मैसर्स बी०पी०एल० के साथ बेंगलूर और हैदराबाद तक संबद्ध संपर्कों सहित मुंबई-चेन्नई के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं :

(i) राइट्स और मैसर्स बी०पी०एल० को संयुक्त रूप से उपर्युक्त कार्य निष्पादित करना था।

(ii) ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क द्वारा सृजित अतिरिक्त दूरसंचार क्षमता का रेलों की आवश्यकता पूर्णतया पूरी करने के बाद वाणिज्यिक दोहन किया जाना था।

(iii) राइट्स और मैसर्स बी०पी०एल० को इस संयुक्त उद्यम में 51 : 49 के अनुपात में इक्विटी होनी थी जिसमें राइट्स का उच्चतर इक्विटी भागीदारी (51) थी। इक्विटी अनुपात को बाद में इस शर्त के साथ कि संयुक्त उद्यम के प्रबंधन का नियंत्रण रेल मंत्रालय के पास होगा, बदलकर 50 : 50 कर दिया जाना था।

(iv) सृजित किए जाने वाले शुद्ध लाभ का 20% रेल मंत्रालय को दिया जाना था।

(v) अंतिम संयुक्त उद्यम अनुबंध राइट्स तथा मैसर्स बी०पी०एल० के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया जाना था।

(vi) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद तैयारी संबंधी कार्य आरंभ होना था; और

(vii) अनसुलझे विवाद, यदि कोई हो, पंचाट अधिनियम के अनुसार निपटाए जाने थे।

राइट्स ने अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति लेने के बाद ही मैसर्स बी०पी०एल० के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। चूंकि यह समझौता ज्ञापन एक संयुक्त उद्यम बनाने के पश्चात् मुंबई-चेन्नई मार्ग पर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के संबंध में राइट्स और मैसर्स बी०पी०एल० के बीच एक सहमति मात्र था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए रेलवे बोर्ड से कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। बहरहाल, संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए रेल मंत्रालय की स्वीकृति की आवश्यकता है और यह नहीं दी गई थी क्योंकि रेल मंत्रालय ने इस दौरान निम्नलिखित को सुसाध्य बनाने के लिए 62,800 कि०मी० रेलपथ के साथ-साथ ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने द्वारा रेलों का मार्गाधिकार इस्तेमाल करते हुए एक राष्ट्र-व्यापी ब्रॉड बैंड दूरसंचार और मल्टी-मीडिया नेटवर्क का निर्माण करने का नीतिगत निर्णय ले लिया था—(क) रेलों की परिचालनिक, संरक्षा और सिगनल प्रणालियों का आधुनिकीकरण; (ख) राष्ट्रीय दूरसंचार अवसंरचना का संपूर्ण और एतद् द्वारा देश के सभी भागों, विशेश रूप से रेलपथों के निकट स्थित ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में दूरसंचार, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी-साधित सेवाओं के विकास को बढ़ावा; और (ग) रेलों की विकासात्मक और संरक्षा संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अत्यावश्यक राजस्व का सृजन। चूंकि ये उद्देश्य अपेक्षाकृत छोटे मार्गों यथा चेन्नई-मुंबई पर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाने के लिए राइट्स तथा अन्य रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुमति देने के खंडित तरीकों के माध्यम से प्राप्त नहीं हो रहे थे, इसलिए रेल मंत्रालय ने बी०पी०एल० के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए राइट्स के प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी। ब्रॉड बैंड दूरसंचार और मल्टी-मीडिया नेटवर्क तेजी से कार्यान्वित करने के लिए रेलों ने विशिष्ट रूप से इस नेटवर्क के निर्माण और दूरसंचार क्षमता तथा मूल्य एडिड सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के विपणन के लिए पेशेवर प्रबंधन के अधीन एक उद्यम स्थापित करने के उपाय किए हैं।

सीमा क्षेत्रों के निकट पाकिस्तान की गतिविधियां

4327. श्री आर०एल० भाटिया :

श्री अब्दुल हमीद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि फरवरी में मरुस्थल क्षेत्र में भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा संयुक्त युद्ध अभ्यास किए जाने के कारण हाल के दिनों में पंजाब-राजस्थान कच्छ सीमा के निकट पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या निवारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कच्छ/क्रीक सीमा पर पाकिस्तान की ओर उनके द्वारा कुछ सैन्य गतिविधियां तथा सैन्य संचलन, सैन्य टुकड़ियों

को फिर से व्यवस्थित करने और अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियां तैनात किए जाने की सूचना है।

किसी भी तरह की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों को गोद लेना

4328. श्री रामदास आठवले : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ने भारत के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव में सहभागिता के दृष्टिकोण से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से एक-एक ऐतिहासिक स्मारक को गोद लेने में रुचि दिखाई है और इस प्रयोजनार्थ कोई अनुदान सहायता भी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन ऐतिहासिक स्मारकों को गोद लेने की बात की गई है, साथ ही उस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम क्या है जिसने इस संबंध में प्रस्ताव किया है और इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी अनुदान राशि का आबंटन किया है;

(ग) क्या किसी अन्य सरकारी उपक्रम ने इस संबंध में कोई रुचि दिखाई है या कोई प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम लि० ने, राष्ट्रीय निधि के माध्यम से, कुछ केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव/विकास हेतु वित्त पोषण के प्रति अपना रुझान दर्शाया है। अभी तक कोई धन आबंटित नहीं किया गया है।

इस उद्देश्य के लिए भारतीय तेल निगम लि० ने निम्नलिखित केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को अभिनिर्धारित किया है :

1. कुतुब मीनार, नई दिल्ली
2. खजुराहो, छतरपुर, मध्य प्रदेश
3. हम्पी, बेल्लारी, कर्नाटक
4. नालन्दा, बिहार
5. रानी-की-वाव, पाटन, गुजरात
6. ऐलीफेंटा की गुफाएं, रायगढ़, महाराष्ट्र
7. सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
8. वट्टाकोट्टई किला, कन्याकुमारी, तमिलनाडु

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

घरेलू पर्यटकों के लिए पैकेज

4329. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य सरकारों तथा भारत पर्यटन विकास निगम के परामर्श से घरेलू पर्यटकों के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने भी प्रोत्साहन के तौर पर घरेलू पर्यटकों के लिए अनेक पैकेज तैयार किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों तथा भारत पर्यटन विकास निगम, दोनों द्वारा तैयार किए गए इन पैकेजों से घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में कहां तक सहायता मिली है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा तैयार किए गए टूअर पैकेजों के लिए पर्यटन मंत्रालय संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करता है।

भारत पर्यटन विकास निगम के टूअर पैकेजों में—परिवार सावकाश पैकेज, छात्र पैकेज, वरिष्ठ नागरिक पैकेज, ग्रांड हैरिटेज टूअर, बौद्ध श्रद्धांजलि टूअर और स्पेशल रेल पैकेज आदि शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदि राज्य/संघ शासित सरकारों के भी उनके अपने-अपने राज्यों में स्वयं पैकेज टूअर हैं।

(ग) से (ङ) भारत पर्यटन विकास निगम ने भी 'होलिडे बोनांजा फॉर डोमेस्टिक टूरिस्ट्स' में बड़ी संख्या में पैकेजों का संवर्धन किया है जिनमें शामिल हैं—कोच टूअर्स, भारत भ्रमण—छात्र पैकेज, गेटवे ऑफ इंडिया, जय जवान पैकेज और युवा हृदय मिलन पैकेज। राज्य पर्यटन विभागों और भारत पर्यटन विकास निगम दोनों ही के द्वारा तैयार किए गए टूअर पैकेजों में स्वदेशी पर्यटन का विकास करने तथा बढ़ावा देने में मदद की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के लिए अनुमानित स्वदेशी पर्यटक भ्रमण आंकड़े (आगमन) नीचे दिए गए अनुसार हैं :

वर्ष		स्वदेशी पर्यटक
1997	—	15,98,77,008
1998	—	16,69,27,910
1999	—	17,55,54,561

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होटल उद्योग

4330. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का होटल उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया मनोरंजन क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) होटल उद्योग को इस क्षेत्र में प्रवेश करने से कितना और किस तरह लाभ पहुंचने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) से (ङ) होटल उद्योग मुख्यत: निजी क्षेत्र का क्रियाकलाप है, इसलिए निजी क्षेत्र के होटल सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए विश्व के सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख प्रयोगकर्ताओं के साथ करार करके अपने यहां उपलब्ध सुविधाओं को सुधारने में प्रयासरत है। तथापि, होटल सामान्यत: प्रचार-प्रसार (मीडिया) मनोरंजन क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के क्रियाकलापों में शामिल हैं–इंटरनेट पर होटल संबंधी सूचना उपलब्ध कराना, इंटरनेट के माध्यम से सीधे आरक्षण की सुविधा, वेब साइट का विकास एवं सृजन तथा कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय आरक्षण प्रणाली आदि, जिसके परिणामस्वरूप होटल-विपणन की प्रवीणता में वृद्धि के साथ-साथ होटलों में अधिभोगिता में वृद्धि भी हो सकेगी।

[अनुवाद]

विमानपत्तन में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रवेश पत्र

4331. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों में प्रवेश हेतु अतिविशिष्ट व्यक्तियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों को कितने प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) क्या आई सी-814 विमान का अपहरण होने के बाद सरकार का विचार इन प्रवेश पत्रों को वापिस लेने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं तथा इन प्रवेश पत्रों को किन-किन वर्गों से वापिस लिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशिष्ट व्यक्तियों तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों के प्रवेश पत्र वापिस लिए जाने के बजाए विमानपत्तनों पर सुरक्षा में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) अतिविशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों की सुविधाओं हेतु अतिविशिष्ट व्यक्तियों/विशिष्ट व्यक्तियों के स्टाफ को कुल 413 प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार ने हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) चरणबद्ध रूप से परिचालन हवाई अड्डों पर सुरक्षा ड्यूटियों के संबंध में राज्य पुलिस के स्थान पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) कार्मिकों की तैनाती।

(2) प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश के समय, यात्रियों तथा हैंड बैगेज की जांच-पड़ताल को और कड़ा कर दिया गया है। लेडर प्वाइंट पर दूसरी बार की जांच लागू कर दी गई है।

(3) हवाई अड्डों की पहुंच पर कठोर नियंत्रण।

(4) अतिरिक्त सुरक्षा सावधानी के बतौर यादृच्छिक रूप से उड़ानों में स्काई मार्शलों की तैनाती।

(5) सभी चालू हवाई अड्डों पर निर्धारित ऊंचाई तक चारदीवारी को ऊंचा उठाना।

(6) पुरानी एक्सरे मशीनों को बदलना तथा जहां कहीं आवश्यक हो नई रंगीन एक्सरे मशीनों की संस्थापना करना ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि कम से कम दो एक्सरे मशीनें प्वाइंट पर उपलब्ध हैं।

(7) हवाई अड्डों की सुरक्षा से संबद्ध तकनीकी ढांचे का चरणबद्ध ढंग से आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन कार्य किया जा रहा है।

मुम्बई में जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह पर माल गोदाम का निर्माण

4332. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भांडागार निगम, मुम्बई के एक दल ने न्यू मुम्बई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर माल गोदाम के निर्माण कार्य में प्रगति की समीक्षा के लिए 28 जुलाई, 1999 को वहां का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दल ने केन्द्रीय भांडागार निगम, नयी दिल्ली के चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उस दल द्वारा द्रोणगीर नोडे में मालगोदाम के निर्माण कार्य पूरे होने और उस योजना के लिए उपलब्ध कराए गए सरकारी धन के दुरुपयोग संबंधी अपनी रिपोर्ट में किन-किन त्रुटियों को उजागर किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा कथित रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ङ) गोदामों के निर्माण की प्रगति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम के अधिकारियों के किसी दल ने 28.7.1999 को जवाहरलाल नेहरू पत्तन का दौरा नहीं किया था। तथापि, एक गैर-सरकारी निदेशक ने 28.7.1999 को इस स्थल का दौरा किया था और केन्द्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखा था। उनके द्वारा की गई टिप्पणियों की विस्तृत जांच की गई और कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई।

वैगन इंडिया लिमिटेड को बंद किया जाना

4333. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैगन इंडिया लिमिटेड को बंद करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वैगन इंडिया लिमिटेड उद्योग मंत्रालय के अधीन एक संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। वैगन इंडिया लिमिटेड की निरंतरता अथवा अन्यथा का मामला अभी विचाराधीन है।

कलकत्ता-सिलचर उड़ानें

4334. **श्री ए०एफ० गुलाम उस्मानी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से सिलचर की उड़ानें अत्याधिक अनियमित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या गुवाहाटी-सिलचर-गुवाहाटी क्षेत्र में अधिक उड़ानें आरंभ करने की मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई सेवाओं में वृद्धि के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, एयरलाइन अपने वाणिज्यिक विवेकानुसार किसी भी मार्ग पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते वे उन मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करे जिसमें विशेष मार्ग-श्रेणी के रूट पर कतिपय न्यूनतम प्रचालन सेवा करने का अनुबंध है।

मुम्बई में दूसरा हवाई अड्डा

4335. **श्री अनंत गंगाराम गीते**
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समीक्षा समिति ने मुम्बई के समीप दूसरा हवाई अड्डा स्थापित करने के संबंध में निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) से (ग) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को अप्रैल, 2000 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण की समीक्षा

4336. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एन०सी०डी०आर०सी०) के अध्यक्ष की राज्य के आयोगों के अध्यक्षों तथा उपभोक्ता मामलों के प्रभारी सरकारी सचिवों के साथ कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उन पर क्या निर्णय लिए गए; और

(ग) लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और निम्नलिखित सिफारिशें की गईं :

(i) राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोगों पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। राज्य आयोग स्वयं निपटाए गए और जिला मंचों द्वारा निपटाए गए मामलों से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय आयोग और राज्य/केन्द्र सरकारों को प्रस्तुत करेगा;

(ii) राज्य आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करेगा कि जिला मंच उपभोक्ताओं की शिकायतों पर जल्दी से न्याय देने के लिए प्रभावशाली ढंग से कार्य करे;

(iii) उपभोक्ता न्यायालयों में रिक्तियों को समय से भरा जाए और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जाएं;

(iv) अनावश्यक स्थगनों को टाला जाए, मामलों को तेजी से निपटाने के लिए मामलों का क्लब करने की प्रणाली अपनाई जाए और उपभोक्ता न्यायालय सभी कार्य दिवसों पर कार्य करें;

(v) उपभोक्ता न्यायालयों के सदस्यों की पूर्णकालिक आधार पर नियुक्ति की जाए; और

(vi) राष्ट्रीय आयोग/राज्य आयोग, शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए समान प्रक्रिया बनाएंगे।

(ग) बैठक की सिफारिशें, विचार करने तथा लागू करने के लिए राज्य सरकारों आदि को भेज दी गई हैं।

एन०सी०सी०एफ० द्वारा खरीद

4337. **श्रीमती आभा महतो** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994-95 से 1998-99 की अवधि के दौरान एन०सी०सी०एफ० को 343 लाख रुपए के सामान की खरीद करने

की अनुमति निविदाएं आमंत्रित करने की कानूनी औपचारिकता पूरी किए बिना कार्मिक विभाग तथा ए०आर० के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/4/80 कल्याण दिनांक 14 जुलाई, 1981 के अनुसरण में की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त खरीद करने के लिए किन अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने सरकारी विभागों को आपूर्ति किए जाने के लिए 1994-95 से 1998-99 के दौरान 343 लाख रु० की खरीद नहीं की है। तथापि, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 11.4.94 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/1/88-वेलफेयर-वा० II द्वारा पहले ही राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को विभिन्न सरकारी विभागों की आपूर्ति करने के लिए एक प्राधिकृत एजेंसी के रूप में अनुमोदित कर दिया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा विभिन्न वस्तुओं की खरीद, संगठन की खरीद प्रक्रियाओं के अनुरूप की गई है।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को वस्तुओं की खरीद के लिए सरकार से प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कन्नानौर-तिरुअनन्तपुरम एक्सप्रेस में अधिक डिब्बे लगाया जाना

4338. श्री ए०पी० अब्दुल्लाकुट्टी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्नानौर तिरुअनन्तपुरम एक्सप्रेस में अधिक डिब्बे लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में रेलवे ने कन्नानौर एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी डिब्बों के स्थान पर ए०सी० टू टियर तथा थ्री टियर डिब्बे लगाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। 6347/6348 कण्णोर-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस के डिब्बों में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह गाड़ी अधिकतम अनुमेय भार के साथ चल रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। 6347/6438 कण्णोर-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों को 7.2.2000 से वातानुकूल 3-टियर सवारी डिब्बे से बदल दिया गया है। इससे उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिए 41 अतिरिक्त स्थान सृजित हो गए हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का सड़ना

4339. श्री रामचन्द्र बैंदा :
डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री अनन्त नायक :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न नष्ट हो गया है और इनमें इसकी मात्रा घट गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हो गया है और अथवा घट गया है;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की घटिया किस्म और इसकी घटती मात्रा के कारणों पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) सरकार द्वारा घटिया खाद्यान्नों के उपयोग हेतु क्या प्रबंध किए गए हैं;

(च) क्या भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के गोदामों में अगली फसल (गेहूं) का भंडारण करने के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए खाद्यान्नों की वसूली के समय नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी न करें। ऐसे स्टाक का निपटान उच्च स्तरीय समिति और मंत्रालय के अनुमोदन से निविदा बिक्री, नीलामी आदि जैसे माध्यमों से किया जाता है। श्रेणी 'घ' के चावल और गेहूं के स्टाक की सफाई आदि करके और इसका उच्च श्रेणीकरण करने के पश्चात् इसे सामान्य माध्यम से भी जारी किया जाता है।

(च) और (छ) गेहूं के आगामी स्टाक को रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को इस बात के लिए पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि जब कभी आवश्यक हो वे अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराए पर ले सकते हैं।

बिहार में गोदामों का निर्माण

4340. श्रीमती रेनु कुमारी :
डॉ० जसवंत सिंह यादव :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा बिहार में कितने गोदामें के निर्माण की अनुमोदित स्वीकृति दी गई है;

(ख) मध्य बिहार के खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और बेगूसराय जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन गोदामों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है; और

(ग) इन गोदामों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) वर्ष 2000-2001 में केन्द्रीय भंडारण निगम की बिहार राज्य में भांडागारों का निर्माण करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की चोरी

4341. श्रीमती निवोदिता माने :
श्री राशिद अलवी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की मिलीभगत से भारतीय खाद्यान्न निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की भारी चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(ङ) क्या जांच एजेंसी ने विगत में कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) यदि नहीं, तो अंतरिम रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की चोरी को कम करने के लिए कोई व्यवहार्य और वहनीय नीति तैयार की है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ञ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। कुछेक मामलों में सुरक्षा स्टाफ और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी लापरवाह पाए गए थे। तथापि, ऐसा कोई भी मामला नोटिस में नहीं आया है जिससे भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ साठगांठ का पता चलता हो।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई चोरी के वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	मामले की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	रिकवर की गई राशि
1997-98	10	14,14,044	11,92,154
1998-99	18	7,02,924	4,76,075
1999-2000	22	8,15,558	87,848
जोड़	50	29,32,526	17,56,077

(ग) जी, हां।

(घ) इन मामलों में जांच करने के लिए पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम ने तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए विभागीय जांच भी की थी। लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। अधिकांश मामलों में विभागीय जांच पहले ही पूरी हो चुकी है जबकि कुछ मामले में अभी जांच कार्य चल रहा है।

(ङ) पुलिस ने कुछ मामलों में लापता/बंद रिपोर्ट प्रस्तुत की है जबकि अन्य मामलों में पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है और ये मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं।

(च) जिन मामलों में पुलिस सबूत जुटा पाई थी और अभियुक्त पकड़े गए थे ऐसे मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं। लापरवाही बरतने के लिए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है।

(छ) पुलिस जांच की जा रही है और न्यायालय में मुकदमें चल रहे हैं तथा उनकी प्रगति की मानीटरिंग की जाती है।

(ज) जी, हां।

(झ) खाद्यान्नों की सुरक्षा के लिए भारतीय खाद्य निगम का निगरानी स्टाफ तैनात किया गया है। इसके अलावा, स्थानीय पुलिस, होमगार्ड, राज्य सशस्त्र बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भी मदद ली जाती है।

(ञ) प्रश्न नहीं उठता।

माप तौल अधिनियम, 1975 का कार्यान्वयन

4342. श्री दिलीप संघाणी : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पैक बंद दूध उद्योग में माप तौल अधिनियम, 1975 को कड़ाई से लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 के उपबंधों के तहत बनाए गए बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 1977 में 'पैक किए गए दूध' सहित पैकेज में रखी गई वस्तुओं को विनियमित करने का प्रावधान है। इन नियमों के तहत विनिर्माताओं/पैकरों के लिए पैकेज पर उपभोक्ताओं के महत्व की कुछ अनिवार्य घोषणाएं करना अपेक्षित है, जैसे–(i) विनिर्माता/पैकर का नाम और पता, (ii) वस्तु का नाम, (iii) शुद्ध मात्रा, (iv) पैकिंग का माह व वर्ष, (v) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) के रूप में खुदरा बिक्री मूल्य। तथापि द्रव दूधयुक्त बोतल/थैली को पैकिंग के माह और वर्ष की घोषणा करने से छूट दी गई है। द्रव दूधयुक्त बोतल पर 'खुदरा विक्रय मूल्य' की घोषणा में भी छूट दी गई है। नियमों में मात्रा संबंध कुछ सहन सीमा भी निर्धारित की गई है। उक्त नियमों के उपबंधों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य प्रवर्तन तंत्र की है। जब भी उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है, राज्य प्राधिकारी इस पर नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करते हैं।

चावल का सड़ना

4343. प्रो० दुखा भगत :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री महबूब जहेदी :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलैक्स स्पेसीफिकेशन का लगभग 30 लाख टन चावल बेकार पड़ा है क्योंकि किसी भी उपभोक्त राज्य ने घटिया क्वालिटी के चावल को स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी श्रेणी 'घ' का दूसरा तीन लाख टन चावल भी जारी नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन चावलों को कैसे इस्तेमाल करने का है;

(घ) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि खाद्यान्न खरीद भंडारण और वितरण प्रणाली में कुछ गड़बड़ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार को भारी घाटा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। शिथिल विनिर्दिष्टियों के अधीन वसूल 143.39 लाख टन चावल में से केवल 20.68 लाख टन चावल 1.3.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास रखा था। इस चावल की गुणवत्ता उचित औसत किस्म के नजदीक है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानदंडों के अंदर है और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए इसकी आपूर्ति विभिन्न राज्यों को की जा रही है। तथापि, कुछेक राज्यों ने इस चावल, विशेष रूप से पंजाब में वसूल किए गए चावल को स्वीकार करने में अनिच्छा दर्शायी है।

(ख) और (ग) 1.3.2000 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास 'घ' श्रेणी का 1.96 लाख टन चावल उपलब्ध था, जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है और जिसे साफ करने और आवश्यक उच्च श्रेणीकरण करने के बाद सामान्य तरीके से जारी किया जा सकता है। श्रेणी 'घ' के चावल का निपटान निविदा बिक्री के माध्यम से किया जाता है।

(घ) जी, नहीं। खाद्यान्नों की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित एकल/शिथिल विनिर्दिष्टियों के अनुरूप की जाती है और वैज्ञानिक तरीके से इसका भंडारण गोदामों/कैप कॉम्पलैक्सों में किया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानदंडों के अनुरूप और कीट जन्तुबाधा से मुक्त खाद्यान्न स्टाक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को जारी किया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुली अदालत

4344. श्री रामजीवन सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुली अदालत लगाने और स्टेशन के उप-अधीक्षक को न्यायालय की हिरासत में लिए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त स्थिति उत्पन्न होने के कारणों की जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) 8.3.2000 को 2802 डाउन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 7 पर चलने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश के व्यैक्तिक कर्मचारियों द्वारा उन्हें शायिका आबंटित न करने के कारण खतरे की जंजीर खींचे जाने के कारण रोक दिया गया था, की गई जांच से यह पता चला है :

(i) माननीय न्यायाधीश ने 2802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस द्वारा 8.3.2000 को नई दिल्ली से इलाहाबाद तक यात्रा के लिए 2.3.2000 को अपनी टिकट यात्री आरक्षण प्रणाली स्थल, इलाहाबाद से बुक करवाई थी।

(ii) सामान्यतया माननीय न्यायाधीशों के आरक्षणों की पुष्टि रेलवे मजिस्ट्रेट गाजियाबाद और नयाचार अधिकारी, दिल्ली द्वारा भेजे गए अनुरोधों पर की जाती है। विषयगत मामले में, इन दोनों अधिकारियों में से किसी के भी द्वारा माननीय न्यायाधीश की नई दिल्ली से इलाहाबाद तक की वापसी यात्रा के लिए कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी।

(iii) इलाहाबाद और नई दिल्ली के रेल कर्मचारी भी 8.3.2000 को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से नई दिल्ली से इलाहाबाद तक माननीय न्यायाधीश की यात्रा के लिए

आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे।

(iv) माननीय न्यायाधीश के कर्मचारी ने खतरे की जंजीर खींची तथा मांग की कि यह गाड़ी तब तक नहीं चलनी चाहिए जब तक माननीय न्यायाधीश को आरक्षित शायिका मुहैया नहीं करा दी जाती।

(v) माननीय न्यायाधीश को वातानुकूल 3 टियर में इस आश्वासन के साथ एक शायिका प्रस्तुत की गई थी कि बाद में उन्हें वातानुकूल 2 टियर में स्थान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

(vi) उप स्टेशन अधीक्षक/नई दिल्ली जो प्लेटफार्म पर पहुंच चुके थे, ने गार्ड को गाड़ी चलाने का निर्देश दिया क्योंकि यह प्लेटफार्म पर सभी संचलनों को आधे घंटे से अधिक समय से अवरुद्ध कर रही थी।

(vii) माननीय न्यायाधीश ने उप-स्टेशन अधीक्षक को सूचित किया कि उसने न्यायालय की अवमानना की है और उसे तुरन्त आरोप पत्र दिया जा रहा है। विद्वान न्यायाधीश प्लेटफार्म बेंच पर बैठ गए और उप स्टेशन अधीक्षक द्वारा कथित न्यायालय की अवमानना के संबंध में अपना फैसला सुनाने लगे।

(viii) उप स्टेशन अधीक्षक ने न्यायाधीश के चरण-स्पर्श किए तथा उनसे क्षमा मांगी।

(ix) उप स्टेशन अधीक्षक से एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए जिसमें लिखित सामग्री को वह पढ़ नहीं सका।

(x) तत्पश्चात, विद्वान न्यायाधीश अपने व्यैक्तिक कर्मचारियों के साथ स्टेशन चले गए।

(xi) 2802 पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के गार्ड ने कानपुर पहुंचने पर नई दिल्ली में खतरे की जंजीर खींचे जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज करवाई।

हवाई अड्डों पर स्वचालित सीढ़ियों का बदला जाना

4345. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों पर लगी पुरानी स्वचालित सीढ़ियों को बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसके लिए क्या समय सीमा तय की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : (क) और (ख) वैसी स्वचालित सीढ़ियां जो अपना निर्धारित समय पूरा कर चुकी हैं, को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दो वर्ष के भीतर बदले जाने का प्रस्ताव है।

सुपर बाजार द्वारा घटिया किस्म की दवाओं की बिक्री

4346. **श्री रघुनाथ झा** : क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवाओं की बजाय घटिया किस्म की दवाओं की बिक्री कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडारण की तरह सुपर बाजार ने केवल बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवाओं की बिक्री करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सुपर बाजार के सतर्कता विभाग ने अधिक कीमतों पर दवाओं की खरीदारी करने के संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कार्यवाही पूरी हो चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो जांच कार्यवाही पूरी करने में विलंब के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उसके बिक्री केन्द्रों द्वारा औषधियों की खुदरा बिक्री औषधि की मांग पर्ची पर की जाती है और इस कारण सुपर बाजार राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय ब्रांडों की औषधियों को बेचने के संबंध में निर्णय नहीं कर सकता। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि जिन फर्मों से सुपर बाजार औषधियों की खरीद करता है वे सभी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत विधिवत लाइसेंसशुदा है।

(ग) से (च) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि मामले की जांच सुपर बाजार के सतर्कता विभाग द्वारा की गई थी और सतर्कता विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सुपर बाजार के दो अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।

सी०ए०जी० द्वारा एन०सी०सी०एफ० और सुपर बाजार की लेखापरीक्षा

4347. **श्री रघुनाथ झा** :

श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०ए०जी० अन्य स्वायत्तशासी निकायों की तरह ही एन०सी०सी०एफ० और सुपर बाजार की लेखा परीक्षा नहीं करता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी

संघ और सुपर बाजार, दिल्ली दोनों ही बहुराज्यीय सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। बहुराज्यीय सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1984 की धारा 67 के अनुसार सहकारी समितियों का केन्द्रीय पंजीयक सभी बहुराज्यीय सहकारी समितियों की प्रतिवर्ष सांविधिक लेखापरीक्षा कराने के लिए उत्तरदायी है। तथापि, इस विभाग ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की 1995-96 से 5 वर्षों की अवधि की लेखा परीक्षा और सुपर बाजार, दिल्ली की 1994-95 से 5 वर्षों की अवधि की लेखा परीक्षा कराने का सुझाव दिया है उस पर सहमत हुआ है।

सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन

4348. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारगिल घुसपैठ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन के संबंध में रक्षा सेवाओं के पूर्व सेना प्रमुखों द्वारा व्यक्त विचारों की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) सरकार ने इस विषय के महत्व और उसकी संवदेनशीलता को ध्यान में रखते हुए और कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों और अन्य संबद्ध पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की, उसकी समग्रता में, मंत्रियों के एक समूह द्वारा व्यापक पुनरीक्षा की जाए जिसके अध्यक्ष गृह मंत्री होंगे तथा रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री उसके सदस्य होंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 1645/2000]

(2) छावनी बोर्ड के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 1646/2000]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० राजा) : महोदय, मैं श्री सुन्दर लाल पटवा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 204 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत लेखे और वित्त) नियम, 1997 जो 17 जुलाई, 1997 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 92/97 एफ० संख्या 3-16/96-पीआर में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान) नियम, 1996 जो 19 फरवरी, 1997 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 25/97 एफ० संख्या 6-6(1)/96-पीआर में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत प्रशासन) नियम, 1997 जो 19 सितम्बर, 1997 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 131/97 एफ० संख्या 3-21/96-पीआर में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) (मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव कराना) नियम, 1995 जो 23 मार्च, 1995 के अंडमान और निकोबार के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 4-118/94-(पंचायत) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1647/2000]

(2) लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) लक्षद्वीप (पंचायतों का निर्वाचन) नियम, 1995 जो 23 जनवरी, 1995 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5/15/94-पीसीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लक्षद्वीप पंचायती कार्य नियम, 1997 जो 19 फरवरी, 1997 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5/7/95-डीओपी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लक्षद्वीप पंचायत (सेवा) नियम, 1997 जो 24 अप्रैल, 1997 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 7/3/97-डीओपी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लक्षद्वीप पंचायत (सहायता अनुदान) नियम, 1997 जो 24 अप्रैल, 1997 के लक्षद्वीप के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या एफ० संख्या 4/4/95-डीओपी में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) लक्षद्वीप पंचायत सेवक (दंड और अपील) नियम, 1997 जो 24 अप्रैल, 1997 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 7/5/97-डीओपी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1648/2000]

(3) गोवा, दमन और दीव ग्राम पंचायत विनियम, 1962 की धारा 65 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) दमन और दीव पंचायत (अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार और उपाध्यक्ष एवं सलाहकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1997 जो 2 मई, 1997 के दमन और दीव संघशासित क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीपी/13/1996-97/20 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दमन और दीव जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं सलाहकार (शक्तियों और कृत्यों पर निर्बन्धन) नियम, 1997 जो 2 मई, 1997 के दमन और दीव के संघ राज्य शासित क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीपी/99/1996-97/23 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दमन और दीव जिला पंचायत छुट्टी यात्रा रियायत नियम, 1997 जो 2 मई, 1997 के दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीपी/101/1996-97/24 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दमन और दीव जिला पंचायत (जिला पंचायत के सदस्यों के कार्यालय में अनुपस्थिति की अनुमति) नियम, 1997 जो 2 मई, 1997 के दमन और दीव के संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीपी/106/1996-97/25 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दमन और दीव जिला पंचायत (बैठकें) नियम, 1996 जो 29 अक्तूबर, 1996 के दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीपी/52/96-97/282 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) दमन और दीव जिला पंचायत (लेखा और लेखापरीक्षा और निधियों की अधिरक्षा) नियम 1996 जो 22 नवम्बर, 1996 के दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीपी/65/96-97/291 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) दमन और दीव जिला पंचायत समिति नियम, 1996 जो 6 दिसम्बर, 1996 के दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीपी/66/1996-97/403 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दमन और दीव (पंचायत) (सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष एवं मुख्य सलाहकार और उपाध्यक्ष एवं सलाहकर) नियम, 1995 जो 13 सितम्बर, 1995 के दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या लॉ/डीएमएन/88/95/78 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1649/2000]

नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० चमन लाल गुप्त) : महोदय, मैं श्री शरद यादव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1650/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

प्राक्कलन समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : महोदय, मैं वस्त्र उद्योग में रुग्णता उनका बंद होना के बारे में प्राक्कलन समिति (बारहवीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

लोक लेखा समिति

की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) 'समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम' के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के 95वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही।

(2) 'जी०आई० तार के लोकल इनसुलेशन पर अनियमित व्यय' के बारे में लोक लेखा समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के 15वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही।

अपराह्न 12.03 बजे

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

तीसरा, चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों तथा तत्संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं :

(1) शहरी विकास मंत्रालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा उनको उपलब्ध आवास सुविधाएं संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त नियोजन और वित्तीय सहायता संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में चौथा प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, प्रभाग) स्टेट बैंक आफ पटियाला में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा उनको दी गई ऋण सुविधाएं संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(3) चीनी और खाद्य तेल विभाग, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000-2001) संबंधी छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

क्रिकेट में मैच फिक्सिंग

[अनुवाद]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में विशेश रूप से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच संपन्न हुई क्रिकेट शृंखला के संदर्भ में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के बारे में हाल ही में हुए रहस्योद्घाटन से सरकार गंभीर रूप से सचेत है। दिल्ली पुलिस ने अपने पास उपलब्ध सूचना के आधार पर श्री हैन्सी क्रोन्जे तथा अन्यों के विरुद्ध इस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 111/2000 दर्ज की है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, खेल विभाग ने सभी संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों से इस खास मामले के विभिन्न तथ्यों पर नजर रखने का आग्रह किया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और विस्तृत जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद ही इस समस्या की पूरी गहराई का पता चलेगा। तथापि, यह विभाग इस मामले में घटनाओं पर नियमित रूप से नजर रख रहा है। इस जांच-पड़ताल में सभी संबंधित व्यक्तियों और एजेंसियों के पूरे सहयोग की आवश्यकता होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी०सी०सी०आई०) ने इस संदर्भ में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करने का विश्वास दिलाया है ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। वे चन्द्रचूड़ रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए सहमत हो गए हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई विशिष्ट प्रथम सूचना के अलावा, सरकार के पास इस अवस्था में, किन्हीं खास भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों अथवा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारियों के बारे में कोई विशेष शिकायत नहीं है। तथापि, सामान्य प्रकार के आक्षेप प्रचार माध्यमों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। फिर भी सरकार उचित रूप से पूछताछ करने तथा आवश्यक जांच-पड़ताल करने के पश्चात्, प्राप्त होने वाली विशेष शिकायतों के आधार पर मैच फिक्सिंग प्रथा के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी गंभीरता से शुरू करेगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रवृत्ति पर न केवल रोक लगाई जाए बल्कि उसे दूर कर दिया जाए, सभी कानूनी उपायों का सहारा लेगी। सरकार किसी एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच के आदेश देने में भी संकोच नहीं करेगी जो कि आरोपों और आक्षेपों की गंभीरता पर निर्भर करेंगे। जिन व्यक्तियों

[श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा]

के पास इस कदाचार के संबंध में विशिष्ट सूचना है उन्हें सामने आकर यह सूचना देनी चाहिए और उन्हें यथा अपेक्षित उपयुक्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

महोदय, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि मैंने बी०सी०सी०आई० के पदाधिकारियों और अन्य ख्यातिप्राप्त क्रिकेट खिलाड़ियों तथा खेल प्रशासकों के साथ 27 अप्रैल, 2000 को एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में क्रिकेट के मामले में वर्तमान स्थिति और इस खेल में बेहतर स्तर प्राप्त करने के लिए उन उपायों पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिन्हें अपनाए जाने की जरूरत है। इस संबंध में क्रिकेट जगत की भी एक विवेचनात्मक भूमिका है जिसका इसे निर्वहण करना चाहिए।

मैं सदन के पटल पर न्यायमूर्ति श्री वाई०वी० चन्द्रचूड़ द्वारा बी०सी०सी०आई० को भेजी गई रिपोर्ट की एक प्रति भी रख रहा हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल०टी० 1651/2000]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस सभा के सदस्यों सर्वश्री कमलनाथ, किरीट सोमैया, विलास मुत्तेमवार, श्रीमती श्यामा सिंह, सर्वश्री प्रियरंजन दासमुंशी, अजय चक्रवर्ती तथा विजय गोयल ने दक्षिण अफ्रिकी खिलाड़ियों तथा भारतीय व्यापारियों के मैच फिक्सिंग रैकेट में शामिल होने की कथित रिपोर्टों से पैदा होने वाली स्थिति की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिए जाने की मंशा के बारे में सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : महोदय, मैंने भी उसी विषय पर सूचना दी है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि, खेल मंत्री ने नियम 372 के अंतर्गत इस विषय पर स्वत: वक्तव्य देने की सूचना दी है, इसलिए सदस्यों के ध्यानाकर्षण सूचनाओं की अनुमति नहीं दी गई है।

सामान्यत: मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की अनुमति देने की प्रथा नहीं है। फिर भी, विशेष मामले के रूप में, विषय पर ध्यानाकर्षण सूचनाएं देने वाले सदस्यों को, मंत्री से उनके द्वारा वक्तव्य देने के बाद प्रत्येक को एक स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जाएगी।

अब, श्री कमलनाथ बोलेंगे।

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, मैंने भी उसी विषय पर बोलने के लिए नोटिस दिया है परन्तु मेरे नाम का उल्लेख आपने नहीं किया है। वस्तुत:, मैंने इसे स्वयं पहले ही दिन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल ध्यानाकर्षण नोटिसों से संबंधित नामों का ही उल्लेख किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई० अहमद, कृपया अब आप नियम से विचलित न हों।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : यदि माननीय मंत्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सहमत हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई० अहमद, कृपया बैठ जाएं। मुझे सभा चलाने दीजिए।

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य से आश्चर्यचकित हूं। वे कह रहे हैं कि कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। क्या दिल्ली पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था? आप परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं यदि आपकी मंशा इसके तह में जाने की है कि आप इसका इंतजार करेंगे कि कोई आएगा और शिकायत दर्ज कराएगा। हम जांच करवाए जाने की मांग करते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ? आरोप तैयार किए जा रहे हैं। कल एक संवाददाता सम्मेलन हुआ था जिसमें क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक उच्चाधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच तक ही सीमित रहने वाला एक मामला नहीं है। इसका विस्तार सीमाओं से आगे भी है। शरजाह एवं अन्य देशों का उल्लेख किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाम भी लिए जा रहे हैं। सभी प्रकार की जांच अभिकरणें इसमें लगी हुई हैं। हमें बताया जा रहा है कि राजस्व आसूचना निदेशालय, बम्बई पुलिस तथा दिल्ली पुलिस इस मामले को देख रहे हैं। माननीय मंत्री ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तथा दक्षिण अफ्रीकी पुलिस भी इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं। अत: यह मामला केवल दिल्ली पुलिस तक ही सीमित नहीं है। यही प्रथम बिन्दु है जिसे मैं बताना चाहता हूं।

दूसरा बिन्दु, यह है कि यह "कृपया मुझे विशिष्ट शिकायत उपलब्ध कराइए, कृपया वीडियो पर हमें साक्ष्य दिखाइए। कृपया शपथपत्र पर हस्ताक्षर कीजिए अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाइए" कहने जैसा नहीं है। यहां जांच-पड़ताल किए जाने का सवाल है तथा जांच-पड़ताल के कारण ही दिल्ली पुलिस इस रैकेट का रहस्योद्घाटन करने में सफल हो सकी थी। इससे स्वयं निर्मम अन्वेषण की आवश्यकता बनती है। बड़े तथा विशिष्ट लोगों के नामों का उल्लेख किया जा रहा है। कुछ अति प्रतिष्ठित क्रिकेटरों के नाम लिए जा रहे हैं। हम प्रतिष्ठित क्रिकेटरों को कलंकित नहीं देखना चाहते। उन्हें या तो बेदाग निकाला जाना चाहिए या हमें इस अन्वेषण की तह तक पहुंचना चाहिए। उसी प्रकार, अन्य नामों का उल्लेख सट्टेबाजों के रूप में किया जा रहा है। उनके नाम अपराध जगत के माफिया के रूप में लिए जा रहे हैं। इस प्रकार यह मामला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक मैच तक ही सीमित नहीं है। मुद्दा, जो मैं बताना चाहता हूं कि यह विभिन्न सीमाओं के पार का है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपने मुद्दों पर आ सकते हैं।

श्री कमलनाथ : मुझे यह सब कहने दीजिए। अन्यथा वे नहीं समझेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना स्पष्टीकरण मांगें।

श्री कमलनाथ : मैंने माननीय मंत्री महोदय को सुना तथा अब मैं जो चाहता हूं, मुझे कहने दीजिए। कल, जब आप पीठासीन थे, मैंने कहा कि यह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच को उचित ठहराता है।

माननीय मंत्री कहते हैं कि उन्होंने कई अभिकरणों का आह्वान किया है। क्या वे समन्वयकारी अभिकरा हैं? क्या वे मुम्बई पुलिस, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राजस्व आसूचना निदेशालय के साथ कार्य करने हेतु समन्वित केन्द्र बिन्दु है? यह विशेषज्ञ अभिकरण का मामला है तथा उस तरफ एवं इस तरफ के सदस्यों को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाने की मांग करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सभा की संवेदना से सहमत हैं, यदि ऐसा है तो क्या यह प्रतीत नहीं होता कि सरकार बीच में या तो महत्व नहीं देने का प्रयास कर रही है या फिर सरकार इस मामले को ढंकने का प्रयास कर रही है। आप स्वयं कह रहे हैं कि इसमें कई अभिकरणें शामिल हैं। तथा जब आप स्वयं बैठकें बुला रहे हैं, तब माननीय मंत्री महोदय उपयुक्त मंत्रालय से इसकी जांच-पड़ताल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराए जाने का साधारणं सा अनुरोध क्यों नहीं करते? विशेषत: तब, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी विश्वास करते हैं कि भारत इस रैकेट का रहस्योद्घाटन करने के लिए जो भी संभव हो सकता है, कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री, माननीय सदस्यों द्वारा इस मामले में मांगे गए सभी स्पष्टीकरणों पर ध्यान दे सकते हैं तथा अंत में उन सभी स्पष्टीकरणों का जवाब दे सकते हैं।

श्री कमलनाथ : माननीय मंत्री यहां बैठे गृह मंत्री जी से भी परामर्श कर सकते हैं तथा यह उनके लिए सहायक होगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कमलनाथ जी ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं कि इसकी सर्वकक्ष और सर्वांगीण इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके लिए कोई स्पेशल सिस्टम सी०बी०आई० या कोई और हो, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनवोल्व हैं। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मार्च महीने में एडीशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने डिसक्लोज किया है कि एक फोर्मर क्रिकेटर ने 16 करोड़ रुपया वोलन्टरी डिसक्लोजर स्कीम में डिसक्लोज किया है। इसलिए ऐसी सब चीजों का भी इसमें समावेश होना चाहिए तथा इसके साथ इसमें जो माफिया, डॉन तथा दुबई बेस्ड एजेन्सीज इनवोल्व है, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मैं हमारे साथी श्री कमलनाथ द्वारा कही गई बात से सहमत हूं। समूचे देश में एक गिरोह कार्यरत है। इसमें देश की प्रतिष्ठा भी शामिल है...*(व्यवधान)* क्रिकेट खिलाड़ियों की वैभवशाली जीवन-शैली प्रेस में प्रकट...*(व्यवधान)*

हाल ही में माननीय गृह मंत्री ने कहा था, और यह पूर्व में प्रेस में भी आया था, कि चन्द्रचूड़ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। हमारा यह विचार है कि यह रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)* सभा को रिपोर्ट की विषय-वस्तु जानने का पूरा अधिकार है...*(व्यवधान)* आज यह औद्योगिक गृहों का खेल बन गया है। बड़े व्यावसायी भी इसमें शामिल हो रहे हैं तथा खिलाड़ी भी षड्यंत्र से जुड़ रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, आपको स्पष्टकीरण मांगना था, भाषण नहीं देना था।

(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती : उन्होंने श्री डालमिया के विरुद्ध आरोप लगाया था, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद् के अध्यक्ष हैं...*(व्यवधान)*

आज यह खेल धूर्त लोगों द्वारा नियंत्रित होता है। आज यह सट्टेबाजों तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा नियंत्रित होता है...*(व्यवधान)* मैं यह मांग करता हूं कि मंत्री जी यह बताएं कि ये धूर्त लोग कौन हैं। इससे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसे विस्तारपूर्वक उद्घाटित किया जाना चाहिए। प्रत्येक चीज का पता लगाया जाना चाहिए तथा इसकी उपयुक्त जांच कराई जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : मुझे एक विनम्र प्रार्थना करनी है। श्री कीर्ति आजाद एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। मैं संसद का एक श्रेष्ठ विकेट कीपर हूं। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं। मैं कुछ और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक क्रिकेट मैच खेलने पर पाबंदी लगानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप और लोगों को भी शामिल करना चाहते हैं? कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, वहां एक गिरोह है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया मुझे उन्हें सुनने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें देश के करोड़ों लोग और स्पैशली नौजवान और बच्चे तक इन्वाल्व्ड हैं। सीबीआई की जांच की जो बात आई, मैं पूछना चाहता हूं कि सीबीआई किस बात का इंतजार कर रही है? क्या उसने इससे पहले किसी मामले पर सुओ-मोटो कॉग्निजेन्स नहीं लिया? जो तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और वह स्वयं भी प्रोब शुरू कर सकती है।

इनकम टैक्स की वीडीएस में कुछ खिलाड़ियों ने बहुत बड़ी रकमें डिक्लेयर की हैं और उसमें क्लॉज है कि अगर क्रिमिनल ऑफेन्स है तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। मुझे नहीं मालूम कि वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग क्यों चुप है? वह भी इस मामले

[श्री विजय गोयल]

पर सुओ-मोटो कार्रवाई कर सकता है। सवाल सट्टेबाजी का नहीं है। सट्टेबाजी इस पर भी हो सकती है कि 12 बजे सदन में चेयर पर कौन बैठेगा। राज्य सभा में जिस तरीके से चुनाव हुए, उसमें एक व्यक्ति ने बहुत खर्च किया। जब किसी ने पूछा कि इतना खर्च कैसे निकालोगे तो उसने कहा कि अगर जीत गया तो सट्टेबाजी से सारा खर्च निकाल लूंगा। इश्यू क्रिकेट का भी नहीं है। यही मैच यदि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश या दिल्ली और हरियाणा के बीच में हो रहा होता तो देश चिंतित नहीं होता। देश इस बात पर चिंतित है कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं, उस समय अगर द्रोह किया जाता है तो उसको देशद्रोह की संज्ञा दी जाती है। किसी देश के लिए खेलने वाला खिलाड़ी किसी सेना के लिए लड़ने वाले जवान से कम नहीं होता इसलिए दोषी खिलाड़ियों पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। जवान अगर जरा-सी भूल कर बैठे तो उसका तुरन्त कोर्ट मार्शल किया जाता है और देश की राष्ट्रीय टीम खेले और वह सट्टेबाजी में इनवॉल्व्ड हो जाए तो वह सिर्फ देश के साथ धोखाधड़ी नहीं है बल्कि जो लोग सट्टा खेल रहे हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी है। यह छोटे-छोटे लोगों के साथ धोखाधड़ी है क्योंकि सट्टेबाजी में बहुत छोटे-छोटे लोग इनवाल्व्ड होते हैं। कई बार आम आदमी, छोटा आदमी इन्वाल्व होता है। हर चुनाव के अंदर चांदनी चौक में सबसे ज्यादा सट्टा लगता था।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिए।

श्री विजय गोयल : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइंटेड क्वश्चन पूछना चाहता हूं। ऐसे मामले में सरकार को ही नहीं बल्कि सी०बी०आई० को सुओमोटो कागनीजेंस लेना चाहिए और रेवैन्यू डिपार्टमेंट को भी इसके अंदर स्वयमेव जांच करनी चाहिए और जब भी इस प्रकार की राष्ट्रीय टीमें खेलें और मैच फिक्सिंग हो, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे देश के माने हुए दो-तीन क्रिकेटर हैं। मैं उन्हें भी इस मामले पर बोलने के लिए समय दूंगा। एक तो वे क्रिकेटर हैं जिनके साथ हम भी खेले थे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, माननीय खेल मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था और मुझे कुछ आश्चर्य हुआ क्योंकि वक्तव्य में यह कहा गया था कि किसी विनिर्दिष्ट प्रकृति का कोई आरोप नहीं था। अनेक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा तथा भूतपूर्व बोर्ड अध्यक्षों द्वारा वक्तव्य दिए जा रहे हैं। उनमें से एक हैं श्री मनोज प्रभाकर। मैंने आज उनका वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें संरक्षण प्रदान किया गया, तो वे उन भारतीय खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए तैयार हैं, जो इसमें शामिल हैं। अब आपको विशेष रूप से इससे अधिक जानने की क्या आवश्यकता है? मैं समझता हूं कि सरकार को उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहिए और उन्हें सारे मामले की सीबीआई से जांच करानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि एक भूतपूर्व बोर्ड अध्यक्ष सामने आए और उन्होंने कहा...

[हिन्दी]

यहां पर सट्टा लगता है। हर एक मैच फिक्स होता है। पहले कहते थे कि पालीटिशियन करप्ट होते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि क्रिकेटर करप्ट होते हैं। मुझे तो दोनों जमातों का अनुभव है।

[अनुवाद]

मुझे बहुत खुशी है कि मैं 1983 में विश्व कप टीम का सदस्य था। यह 1983 में हुआ था।

[हिन्दी]

अगर यह पिछले कुछ सालों में हुआ होता तो मैं भी फंस गया होता।

[अनुवाद]

मैं कहां जाता? मेरे पास अभी भी वह स्वर्ण कप है जिसे मैंने ईमानदारी से जीता था। यह एक आपराधिक कृत्य है। वे कहते हैं कि उनके संबंध अपराधी-वर्ग से भी हैं। यदि उनके संबंध अपराधी-वर्ग से हैं, तो मैं समझता हूं कि इस मामले में अनेक लोग संलिप्त हैं।

[हिन्दी]

अगर आप देखें तो दुबई में अंडरवर्ल्ड बैठे हैं। ऐसे काफी लोग हैं जो इस काम को करते हैं। मुंबई में दंगे करा दिए जाएं, कश्मीर में टैररिस्ट एक्टीविटीज करवा दी जाएं। यह काम उनकी दृष्टि में बहुत अच्छा है और सरल भी है। आम के आम गुठलियों के दाम। चार आदमियों को फिक्स कीजिए, चार करोड़ रुपए लगाइए और 400 करोड़ बना लीजिए और जो चाहे कर लीजिए। ऐसे काफी लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि...

[अनुवाद]

वे रेल विस्फोटों जैसे कार्यों के लिए पैसा देते रहते हैं। अतः मैं समझता हूं कि यह दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इसे उठाया जाना चाहिए। यह केवल खेलों का ही मामला नहीं है। आज, क्रिकेट एक धर्म है। यह हर व्यक्ति के लिए एक जुनून है।

[हिन्दी]

मैं भी पार्लियामेंट में बैठा हूं। मुझे भी लोग पूछते हैं कि स्कोर क्या हो गया।

[अनुवाद]

अतः यह बहुत ही विशेष है। लोग चन्द्रचूड़ समिति के बारे में बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। किसी जांच में, मैं सहमत अथवा असहमत हो सकता हूं अथवा मुझसे पूछे गए सवालों के जवाब दे सकता हूं। परंतु यदि समुचित रूप से जांच की जाती है तथा यदि जांच होती है, तो मुझे विश्वास है कि मैं आगे कार्रवाई कर सकता हूं और यह पता लगा सकता हूं कि किसके पास कितनी संपत्ति है। कोई भी वैसे ही देख सकता है कि उसकी संपत्ति उसकी आय के अनुपात में है। अतः संभवतः वे भी इसके साथ ही आगे चलेंगे।

[हिन्दी]

जिसकी प्रापर्टी ज्यादा हो उसकी जांच कीजिए। ये लोग कह देते हैं कि सारे क्रिकेटर चोर हैं, हरेक को कह देते हैं कि चोर हैं, यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

यदि वे कहते हैं कि प्रत्येक मैच फिक्स होता है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। हर कोई ऐरा-गैरा व्यक्ति, अपने ब्यान देने लगता है तथा यह ठीक नहीं है। मैं खिलाड़ियों के पक्ष में रहना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं समझता कि उनके द्वारा मैच फिक्स किए जाते हैं। परंतु यदि ऐसा है, तो, मैं श्री विजय गोयल से सहमत हूं कि उन्हें फांसी लगा दी जानी चाहिए। यह देशद्रोह है तथा इससे अधिक अच्छी सजा कोई नहीं है।

श्री माधवराज सिंधिया (गुना) : मैं अपने साथियों, श्री कमलनाथ तथा अनेक अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, विशेष रूप से भूतपूर्व उत्कृष्ट क्रिकेट खिलाड़ी श्री कीर्ति आजाद के विचारों से पूर्णत: सहमत हूं।

मैं समझता हूं कि खेल प्रेमी होने के नाते हम सभी खेल को चोट पहुंचाने वाले इस कांड से बुरी तरह व्यथित हैं। यदि मैं इसे क्रिकेट की भाषा में कहूं तो खेल की विश्वसनीयता को इससे गहरा धक्का लगा है। इस विश्वसनीयता को पुन:स्थापित किया जाना चाहिए तथा सरकार को केवल खेलों के ही नहीं अपितु कानून के नियमों के विश्वास को पुन:स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सरकार को यह समझना चाहिए कि इसकी जड़ों का पता लगाने के लिए वह किसी भी एजेंसी का प्रयोग करे, चाहे वह सीबीआई हो अथवा दिल्ली पुलिस, उसमें इस मामले की गहराई से जांच करने की क्षमता होनी चाहिए।

जैसा कि श्री कमलनाथ ने कहा, इसकी जड़ें हमारे देश से बाहर विदेशों में भी फैली हैं। अत: उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए और उसकी संरचना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वह इसकी जांच के लिए देश से बाहर अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करने में सक्षम हो सके। चूंकि सरकार को इस मामले की जड़ को तलाशना है, अत: उसे यह बात अपने ध्यान में रखनी होगी ताकि वह प्रयास करे और जितनी जल्दी हो सके खेलों में विश्वास को पुन:स्थापित करे। यह भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में से एक है।

महोदय, पिछले कुछ वर्षों में खेलों का, विशेष रूप से क्रिकेट का, बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण हुआ है। करोड़ों रुपये बीसीसीआई की तिजोरी में जा रहे हैं। मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि बीसीसीआई को यह समझना चाहिए कि उसके संगठन में अधिक पारदर्शिता, अधिक जिम्मेवारी तथा अधिक व्यावसायिकता होनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि कुछ अवैतनिक सदस्य वहां जाएं तथा अपने खाली समय में मामलों को देखें। एक टेलीविजन ठेके के लिए दूरदर्शन ने 300 करोड़ अथवा 400 करोड़ रु० का भुगतान किया तथा जिसे इसने लगभग 600 करोड़ रु० में आगे ठेके पर दे दिया। यह उस धनराशि की मात्रा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं।

हालांकि बीसीसीआई एक स्वायत्त निकाय है, फिर भी सरकार को एक कानून बनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने, उसकी कार्यप्रणाली को जवाबदेह बनाने तथा बीसीसीआई के प्रशासन के संचालन में व्यावसायिकता पैदा करने के लिए कदम उठाए जाएं।

इसके साथ-साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे की उत्तेजना में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनेक ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो निहायत ईमानदार एवं सम्माननीय हैं। इसलिए, प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।

श्री कीर्ति झा आजाद : कोई भी ऐरा-गैरा व्यक्ति आरोप लगाता रहता है।

श्री माधवराव सिंधिया : जी हां, इसीलिए मैंने स्वयं को आपके कथन के साथ जोड़ा है। प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी पर संदेह नहीं किया जा सकता है।

यह सिद्धांत स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि निर्दोष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोषी को निश्चित रूप से सजा मिलेगी। यह वह सिद्धांत है, जिसे लागू किया जाना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, दिल्ली पुलिस के टेप उद्घाटन ने समूचे विश्व को यह पता लगाने के लिए मजबूर कर दिया है कि आज क्या हो रहा है तथा पूर्व में क्या-क्या हुआ था। मेरे नियंत्रण में सभी जिम्मेवारियों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले के दो पहलू हैं। एक है, खेल के नियमों के बाहर जुएबाजी तथा मैच फिक्सिंग तथा दूसरा है स्वयं निकाय की कार्यप्रणाली। भारत में, क्रिकेट के प्रति लोगों का रुझान बहुत अधिक है तथा इस खेल में बहुत अधिक राशि शामिल है। किक्रेट का व्यवसाय लोगों की कल्पना से भी कहीं अधिक परे पहुंच गया है।

ऐसी ही घटनाएं यूरोप तथा एशिया के कुछ भागों में फुटबाल के खेल में हुई हैं। ये घटनाएं ओलिम्पिक खेलों में भी घटी हैं। मैं इस बात की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मैंने फ्रांस में आयोजित पिछले विश्व कप सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं का 'फीफा' के तकनीकी सलाहकार के रूप में संचालन किया है। मेरा जो अनुभव रहा, वह यह है कि यदि कोई संगठन अपने स्वयं के अत: निर्मित तंत्र के माध्यम से मजबूत है, तो वह दोषियों को सजा दे सकता है। यह संबंधित संगठनों की अनुशासन समिति के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा पहलू यह है कि जब धरती के कानून का उल्लंघन होता है, चाहे वह वित्तीय मामलों से जुड़ा हो अथवा अपराध से, तब सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। ऐसी अवस्था में संगठन हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ये दोनों पहलू परस्पर मिश्रित होते जा रहे हैं।

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी सरकार के पास ऐसे संगठनों की आंतरिक कार्यप्रणाली के दैनिक कार्यकलापों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, जो केवल उनके अंतरराष्ट्रीय निकायों के प्रति जवाबदेह हैं। भारत में, वे उन समितियों के प्रति जवाबदेह हैं जिनके साथ वे समिति पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं।

जब कहीं कानून का उल्लंघन होता है, जैसे रुपया भेजना अथवा रुपया प्राप्त करना अथवा फेरा का उल्लंघन, तब सरकारी एजेंसियों को,

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

चाहे वह सीबीआई है अथवा पुलिस, उनसे निपटने के लिए अत्यंत दृढ़ हो जाना चाहिए। संसद सदस्य के रूप में प्रियरंजन दासमुंशी केवल सदन के भीतर ही विशेषाधिकारों का उपयोग करते हैं। परंतु यदि मैं ऐसी किसी ऐसी चीज में संलिप्त हो जाऊं जो राष्ट्र हित के लिए संकट बन जाए, तब मेरे खिलाफ कानून द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए तथा मुझे न्यायालय में घसीटा जाना चाहिए। संसद इसे नहीं रोक सकती है। मैं पूर्णत: इससे सहमत हूं। इस मामले में भी यही नियम अपनाया जाना चाहिए। हर दिन नामों का लगातार उल्लेख किया जा रहा है। मैं प्रत्येक खिलाड़ी को बदनाम नहीं करना चाहता। मुझे याद है कि हाल के विश्व कप में एक खिलाड़ी ने अपने पिता की मृत्यु के तत्काल बाद गजब की पारी खेली थी।

मुझे यह जानकर धक्का लगा है कि दक्षिण अफ्रीका में किसी के द्वारा उसका नाम भी लिया गया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी उदीयमान खिलाड़ी भयभीत हो रहे हैं। मैं कहूंगा कि दोषियों को सजा देने के नाम पर कृपया खेल की प्रतिष्ठा एवं उन उदीयमान खिलाड़ियों का भविष्य नष्ट न करें जिन्हें अभी अपने कैरियर की शुरुआत करनी है। माननीय मंत्री अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, परंतु मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम यह देखें कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां जैसे पुलिस, जांच करने वाले विभाग तथा अन्य समस्त सूचनाओं पर अपनी नजर रखें। बेहतर यही होगा कि वे दिशा-निर्देश जारी करें।

श्री सिंधिया ने जवाबदेही के बारे में बात की। कोई भी संघ केवल अपनी जनरल बॉडी के प्रति ही जवाबदेह है, सरकार के प्रति नहीं। हम सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, जब यह हमें धन देती है। सरकार पूछ सकती है कि हमने कितना खर्च किया है। श्री विजय कुमार मल्होत्रा मुझसे इस बात पर सहमत होंगे कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार हम अपने लेखापरीक्षकों के माध्यम से केवल जनरल बॉडी के प्रति ही जिम्मेदार हैं। हम सरकार के प्रति तभी उत्तरदायी हैं, जब वह हमें धन देती है। यदि सरकार प्रत्येक एसोसिएशन की ऐसी जांच में लगी रहती है कि उनके पास पैसा कहां से आया और उन्होंने कितना व्यय किया है, तो ऐसी स्थिति में ऐसोसिएशन ही खत्म हो जाएगी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आप इन्हें भिन्न-भिन्न मामले मानकर दो सिद्धांतों के अनुरूप काम करें।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : एसोसिएशन उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : जी हां, मैं उस पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आपको पता है स्पोर्ट्स एसोसिएशन्स की क्या हालत है।

[अनुवाद]

वे सरकार के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय खेल मंत्री को ओलंपिक निकाय तथा अन्य सभी संगठनों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अपनी वार्षिक लेखा खाते को एक निश्चित तिथि तक प्रस्तुत करने के लिए कहने का अधिकार है।

श्री ई० अहमद : केवल लेखा खातों को ही नहीं, बल्कि उन्हें यह भी देखना चाहिए कि वे देश के कानून के अनुसार हैं भी या नहीं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वे मार्गनिर्देश दे सकते हैं।

श्री कीर्ति झा आजाद : यह पूरी तरह से अलग मामला है। हम यहां मैच फिक्सिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह एक दांडिक अपराध मामला है।

[हिन्दी]

यह देशद्रोह की बात है। यह कहके बात को खत्म करना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जब माननीय सदस्य बोले, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। विशेषकार क्रिकेट के मामले में, मैं प्रबल रूप से महसूस करता हूं कि कुछ मामलों में, देश का कानून जो भी अनुमति देता हो, विस्तृत जांच की आवश्यकता है। हम सभी उसका समर्थन करते हैं। सरकार, न केवल क्रिकेट बोर्ड के लिए, बल्कि खेल में धन अथवा खेल के एवज में धनराशि, संसाधन आदि प्राप्त करने वाले अन्य सभी संगठनों के लिए एक मार्गनिर्देश बना सकती है तथा मापदंड तय कर सकती है, तथा उनसे सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ कि उन्होंने उस धन का उपयोग कैसे किया, धनराशि किसे दी इत्यादि के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं।

मैं महसूस करता हूं कि सभी क्रिकेटरों को एक सा नहीं समझना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि कपिलदेव ने कल कहा है कि फिक्सिंग की जांच-पड़ताल किए जाने तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला जाना चाहिए। यह ठीक नहीं है। इस तरह उदीयमान खिलाड़ियों का भाग्य एक वर्ष के लिए कुंद हो जाएगा। मुझे ऐसा मंजूर नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : श्री दासमुंशी को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इससे उनके हाथों को खतरा हो सकता है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मुझे श्री प्रमोद महाजन ने यही सुझाव दिया था कि यदि मैं सभा में अपंग हो जाऊं तो यह मेरे लिए लाभप्रद होगा।

श्रीमती श्यामा सिंह (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय, हम एक ही विषय पर पिछले 25 मिनटों से बोले रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना आसन ग्रहण करें। मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप नहीं जानते सभा में क्या चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी चर्चा करवा दी जाए। उसमें सभी तथ्य आ जाएंगे कि कौन-सी जांच करनी चाहिए और कौन-सी नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, मैंने पहले ही ऑब्जर्वेशन्स पढ़ा था। जो माननीय सदस्य ऐब्सैंट थे, वे अभी आए हैं। मैं उनको चांस दे रहा हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : उसमें हमें ऐतराज नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्पष्टीकरण चाहा है तथा आप जवाब चाहते हैं। उसी प्रकार, दूसरे सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्रीमती रवामा सिंह : मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं। इस सभा में पहले ही क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए पर लंबी चर्चा हो चुकी है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में निश्चित रूप से एक आंतरिक तथा निहायत ही निजी लड़ाई जारी है...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं इस तथ्य को माननीय गृह मंत्री को बताना चाहूंगी कि आज सुबह हमने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष का दूरभाष संदेश प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि वे और उनका परिवार भारत के साथ-साथ दूसरे देशों से धमकी भरा दूरभाष संदेश प्राप्त कर रहे हैं कि यदि इस प्रकरण पर उन्होंने कोई भी सही वक्तव्य दिया तो उनके परिवार को मिटा दिया जाएगा। वे दबाव में हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से कृपया इस गंभीर स्थिति पर ध्यान देने की अपेक्षा करूंगी। इस जांच में सहायता करने के इच्छुक व्यक्तियों को इसी प्रकार के दूरभाष संदेश प्राप्त हो रहे हैं। जांच का आदेश दिया गया है तथा हम चाहेंगे कि इस जांच को एक तर्कसंगत निष्कर्ष पर लाया जाए। मैं गृह मंत्री से, उनके साथ बाद में की गई चर्चा के रिपोर्ट को भी सभा पटल पर रखे जाने का अनुरोध करूंगी।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, उसमें कुछ बातों का जिक्र आया। इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि यह जो क्रोन्ये के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है, इसमें मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले काफी सालों से सारी दुनिया में सब देशों में मैच फिक्सिंग का मामला आता रहा है। पाकिस्तान से शुरू हुआ, आस्ट्रेलिया में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। मैच फिक्सिंग के बारे में अलग-अलग जगह पर इंक्वायरियां हुईं, ज्यूडीशियल इंक्वायरी हुई, सब चीज हुई, लेकिन इस मौके पर पहली बार दिल्ली की पुलिस ने इस मामले में प्रूफ हासिल कर लिये। इसके बारे में प्रूफ ही हासिल नहीं किए, उसके बारे में केस रजिस्टर किया और टेप रिकार्ड किया, बहुत-सी चीजें कीं, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई। हम लगातार बहुत से मामलों में दिल्ली पुलिस को कन्डेम करते रहे, परन्तु इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो काम किया है, उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने इस बारे में इतनी शानदार उपलब्धि हासिल की है कि सभी क्रिमिनल्स के बारे में रिकार्ड भी हासिल कर लिया। इसलिए मुझे कहना है कि उस मामले को पुलिस ने सी०बी०आई० में देने की बात नहीं उठी थी। आज सी०बी०आई० में दे दें तो जो कुछ उन्होंने हासिल किया, वह मामला ही खत्म हो जाए।

अब और कुछ मामले हैं। आज सारी दुनिया से वार्न्स बाहर निकल रहे हैं, वहां पर चीजें बाहर आ रही हैं। उन सब चीजों के बारे में जिस दिन कोई चीज हाथ में आ जाए तो किसी भी एजेंसी से इंक्वायरी कराने में हमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए, चाहे सी०बी०आई० से करानी पड़े, चाहे इंटरपोल को बीच में लाना पड़े, रॉ को बीच में लाना पड़े, फॉरेन अफेयर्स को लाना पड़े, इस मामले की तह तक जरूर जाना चाहिए। परंतु एक बात का उल्लेख मैं करना चाहता हूं कि इस वक्त अपने स्कोर्स को और अपनी जो-जो चीजें हैं, उनका बदला निकालने की बात अगर आए। आज कहा जा रहा है कि हर क्रिकेटर बेईमान है, कहा जा रहा है कि हर मैच फिक्स होता है। यह कहा जा रहा है कि बोर्ड का हर मैम्बर करप्ट है। बोर्ड के अंदर हम लोग भी चेयरमैन रहे हैं, बहुत से लोग जो यहां बैठे हुए हैं, अगर बोर्ड के अंदर वे रहें, तब ठीक था, लेकिन आज बोर्ड के सभी मैम्बर्स करप्ट हो गए। आज सभी क्रिकेटर करप्ट हो गए, आज हर मैच फिक्स हो गया और सभी मामले सी०बी०आई० को दे दो और सभी को सी०बी०आई० के हवाले कर दो। मैं समझता हूं कि यह टैंडेंसी ठीक नहीं है और इससे काफी नुकसान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका क्या सुझाव है?

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : मेरा सुझाव यह है कि यहां जो मामला दिल्ली पुलिस का पकड़ा हुआ मामला है और वह इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें उसके अंदर तो आज इंटरफियर नहीं करना चाहिए। हम और जितने मामले आते हैं, उनके बारे में जरूर हाईएस्ट जाकर उनकी तह तक जाना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो किसी भी एजेंसी से उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सारे मैम्बर्स ने यहां जो भावना व्यक्त की है, उससे मैं सहमत हूं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें जिनके नाम निकल जाएंगे, चाहे वे बोर्ड के मैम्बर्स के हों या क्रिकेटर्स के हों, चाहे वे फॉरेनर्स के हों, जहां से माफिया लोग यहां का कारोबार कर रहे हैं, उनको हमारी हिन्दुस्तान सरकार, जिनके नाम इन्वेस्टीगेशन में बाहर आ जाएंगे, उनको हिन्दुस्तान में लाने वाली है क्या? सरकार से हमें स्पष्ट उत्तर चाहिए। इससे काम नहीं चल सकता कि आप कहें कि अमुक देश के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि नहीं है इसलिए नहीं ला सकते। कुछ दिन पहले इस मामले के प्रकाश में आने के बाद साउथ अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के ऊपर हमला हुआ था। हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में सरकार की क्या भूमिका है और क्या सरकार ने वहां किसी से बातचीत की है? अभी माधवराव सिंधिया जी ने बताया कि बहुत से क्रिकेटर हैं। कोई सा भी खेल हो, हार-जीत तो होती ही है, वह अलग बात है, लेकिन यह जो हिन्दुस्तान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, जुआ खेला है, यह खतरनाक बात है। कारगिल में जब लड़ाई हुई थी, हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की थी तो जवानों के साथ-साथ लोगों ने भी खुशी मनाई थी। लेकिन इस घटना से देश के लोगों को धक्का लगा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं जैसा दासमुंशी ने भी बताया कि अच्छे-अच्छे क्रिकेटर हैं, जैसे सचित तेंदुलकर है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सुझाव बताएं।

श्री मोहन रावले : जो इस कांड में इन्वाल्व हैं, उनको विदेश से हिन्दुस्तान में लाने के लिए सरकार क्या कर रही है? अभी तक मुम्बई बम विस्फोट कांड के कल्पिरिट जो पाकिस्तान में भी हैं, उनमें से किसी को भी सरकार, यहां तक कि मौजूदा सरकार भी यहां नहीं ला सकी। हमें दुख होता है। यहां विदेश मंत्री जी नहीं हैं, उन्होंने बात निकाली थी।

उपाध्यक्ष महोदय : रावले जी, आप सुझाव बताएं।

श्री मोहन रावले : वही बोल रहा हूं कि क्या सरकार उनको विदेश से यहां लाने वाली है?

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : मैं, अपना सुझाव रखने से पहले एक या दो टिप्पणी करना चाहूंगा।

क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भारतीय ओलंपिक संघ के दायरे में नहीं आता। यह इससे संबद्ध नहीं है। न ही यह, सिवाए विदेश यात्रा की अनुमति लेने के, किसी भी अन्य बात के लिए भारत सरकार पर निर्भर है। कैरी पैकर के दिनों से, जब क्रिकेट का व्यावसायीकरण हुआ, इसने अन्य सभी खेल प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़ दिया है। भारत के अन्य सभी खेल आज मृतप्राय हैं। हाकी, फुटबाल, नौकायन, बास्केटबाल, टेबल-टेनिस, टेनिस सभी मृतप्राय हैं क्योंकि क्रिकेट हेरफेर करके पूरी तरह छाया हुआ है और दूरदर्शन प्रायोजन को भी अपने वश में किए हुए है।

तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में मैं राज्यसभा में उस समय इस स्थिति का भुक्तभोगी बना और तीन घंटों तक इसलिए जूझता रहा क्योंकि दूरदर्शन को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच के प्रसारण के लिए एक विदेशी टी०वी० कंपनी को अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था। इस देश के कानून का उस समय उल्लंघन किया गया था जब दूरदर्शन को मुम्बई तथा अन्य जगहों के स्टेडियमों में प्रवेश करने तक की अनुमति नहीं दी गई। आज मीडिया में इन सनसनीखेज रहस्योद्घाटनों न केवल देश को झकझोर दिया है बल्कि संसद को भी प्रभावित किया है।

इसमें खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा का सवाल है, देश की प्रतिष्ठा का सवाल चिंतनीय तथा खेल की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। इसमें काफी राशि अंतर्ग्रस्त है। अत:, माननीय मंत्री द्वारा कुछ अधिकारियों को अपने कमरे में बुलाने एवं मुद्दों पर चर्चा किए जाने से ही मामले का समाधान नहीं होने वाला। इसमें कुछ निश्चित पहलू हैं कि क्या सट्टेबाजी तथा मैच फिक्सिंग गैरकानूनी हैं अथवा नहीं। इस पूरे परिचक्र में जाना होगा। यह एक गहरी जड़ों वाली बुराई है। अत: एक अत्यंत उच्चाधिकार प्राप्त समिति, यह एक न्यायिक निकाय हो सकता है, द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि यह अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच-पड़ताल करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग का एक जांच सहयोगी है। इसका उपयोग हर तरह की जांच के लिए नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से इसकी जांच हेतु अनुरोध किया जा सकता है क्योंकि समस्त देश तथा क्रिकेट खेलने वाले विश्व के सभी राष्ट्र इसमें संलिप्त होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब हम सब लोक सभा क्रिकेट टीम के विकेटकीपर, श्री संतोष मोहन देव को सुनें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सर्वप्रथम मैं, न्यायमूर्ति वाई०वी० चन्द्रचूड़ समिति रिपोर्ट को जारी किए जाने पर माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

मैं कुछ माननीय सदस्यों से असहमत हूं। जांचपड़ताल अवश्य की जानी चाहिए तथा दोषी को दंड अवश्य दिया जाना चाहिए, परंतु, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा नहीं। जो कुछ हमने जैन हवाला मामला एवं राबड़ी देवी मामले में देखा है, इस जांच के परिणामस्वरूप अब हमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कोई विश्वास नहीं है।

आप इसे किसी और, यहां तक कि श्री विट्ठल को दे दीजिए। मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा परंतु आपके द्वारा इसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नहीं सौंपा जाना चाहिए अथवा आप इस सहस्राब्दि में बेहतरीन कार्य करने वाली दिल्ली पुलिस की जांच को जारी रख सकते हैं। पिछली सहस्राब्दि में उन्होंने अपनी छवि बिल्कुल धूमिल कर दी थी परंतु यह पहली बार है कि उन्होंने कुछ प्रशंसनीय कार्य किया है, गृह मंत्री को धन्यवाद। इस छवि को बनाए रखें। उन्होंने यही किया है। पूरा विश्व इसे मान रहा है तथा यदि इसे गंभीरता से लिया जाए तो यह क्रिकेट जगत को बदल डालेगा। यह क्रिकेट जगत के लिए दुख के रूप में सुख समान होगा।

अंत में, मैं राज्य सभा एवं लोक सभा को भी इस क्रिकेट जांच में शामिल किया जाना चाहिए। मुझे राज्य सभा द्वारा थोड़ा रिश्वत दिया जाने वाला था, परंतु मैं सहमत नहीं हुआ। अत: इस जांच में राज्य सभा एवं लोक सभा की दोनों टीमों को शामिल किया जाना चाहिए।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द) : क्रिकेट के इस मुद्दे पर समूचा राष्ट्र एवं यह सभा क्षुब्ध है। हमें पूरे मामले के तह में जाना होगा। इस सभा को समूची स्थिति के इस पहलू पर अवश्य विचार करना चाहिए। इस देश में खेलकूद के संपूर्ण व्यावसायीकरण के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। हमें इसे रोकने के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। हमारे पास खेलकूद के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए एक कानून अवश्य होना चाहिए। हमें विज्ञापन देने एवं टूर्नामेंट के आयोजन हेतु विज्ञापन देने वाली कंपनियों, बड़ी कंपनियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। विभिन्न खेलों में प्रवेश शुल्क काफी है। यदि यह पर्याप्त नहीं है तब सरकार आगे आए और अनुदान दे। परंतु हमें खेलों के व्यावसायीकरण पर अवश्य रोक लगानी होगी, जिसने खेल-कूद की गरिमा तथा आनंद को छीन लिया है। हम इस देश के भद्रजनों के लिए भद्रजनों के खेल को फिर से पुनर्स्थापित करें।

[हिन्दी]

श्री राज बब्बर (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि खेल के साथ, क्रिकेट के साथ ऐसा हादसा हुआ। लेकिन आज हमें खेलों के बारे में जरूर सोचना चाहिए कि बाकी जो खेल जिनसे हमारी शान थी, जो खेल हमारे अपने थे, वे आज खत्म हो गए हैं। अगर यही खेल दुबारा से चार-पांच खेलों में बंट गए होते तो शायद पूरा का पूरा कॉमर्शियल सिस्टम जो क्रिकेट के साथ जुड़ा है, बाकी खेलों को भी अगर इतना ही प्रोत्साहन मिला होता तो शायद आज यह हादसा न हुआ होता। बाकी खेल जैसे हॉकी, फुटबॉल वगैरह को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : क्या कुश्ती और कबड्डी नहीं है?

श्री राज बब्बर : कुश्ती और कबड्डी भी हैं।...*(व्यवधान)* हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात से सबक लेकर इस देश के अंदर और खेलों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि लोगों को जो खेलों को देखकर अपने आपको एसोसिएट करने की भावना है, वह भावना उनकी बाकी खेलों के साथ भी जाग सके।

राम रामदास आठवले (पंढरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे जो देश के स्वाभिमान पर चोट हुई है और जो फिक्सिंग है, स्कैंडल है, उससे अपने देश की बड़ी भारी बदनामी हो चुकी है। सी०बी०आई० पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : जो खिलाड़ी इसमें इंवाल्व हैं, उन पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है मगर सी०बी०आई० की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया है, उसे आगे भी अच्छा काम करने की आवश्यकता है। वैसे दिल्ली पुलिस को अच्छा काम करने की आदत नहीं है। कभी कभार, एकाध बार ही वह अच्छा काम करती है। इसमें काफी खिलाड़ी इंवाल्व हो सकते हैं और जो इंवाल्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होने की आवश्यकता है लेकिन सी०बी०आई० की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यही भविष्य के लिए एकमात्र प्रस्ताव यह है, जिस पर माननीय वित्त मंत्री जी विचार कर सकते हैं, कि जब कभी कोई स्पोर्ट्स ऐसोसिएशन कुछ निश्चित स्तर से अधिक सकल आय अर्जित करता है तो इस आय का कुछ भाग उप-कर या कर के माध्यम से उस सामान्य पूल को दिया जा सकता है जो कि सरकार के अधीन हो ताकि किसी विशेष खेल को मिलने वाले व्यावसायिक लाभ का फायदा अन्य दूसरे खेल भी उठा सकें। आप इसी तरह के सामान्य पूल के बारे में विचार कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : इससे एक प्रश्न उठता है। खेलों के गैर-व्यावसायिकीकरण के बारे में श्री शुक्ला ने जो सुझाव दिया था उसके बारे में क्या हुआ? खेल इस तरह के हो सकते हैं।

श्री माधवराव सिंधिया : खेलों का वित्तपोषण कौन करेगा? क्या आप करोगे?

श्री ए०सी० जोस : क्रिकेट को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। लेकिन जब से मैच फिक्सिंग शुरू हुआ है, तब से यह खेल बदनाम होता जा रहा है। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्र के लिए खेलते हैं और खेल रहे हैं। मैच फिक्सिंग में जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे किसी बोर्ड का मैम्बर हो या खिलाड़ी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : मुझे इस पर कुछ कहना है ताकि वे इसका उत्तर दे सकें। यदि वे हमारी टीम की उपलब्धि पर या सरकार की खेल नीति क्या है के बारे में उत्तर देंगे तो मैं वास्तव में इस बात की प्रशंसा करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हम भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। चूंकि इस मामले से निपटने के लिए हम एक अधिकरण की बात कर रहे हैं इसलिए मेरा ख्याल है कि यदि माननीय गृह मंत्री भी इस मुद्दे का उत्तर दें तो यह और भी उपयुक्त होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इसे भी अपने उत्तर में शामिल करेंगे। कृपया सर्वप्रथम मंत्री जी की बात सुनें।

श्री बलबीर सिंह (जालंधर) : मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों को इस सभा के साथ बांटना चाहता हूं। मैं श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा को पिछले तीन दशकों से जानता हूं। वे विभिन्न खेल-संगठनों से जुड़े रहे हैं। वे ओलंपिक संघ में थे। वे सच्चे खिलाड़ी की भावना वाले व्यक्ति हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है, उनके एक खेल मंत्री के रूप में होने से इस जांच का तर्कपूर्ण निर्णय होगा। मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है क्रिकेट के क्षेत्र में देश में जो हो रहा है, उसको ढिंडसा जी बिल्कुल ठीक कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर्स ने जो कन्सर्न जाहिर की है, मैं उससे सहमत हूं। जब वह एपिसोड हुआ था, उसके एक दिन के बाद ही मैंने कन्सर्न्ड डिपार्टमेंट होम अफेयर्स, डिप्टी पुलिस, फारन अफेयर्स के आफिशियल्स को आफिस में बुलाया और सारी रिपोर्ट ली, इसमें भी दो राय नहीं है, तकरीर के दौरान सबने एक जुबान से कहा है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम कर रही है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसको ठीक करना है, लेकिन इस स्टेज पर दिल्ली पुलिस की इन्वैस्टीगेशन में कोई इंटरफियरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अगर करेंगे, तो नुकसान हो सकता है। बहुत सीरियसली इन्वैस्टिगेशन चल रही है। यह सवाल भी पूछा गया है और हमने इंटरपोल को भी लिखा है, उसको भी इन्वाल्व किया है। इसकी सच्चाई को लाने के लिए हम कोई कसर उठा नहीं छोड़ेंगे। कई आनरेबल मैम्बर्स ने सही कहा है, किसी पर इल्जाम लगाया जाए, उसको यह नहीं कह सकते हैं कि यह सच है, क्योंकि इल्जाम तो कोई भी किसी पर भी लगा सकता है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी पढ़ीं कि जिस दिन से क्रिकेट शुरू हुआ है उसी दिन से मैच फिक्सिंग चल रहा है। यह भी कहा गया कि कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है, जो इससे बचा हो, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि सब के सब ही बेईमानी करते हैं, यह नतीजा तो नहीं निकाल सकते। इसकी इंक्वायरी हो रही है। मैंने जैसे अपनी स्टेटमेंट में कहा, जो भी

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा]

जरूरत होगी, वह हम करवाएंगे। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि सीबीआई की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, ज्यूडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस कंक्लूजन पर पहुंचने में तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 27 तारीख कही। मैंने जैसे अपनी स्टेटमेंट में कहा कि बीसीसीआई के आफिस बेयरर्स, पास्ट एंड प्रेजंट केप्टन्स, मैनेजर्स और कोचिस की एक मीटिंग बुलाई है, इसलिए भी मैंने 27 तारीख रखी थी। मुझ से कई प्रेस वाले पूछ रहे थे कि इतनी लेट तारीख क्यों रखी है, क्योंकि मुझे मालूम था कि 17 तारीख से पार्लियामेंट का सत्र होगा, पार्लियामेंट के मेम्बर्स के क्या जज्बात हैं, वे क्या बात करते हैं, सब पता लगेगा, उसे भी उस मीटिंग में डिसकस करेंगे। मैं इस बात पर भी सहमत हूं कि जैसे हमने क्रिकेटर्स को हीरो बनाया, के०पी० सिंह देव और राज बब्बर जी ने भी यही कहा कि हमारी हॉकी टीम कितनी दफा ओलंपिक में गोल्ड मैडल जीतकर आई है।...*(व्यवधान)* वे अभी भी मैच जीतकर आए हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता नहीं। ये जीतकर आते थे तब तो इन्हें हीरो मानते थे, लेकिन अगर हारकर भी आते थे तो भी हम इनकी बहुत बड़ाई करते थे, उन्हें हार डालते थे।

मैं इस हाउस को यह बताना चाहता हूं कि जो इंडस्ट्रीज गेम्स में इंटरस्ट लेती हैं, जो स्पोंसर देते हैं उनकी भी एक मीटिंग बुलाने जा रहे हैं। जिन गेम्स में हिन्दुस्तान इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कर सकता है, उसे आप क्यों नहीं कर रहे। कमलनाथ जी ने कहा कि आप इमीजिएटली सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे। क्या हम यह मान लें, जो स्टेटमेंट आई है कि जो भी बीसीसीआई का प्रेसीडेंट रहा... *(व्यवधान)* वे कहते हैं हिन्दुस्तान का कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने पैसा नहीं लिया, तो क्या यह मैं अभी मान लूं।...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ : मैंने इनवेस्टीगेशन के लिए कहा था।...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : हां, इनवेस्टीगेशन जरूर करवाएंगे। इसलिए मैंने क्लियर किया है कि चाहे कोई भी एजेंसी से करवाना पड़े, मैंने सीबीआई नहीं लिखा, इसमें हमारी भी दो राय हैं कि किस एजेंसी से करवाया जाए। मैं आपको यकीन दिलवाना चाहता हूं कि इस सच्चाई को पूरी तरह से सामने लाया जाए, चाहे किसी भी एजेंसी से हमें इसकी इंक्वायरी करवानी पड़े, हम करवाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : महोदय, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चन्द्रचूड़ कमीशन की रिपोर्ट सदन में कब आएगी?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : वह तो रख दी है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, हमारे पास आज चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसके लिए अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कार्य-सूची पढ़ें। इसके बाद ही आपको अवसर मिल पाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां शून्य काल भी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : आनरेबल मैम्बर देर से आए हैं, वह मेरी स्टेटमेंट में है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी माननीय मंत्री कहेंगे, उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा : मैं हाउस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सच्चाई को सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : जब तक आप सच्चाई सामने लाएंगे तब तक क्या क्रिकेट मैच बंद करेंगे?

अपराह्न 1.01 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि 24 अप्रैल, 2000 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान के सरकारी काम-काज में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(1) आज की कार्य-सूची से आगे ले जाए गए सरकारी कामकाज की मदों पर चर्चा।

(2) राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और उन्हें पारित करना :

(i) भारतीय खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 2000

(ii) गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) निरसन विधेयक, 2000

(3) भारतीय कंपनी (विदेशी हित) तथा कंपनी (लाभांशों पर अस्थायी निबंधन) निरसन विधेयक, 2000 पर विचार और उसे पारित करना।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(4) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

(5) निम्नलिखित मंत्रालयों के संबंध में अनुदानों की बातों पर चर्चा तथा मतदान :

(i) संचार मंत्रालय

(ii) गृह मंत्रालय

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय को जोड़ा जाए :

केन्द्रीय लोक निर्माण, सूचना एवं प्रसारण विभाग, एम०टी०एन०एल० आदि विभाग में जूनियर अभियंता के वेतन दर को रुपये 5500 से और 6500 से शुरू किया जाता है जबकि रेलवे विभाग अभी तक जूनियर अभियंता के वेतन को 5000 रुपये से ही शुरू किया जाता है। इसके बारे में न्यायोचित कदम उठाकर इस वेतन दर को 6500 से शुरू कराया जाए।

डा० सुशील इन्दौरा (सिरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न विषय को जोड़ा जाए :

सरकार ने हाल ही में आर्थिक दृष्टि से कठोर कदम उठाए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अब गरीब को गेहूं 2.50 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 4.30 प्रति किलो, 10 किलो की जगह 20 किलो मिलेगा और गैर गरीब को 6.82 रुपये प्रति किलो के बजाय 9 रुपये प्रति किलो हो गया है। परिवार में 5 सदस्यों की कल्पना सरकार ने की भी है, जिसे प्रति व्यक्ति एक समय 100 ग्राम गेहूं, दिन में 200 और परिवार को एक किलो एक दिन में और माह में तीस किलो भरण-पोषण के लिए अवश्य चाहिए।

मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था पर नये सिरे से विचार किया जाए ताकि गरीब को तो राहत मिल जाए।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए :

1. देश की धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के विगत बीसियों वर्षों से नियमित छपने वाले तथा रजिस्ट्रार भारत के समाचार-पत्र के यहां पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक समाचार प्रकाशित करने वाले साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाओं को सरकार द्वारा अभी हाल ही में जारी किए गए अनुदेशों के अंतर्गत डाक पंजीकरण के नवीकरण करने से इंकार कर दिया गया जिससे देश के सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संगठनों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है। अत: इस असुविधा एवं असंतोष को समाप्त करने हेतु पूर्वत: डाक पंजीकरण के नवीकरण की आवश्यकता।

2. सैनिक भर्ती के लिए प्रसिद्धि प्राप्त, स्वाधीनता सेनानियों की कर्मस्थली रहे तथा राजस्थान के बीचों-बीच स्थित ऐतिहासिक एवं सैनिक महत्व के अजमेर नगर में अंग्रेजों के समय से स्थापित और 1998 तक कार्यरत सेना के क्षेत्रीय भर्ती दफ्तर (जोनल रिक्रूटमेंट आफिस) को बंद कर देने से घोर असंतोष व्याप्त है। अत: अजमेर नगर में सेना के क्षेत्रीय भर्ती दफ्तर को पुन: प्रारंभ करने की आवश्यकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो प्वाइंट लिखकर दिए हैं, उसे ही पढ़ें। पूरा मैटर नहीं पढ़ें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : मेरा मैटर ज्यादा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चाहे कम हो लेकिन प्वाइंट ही पढ़ें।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के नासिक में 2003 में महाकुम्भ का आयोजन किया जा रहा है जो देवलाली, नासिक रोड़ त्र्म्ब, बुश्वर और नासिक से संबंधित है। इसमें लाखों-लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। अत: यहां की व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए। साथ ही यात्रियों, पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, उसका उत्तम प्रबंध होना चाहिए।

मालेगांव, भिवंडी शहर में ज्यादा से ज्यादा पावरलूम हैं। इसके ऊपर लाखों मजूदर निर्भर करते हैं लेकिन सूत के दाम अभी बढ़े हैं, बिजली के भी दाम बढ़ गए हैं और गोडाउन की अच्छी तरह से सुविधा नहीं है। इसलिए यह धंधा संकट में आया। इस संकट का समाधान करने के लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल कर लिया जाए :

खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, ऐसा खासकर केरल राज्य में हुआ है।

महोदय, परसों केरल के मुख्यमंत्री ने राजधानी में सर्वदलीय प्रतिनिधि-मंडल का नेतृत्व किया था। संसद के सामने धरने पर बैठने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। यह सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मिला और उन्हें स्थिति से अवगत कराया गया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी, यह मामला पहले से ही सूची में शामिल है। आपको केवल पाठ पढ़ना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुसार खाद्यान्नों पर से राजसहायता वापस लिए जाने के कारण मेरे राज्य के साथ-साथ अन्य दक्षिणी राज्यों की भी स्थिति गंभीर हो गई है। मिट्टी के तेल पर से भी राजसहायता वापस ले ली गई है जिससे गरीब आदमी अत्यधिक कठिनाई में है। चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री पर से भी राजसहायता हटा दी गई है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह कीमतों में की गई वृद्धि को वापस ले लें। खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि ने भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। ऐसा खासकर केरल में हुआ है।

इस मद को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामला रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद सदस्यों को अनुमोदित पाठ ही दिए जाने चाहिए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में से मदें भी जोड़ी जाएं :

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव एवं टकराव—पूंजी बाजार में संकट।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन अफसरों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं उन्हें अविलंब निलंबित किया जाए। नौकरशाही की जवाबदेही बढ़ानी चाहिए। उन्हें किसी पद पर नियुक्त करने पर हर वर्ष संपत्ति की घोषणा के लिए कहना चाहिए। इससे सरकार के काम में पारदर्शिता आएगी।

दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए सरकार तुरंत कदम उठाए। तब तक विभिन्न निकायों को समाप्त कर एक निकाय बनाया जाए।

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सतना जिले की बाण सागर अंतर्राज्यीय सिंचाई योजना को यथाशीघ्र पूरा कराने के लिए चर्चा की आवश्यकता है। यह योजना सन् 1984 में पूर्ण होनी थी। यह 600 करोड़ रुपए की योजना थी जो अब 3200 करोड़ रुपए की हो गई है। यह 22 वर्ष बाद भी अधूरी पड़ी है। इससे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार राज्यों की सिंचाई प्रस्तावित है।

[अनुवाद]

श्री तिरुनावक्करसू (पुडुक्कोट्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्न मदों को भी अलगे सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए :

1. तमिलनाडु में पुडुक्कोट्टई में उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता क्योंकि यह पिछड़ा क्षेत्र है। यहां पर्याप्त भूमि तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2. तमिलनाडु में उन बंद पड़ी कपड़ा मिलों को खोलने तथा रुग्ण इकाइयों को पुन: चालू करने की आवश्यकता जिनसे लाखों लोगों के रोजगार छिन गए हैं। कपड़ा उद्योग की समस्या का कारण धागे (यार्न) पर आयात शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी है।

अपराह्न 1.11 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

(एक) राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)(i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.12 बजे

(दो) नारियल विकास बोर्ड

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4(4)(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनंत कुमार) : महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संकल्प सं० 9-1/97-(ईई) दिनांक 15.12.1998 के पैरा 1 में उपबंध XVIII के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संकल्प सं० 9-1/97-(ईई) दिनांक 15.12.1998 के पैरा 1 में उपबंध XVIII

के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 121 लेंगे—श्री प्रमोद महाजन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर) : शायद यह मोबाइल किसी मिनिस्टर साहब का है।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी का भी हो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इसे मुझे दें। प्रतिदिन ऐसा हो रहा है। कल और परसों भी ऐसा हुआ था। हर चीज की एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, इस संबंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो हम ऐसी प्रणाली विकसित कर सकते हैं जिससे संसद भवन में सेलुलर टेलीफोन कार्य न कर सकें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हां, आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : यदि माननीय अध्यक्ष चाहते हैं तो हम एक ऐसी प्रणाली विकसित कर सकते हैं जिसमें संसद भवन परिसर में सेलुलर टेलीफोन कार्य नहीं करेंगे। न तो आपके सेलुलर फोन पर घंटी आएगी न ही आप इसका प्रयोग कर सकेंगे...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बावजूद सदस्यों की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है।

अब श्री प्रमोद महाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 1.14 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

''कि यह सभा 19 अप्रैल, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि यह सभा 19 अप्रैल, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.15 बजे

राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2000*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 'शून्य काल' लेंगे।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मुझे एक अत्यावश्यक मामला उठाना है...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दो। कल भी अनेक सदस्यों को मौका नहीं मिल सका था हालांकि उन्होंने सूचनाएं दी थीं। मैं नहीं जानता कि आज उनका नाम है या नहीं। अब अपराह्न के 1.15 बजे हैं। इस पर कम से कम एक घंटा लगेगा। सभा की बैठक चलती है या नहीं यह आप लोगों के सहयोग पर निर्भर करता है। आप संक्षेप में और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सटीक बिन्दुओं पर बोलें। यदि आप लोग बैठना चाहते हैं तो मैं यहां बैठने की जिम्मेदारी उठाता हूं। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्टत: बता दूं कि जिस क्षण आपने

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

सहयोग देना बंद किया मैं इस मद को बीच में ही समाप्त कर बाहर चला जाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे यहां उपस्थित रहें। यह असंभव बन गया है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, यह मुद्दा... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है। अभी-अभी मैंने आपको बताया है और आप अब स्वयं इसका उल्लंघन कर रहे हैं। यह क्या है? आप केरल विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पश्चिम बंगाल राज्य में लोकतांत्रिक और राजनीतिक आंदोलन चलाना असंभव बन गया है। राज्य में संसदीय लोकतंत्र वास्तविक चुनौती का सामना कर रहा है।

कल तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के हजारों युवा कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन किया...*(व्यवधान)* वे राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह राज्य सूची का विषय है। यह मामला यहां कैसे उठाया जा सकता है...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पुलिस ने लोगों पर लाठियां चलाईं हैं ...*(व्यवधान)* लाठी चार्ज में सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम न्याय चाहते हैं। संसदीय लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार को सत्ता में बने रहने नहीं दिया जाना चाहिए। पुलिस निर्दयी बन रही है। हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक ढंग से नारे लगा रहे थे...*(व्यवधान)* तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई के अध्यक्ष घायल हुए हैं। पुलिस ने उन्हें बुरी तरह पीटा है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए। सूचना प्राप्त हुई है। यह मामला सूचीबद्ध है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दो। मैंने श्री सुदीप बंद्योपाध्याय को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं की निर्दयता से पिटाई की। उन्हें दंडित किया जाए।...*(व्यवधान)* हम आपसे न्याय की मांग करते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री बंद्योपाध्याय को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : हम केन्द्र सरकार, माननीय गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि हस्तक्षेप करें और कल की घटना के बारे में रिपोर्ट मांगें कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं को अलोकतांत्रिक तरीके से क्यों पीटा गया, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया था ...*(व्यवधान)* यह राज्य सूची का विषय है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य यह कोई तरीका नहीं है, माननीय अध्यक्ष ने अपने विवेक से यह सूचना स्वीकार की है और अब यह यहां सूचीबद्ध है। आप सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कल उन्हें अवसर नहीं मिल सका था और आज भी आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं महोदय, इसकी अनुमति नहीं ली जानी चाहिए। आप इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि श्री आचार्य जैसे वरिष्ठ सदस्य इस प्रकार व्यवधान डाल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई और उन्होंने अपने विवेक से इसे स्वीकार किया। यह यहां सूचीबद्ध है। मैंने श्री सुदीप बंद्योपाध्याय का नाम पुकारा है और आप इन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। यह बहुत गलत बात है। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल किया जा रहा है कि आप सभा में व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अकबर अली खांडोकर (सेरमपुर) : पार्टी मीटिंग पर हमला किया, वहां लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक किया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब क्या करें? क्या आप अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करेंगे? आप अपने स्थान पर क्यों नहीं बैठते हैं? श्री आचार्य मैं बोल रहा हूं? जब मैं बोल रहा हूं तो कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, ये लोग दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : यहां फासिस्टवाद ही चल रहा है। यहां कानून का कोई शासन नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह शून्य काल है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें अनुमति दी है और आप उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। इसकी भी अपनी सीमा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस सभा में मुझे भी नहीं बोलने दे रहे हैं। इसकी भी अपनी सीमा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आपको मुझे सुनना होगा। सभा में व्यवस्था बनाए रखना मेरा काम है। क्या मेरा काम यह नहीं है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना मिल गई है। उन्होंने अपने विवेक से इसे सूची में शामिल करने की अनुमति दी है। मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त सूची है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इस मामले को उठाने के लिए उनसे कहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : इस मामले को राज्य विधान सभा में उठाया जाना चाहिए, यहां नहीं...*(व्यवधान)* इसे वहां उठाया जाना चाहिए... *(व्यवधान)*

डा० राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : महोदय, वे इस मामले को इस सभा में कैसे उठा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.26 बजे।

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.35 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2.35 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : महोदय, मैंने सूचना दी थी। महोदय, मैंने जीरो आवर का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : जीरो आवर चल रहा था। हाउस डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से वह नहीं हुआ। मुझे बहुत महत्वपूर्ण ईशू पर बोलना था।

अध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को बोल सकते हैं।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : सोमवार को देर हो जाएगी। आज थोड़ा समय दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है।

श्री जितेन्द्र प्रसाद : यह उत्तर भारत के किसानों से संबंधित विषय है। मुझे फार्मर्स के ईशू पर बहुत जरूरी बात कहनी थी। हाउस बीच में डिस्टर्ब हो गया था। इस वजह से जीरो आवर पूरा नहीं हो पाया।

अध्यक्ष महोदय : आप आज नहीं, बाद में बोलिए। डा० रमण सिंह।

अपराह्न 2.36 बजे

ईस्टर रविवार को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के बारे में

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, ईस्टर के रविवार के दिन आयोजित बैंकिंग परीक्षाओं तथा कुछ डाक-तार विभाग की परीक्षाओं के संबंध में कई सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की थी। यदि आपको याद हो तो कई सदस्यों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। मैंने इस बारे में वित्त तथा संचार मंत्रालयों के संबंधितों से बात की और मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दोनों ही मंत्रालयों ने निदेश जारी कर दिए हैं कि ऐसी परीक्षाएं स्थगित कर दी जानी चाहिए। अब ईस्टर के रविवार के दिन कोई परीक्षा नहीं होगी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह अच्छी घोषणा की है। सदस्य हमेश ही आशा करते हैं कि आप इस तरह की घोषणा करते रहें।

अपराह्न 2.38 बजे

डिजाइन विधेयक*

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डिजाइनों के संरक्षण विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : महोदय, इस बारे में इन्हें कुछ परिचयात्मक टिप्पणी करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही विचार किए जाने का प्रस्ताव रखा है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय, उन्हें इस बारे में बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर के समय, वे इस पर बोलेंगे।

श्री अनिल बसु : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस पर मंत्रीजी को परिचयात्मक टिप्पणी देनी चाहिए और यह सभा की परंपरा भी है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप परिचयात्मक टिप्पणी करना चाहते हैं?

श्री अनिल बसु : महोदय, क्या उन्होंने इसे सभा में पुर:स्थापित किया है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विचारण प्रस्ताव को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

अपराह्न 2.40 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*]

[हिन्दी]

डॉ० रमण : सभापति महोदया, यह प्रस्ताव, सदन के सामने डिजाइन विधेयक, 1911 को रद्द करने तथा प्रतिस्थापन किए जाने पर विचार किए जाने और डिजाइन विधेयक, 1999 नामक एक नये कानून को बनाने के संबंध में है। सरकार की पहल डिजाइन कानून को आधुनिक बनाने के संबंध में है ताकि नवीनता तथा मैक्रो स्तर में बदलाव लाकर मौलिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया जा सके और इसे अन्य कानूनों के अनुरूप बनाया जा सके।

सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि विश्व फोरम में, डब्लू०टी०ओ० में, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत को एक मजबूत स्थिति हासिल करनी पड़ेगी। ट्रिप्स, डब्लू०टी०ओ० के कई करारों का एक भाग है।

भारत में पंजीकरण और डिजाइन की सुरक्षा के संबंध में कानून के रूप में डिजाइन अधिनियम, 1911 है। इस कानून के लागू होने के नौ दशकों के बाद भी इस अधिनियम में एक बार भी संशोधन नहीं किया गया है। इस अवधि में प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन आया है, जो कि विज्ञान और इंजीनियरी में उन्नति होने के कारण आया है। ट्रिप्स करार के कारण भी यह आवश्यकता हुई है कि कानून में कुछ संशोधन किया जाए। पैरिस कन्वेंशन में शामिल होने के पश्चात् भारत को इस विधेयक में कुछ संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान कानून को विश्व स्तर की घटनाओं के अनुरूप संशोधित करना देश के लिए हितकारी है।

प्रस्तावित विधेयक में डिजाइन से संबंधित कानून में संशोधन तथा प्रतिस्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि डिजाइन क्रियाकलापों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सके। चूंकि यह एक प्रतिस्थापन विधेयक है, अत: 1911 के अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा और इसकी इस विधेयक द्वारा प्रतिस्थापना कर दी जाएगी।

डिजाइन किसी वस्तु की बाहरी आकार या साज-सज्जा से संबंधित है। किसी भी औद्योगिक प्रक्रिया से तैयार वस्तु और आकर्षक होनी चाहिए।

डिजाइन के संबंध में इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, इस प्रकार हैं—मूल की परिभाषा देना, गैर-पंजीकरणीय डिजाइनों की शिनाख्त की व्यवस्था, प्रशासनिक उपायों को सरल और उपभोक्ता अनुरूप बनाया जा सके, कम्प्यूटर पर डिजाइन आबंटन रजिस्टर की व्यवस्था, अर्थ-दंड को बढ़ाया गया है, नियंत्रक को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं।

यह जो व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था में जो 1911 का कानून था, उस कानून के बाद काफी तेजी के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आया है। ट्रिप्स के और इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स के जितने भी हमारे प्रावधान हैं, उसमें एक परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है और यह सामयिक भी है। आज के इस बढ़ती हुई तेजी के साथ जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं बाकी विषय इस विधेयक पर विचार किए जाने हेतु माननीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना तथा इस संबंध में बहुमूल्य विचार आमंत्रित करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : प्रसतव प्रस्तुत किया जाता है :

"कि डिजाइनों के संरक्षण विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदया, मैं आपके तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ कि जिस विधेयक पर अब चर्चा की जा रही है उसे आज के ही दिन चर्चा के लिए विहित किया गया है। यदि इस विधेयक को आज चर्चा के लिए विनिश्चित किया गया था तो इस बात की सूचना काफी पहले दी जानी चाहिए थी तथा सदस्य इस पर चर्चा के लिए तैयार होकर आते। हमने सुबह ही देखा कि आज की कार्यसूची में डिजाइन विधेयक भी शामिल है, क्या सभा का कार्यवाही का यही तरीका है? क्या किसी भी प्रकार के विधेयक में अन्य पार्टियों को शामिल नहीं किया जाना

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

चाहिए? कार्य-मंत्रणा समिति ने इस विधेयक को आज की सूची में शामिल नहीं किया है। यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने यह समय इसे पहले आबंटित किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह समय आबंटित नहीं किया है। कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में निर्णय लिया गया था कि अनुदानों की मांगें, गैर सरकारी सदस्यों का कार्य, कीमतों में वृद्धि तथा सूखा पर ही विचार किया जाएगा। इसमे परे कुछ भी निर्णय नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक होने के नाते मैंने भी बैठक में भाग लिया है। मैं कार्यवाही सारांश से भी परिचित हूं। ऐसी बात नहीं है कि हम विधेयक पर चर्चा करना और उसे पारित करना नहीं चाहते हैं। हम कुछ समय पूर्व सूचना चाहते हैं ताकि सदस्य तैयार होकर आएं। यह नहीं कहा जा सकता कि सदस्य आएं और अपना नाम दें क्योंकि अब तो इसे कार्य-सूची में शामिल कर लिया गया है। यह संसद के प्रकार्यों का तरीका नहीं है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदया, मेरा प्रश्न व्यवस्था से संबंधित है। सामान्यत: जब कोई नया विधेयक सभा में पुर:स्थापित किया जाता है तो इसकी विस्तृत जांच के लिए इसे स्थायी समिति को भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। सत्रावकाश के दौरान सरकार ने कीमतों में बढ़ोत्तरी की और आवश्यक वस्तुओं पर से राजसहायता वापस ले ली। अध्यक्षपीठ ने पहले ही विनिर्णय दिया है।

सभापति महोदय : जहां तक आपके मुद्दे का प्रश्न है तो यह नया विधेयक नहीं है। राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यदि एक बार इस पर राज्य सभा में चर्चा की जाती है तो इसे लोक सभा की स्थायी समिति को नहीं भेजा जा सकता।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कृपया विधेयक पर सभा में चर्चा होने दें। हम भी वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं। लेकिन सदस्यों को काफी पहले इसकी सूचना दी जाए ताकि वे तैयार होकर आएं। अभी इस विधेयक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : मैं, जो कुछ श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने कहा उसके बारे में उत्तर देना चाहूंगा। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभा की कार्यवाही कैसे की जाती है उसके बारे में स्पष्ट विनिर्णय दें।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रकार्य विभिन्न विधानों के लिए समय आबंटित करना है। क्या यह सही नहीं है कि डिजाइन विधेयक को कार्य मंत्रणा समिति ने एक घंटे का समय आबंटित किया है? जिस कार्य-सूची मद को सभा में रखा जाना है उसको समय आबंटित करने के साथ ही कार्य मंत्रणा समिति का कार्य समाप्त हो जाता है।

कार्य मंत्रणा समिति ने इस कार्य के लिए एक घंटे का समय आबंटित किया है। दूसरे दिन के कार्य के लिए विनिर्णय लेना सरकार का काम है। सभा में कार्य-सूची देना और सरकार को समय आबंटित करना सरकार का विशेषाधिकार है तथा तदनुसार उस कार्य-सूची, जो कि सभा के माननीय सदस्यों को सूचना के लिए होती है कि संभवत: कौन-सा विधेयक पुर:स्थापित होने जा रहा है, को छोड़कर अन्य किसी के बारे में पूर्व सूचना नहीं दी जाती और यह सब पूरा हो चुका है क्योंकि विधेयक पहले ही पुर:स्थापित कर लिया गया है, पर्याप्त समय व्यतीत हो गया है। इसलिए, किसी विधेयक पर विचार करवाने और उसे पारित करवाने के लिए यह सरकार का विशेषाधिकार है कि वह अपनी इच्छा से उसे किसी भी दिन की कार्य-सूची में शामिल करें। यह बात नहीं है कि कार्य मंत्रणा समिति की जिस बैठक का जिक्र वे कर रहे हैं उसमें अगले सप्ताह के हर मिनट के कार्य का विनिर्णय किया गया हो। नहीं यह सत्य नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति की पिछली बैठक में हमने नियम 193 के तहत क्या मुद्दा रखना है और किस दिन वित्त विधेयक रखना है, के बारे में सरसरी तौर पर बात की थी। लेकिन यह हमें इस बात के लिए प्रतिबंधित नहीं करता कि मूल विधेयक में हस्तक्षेप किए बिना हम सरकारी कार्य न रख सकें।

जब कभी हम प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते हैं तो दूसरी सभा की ही तरह हमें अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक का समय मिलता है। यहां तक कि इतने समय में ही सरकार को कार्य पूर्ति करनी होती है। यदि मैं कार्य-पूर्ति नहीं करता तो आप अगली सुबह कहेंगे कि सभा में आपके पास काम नहीं है। आप अपराह्न 2.30 बजे सभा को क्यों समवेत करने का कष्ट करते हैं? मुझे नियमित कार्य पारित करना है, इसलिए मुझे अपराह्न 2.30 बजे कार्य विषय देने हैं।

अंत में, आपने ठीक कहा है कि जहां तक स्थायी समिति को विधेयक भेजने का प्रश्न है तो यह माननीय अध्यक्ष महोदय या दोनों सभाओं के सभापतियों का विशेषाधिकार है। सत्र आरंभ हो गया था। यह विधेयक पिछले सत्र में रखा गया था। जब राज्य सभा में डिजाइन विधेयक पर चर्चा आरंभ हुई थी तो उस समय कोई स्थायी समिति नहीं थी, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से पारित कर दिया गया। जब इसे सभा ने पारित कर लिया है तो आप इसे दूसरी सभा की स्थायी समिति में नहीं भेज सकते...*(व्यवधान)*। आपकी सभा इसे चयन समिति को भेज सकती है, लेकिन आपकी सभा इसे संयुक्त समिति को नहीं भेज सकती। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अपनी इच्छा से विधेयक भेज दें। इसे सभा को ही विनिर्णित करना है।

माननीय मंत्री जी वहां थे और उन्होंने अपना भाषण भी दिया था। हमने चर्चा आरंभ की थी। चर्चा के बीच में आपने ऐसा कहा। इसलिए मैंने किसी संसदीय कानून या परंपरा का उल्लंघन नहीं किया है और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी द्वारा उठाई गई आपत्ति का विनिर्णय भी आप ही करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा, मैं उसका जोरदार खंडन करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कार्य मंत्रणा समिति के कार्यवाही-सारांश पर सभा में चर्चा की जाए क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने अपनी बात बिलकुल स्पष्ट कर दी कि हम अनुदानों की मांगों तथा बजट के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं। तदनुसार, समय आबंटित किया जाना चाहिए तथा इसके पश्चात् नियम 193 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय के पास लंबित पड़े कार्य अथवा विभिन्न दलों

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बैठक में स्पष्ट रूप से यह निर्णय लिया गया था कि कोई अन्य विधायी कार्य नहीं लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री को यह कल ही बताना चाहिए था कि हमें दो घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा तथा हम उस समय में क्या करेंगे। क्या आप एक विधेयक अथवा कानून प्रस्तुत कर सकते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसमें बाधा नहीं डाल रहा हूं। मैं इसके लिए तैयार रहता। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको अपने विशेषाधिकार के बारे में निर्णय लेना है, तो मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि मैं कार्य मंत्रणा समिति में भाग नहीं लूंगा।

श्री प्रमोद महाजन : मैंने किसी भी परंपरा को नहीं तोड़ा है। मैं इसे हल्के रूप में नहीं लूंगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अनिल बसु, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : परंतु आप इस तरह जवाब नहीं दे सकते हैं। आप अपनी मरजी के मुताबिक रोज इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति की रिपोर्ट की पवित्रता क्या है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री बसु, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सभा का संचालन कर रही हूं। कृपया बैठ जाइए। जब आप लोग सभापति की बात नहीं सुनते हैं तो मुझे दुःख होता है।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभा का कार्य केवल सरकार में शामिल दलों द्वारा ही नहीं चलता बल्कि विपक्ष के सहयोग से भी चलता है। हम हमेशा ही सहयोग देते हैं। ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं अपना आपा खोऊं अथवा संसदीय कार्य मंत्री अपना आपा खोएं...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : कृपया उनके बोलने में बाधा न डालें। उन्होंने भी उस समय बाधा नहीं डाली थी, जिस समय संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री दासमुंशी अपने आप ही स्वयं को संभाल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : संसदीय कार्य मंत्री के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहूंगा कि यदि मैं गलत नहीं हूं, तो यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया था कि इस सत्र में 4 मई तक वे कोई भी विधान प्रस्तुत नहीं करेंगे। तदनुसार, हमने अपने दल के सभी माननीय सांसदों को सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विषयों के लिए तैयार रहने के बारे में कहा था...*(व्यवधान)*

यदि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ऐसा समझते हैं कि यदि कुछ समय मिला तो हम कुछ विधान पारित कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जैसा कि वे हमें समय-समय पर सूचित करते रहते हैं, वे हमें इसकी सूचना भी दे सकते थे तथा इससे हमें खुशी होती। परंतु ऐसा नहीं हुआ...*(व्यवधान)*

अब आपको दो घंटे का समय मिल गया है तथा आपने इसे पारित करने का निर्णय ले लिया है। हम इसका विरोध करते हैं। यह कोई तरीका नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इस पर वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे रही हूं।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मुझे कुछ कहना है।

यह सच नहीं है कि विधेयक अचानक ही प्रस्तुत कर दिया गया। मैं कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक से सहमत नहीं हूं। मैं कहूंगा कि पर्याप्त सूचना दी गई है। मुझ जैसा व्यक्ति, एक जिम्मेवार व्यक्ति आपके सामने है।

मुझे भारी मन से माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत मुद्दे का समर्थन करना पड़ रहा है। वास्तविकता यह है कि सोमवार को हमें बुधवार को किए जाने वाले कार्यों की सूची प्राप्त हुई थी तथा उस कार्य-सूची में डिजाइन विधेयक का उल्लेख था। हमें सोमवार को ही सचेत कर दिया गया था, हालांकि बाद में कुछ अन्य बातें भी सामने आ सकती थीं। परंतु यह बात वहां थी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि यह राज्य सभा में पारित हुआ था। इसे सभा पटल पर रखा गया है तथा कार्य मंत्रणा समिति ने समय आबंटित किया है। सदस्यों के लिए यह संकेत पर्याप्त है तथा मेरे जैसे सदस्यों ने विधेयक का अध्ययन किया है व अनेक संशोधन सुझाए हैं। वे संशोधन परिचालित किए गए हैं।

सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि मैं असंतुष्ट रहा हूं। यह विधेयक कार्य-सूची में अनेक बार रखा गया परंतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उन सभी अवसरों पर मैंने अपने कार्य छोड़ दिए तथा मैं यहां आया ताकि मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित रह सकूं। अब, मैंने सोचा था कि 3.30 बजे तक हम समूचे मामले पर नजर डालने में सक्षम हो जाएंगे। परंतु ऐसा लगता है कि अब यह अगले सप्ताह में जा रहा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस (आई) के मुख्य सचेतक कुछ त्रुटि कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, जिन्हें उन्हें ठीक करना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि यह बहुत स्पष्ट है। मंत्री जी ने विधेयक को विचार के लिए पहले ही प्रस्तुत कर दिया है तथा विचार-विमर्श प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा, मेरे सामने वे सभी संशोधन हैं, जिनकी सूचनाएं दी गई हैं। इसे सप्ताह की कार्य-सूची में लिया गया था। मैं समझती हूं, हमारे पास पर्याप्त सूचना थी। अतः हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। अब मैं श्री अनादि साहू का नाम पुकारती हूं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया?...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैंने इस बारे में आज ही सुबह कांग्रेस (आई) के उप-नेता को बताया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : अब तूफान थम चुका है। हम वाद-विवाद प्रारंभ कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

क्या मैं प्रारंभ करूं? सभापति महोदया, 1911 से लेकर 2000 तक हमने लगभग 90 वर्षों का सफर तय किया है। इन 90 वर्षों में, दुनिया तकनीकी रूप से सिमट गई है, भौगोलिक रूप से नहीं। सिमटने की इस प्रक्रिया में, हम एक-दूसरे के नजदीक आए हैं और नजदीक आने से, हमने नए कार्यकलापों, नए डिजाइनों, नए हितों, नए विनिवेशों तथा नई अनुसंधान प्रणालियों की खोज की है।

यही कारण है कि 1911 के डिजाइन विधेयक में इन 90 वर्षों के दौरान संशोधन की ही नहीं बल्कि पूरी तरह से परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके बाद हमने विश्व-व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की बैठकों में भाग लिया, उरुग्वे की बैठकों में भाग लिया, पेरिस सम्मेलन तथा अन्य अनेक ऐसे मामले देखे जिनके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इन सबसे महत्वपूर्ण है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, ट्रिप्स समझौता है, जिसमें लगभग 40 मदें सूचीबद्ध की गई हैं जिनमें से पेटेंट, डिजाइन, ट्रेड मार्क महत्वपूर्ण हैं।

डिजाइन पेटेंट नहीं होते हैं। पेटेंट तथा डिजाइन में कोई भ्रम नहीं हो सकता है। जहां तक डिजाइनों का संबंध है, यह वस्तुओं की बौद्धिक अभिव्यक्ति है कि किस प्रकार का डिजाइन तैयार किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मेरे मित्र निश्चित रूप से मुझसे सहमत होंगे कि विशेष प्रकार की साड़ी के डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं, आभूषणों के डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं, चित्रों के डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं तथा कॉलरों के डिजाइन भी तैयार किए जा रहे हैं। जब ये डिजाइन तैयार किए जाते हैं, तो व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन डिजाइनों को तैयार करने में यह बहुत जरूरी है कि उसके विचारों तथा तकनीक की रक्षा अथवा संरक्षण किया जाए।

जैसा कि मैंने पहले कहा था, विश्व सिमट रहा है, बाजार फल-फूल रहे हैं तथा आंखों को सुख देने वाले, मस्तिष्क एवं अन्य संवेदी अंगों को सुख देने वाले डिजाइन सामने आ रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, मैं दुबारा कहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्व व्यापार संगठन में एक बड़ा कदम रखने के लिए इन सब बातें की रक्षा करनी होगी।

पूर्व के डिजाइन अधिनियम में ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रमंडल देशों का उल्लेख था। परंतु बाद में, अनेक देश ऐसे हो गए जिनके साथ हमारे पारस्परिक करार हैं तथा इसके लिए एक नया कानून आवश्यक है। यह एक कहावत है कि पुरानी व्यवस्था बदल जाती है तथा उसका स्थान नई व्यवस्था ले लेती है। यही उद्देश्य था जिसके लिए संसद के समक्ष डिजाइन विधेयक लाया गया है।

इस डिजाइन विधेयक का समर्थन करते समय मेरी कुछ आपत्तियां भी हैं। डिजाइन विधेयक में व्यापार एवं पण्य अधिनियम, पेटेंट अधिनियम तथा अन्य अनेक अधिनियमों का समावेश है। यह कुछ उलझन भरा है। जहां तक डिजाइन नियंत्रण का संबंध है, यह अधिनियम के खंड 3 में दिया गया है। नियंत्रक पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क को नियंत्रित करता है। वह तीन अधिनियमों के लिए नियंत्रक के बतौर कार्य करता है। बाद में इससे भ्रम पैदा हो सकता है। अधिकांशत: ये सिविल कार्यवाहियां होती हैं तथा सिविल कार्यवाही अत्यंत बोझिल प्रक्रियाएं होती है। अत: इससे कुछ भ्रम पैदा हो सकता है क्योंकि कभी हितों के टकराव तथा कभी विचारें तथा श्रेणियों की भिन्नता की समस्या सामने आएगी।

व्यापार एवं पण्य अधिनियम की धारा 4 के अनुसार मूल नियंत्रक की नियुक्ति की गई है। खंड 3 में, व्यापार एवं पण्य अधिनियम की धारा 4 का केवल उल्लेख किया गया है। वहां कुछ भ्रम है जो सामने आ सकता है। हमारे पास नियंत्रक तथा परीक्षक हैं। विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय परीक्षक होंगे। डिजाइनों का परीक्षण करने में तथा अपने ऑर्डरस् देने में क्षेत्रीय परीक्षकों द्वारा एक विशेष मार्ग अथवा एक विशेष विचार का अनुसरण किया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

दूसरा परीक्षक किसी अलग विचार का अनुसरण कर सकता है। परीक्षकों के बीच कुछ भ्रम पैदा हो सकता है। चूंकि धारा 27 के अंतर्गत यह नया अधिनियम नियंत्रक एवं परीक्षकों को विशेषाधिकार प्रदान करेगा, अत: इससे कुछ भ्रम पैदा हो सकता है। इससे दीवानी मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है। अनेक दीवानी मुकदमों का निर्णय तत्काल नहीं हो पाएगा। यह एक ऐसा मामला है जिसे माननीय मंत्री को नियंत्रकों एवं परीक्षकों के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखना होगा। जहां तक डिजाइनों के पंजीकरण का संबंध है, खंड 4 में उल्लिखित शब्दों की व्याख्या नकारात्मक है। क्या मैं यह उल्लेख करूं कि यह किस प्रकार नकारात्मक है? इनमें कहा गया है कि जो डिजाइन नए अथवा मौलिक नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इससे बाद में परेशानियां पैदा होंगी। इनकी सकारात्मक व्याख्या होनी चाहिए थी। परंतु खंड 6 की व्याख्या सकारात्मक है। खंड 6 के आधार पर खंड 4 का मसौदा फिर से तैयार किया जाए तो बेहतर होगा।

खंड 12 एवं 13 व्यपगत डिजाइनों को पुन: अपनाने की ओर संकेत करते हैं। व्यपगत डिजाइनों को बाजार अथवा निलामी के लिए लाया जाए तो अच्छी बात है। परंतु इसके लिए शुरुआती तौर पर सरकार को नियम बनाने होंगे। लेकिन ऐसे अभी कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। सरकार खंड 47 के अंतर्गत नियम बना सकती है। जब तक डिजाइनों को खंड 12 एवं 13 के अंतर्गत संहिताबद्ध नहीं किया जाता। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जिससे पुन: मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। चूंकि यह एक नया अधिनियम है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

जहां तक पंजीकृत डिजाइनों की चोरी का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि व्यपगत डिजाइनों के पुन: शुरू करने के पश्चात्, यदि हम डिजाइन चोरी के मामले में खंड 22 लगाते हैं, तो उस स्थिति से निपटना बहुत कठिन होगा क्योंकि इसे साबित करना बहुत कठिन है। मैं नहीं जानता इससे किस प्रकार निपटा जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण खंड 34 है। इसके अनुसार दुविधा की स्थिति में नियंत्रक को सरकार से परामर्श करना होगा। यह उचित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इससे मुकदमेबाजी होगी। कुछ मामलों में, कठिनाइयों से बचने के लिए नियंत्रक ऐसे मामले को सरकार के पास

[श्री अनादि साहू]

भेज सकता है। इस प्रक्रिया में विलंब होगा तथा इससे भी मुकदमेबाजी होगी। यह ज्ञात है कि तकनीकी विशेषज्ञ ही नियंत्रक होगा। उसके पास यह निर्णय लेने का पर्याप्त अधिकार होना चाहिए कि डिजाइनों के संबंध में, डिजाइनों की चोरी के संबंध में तथा व्यपगत डिजाइनों के संबंध में क्या किया जाए। मेरे विचार से किसी भी परिस्थिति में उक्त मामले को सरकार के परामर्श के लिए नहीं भेजना चाहिए। सरकार को केवल नियम बनाने चाहिए तथा उसे इन नियमों के अनुरूप चलाने की अनुमति होनी चाहिए। इन नियमों में मामले को सरकार के समक्ष ले जाने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, विश्व व्यापार संगठन समझौते के कारण प्रतिबंधात्मक व्यापार संव्यवहारों को बनाए रखा गया है। खंड 42 प्रतिबंधात्मक व्यापार संव्यवहारों से संबंधित है। 'ट्रिप्स' समझौते, विश्व व्यापार संगठन के समझौते तथा युरुग्वे दौर को ध्यान में रखते हुए खंड 42 बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे साथ समझौता करने वाले अन्य देश ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि किसी परिस्थिति विशेष में हम उन्हें धोखा देंगे। इस प्रकार, खंड 42 बहुत अच्छा है।

खंड 45 नियंत्रक की रिपोर्ट से संबंधित है। इसके अनुसार इसे संसद में रखा जाएगा। मैं पुन: उस खंड पर आता हूं जिसके अनुसार संदेह की स्थिति में वह मामले को सरकार के पास भेजेगा। खंड 45 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नियंत्रक द्वारा अधिसूचित सभी नियमों, आदेशों तथा विनियमों को संसद के समक्ष रखा जाएगा। अत: यह निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार संसद के पास है कि नियन्त्रक द्वारा किया गया कार्य नियमों के अनुरूप है या नहीं।

यह नए उपबंधों वाला एक नया अधिनियम है। कई पुराने उपबंध हटा दिए गए हैं। परंतु प्रारंभिक स्तर पर ही कुछ खामियों को दूर करना होगा ताकि इस अधिनियम के संबंध में कोई भ्रम न हो।

ये सब बातें हैं जिन्हें मैंने विधेयक का वाचन करने के दौरान तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेत्र में प्रवृत्त स्थिति पर विचार करते हुए रेखांकित किया है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर किए जा रहे कार्यों के मद्देनजर यह एक बहुत अच्छा अधिनियम है। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदया, सरकार द्वारा इस विधेयक का लाया जाना प्रशंसनीय है। माननीय मंत्री महोदय ने 1911 के अधिनियम में सभी प्रकार के संशोधनों को लाने के बजाए नए विधेयक के साथ सामने आकर अच्छा किया है। मैं जानता हूं कि विधेयक, विश्व व्यापार संगठन के साथ हमारी बाध्यताओं के पालन के लिए है, परंतु प्रसन्नता इस बात की है विधेयक एक समयपरक विधेयक है। हमारे तकनीकी विशेषज्ञ लंबी छलांगें लगा रहे हैं तथा बौद्धिक-संपदा अधिकारों का संरक्षण आज सिर्फ औद्योगिक रूप से विकसित देशों की ही चिंता नहीं है। अतएव, मैं अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर एक व्यापक विधेयक लाने के लिए सरकार को बधाई देता हूं।

कई मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के विषय पर हमें दो कारकों में संतुलन बैठाना होता है। एक ओर बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रभावी एवं पर्याप्त संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इन अधिकारों को प्रभावी एवं पर्याप्त, मैं 'प्रभावी एवं पर्याप्त' दोनों शब्दों पर जोर देता हूं, रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, हमें यह भी देखना है कि संरक्षण के उत्साह में हम विधिसम्मत व्यापार में बाधा खड़ी न करें। इस प्रकार, इन दोनों कारकों में समुचित संतुलन रखना होगा और तदनुसार ही हम स्थिति से निपट सकते हैं।

यहां, मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह विधेयक में विधिसम्मत अधिकारों, जिन्हें हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, के संबंध में अपूर्ण है। संरक्षण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंड हैं। यहां तक कि बौद्धिक संपदा अधिकारों पर हुआ विश्व व्यापार समझौता भी विभिन्न उपायों का उल्लेख करता है जिन्हें उन अधिकारों के संरक्षण के प्रयोजनों हेतु अपनाया जा सकता है। परंतु मैं यह देखकर चकित हूं कि संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत उपायों तथा संरक्षण के विभिन्न वैसे उपायों, जिनकी अनुमति विश्व व्यापार समझौते में दी गई है, की अवहेलना की गई है तथा इस विधेयक में इनकी अनदेखी कर दी गई है।

उदाहरणस्वरूप, मैं अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध उठाए जाने वाले कदमों से संबंधित खंड 22 का उल्लेख करता हूं। इसमें बहुत बड़ी खामी है। खंड 22 यह उपबंधित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसी स्थिति में कानूनी कार्यवाही होगी। मैं नहीं जानता कि सरकार केवल छूट प्राप्त करने से संबंधित मामलों में ही कार्यवाही करना क्यों उपयुक्त समझती है तथा अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में कोई दंड का निर्धारण क्यों नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि बौद्धिक संपदा का मालिक, अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति से छूट तथा हरजाने की मांग कर सकता है। परंतु, यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर अधिनियम का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में किसी भी दंड का प्रावधान नहीं है। यह एक बहुत बड़ी खामी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पंजीकृत डिजाइन के मालिकों के अधिकारों को पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण प्राप्त नहीं है। मैं 'ट्रिप्स' के अनुच्छेद 61 के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिसके अनुसार, सदस्य देश कम से कम चोरी के सोचे-समझे मामले में जेल भेजने सहित अन्य शास्तियों का उपबंध करेंगे।

अत: हम पाते हैं कि विश्व व्यापार समझौता एक संकेत देता है, न केवल एक संकेत बल्कि इसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का जानबूझकर उल्लंघन करने के मामले में सदस्य देश, उस व्यक्ति को दंडित करेगा और यहां तक जेल भी भेजेगा। परंतु हमारे पास किस प्रकार का अधिनियम है जो अधिनियम के उपबंधों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भी माफ कर देता है तथा किसी प्रकार के दंड का उपबंध नहीं करता। यह बस यही कहता है कि पंजीकृत डिजाइन का मालिक केवल कुछ हर्जाने की मांग कर सकता है तथा यह हर्जाना भी 25,000 रुपए तक सीमित है। कोई भी समझ सकता है कि कोई डिजाइन प्राप्त करने में कितना पसीना बहता है, कितनी मेहनत एवं बुद्धि लगती है, तथा कितना अनुसंधान करना पड़ता है। जब उक्त अधिकार का जानबूझकर भी उल्लंघन किया जाता है तब उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को न तो कोई दंड दिया जाता है और न ही उससे पर्याप्त हरजाना वसूल किया जाता है। हरजाने की वह रकम वर्तमान समय में 25,000 रुपये के एक नगण्य राशि तक सीमित कर दी गई है। आज पच्चीस हजार रुपए, औद्योगिक डिजाइन के मामले में, मैं तो कहूंगा कि अपेक्षित प्राधिकरण में औद्योगिक डिजाइन को पंजीकृत कराना एक माखौल है और कुछ नहीं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पंजीकृत डिजाइनों के मालिकों को यूं ही सूखे छोड़ दिया गया है। मेरे पास यहां विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुच्छेद की प्रतियां हैं, जिन्हें उद्धृत किया जा सकता है। परंतु तब इसमें लंबा समय लगेगा। अनुच्छेद 44 निषेधात्मक आदेशों के संबंध में है जिन्हें न्यायालयों द्वारा दिया जा सकता है।

अनुच्छेद 44 अतिलंघनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अनुच्छेद 61 आपराधिक अर्थदंडों के बारे में बताता है। परंतु ये सब हमारे विधेयक में समाविष्ट नहीं पाए जाते जिनके द्वारा हम अपने लोगों को उनके औद्योगिक डिजाइनों के उल्लंघन से बचा सकते हैं। मैं इस विशिष्ट तथ्य पर जोर डालना चाहूंगा।

जब्ती का प्रश्न लें। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम न्यायालय में जा सकें और न्यायालय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उल्लंघित अनुच्छेदों को जब्त करने के लिए कह सकें। इसमें ऐसा कुछ भी उपबंधित नहीं है जबकि विश्व व्यापार संगठन समझौता हमें यह उपबंधित करने का अधिकार देता है। इसमें ऐसे प्रतिबेधात्मक आदेश की भी व्यवस्था नहीं है जो हम अधिनियम के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त कर ले। अतएव, मैं कहूंगा कि खंड 22 एक दुखद खंड है तथा औद्योगिक डिजाइनों के मालिकों के विधिसम्मत अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अत्यंत त्रुटिपूर्ण है।

सभापति महोदया, यहां ऐसे कई खंड हैं जिन पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। मुझे खेद है कि इस विधेयक की खामियों को दूर करने के लिए न तो इसे स्थायी समिति को भेजा गया है और न ही विभिन्न प्रवर समिति अथवा संयुक्त समिति द्वारा संवीक्षा की गई है। खंड 44 उपखंड (1) पर नजर डालें। यह क्या कहता है? यदि यूनाइटेड किंगडम में अथवा किसी पारंपरिक देश में रहने वाला व्यक्ति अपनी डिजाइन के पंजीकरण हेतु यूनाइटेड किंगडम अथवा उस पारंपरिक देश में आवेदन करता है, तो उस मामले में उसे, हमारे देश में पंजीकरण हेतु किसी भी आवेदन पर प्राथमिकता प्राप्त है। क्या विस्तृत प्राथमिकता दी गई है। मैं समझ सकता हूं कि यदि यूनाइटेड किंगडम में अथवा किसी पारंपरिक देश में रह रहा कोई व्यक्ति अपने देश में अनुज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु आवेदन करता है तो उसे यूनाइटेड किंगडम अथवा अपने पारंपरिक देश में उसके आवेदन की तिथि के पश्चात् भारत में दिए गए आवेदनों पर प्राथमिकता प्राप्त की जाती है। मैं समझ सकता हूं क्योंकि वह समय से पहले था। लेकिन माना मैं यहां भारत में आज औद्योगिक अनुज्ञप्ति के पंजीकरण हेतु आवेदन करता हूं, यूनाइटेड किंगडम अथवा पारंपरिक देश में रह रहा व्यक्ति यह जान लेता है तथा एक महीने के बाद वह विदेश में आवेदन करता है तब भी उसके आवेदन को, मेरे आवेदन पर वरीयता दी जाएगी। फिर भी इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना उसके आवेदन को मेरे आवेदन से प्राथमिकता दी जाएगी कि पंजीकरण के उद्देश्य से पहले मैंने अपना डिजाइन प्रस्तुत किया था। अत: यह पंजीकृत डिजाइनों को पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने की पूरी प्रणाली का मजाक बना रहा है।

मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हमें विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं को पूरा करना है। किंतु हमें विश्व व्यापार संगठन के कर्ता-धर्ताओं का आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता नहीं है। हम विश्व व्यापार संगठन के प्रति इतने निष्ठावान बन गए हैं कि हमने अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत और हमारे द्वारा स्वयं विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों में सम्मिलित सुरक्षा खंड की अनदेखी की है और हम उसे इस विधेयक में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं।

इसलिए हालांकि मैंने कहा है कि यह विधेयक उचित समय पर लाया गया है और इस विधेयक को लाने की व्यावहारिक परमावश्यकता थी किंतु मुझे यह कहते खेद है कि इस विधेयक में हम विश्व व्यापार संगठन की अपेक्षाओं से अधिक विश्व व्यापार संगठन का अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन और विश्व व्यापार संगठन के कर्ता-धर्ताओं के प्रति उत्साह में हमने औद्योगिक डिजाइनों के अपने देश के स्वामियों को विश्व साम्राज्यवादियों की दया पर छोड़ दिया है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

विधेयक में अन्य अनेक ऐसे प्रावधान हैं और यदि मैं उन प्रावधानों पर विस्तार में बोलूं तो काफी समय लगेगा। किंतु मैं सरकार से केवल यह कहता हूं कि वह इस विधेयक के प्रावधानों की तुलना औद्योगिक डिजाइन के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौते से करें। उसी के बाद खामियां सामने आएंगी और उनके संबंध में इस विधेयक में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य पहले ही नियंत्रक और नियंत्रक के सीमित अधिकारों के बारे में बोल चुके हैं। मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। उच्च न्यायालय में अपील की गई है। किंतु, मैं हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रति पूरे आदर के साथ कहता हूं कि क्या न्यायिक प्रणाली औद्योगिक डिजाइन के बारे में जटिल तकनीकी बिन्दुओं का सामना करने के लिए पूर्णत: तैयार है। एक बात के संदर्भ में सरकार बधाई की पात्र है। सरकार ने प्रावधान किया है कि उच्च न्यायालय विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है। किंतु फिर हमारी न्यायिक प्रणाली की ओर देखें, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश अंतिम है और उसके विरुद्ध आगे अपील नहीं की जा सकेगी। उच्चतम न्यायालय के द्वार बंद कर दिए गए हैं जिसे संवैधानिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। यदि मैं इसके संवैधानिक पहलु में जाऊं और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख करूं तो उसमें काफी समय लगेगा। मैं केवल यह कहता हूं कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए द्वार बंद नहीं किए जा सकते हैं और हम यह नहीं कह सकते हैं कि औद्योगिक डिजाइन जैसे जटिल, नाजुक और तकनीकी मामलों में उच्च न्यायालय का आदेश अंतिम माना जाए।

महोदया, हमें हड़बड़ी में यह विधेयक पारित नहीं करना चाहिए। ये विभिन्न पहलू हैं। मैं अनेक संशोधन लाया हूं किंतु यह सुनिश्चित करने के लिए और संशोधनों की आवश्यकता होगी कि हमारे औद्योगिक डिजाइनों के स्वामियों को पर्याप्त व प्रभावी सुरक्षा मिले। विधेयक पारित करना फास्टफूड परोसने की तरह नहीं है कि हम ऐसे महत्वपूर्ण मामले को हड़बड़ी में पारित कर दें। अत: मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए इस विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार करे कि हमारे औद्योगिक डिजाइनों के स्वामियों के अधिकार पर्याप्त व प्रभावी ढंग से बरकरार रहें।

श्री अनादि साहू : महोदया, आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री बनातवाला भूल गए हैं कि डिजाइन पेटेंट और व्यापार चिह्न में अंतर है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देंगे। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री अनादि साहू : पेटेंट और पण्य वस्तु अलग चीजें हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं नहीं जानता कि इन बिन्दुओं को सुलझाने में मंत्री जी प्रभावी रहे हैं या नहीं।

श्री अनादि साहू : वे उन बिंदुओं को सुलझाएंगे।

सभापति महोदय : हम उसे मंत्री जी पर छोड़ देते हैं। वे इन बिंदुओं का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सरकार की तरफ से जो डिजाइन विधेयक आया है, वह 1911 में लागू हुआ था। हिन्दुस्तान में जो नये-नये डिजाइन बनाने वाले थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा इंतजाम था लेकिन इस विधेयक के लाने के पश्चात् सरकार ने दावा किया है कि डब्ल्यू०टी०ओ० के एग्रीमेंट्स से हिन्दुस्तान को जो नुकसान होने वाला है अथवा उससे जो खतरा होगा, उसे कम करने के प्रयास में डिजाइन विधेयक, पेटेंट विधेयक, ट्रेडमार्क विधेयक आदि सभी आ रहे हैं। हमें भरोसा नहीं है कि इन सब विधेयकों के आने से, डब्ल्यू०टी०ओ० से जो नुकसान होने वाला है, उसमें कमी आ सकेगी अथवा जो डिजाइनर हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल सकेगा।

हाल ही में डब्ल्यू०टी०ओ० के संबंध में प्रधान मंत्री जी का बयान आया था। जब प्रेस ने पूछा कि 714 विदेशी सामानों के लिए आपने कैसे गेट खोल दिया या जो प्रतिबंध थे, उनको खोलकर आपने हिन्दुस्तान को डम्पिंग ग्राउंड बनाने की इजाजत कैसे दे दी, प्रधानमंत्री जी ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारी हार हो गई है इसलिए अब गेट खोले बिना या हिन्दुस्तान को डम्पिंग ग्राउंड बनाए बिना कोई उपाय नहीं है। डब्ल्यू०टी०ओ० में क्या-क्या दस्तखत करके आते हैं, इस बारे में पार्लियामेंट में कोई जानकारी नहीं दी जाती। एक दिन ये ऐसा कह देंगे कि हिन्दुस्तान बिक गया, गुलाम हो गया तो हम पार्लियामेंट में उसके बारे में क्या बहस करें। हिन्दुस्तान के सामने एक भारी खतरा है। कभी ऐसा होगा कि जापान वालों ने हिन्दुस्तान के कौर को ही पेटेंट करा लिया। हल्दी, तुलसी, बासमती चावल आदि जो चीजें हिन्दुस्तान की धरोहर और विरासत में थीं, उन सब चीजों को उन्होंने पेटेंट करा लिया। बाद में कोर्ट में मामला डालेंगे तो हार जाएंगे। फिर यहां बयान दे देंगे कि हम कोर्ट में हार गए, कोई उपाय नहीं है। उसका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जब आसमान टूटेगा तो उसमें मूसर लगाने से क्या वह रुकेगा? यह डिजाइन विधेयक, ट्रेडमार्क विधेयक और पेटेंट विधेयक भी उस मूसर की तरह है। डब्ल्यू०टी०ओ० से हिन्दुस्तान को जो खतरा होगा, उससे बचाने अथवा उससे कम नुकसान हो, आप इसी में लगे हुए हैं। यह क्या विधेयक लेकर आए हैं? हमने इस विधेयक की एक क्लाज को देखा है। शुरू में लिखा है कि यह डिजाइन विधेयक हिन्दुस्तान भर में लागू होगा। आगे लिखते हैं :

[अनुवाद]

"किसी डिजाइन के पंजीकरण को केवल किसी वर्णन की प्रदर्शनी या उसके प्रयोग या प्रकाशन या इस खंड में विनिर्दिष्ट अवधि, जिसके भीतर आवेदन किया जा सकेगा, के दौरान भारत में डिजाइन के अभ्यावेदन के कारण अविधिमन्य नहीं किया जाएगा।"

सभापति महोदय : श्री रघुवंश प्रसाद सिंह इस समय अपराह्न के 3.30 बजे हैं, हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेना होगा। आप बाद में जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

आज साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर बिल है इसलिए आप बाद में बोलिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : ठीक है।

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेगी।

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 19 अप्रैल, 2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 अप्रैल, 2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(एक) विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (निर्वाचन में मताधिकार) विधेयक*

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

के निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन में मताधिकार प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई० अहमद : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32 बजे

(दो) असंगठित श्रमिक कल्याण निधि विधेयक•

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक निधि स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक निधि स्थापित करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई० अहमद : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक•
(अनुच्छेद 16 आदि का संशोधन)

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापि करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.33½ बजे

(चार) अनुसूचित जाति और अनुसूचत जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक•

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.34½ बजे

(छ:) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(अनुच्छेद 81 और 170 का संशोधन)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

[श्री जी०एम० बनातवाला]

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

[श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन हुए*]

(सात) जामिया मिल्लिया इस्लामिया (संशोधन) विधेयक* (विधेयक के पूरे नाम आदि का संशोधन)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 15 आदि का संशोधन)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36½ बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 19 आदि का संशोधन)

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(दस) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक*

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास हेतु एक स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37½ बजे

(ग्यारह) सूचना की स्वतंत्रता विधेयक*

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकों की सार्वजनिक सूचना तक पहुंच और उसे प्राप्त करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयेक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकों की सार्वजनिक सूचना तक पहुंच और उसे प्राप्त करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने तथा तत्संबंधी मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.38 बजे

(बारह) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 2 आदि का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38½ बजे

(तेरह) अखिल भारतीय सेवा (संशोधन) विधेयक* (नयी धारा 2ख से 2झ का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सुबोध मोहिते : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(चौदह) गौवध प्रतिषेध विधेयक*

श्री कृष्णमराजू (नरसापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैं गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे मन में उस माननीय सदस्य के प्रति बहुत आदर है जिन्होंने इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव किया है और मैं यह निवेदन करता हूं कि यह विधेयक इस सभा के विधायी अधिकार से बाहर है।

महोदय, सबसे पहले इस विधेयक का शीर्षक 'गौवध प्रतिषेध विधेयक, 2000' भ्रामक है। 'गौ' शब्द की इतनी व्यापक परिभाषा हुई है कि पूरी गौ जाति इसमें आ जाती है। इसलिए हमारे लिए सर्वोच्च न्यायालय से भी विनिर्णय आया है तथा इन विनिर्णयों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

ऐसे विनिर्णय वर्ष 1958 में विख्यात कुरैशी के मामले तथा हाल ही के मामले, हस्मतुल्ला बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य, सर्वोच्च न्यायालय, 1996 में भी देखे जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विनिर्णय दिया है कि एक शब्द 'गौ' के अंतर्गत संपूर्ण गौ जाति वध पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह विधेयक केवल गौ-वध तक ही सीमित नहीं है। इसमें पूरी गौ जाति आ जाती है। जैसा कि मैंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार नहीं बल्कि दो बार यह निर्णय दिया है कि यह असंवैधानिक है।

इसके अलावा, मैंने यह कहा था कि यह विधेयक सभा के विधायी अधिकार से बाहर है। अब देखिए, पूरी मद यह विधेयक, 'कृषि और पशुपालन संगठन' के अंतर्गत आता है। इसी कारण से तथा विधेयक में यह उल्लेख किया गया है कि यह कृषि और पशु पालन संगठन से संबंधित है। अब यह मद सूची-II में मद संख्या 15 के अंतर्गत आती है अर्थात् सातवीं अनुसूची में। इसलिए, यह मद राज्यों के विशेष क्षेत्राधिकार में है और केन्द्र सरकार सामने नहीं आती। इसलिए, मैं यही अनुरोध करता रहा हूं कि यह विधेयक इस सभा के विधायी सामर्थ्य से बाहर है क्योंकि अब तक इसे सातवीं अनुसूची की राज्य सूची-II में देखा जाता है। यह केवल मेरा ही मत नहीं है। 1 मई, 1954 को, तत्कालीन महान्यायवादी, एम०सी० सेटलवाद सभा में आए थे। स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तत्कालीन महान्यायवादी एम०सी० सेटलवाद सभा में आए थे, सभा में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित किसी विधेयक को प्रस्तुत करना इस सभा की विधायी सामर्थ्य से बाहर है। इसलिए, मैं बहुत ही आदरपूर्वक कहता हूं कि हमें ऐसे विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए जो हमारे कार्यक्षेत्र से बाहर हो।

हमें राज्य के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अक्सर हम राज्यों की स्वायत्तता की बात करते हैं। यहां हम कुछ कारणों से जो कि माननीय सदस्य को ज्ञात है तथा उन कारणों से जिनके बारे में आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है, उस विषय में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मैं राज्यों से भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस बात पर ध्यान दें कि वे कोई ऐसा विधेयक न प्रस्तुत करें जो देश के हित में न हो। इसलिए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मैं यह कहना चाहूंगा तथा मैं जानता हूं कि विगत में ऐसे विधेयक स्वीकार किए गए हैं। परंतु गलत बातों को परंपरा के रूप में नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में अनेक गलतियां सर्वप्रथम कि यह असंवैधानिक है, दूसरी यह है कि यह राज्यों के विशेष क्षेत्राधिकार में है, तीसरी कि स्वयं महान्यायवादी इसी सभा में आकर यह समझा

[श्री जी०एम० बनातवाला]

गए हैं कि यह विधेयक आपके सामर्थ्य के बाहर है को परंपरा के रूप में नहीं दुहराया जाना चाहिए कि ऐसे संकल्प या विधेयक पहले भी स्वीकार किए जाते रहे हैं। अन्यथा मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं जिनका मैं काफी आदर करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें, नहीं तो मुझे इसे इस सभा से पूरी तरह निकाल देने का अनुरोध करना होगा।

श्री कृष्णमराजू (नरसापुर) : महोदय, मेरे अच्छे मित्र श्री बनातवाला मेरे विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध कर रहे हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि विधेयक के कुल दोषों को जाने बिना किसी विधेयक का केवल इसी आधार पर विरोध किया जा सकता है कि वह सभा के विधायी सामर्थ्य के बाहर है या संविधान के अधिकार से परे है। परंतु यहां संविधान के अनुच्छेद 48 में ही राज्य के नीतिगत दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह कहा गया है कि :

"राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।"

इसलिए यह सभा पशुओं के प्रति निष्ठुरता प्रतिषेध संबंधी विधान बनाने तथा गौ तथा गौवंश के वध का प्रतिषेध करने के लिए विधान बनाने के लिए पूरी तरह सक्षम है जिनका दुग्ध उत्पादन तथा अन्य संसाधनों के उपयोग के लिए अच्छा उपयोग किया जा सकता है।

हमारा दल, भा०ज०पा० संसदीय प्रजातंत्र, वाद-विवाद और चर्चा में विश्वास रखता है। अगर माननीय सदस्य को इस विधेयक के किसी प्रावधान से कोई आपत्ति है तो उनके बारे में विधेयक के विचार के स्तर पर चर्चा की जा सकती है तथा सभा कोई निर्णय ले सकती है। परंतु पुर:स्थापना के स्तर पर ही किसी विधेयक का विरोध करके किसी सदस्य को उसे प्रस्तुत ही न करने देने की बात सही नहीं जा सकती। मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों तथा मननीय सभा से यह अनुरोध करूंगा कि मुझे इस अतिमहत्वपूर्ण विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

यह पशुपालन विभाग का मत हो सकता है विधि मंत्रालय का कोई कानूनी मत नहीं है। सभा को पूरा अधिकार है कि इन विषयों पर विधान बनाए तथा संसद के सदस्य के रूप में मुझे इस विधेयक को प्रस्तुत करने का पूरा अधिकार है।

सभापति महोदय : अब मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अध्यक्षपीठ यह निर्णय नहीं करता कि क्या कोई विधेयक सांविधानिक रूप से विधायी अधिकार के अंतर्गत आता है या नहीं। सभा किसी विधेयक की शक्तिमत्ता के विशेष प्रश्न पर भी कोई निर्णय नहीं लेती। ऐसी परिस्थिति में मैं सभा से प्रश्न पूछता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि गौ और गौवंश के वध का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्णम राजू : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : महोदय, मुझे पीएसी की मीटिंग में जाना है, यदि आपकी इजाजत हो, तो मैं अपना बिल पहले प्रस्तुत कर दूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगर सभा सहमत हो तो वे विधेयक को पुर:स्थापित कर सकते हैं?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

अपराह्न 3.47 बजे

(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 293क और 293ख का अंत:स्थापन)

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : धन्यवाद महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधन में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री विजय गोयल : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

(सोलह) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक*

श्री कृष्णम राजू (नरसापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बंध्यीकरण द्वारा जनसंख्या नियंत्रण करने तथा छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के उपायों और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बंध्यीकरण द्वारा जनसंख्या नियंत्रण करने तथा छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के उपायों और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्णम राजू : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.49 बजे

(सत्रह) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक*

श्री वाई०एस० विवेकानंद रेड्डी (कुडप्पा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने हेतु जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने हेतु जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई०एस० विवेकानंद रेड्डी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.50 बजे

(अठारह) कृषि उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक*

श्री जी०एस० बसवराज (तुमकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फलों और सब्जियों सहित कृषि उत्पादों के वार्षिक और मौसमी आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु एक कृषि उत्पादन मूल्य नियतन बोर्ड की स्थापना करने और खुले बाजार में इन उत्पादों के मूल्यों में भारी कमी होने पर सरकार द्वारा समय पर मध्यक्षेप करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फलों और सब्जियों सहित कृषि उत्पादों के वार्षिक और मौसमी आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करने हेतु एक कृषि उत्पादन मूल्य नियतन बोर्ड की स्थापना करने और खुले बाजार में इन उत्पादों के मूल्यों में भारी कमी होने पर सरकार द्वारा समय पर मध्यक्षेप करने तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एस० बसवराज : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.50½ बजे

(उन्नीस) संविधान (संशोधन) विधेयक* (नए अनुच्छेद 151क से 151घ का अंत:स्थापन)

श्री जी०एस० बसवराज (तुमकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एस० बसवराज : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.51 बजे

(बीस) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक*

श्री जी०एस० बसवराज (तुमकुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भिक्षावृत्ति के उत्सादन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भिक्षावृत्ति के उत्सादन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जी०एस० बसवराज : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.52 बजे

(इक्कीस) दंड प्रकिया संहिता (संशोधन) विधेयक* (धारा 320 आदि में संशोधन)

श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.52½ बजे

(बाईस) सिनेमा कर्मकार कल्याण विधेयक*

श्री कृष्णमराजू (नरसापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिनेमा कर्मकारों के संरक्षण तथा कल्याण और उससे संबद्ध विषयों

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

[श्री कृष्णमराजू]

का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिनेमा कर्मकारों के संरक्षण तथा कल्याण और उससे संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्णमराजू : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.53 बजे

(तेईस) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विशाखापत्तनम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

श्री कृष्णमराजू (नरसापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की विशाखापत्तनम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की विशाखापत्तनम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कृष्णमराजू : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.54 बजे

(चौबीस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*
(धारा 29क और 29ख का संशोधन)

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती कृष्णा बोस : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.54½ बजे

(पच्चीस) निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण के प्रकाश का प्रतिषेध विधेयक*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण के प्रकाश का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निर्वाचन पूर्व सर्वेक्षण के प्रकाशन का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.55 बजे

[हिन्दी]

(छब्बीस) भ्रष्टाचार निवारण (एक आयोग की स्थापना) विधेयक*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार का निवारण और मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सिविल सेवकों और व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक जांच हेतु आस्तियों के प्रकटीकरण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भ्रष्टाचार का निवारण और मंत्रियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सिविल सेवकों और व्यवसायियों द्वारा सार्वजनिक जांच हेतु आस्तियों के प्रकटीकरण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

अपराह्न 3.56 बजे

(सत्ताईस) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक*
(धारा 11क का संशोधन)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.57 बजे

(अट्ठाईस) दंड प्रकिया संहिता (संशोधन) विधेयक*
(धारा 167 आदि का संशोधन)

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.58 बजे

(उनतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(छठी अनुसूची का संशोधन)

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.59 बजे

(तीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*
(अनुसूची का संशोधन)

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.59½ बजे

(इकतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 371ब का अंत:स्थापन)

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

(बत्तीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*
(अनुसूची का संशोधन)

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.0½ बजे

(तैंतीस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक* (अनुसूची का संशोधन)

श्री माधव राजवंशी (मंगलदाई) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थातिप करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थातिप करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री माधव राजवंशी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.01 बजे

(चौंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक* (दसवीं अनुसूची के लिए नई अनुसूची का प्रतिस्थापन)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री किरीट सोमैया : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.01½ बजे

(पैंतीस) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 120, आदि के लिए नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

डा० ए०डी०के० जयशीलन (तिरुचेंदूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० ए०डी०के० जयशीलन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.02 बजे

(छत्तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 15 तथा 16 का संशोधन)

डा० ए०डी०के० जयशीलन (तिरुचेंदूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० ए०डी०के० जयशीलन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.02½ बजे

(सैंतीस) विधवा संरक्षण विधेयक*

डा० ए०डी०के० जयशीलन (तिरुचेंदूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि निराश्रित विधवाओं के संरक्षण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निराश्रित विधवाओं के संरक्षण तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० ए०डी०के० जयशीलन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.03 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी
(नई धारा 26क और 26ख का अंत:स्थापन)

सभापति महोदय : अब हम मद सं० 50—डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा 25 फरवरी, 2000 को रखे गए प्रस्ताव पर आगे विचार—को लेंगे। डा० सिंह का भाषण अधूरा था। उन्होंने केवल 3 मिनट का समय लिया था। वे अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक पर बोलने से पहले मैं बिहार के एक विधायक श्री उमाधर सिंह जो प्रखर वामपंथी विचारधारा को मानते हैं, 18 तारीख से जन्तर-मन्तर रोड पर अनशन में बैठे हैं।

सभापति महोदय : इस बिल का इससे क्या संबंध है?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था।

सभापति महोदय : आप इस पर सोमवार को बोल सकते हैं।

डा० रघुवंध प्रसाद सिंह : वह सोमवार तक तो मर ही जाएंगे।

सभापति महोदय : अभी इस पर बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : मैंने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की थी और उन्होंने सहमति दी थी कि वह इस पर एक मिनट चर्चा कर लें।

सभापति महोदय : आपको लंच ब्रेक के बाद बोलना चाहिए था। आप अभी बिल पर चर्चा करिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आपको मालूम है कि लोकतंत्र का मतलब वोट का राज होता है। वोट का राज मजबूत तभी होगा जब वोट प्रणाली सही होगी। इसलिए अभी तक के बुद्धिजीवियों, महान चिंतकों और देश निर्माताओं ने इस पर बार-बार विचार किया और कहा कि चुनाव सुधार होने चाहिए।

इस संबंध में अनेक बार कमेटी भी बैठायी गई और गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट भी आई, लेकिन किसी भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और तदनुसार कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए जब कभी भी चुनाव होता है तो कहा जाता है कि चुनाव में रिगिंग हो गया, जबरदस्ती हो गई, बूथ कैप्चरिंग हो गई और लोकतंत्र का गला घोंटा गया, इस तरह की सारी बातें कही जाती हैं।

सभापति महोदय, पीपुल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट में इलैक्शन पिटीशन का भी प्रावधान है। लोग चुनाव के बाद इलैक्शन पिटीशन भी करते हैं। उसमें लिखा है कि छ: महीने में उसका निष्पादन हो जाना चाहिए। लेकिन दो साल, चार साल, पांच साल की अवधि बीत जाती है और उसका निष्पादन नहीं होता है। इसलिए यह अहम विषय है, देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है वोट का राज, जिसकी परिभाषा हम लोगों के यहां हो गई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, विधि मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय से कोई मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। वाद-विवाद को यह कैसा सम्मान दिया जा रहा है? यह गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक हो सकता है। परंतु यह एक बहुत महत्वपूर्ण वाद-विवाद का विषय है। गृह मंत्रालय अथवा विधि मंत्रालय से यहां कोई भी उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री ने माननीय अध्यक्ष से अनुमति लिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : परंतु गृह मंत्रालय में तीन मंत्री हैं—दो राज्य मंत्री भी हैं।

सभापति महोदय : एक कैबिनेट मंत्री, श्री जुएल उराम यहां उपस्थित हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहां आ रहे हैं।

माननीय सदस्य, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में इलेक्शन पिटीशन का भी प्रावधान है। लेकिन इलेक्शन पिटीशन का समाधान समय पर नहीं होता है और जब तक चुनाव की प्रक्रिया शुद्ध नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र को मजबूत नहीं बनाया जा सकता है। अब हमारी जवाबदारी है। मैं वैशाली क्षेत्र से चुनकर आता हूं, दुनिया में जब कहीं लोकतंत्र नहीं था, वोट का राज नहीं था, आज से तीन हजार वर्ष पहले वहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करना और लोकतंत्र के विकास के लिए हमें लड़ना है, भिड़ना है। उसी ख्याल से हम लोगों ने यह विधेयक लाने का प्रयास किया है। यहां जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर दो बार, तीन बार, चार बार, या सात-आठ बार जीतकर आए हैं, वे उसी क्लास से उसी परीक्षा को पास करके आए हैं। उसमें बहुत-सी असेम्बलियों का भी वोट होता है। पहले पांचसाला वोट होता था, अब सालाना वोट होता है। हम नहीं जानते कि आगे इससे भी कम वाला वोट असेम्बलियों या पार्लियामेंट में हो जाए। इसलिए जब भी बार-बार वोटिंग होती है, माननीय सदस्य चुनाव लड़ते रहते हैं और ये सब कठिनाइयां आती हैं। अखबार में निकलता है सैन्सिटिव और मोस्ट सैन्सिटिव बूथ, जिनकी सूची रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जारी होती है। हर एक पक्ष के लोगों को जो बूथ अपने खिलाफ लगता है, वे उसके बारे में लिखकर दे देते हैं कि इसे मोस्ट सैन्सिटिव में डाल दिया जाए और रिटर्निंग ऑफिसर मनमाने ढंग से बिना कोई कारण के जिस किसी का भी पक्ष करना होता है, उसका बूथ फ्री कर देता है और जिसके खिलाफ करना होता है उनका बूथ मोस्ट सैंसिटिव कर देता है और 10-20 सैक्शन पैरा मिलिटरी फोर्स वहां बैठा दी जाती है। हमारा इसमें अमेंडमेंट है कि किसी बूथ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर 3-4 कार्मिकों के साथ वोटिंग कराने के लिए जाते हैं। जब वे गांव में जाते हैं तो यदि गांव में दोनों पक्षों की ताकत बराबर है अर्थात् ताकत का संतुलन है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन यदि कोई एक पक्ष ताकतवर है या गरीब वर्ग के लोग हैं तो वहां बूथ कैप्चरिंग होती है और ताकतवर लोग प्रिसाइडिंग

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह]

ऑफिसर को डरा-धमकाकर सारे बैलट लेकर वहां एकतरफा छापाखाना बना देते हैं।

लोग कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग हो गई। वहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहकर भी चुनाव के नियम और प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर पाता। वह लाचार हो जाता है, निस्सहाय हो जाता है और बूथ कैप्चरिंग करने वालों के समक्ष, क्रिमिनल्स के समक्ष और कानून का उल्लंघन करने वालों के समक्ष सरेंडर कर देता है। कहीं-कहीं उनका कॉनशियेन्स अलाऊ नहीं करता तो वहां वे मार खाते हैं, घायल होते हैं, गालियां सुनते हैं, अपमानित होते हैं। कभी-कभी तो उनकी हत्याएं भी हो जाती हैं। देश भर के चुनावों में इस तरह की रिपोर्टें आती हैं तो उस वक्त दुख होता है। कैसे चुनाव कराने वाले कार्मिक घबराते हैं, पैरवी करके अपना नाम कटवाना चाहते हैं, लेकिन चुनाव कानून कड़ा है। चुनाव में इंकार करने से उनको तुरंत गिरफ्तार करने का कानून है। इसलिए वे भय से इलेक्शन ड्यूटी पर जाते हैं और निस्सहाय हो जाते हैं।

मैं चुनाव में घूम रहा था तो वहां चुनाव के अधिकारी बैंक के पदाधिकारी थे। वे काबिल आदमी लगे, योग्य लगे। उन्होंने मुझे बताया कि चुनाव में उन्होंने कहा कि जबर्दस्ती वोट नहीं डालने देंगे तो दो-चार चांटे उनको मारे और उनको अपमानित किया। वहां वोट डालना बंद हो गया, वोट का बक्सा फेंक दिया गया। उन्होंने थाने में रिपोर्ट की कि कैसे चुनाव कराया जाए। वे लाचार किसी अनजान गांव में पोलिंग ऑफिसर बनकर चार अधिकारियों के साथ गए थे। हमने इस विधेयक के मार्फत कहा है कि जैसे चार कार्मिकों की अनिवार्यता है पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में उसी तरह से पोलिंग स्टेशन पर पांच-छः पैरा मिलिट्री फोर्स की टुकड़ियों की भी अनिवार्यता होनी चाहिए तभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर चुनाव कानून को लागू करने में सक्षम हो सकेगा। उसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है।

दूसरी बात, हमने कहा है कि केवल बूथ के प्रोटेक्शन करने से काम नहीं चलेगा। कहीं-कहीं देखा गया है कि बूथ पर जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज की महिलाएं हैं, उनके रास्ते में बदमाश और क्रिमिनल लोग खड़े हो जाते हैं ताकि बूथ तक नहीं जाने देंगे। इसलिए बूथ के रास्ते पर भी फोर्स की एक टुकड़ी की पैट्रोलिंग की जरूरत है कि कहीं कोई गुंडा, बदमाश मतदाताओं को न रोके। अगर रोकने का काम कोई करे तो पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट में प्रावधान है, लेकिन देश में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। शिकायतें आती हैं कि हजारों बूथों पर जोर-जबर्दस्ती हुई है, कमजोर वर्ग के लोगों को मतदान कराने से रोका गया है। हम लोग वोट के दिन घूमते हैं। जहां-तहां महिलाएं खड़ी रहती हैं। हम पूछते हैं कि क्यों खड़ी हैं माताजी बहनजी तो बोलती हैं कि वोट डालने गई थीं, नहीं डालने दिया, रास्ते से लौटा दिया। बहुत तकलीफ होती है कि यदि चुनाव प्रक्रिया का सुधार नहीं किया गया, कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने में सुरक्षा नहीं दी गई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को वोट डालने में सुरक्षा नहीं दी गई तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और बंदूक और हिंसा का रास्ता आ जाएगा।

अभी-अभी चुनाव हुए हैं। हम लोगों ने 1999 में चुनाव लड़े। उसके बाद 2000 में बिहार में चुनाव हुए। देश जानता है और चुनाव आयोग चिंतित है कि अपराधी कैसे जीत जाते हैं। अपराधी जीत गया और उधर जो सरकार में बैठते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का राज है तो उसको जंगल राज कहते हैं, कानून का राज नहीं कहते हैं। गरीब के राज को जंगल राज बोला है।

सभापति महोदय, एक दर्जन घोषित अपराधी, जो सैकड़ों केसों में इनवाल्व हैं, मर्डर, अपहरण, डकैती, लूट, मार-काट और फिरौती लेने जैसे अपराधों में जो संलिप्त हैं, उन लोगों को टिकिट दिया। मैं सीना तानकर कह सकता हूं कि ऐसे अपराधी लोगों को टिकिट दिया, यदि आप चाहें, तो मैं उनके नाम का भी उल्लेख कर दूंगा, हालांकि यहां कोई चेलेंज करने वाला नहीं है, लेकिन मैं उनके नाम का अभी इस समय उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। राजनीति में अपराधियों के आने से चुनाव आयोग भी चिंतित है और वह भी सोच रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण कैसे रुकेगा, यदि इसे नहीं रोका गया, तो क्रिमिनल बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे ओर वोट डालने को बाध्य करेंगे। जहां हम हाथ जोड़कर, नीति या कार्यक्रम बनाकर, घोषणापत्र जारी कर, कुछ काम करके और बयान से उन्हें समझाते हैं और अपील करते हैं कि हमें वोट दिया जाए, वहां अपराधी बंदूक तानकर बूथ छपते हैं और हम लोग पचास परसेंट वोट भी ले लें, तो भी नहीं जीत सकते, वे लोग तो बूथ लूटकर छापाखाना खोल देते हैं और सभी मतपत्रों पर वोट डालने की मुहर लगाकर चुनाव जीत लेते हैं। यदि 11 में से 10 बूथ पर चुनावों का रिजल्ट देखेंगे तो हम लोग 10 बूथों पर 10 या पांच वोट से जीतेंगे, लेकिन क्रिमिनल एक्टीविटी करने वाले लोग एक ही बूथ कब्जा करके उसके सब वोट अपने पक्ष में डालकर जीत जाएंगे। ऐसा हो रहा है और होता रहेगा यदि क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आएंगे। अपराधियों से यही सबसे बड़ा खतरा है।

सभापति महोदय, 1995 के चुनाव में श्री टी०एन० शेषन को यही भ्रम हो गया कि बिहार में हम लोग ऐसे ही जीत जाते हैं। उन्होंने सभी बूथों पर कहीं पर मिलिट्री, कहीं सी०आर०पी०एफ० और कहीं बार्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनता कर दी। 47 विधान सभा सीटों में से हम 42 सीटों पर जीते थे। तब सारी दुनिया को मालूम हुआ कि बिहार में अगर सही ढंग से चुनाव हों, तो हमारी जीत निश्चित है। डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि 'वोट की राजनीति छोट की राजनीति' हमारे पक्ष में गरीब, पिछड़े और दलित लोग ज्यादा हैं। उनको वोट डालने नहीं दिया जाता, बूथ लूट लेते हैं। मैं इसे चुनौती पूर्वक कहता हूं कि यदि देश में पार्लियामेंट और एसेंबली के फेयर चुनाव हों, बूथ कैपचरिंग न हो, तो मैं कभी किसी भी बूथ से नहीं हार सकता हूं। यदि हार गया, तो राजनीति से हट जाऊंगा।

सभापति महोदय, अभी लोक सभा के चुनाव हुए। हमारी संख्या घटकर सात रह गई। लोग एग्जिट पोल में बोले कि ये तो गए और उसका असर जनता पर पड़ा, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि लोक सभा चुनावों में भले ही हमें अपेक्षित जीत हासिल नहीं हुई हो, लेकिन हमारा वोट का परसेंटेज बढ़ा, हालांकि गरीबों, दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने से रोका गया, पैसे का बंटवारा भी हुआ और अन्य अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए गए जिससे हमें लोक सभा चुनावों में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली।

अपराह्न 4.18 बजे

[डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, फिर एसेम्बली का चुनाव आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल खत्म हो गया, लेकिन नहीं, जनता खड़ी हो गई और फिर राष्ट्रीय जनता दल को चुना। राष्ट्रीय जनता दल खत्म नहीं हुआ। मैं सिर्फ अपने दो संशोधनों पर जोर देकर मांग करता हूं कि एक तो पैरा मिलिट्री फोर्स हरेक बूथ पर अनिवार्य कर दिया जाए और एक जीप पर पैट्रोलिंग भी हो जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने के लिए आने से रोका नहीं जा सके। सरकार इंकार नहीं कर सकती है, मैं चुनौती देता हूं। सरकार मेरी बात से सहमत है। सरकार कहेगी कि इतनी फोर्स कहां से आएगी और यह कहेगी कि जो सैंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर फोर्स लगाई जाएगी। ऐसे 200 क्षेत्र हैं। 10 या 20 गिने-चुने क्षेत्रों में कुछ लोगों के कहने पर उन्हें सैंसिटिव एरिया घोषित किया जाता है जिसमें बहुत डिसआनेस्टी होती है। एक तरह का मैनेजमेंट हो, लेकिन वैसा नहीं होता है, कुछ पदों पर आरूढ़ व्यक्तियों जैसे बी०डी०ओ०, सी०ओ० और जिले के कुछ अधिकारियों की रिपोर्ट पर उस एरिया को सैंसिटिव एरिया घोषित करने की जो कार्रवाई की जाती है, उस सबमें डिसआनैस्टी होती है।

कहते हैं कि जिसका राज है, वे मैनेजमेंट करते हैं। ये सब आरोप लगने लगते हैं। इसलिए सबको एक समान दर्जा देना चाहिए चाहे वह पोलिंग पार्टी हो, प्रिसाईडिंग ऑफिसर हो। एक इंचार्ज, चार-पांच सिपाही, तीन-चार पेट्रोलिंग वाले आदि बारह-तेरह लोगों का एक वोटिंग बूथ पर इंतजाम होना चाहिए। इस तर्क में दम नहीं है कि उतनी फोर्स नहीं होती। 1995 में बिहार असेम्बली में चुनाव हुआ। श्री शेषन ने सारे बूथों पर कहां से पैरा मिलिट्री फोर्स लाए थे। हो सकता है कि बिहार में पार्लियामेंट और असेम्बली का तीन खंडों में चुनाव हो, अन्य राज्यों में दो-तीन खंडों में चुनाव हो, आप उसे पांच, सात खंडों में करिए। इससे कुछ हर्ज नहीं होगा लेकिन टोटल बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स होनी चाहिए। जिस राज्य में जबरदस्ती होती है, हो सकता है कि कुछ जगहों में जबरदस्ती न हो, उनको फ्री कर दिया जाए। हमारे यहां किसी-किसी बूथ पर चौकीदार ही नहीं होता। एक तरफा बूथ छाप हो जाती है, गरीब लोग वोट देने से वंचित हो जाते हैं। पुराने जमाने में गरीबों में वोट डालने की रुचि नहीं थी। वे कहते थे कि हम अपने काम का हर्जा नहीं करेंगे, हम काम का हर्ज करके वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट डालने से क्या मिलता है। ये गरीबों की मानसिकता थी। लेकिन अब गरीब भी जाग गया है। वह जानता है कि वोट डालने से राज बनता है। गरीब लोग ज्यादा समझते हैं कि यदि हम वोट डालेंगे तो उनका राज बन जाएगा। इसलिए वोट डालने की रुचि है। कहीं-कहीं लोग ताकतवर हुए हैं लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग कमजोर हैं। कहीं-कहीं मुकाबला करते हैं इसलिए हिंसा होती है। लोग रेडियो पर सुनते हैं कि आज वोट डला है, हिंसा की कितनी घटनाएं हुई हैं। यदि हर बूथ पर पैरा मिलिट्री फोर्स का इंतजाम हो जाएगा तो ये सारे समाचार समाप्त हो जाएंगे, बेइमानी समाप्त हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन आदि सब खत्म हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि सरकार को इन बातों से इंकार करने की गुंजाइश है कि तीन खंडों के बदले सात खंडों में वोट हों लेकिन हर बूथ पर पैरा मिलिट्री फोर्स अनिवार्य कर दिया जाए। कमीशन ने 29 तारीख को बैठक बुलाई है, कमीशन को भी चिंता है कि अपराधी कैसे चुनकर आ जाते हैं। जब अपराधी लोगों का मन इतना बढ़ गया है तो फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह बात मंजूर करने लायक है। 'तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी'। कागज की रिपोर्ट से असलियत नहीं छिपती। कबीर दास जी ने कहा कि जिसे साक्षात अनुभव होता है, वह असलियत बता सकता है। जो लोग राज्य सभा में हैं, उन्हें क्या पता कि वोट कैसे डाले जाते हैं। हमें दो करोड़ रुपया मिलता है तो उन्हें भी दो करोड़ रुपया मिलता है। 'बांझ जानने गई, प्रसूति की पीड़ा'। जहां वोट डलते हैं वहां जनता ठोकर और मांग से साक्षर होते हैं। जब देखते हैं कि फलां गांव खिलाफ में छप गया, दस गुंडे या बम फोड़ दिए, गरीब आदमी भाग गया और बूथ छाप लिया। प्रिसाईडिंग आफिसर मारा गया या घायल हो गया या दबाव में आकर उसने वोट बैलेट सरेंडर कर दिया। कहते हैं कि छापाखाना हो गया। एक घंटे में हजार वोट छाप-छापकर बक्सा भर दिया जाता है। कहीं-कहीं कहते हैं कि बक्सा फुल हो गया है तो कहते हैं कि इसे तोड़ो। इस तरह वे बक्सा खुलवाकर फिर बचे हुए बैलेट को छाप देते हैं।...*(व्यवधान)* बूथ कैपचरिंग के आगे, छापाखाना के सामने बोगस वोटिंग क्या चीज है? दो-चार वोट किसी दूसरे के नाम चले जाते हैं तो वह मिनिंगलैस है। बूथ कैप्चरिंग चुनाव को मैटीरियली इफैक्ट करती है। एक बार श्री मधु लिमये समाजवादी, लोहियावादी नेता मुंगेर से खड़े हुए थे। उन्होंने 900 बूथों पर लीड किया। 100 बूथों पर उनके खिलाफ छापाखाना था। 900-1100-1200, एक तरफ आया कि श्री मधु लिमये हार गए और छापाखाना वाला जीत गया। यह खेल होता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको : किसके द्वारा चुनावों में धांधली की गई थी? क्या कांग्रेस के द्वारा यह किया गया? मैं नहीं जानता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप उनकी बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री वैको : चुनावों में धांधली कर कौन निर्वाचित हुआ था? मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : डा० लोहिया ने आम सभा में कहा था कि मैं खड़ा हूं, खबरदार, एक वोट भी बोगस मत डालना। यदि एक वोट भी बोगस साबित होगा तो मैं त्यागपत्र देकर हट जाऊंगा। हम इस तरह की पाठशाला के लोग हैं। चुनाव में येन-केन-प्रकारेण लोग पैसा देकर काम कर लेते हैं। इस बार राज्य सभा के चुनाव में एम०एल०ए० बैल की तरह बिके हैं, जैसे मेले में बैल बिकते हैं, एक लाख, दो लाख, पांच लाख रुपयों में। चुनाव में यह खराबी लोकतंत्र के लिए कलंक है। इसे रोकने का उपाय करना चाहिए।...*(व्यवधान)* हमारे यहां एम०एल०ए० को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपये दे रहे थे। लेकिन श्री उमाधर सिंह, वामपंथी विचारधारा के एम०एल०ए० ने 50 लाख रुपये पर लात मार दी। वे जंतर-मंतर पर तीन दिनों से आमरण अनशन पर हैं। दरभंगा की अशोक पेपर मिल बरसों से बंद है। उसे चालू कराने के लिए वे लड़ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। भारत सरकार के उद्योग विभाग के एक अफसर ने गलत ऐफीडैविट दिया जिसके कारण मामला उलझ गया। इसके समाधान के लिए व महान विधायक, 50 लाख रुपये एन०डी०ए० की तरफ से मंत्री लोग

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह]

बैलों की तरह एम०एल०ए० खरीदने के लिए लेकर गए थे। उसे लात मारकर वे यहां बैठे हुए हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कहां क्या बोल रहा है। जो उस तरफ बैठे हुए हैं, वे बताएं कि बूथ कैप्चरिंग होती है या नहीं और गरीब आदमी को वोट डालने से रोका जाता है या नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर) : बिहार में पंचायत के चुनाव कब से नहीं हुए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : कमजोर वर्ग के लोगों को वोट डालने से वंचित करवाकर आए हैं। मैं सब भंडाफोड़ कर दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, जिस एम०एल०ए० का नाम लिया है, उसे निकाल देना चाहिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने किसी का नाम नहीं लिया। कोई ऐलीगेशन नहीं लगाया। वे अनशन पर बैठे हैं। हमने किसी अपराधी का नाम नहीं लिया, हमने अच्छे आदमी का नाम लिया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब तक मैं अनुमति न दूं तब तक आप उनकी बात का जवाब न दें। कोई ऐसा नाम न लें जिसके ऊपर कोई ऐलीगेशन नहीं, प्रमाणित नहीं कर सकें। जिसके बारे में आपने कोई नोटिस नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने नाम नहीं लिया। हमने तो उसका नाम लिया है, जिसने रुपये को ठुकरा दिया। वे लोग रुपया लेकर गए थे, उनका नाम मैंने बोला था क्या?

सभापति महोदय : जब तक आप सूचना नहीं दें, तब तक नाम न लें।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : 15 करोड़ रुपया किस चीज का, उन्होंने कहा कि वहां...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप उनके कहने पर मत जाइए, आप अपनी बात कहिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : तो अड़ियल रुख क्यों अपनाया जा रहा है। उसमें कोई ऐसी बात हमने नहीं कही है, जो अप्रासंगिक हो या असंसदीय हो। हम संसदीय मर्यादा किससे सीखेंगे। डा० लोहिया और कर्पूरी ठाकुर तो चले गए, अब कौन है, जिससे सीखने जाएं। कितनी स्कूल में पढ़ाई करें। इसलिए यह सब विषय प्रासंगिक है।

बूथों की सुरक्षा, कमजोर वर्ग की सुरक्षा, वोट डालने से रोक और उसके बाद पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्ज एक्ट में एक क्लाज है, जिसमें कार्रवाई की गुंजाइश है कि कोई डराए-धमकाए या मतदाता को घूस देने की कोशिश करे, लेकिन वह उतना इफैक्टिव क्लाज नहीं है, जिससे वह रुकता नहीं और न उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसलिए उस तरह का सुधार इस चुनाव के कानून में होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र शुद्ध, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो। अभी जो चुनाव प्रशासन और लोग कराते हैं, उनकी प्राथमिकता शांतिपूर्ण चुनाव की है। निष्पक्ष की नहीं है, यदि कोई एकतरफा शांतिपूर्ण छाप ले तो कोई लोग उसमें न लिखा-पढ़ी करेगा और न एजीटेट करेगा। इसलिए शांतिपूर्ण तो हो, लेकिन निष्पक्ष भी हो, इसकी भी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होगा, जब आम गरीब, वंचित, शोषित, उपेक्षित, लांछित, दबा हुआ, डरा हुआ, गरीब आदमी, जिसने कहीं-कहीं अभी तक बैलट देखा ही नहीं है, उस गरीब आदमी को वोट डालने का मौका नहीं दिया, उसको रास्ते में रोक दिया। इसलिए वह तमाम सुविधा उसको दी जाए, पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, तब मतदान होगा, वैसा मतदान होगा, तब लोकतंत्र को लोग कहते हैं, यदि हम परिभाषा में कहें कि मिट्टी का बना हुआ स्वर्ण कलश तो यह हास्यास्पद होगा। स्वर्ण का बना हुआ स्वर्ण कलश, उसी तरह से शुद्ध प्रणाली से जो वोट होगा, उससे बना हुआ लोकतंत्र शुद्ध होगा। बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, जबरदस्ती, बूथ रैगिंग, इसके बाद जो चुना जाएगा, पैसा बंटवारा, हेराफेरी, ब्राइबरी, लेनदेन, जाति-पाति, धर्म विवाद, इन सबके सहारे जीतकर आएगा तो उसी तरह का लोकतंत्र होगा। शुद्ध लोकतंत्र होने के लिए वह शुद्ध प्रणाली से होना चाहिए। निष्पक्ष, फेयर एंड पीसफुल होना चाहिए। उसके लिए हम चुनाव लड़ते-लड़ते अनुभव से हमने यह महसूस किया है। गांव में मैं जा रहा था तो दो-तीन बुढ़िया, मजदूर तरह के गरीब आदमी बोले कि आप क्यों हैरान हो रहे हैं, जाइए चितकबरा भेज दीजिए, आप कोर्दो में हैरान मत होइए। इसका मतलब क्या हुआ, रैपिड एक्शन फोर्स जाती है, उसका चितला-चितला वस्त्र होता है, देहात में उसको लोग चितकबरा ड्रैस वाला कहते हैं। कहा कि चितकबरा को भेज दो, चितकबरा को भेज देने का मतलब यह है कि बूथ पर जब चितकबरा रहेगा तो वोट डालने में कोई जबरदस्ती नहीं होगी, बदमाशी नहीं होगी, वह सीधे दो डेंगा मार देता है। उसी से सारे गांव वाले हड़बड़ाकर कहते हैं कि गड़बड़ी नहीं चलेगी, चितकबरा आया है। गरीब आदमी बोला कि चितकबरा को भेज दीजिए, आप हैरान मत होइए। इसका मतलब कि सारे गरीब आदमी वोट डालने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको भय था, आतंक था कि कहीं बदमाश बूथ पर जाने नहीं दें, वोट डालने से रोकें नहीं, चितकबरा लोग वहां जाएगा तो गरीब आदमी को इतना विश्वास है कि वोट डालने से कोई नहीं रोकेगा। यह गांव के गरीब की मांग है। घूमते-घूमते हमारे यहां कई बूथों पर नोनिया गरीब जाति रहती है, वह अति पिछड़ी जाति में है। हमने दरख्वास्त दी है कि उसको शैड्यूल्ड कास्ट्स में करने के लिए एमेंडमेंट दिया है। राम किशन महतो, बैंक में आफिसर है, वह वोट डालने जा रहा था, नोनिया जाति का था, कमजोर वर्ग का था, उसको मारा, उसको वोट डालने नहीं दिया। राम लाल महतो को मारा, नारंगी बूथ पर मारा, कथैया में उसको वोट डालने नहीं दिया।

यदि 100 लोग डाल देंगे तो एन०डी०ए० का एक भी आदमी नहीं जीतेगा। ये लोग जबर्दस्ती करके, क्योंकि जबर्दस्ती वाले लोग संगठित हो गए थे लालू यादव के खिलाफ, इसीलिए जीतकर आ गए। वहां पर बूथ्स का फुल प्रोटेक्शन नहीं हो सका, कमजोर आदमी वोट नहीं डाल सका, इस वजह से हम थोड़े कमजोर पड़ गए। इसलिए जन-प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन होना चाहिए। उसकी क्लाज में संशोधन हो जाने के बाद इस पर जनमत कराना चाहिए। हो सकता है बुद्धिजीवी और बड़े लोग यह तर्क दें और कहें कि फोर्स की कमी है, ठीक है, लेकिन उसके प्रयोग में कमी नहीं होनी चाहिए। 1995 में टोटल बूथ्स पर पैरामिलिटरी फोर्स तैनात थी, तब कोई दंगा नहीं हुआ था, कोई बूथ नहीं लुटा था और कमजोर वर्ग के लोगों ने लंबी-लंबी लाइनें लगाकर वोट डाला था। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह कहकर इनकार

नहीं करना चाहिए कि पैरा-मिलटरी फोर्स की कमी है। जितनी है, उसको फेजेज में बांटकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी तीन फेज में चुनाव होते हैं तो पांच-सात फेज में चुनाव कराएं। इसके बारे में राजनीतिक दलों से भी राय ले सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री वैको : क्या आप यह समझते हैं कि यह राज्य सरकार की सहमति के बगैर होना चाहिए? आप अभी अपने राज्य में सत्ता में हैं तथा आप फिर से सत्ता में आ सकते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि अर्द्धसैनिक बलों को राज्य सरकार की सहमति के बगैर तैनात किया जाना चाहिए?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : जी, नहीं। इसमें सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में, कुछ मतदान केन्द्रों को सोच-समझकर अति-संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है, ताकि वे वहां अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती कर सकें। कुछ मतदान केन्द्रों को बगैर चौकीदारों तथा बगैर पुलिस के छोड़ दिया जाता है। इसे भगवान पर छोड़ दिया जाता है।

[हिन्दी]

भगवान पर छोड़ दिया, कोई प्रिजाइडिंग आफिसर को किल कर दे, बूथ कैप्चर कर ले, बक्सा लेकर भाग जाए, कोई देखने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

सोच-समझ वाली इस प्रक्रिया द्वारा भेदभाव किया जाता है; पक्षपात किया जाता है। निर्वाचन अधिकारी के निर्णयानुसार कुछ मतदान केन्द्रों को संवेदनशील घोषित किया जाता है। तब, उसके विरुद्ध कोई याचिका दायर की जाएगी तथा इस प्रकार, पार्टियों एवं उम्मीदवारों के बीच अनावश्यक विवाद होगा।

प्रत्येक मतदान केन्द्र को संवेदनशील घोषित किया जाना चाहिए तथा बिना किसी पक्षपात के सभी मतदान केन्द्रों में समानरूप में अर्द्धसैनिक बलों को तैनात किया जाना चाहिए। इस प्रकार निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान हो सकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, आप पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, सांसद हैं। जब आपकी पार्टी के सिर्फ दो आदमी यहां जीतकर आए थे तो कहते थे कि बाढ़ में आया हुआ है, दशान में जीतकर आया हुआ है। मंत्री जी नए हैं, देखने में होशियार लगते हैं। उम्मीद है कि ये अपने अधिकारियों को समझा-बुझाकर यह काम कराएंगे। कभी-कभी अधिकारी लोग वाजिब काम में भी अड़ंगा लगाते हैं, उनको कभी-कभी डांटना भी पड़ता है। इसलिए आप विचार कर उत्तर दें। पोस्टर, बैनर, पेट्रोल आदि पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इन कामों पर करोड़ों रुपया बहाया जाता है।

धन्नासेठों की मदद लेनी पड़ती है अथवा धन्नासेठ स्वयं खड़ा हो जाएगा। पहले अपराधियों की मदद लेनी पड़ती है और अब तो अपराधी भी खड़े हो रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए सभी मुद्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। पर्चा, पोस्टर, बैनर इन सबके बदले बम, गोला, गोली, कारतूस, हथियार, क्रिमिनल, कास्ट, कैश आदि इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। कैश, कास्ट और क्रिमिनल को कम्बाइन कर दिया जाए, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री वैको : इसमें आपका भी अच्छा योगदान है। बिहार में आप पर यह आरोप है कि आपकी पार्टी धांधली में संलिप्त है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : मैं अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग कर रहा हूं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी के मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हैं, त्वरिक कार्रवाई बल हैं तथा सीमा सुरक्षा बल हैं।

[हिन्दी]

उसके बाद भी हम कह रहे हैं, पैरामिलिटरी फोर्स आप सब बूथ पर दे दो। जबरदस्ती छापकर आने वाले होते, तो पैरामिलिटरी फोर्स मांगते, वहां छापकर जीतकर आ जाते। अब तो क्रिमिनल्स आ रहे हैं, वैट्रन क्रिमिनल्स आ रहे हैं, जो 104 कत्ल करके, ट्रक ड्राइवर और खलासी का कत्ल करते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। नहीं टिकट दिया, तो बगल वाले को सपोर्ट कर दिया। इससे लोकतंत्र को खतरा है और इस खतरे से बचने के लिए मैं कहना चाहता हूं—एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय—फेयर पोल होना चाहिए। इब्राहिम लिंकन से हमने डैमोक्रेसी नहीं सीखी है। डैमोक्रेसी का जन्मदाता है, भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा यहां कानून का राज है, चुनकर लोग आते हैं, बैठकर कानून बनाते हैं, तब शासन करते हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन आया—डैमोक्रेसी इज दि रूल आफ ला। इब्राहित लिंकन की बात तो बाद में आई है—बाई-दि-पिपल, फार-दि-पिपल। लोकतंत्र का मतलब है, वोट का राज। लोकतंत्र का मतलब है, चुनाव का राज, लेकिन असली प्रक्रियात्मक भाषा है—डैमोक्रेसी इज दि रूल आफ ला। यह परिभाषा तीन हजार वर्ष पहले यहां से शुरू हुई थी। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, कैसे समृद्ध हो, कैसे आगे बढ़े, इस पर पुनर्विचार करें। हमको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र, मजबूत लोकतन्त्र का भी गौरव प्राप्त करने की चेष्टा होनी चाहिए। यद्यपि, पिछली सरकार के लोग भी दुरुस्त थे, मन साफ हो, बूथ कैपचरिंग, रिगिंग, जबरदस्ती, क्रिमिनलाइजेशन आफ पोलिटिक्स, पोलिटिसाइजेशन आफ क्रिमिनल्स—इन सब चीजों को रोकने का इरादा है, तो इस बिल को एक मिनट भी पास करने में नहीं लगाना चाहिए। इसमें न खर्चा, न पर्चा है, न झंझट है, न कोई तकनीक है, केवल रेग्युलराइजेशन करने के लिए कह रहा हूं। इस काम को कर ही रहे हैं, तो समान बंटवारा करें। मैं कहना चाहता हूं कि इसको अनिवार्य बना दें।

सदन में सदस्य बहुत कम रह गए हैं, लोकतंत्र में रुचि रखने वाले रहते हैं। पहले पांच साल में चुनाव होते थे, अब एक साल में होते हैं, अगर यह कानून पास हो जाएगा, तो एक साल क्या, एक महीने में भी होगा, तो न पर्चा है, न खर्चा है, न झंझट है, न जबरदस्ती है। जब पैसे का बोलबाला होगा, बैलेट की जगह बुलैट का बोलबाला होगा, लोकतंत्र को खतरा पैदा होगा।

[डा० रघुवंश प्रसाद सिंह]

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.45 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक

(अड़तीस) संविधान (संशोधन) विधेयक* (नए अनुच्छेद 16क और 29क का अंत:स्थापन)

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी०सी० थामस : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.45½ बजे

(उनतालीस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक* (धारा 21 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.46 बजे

(चालीस) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) (संशोधन) विधेयक* (धारा 10 का संशोधन)

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 4.47 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी

(नई धारा 26क और 26ख का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अपना भाषण आरंभ करने से पहले, मैं आपका ध्यान इस सभा की सुस्थापित परंपराओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब कभी सभा में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा की जाती है, तो इस पर वाद-विवाद का जवाब देने के लिए संबंधित मंत्री जी उपस्थित रहते हैं। मैं सन् 1971 में पहली बार इस सभा के लिए चुना गया। मुझे याद है कि जब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर श्री मधु लिमये या श्री नम्बूदरीपाद बोला करते थे तो बाबू जगजीवन राम या श्री वाई०बी० चव्हाण सभा में उपस्थित रहते थे, उस समय यह परंपरा थी।

आज, मैं नहीं जानता कि इस वाद-विवाद का उत्तर कौन से मंत्री देंगे, विधि मंत्री या गृह मंत्री। यहां पर इन मुद्दों को समझने तथा उनका उत्तर देने के लिए मंत्रालय का सक्षम प्रतिनिधि कौन है। क्या यह इस सभा की सुस्थापित परंपराओं के उल्लंघन का तरीका है? मुझे यह कहते हुए बड़ा दु:ख हो रहा है कि जब सभा में ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की जा रही है और संसदीय कार्य मंत्री भी सभा में उपस्थित नहीं हैं, मेरी ऐसी भावना है। मुझे आशा है कि आप इस मामले पर ध्यान देंगे। जो सदस्य यहां सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कृपया वे मुझसे बात करें। जब प्रधानमंत्री ठीक हो जाएंगे तो इस मामले पर मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करूंगा। वे इस सभा के नेता हैं। सत्ता पक्ष द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के लिए निर्धारित दिवस के साथ इस तरह का व्यवहार करना सही नहीं है।

सभापति महोदय, इस सभा में श्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा आरंभ की गई चर्चा पर सभा के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी दल के हों, चिंतित हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि यह विधेयक सरकार द्वारा पारित कर लिया जाता है तो इससे इस देश में प्रजातंत्र और चुनाव उद्देश्य तथा जड़ें और भी सुदृढ़ हो जाएंगी। इस विधेयक के विषय-क्षेत्र के अतिरिक्त, कुछ और भी क्षेत्र हैं जिनकी विधि मंत्रालय, चुनाव आयोग तथा सरकार द्वारा गहराई से समग्र जांच की जानी अपेक्षित है।

मूल समस्या यहां आती है कि निर्वाचन अधिकारी कौन है, जिलाधीश या कलैक्टर। वह उस राज्य विशेष के संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2000 में प्रकाशित।

है जिससे उसका संबंध होता है। संविधान की अपेक्षाओं के अलावा किसी जिले के पुलिस अधीक्षक या कलेक्टर के लिए यह व्यवहारिक एवं नैतिक दायित्व है कि जो भी राज्य में सत्ता पक्ष में हो उसके प्रति वह निष्ठावान रहे। चुनाव आयुक्त चाहे कुछ भी कहें, लेकिन कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को अपने राज्य के सत्तापक्ष की बात माननी ही पड़ती है। इसलिए स्वतंत्र एवं साफ-सुथरे चुनावों में पहली अड़चन राज्य संवर्ग को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी सौंपा जाना है। आजकल कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दो या तीन अतिरिक्त जिलाधीश, जिलाधीशों के अधीन रखे जाते हैं। मेरा इस संदर्भ में पहला सुझाव है कि जिस दिन चुनाव अधिसूचना जारी की जाती है उसी दिन से जिला कलेक्टर संवर्ग के अधिकारियों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की चुनाव प्रक्रिया नहीं सौंपी जानी चाहिए। राज्य संवर्ग में से समकक्ष दर्जे का कोई अन्य अधिकारी इसकी देख-रेख करेगा तथा कुछ सीमा तक रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जिलाधीश चुनाव सम्पन्न होने तक अन्य गतिविधियों की देखरेख करेगा। ऐसा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। इसी प्रकार से कानून एवं व्यवस्था की देखरेख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर सकते हैं तथा पुलिस अधीक्षक जो कि अलग राज्य संवर्ग के होने चाहिए, को चुनाव की तारीख तक चुनाव प्रशासन की देखरेख में सौंपी जानी चाहिए। मैं यह सब अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं।

महोदय, मैं 1971 में इस सभा के लिए निर्वाचित हुआ हूं। मैं तीन बार इस सभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सका। पहली बार मैं 1100 मतों से चुनाव हारा, दूसरी बार 2800 मतो से तथा तीसरी बार 4000 मतों से क्योंकि मैं पश्चिमी बंगाल से चुनाव लड़ रहा था। इस बात को मैं इसलिए आज कह रहा हूं क्योंकि मुझे बताना है कि वहां चुनाव कैसे करवाए जाते हैं। यदि चुनाव के दिन कोई पश्चिमी बंगाल जाएगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि वहां चुनाव की प्रक्रिया एवं व्यवस्था क्या है। सन् 1989 में वहां चुनाव हो गए थे और मतगणना की जा रही थी, कि अर्ध-रात्रि में अचानक निर्णय किया गया कि बिजली गुल कर दी जाए तथा मतगणना की टेबलें मिला दी जाएं और इसी बीच कुछ फर्जी मतदाता वहां प्रवेश करेंगे। मैं एक उम्मीदवार होने के नाते पुलिस अधीक्षक के सामने रोया-धोया। मैंने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। यहां तक कि उम्मीदवारों को भी मतगणना हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें बाहर ही रहने के लिए कहा गया। मतगणना संपन्न हो गई और नतीजे घोषित किए गए। अर्ध-रात्रि तक मैं 35000 मतों से आगे चल रहा था, उसके बाद एक घंटे के अंतर्गत ही नतीजा घोषित किया गया कि मैं 1100 मतों से चुनाव हार गया हूं। यह 1989 की बात है। मैं जानता हूं कि चुनाव याचिका पर न्यायालय में काफी लंबा समय लगेगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वे मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते। मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा भी हटा ली गई। मैं वहां अकेला रह गया।

सन् 1991 में चुनाव संपन्न हो गए थे। मतगणना के दिन अर्ध-रात्रि में मुझे संदेश मिला कि श्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। मुझे याद है कि 22 मई को पूरे देश में मतगणना रोक दी गई। कुछ विधायकों की शिकायत थी कि चुनावों में अनियमितता बरती गई है। एक माह बाद चुनाव आयोग ने निर्णय दिया कि चूंकि निर्धारित मतगणना स्थगित हो गई है इसलिए 34 मतदान केन्द्रों में पुनर्मतदान करवाया जाएगा। मैं चुनाव आयोग के सामने रोया-धोया कि यदि आप 34 मतदान केन्द्रों में अब पुनर्मतदान करवाओगे तो वहां राज्य के पूरे तंत्र झोंक दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 34 केन्द्रों में पुनर्मतदान की घोषणा की। हावड़ा निर्वाचन क्षेत्र से मैं भी उम्मीदार था। राज्य के मुख्य सचिव ने सार्वजनिक वक्तव्य के माध्यम से धमकी दी कि वह चुनावों में निष्पक्षता को सुनिश्चित नहीं कर सकते और उम्मीदवारों को अब इसके परिणाम भुगतने ही होंगे। यह रिकार्ड में है। मैंने उन कागजातों को तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री टी०एन० शेषन के पास भेजा। जिलाधीश ने मुझसे कहा कि वह मेरी सहायता नहीं कर सकते। पुलिस अधीक्षक ने भी कहा कि इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर सकते। चुनाव के दिन सुबह के 8 बजे चुनाव एजेंटों को बाहर खींच लिया गया और बंदूक की नोंक पर उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। निर्वाचन अधिकारी कांप रहा था। हावड़ा शहर में, मुझे भी दो या ढाई घंटे तक बंदूक की नोंक पर बंधक बनाए रखा गया। जब मैं तत्कालीन उप-पुलिस महानिरीक्षक श्री पार्थो भट्टाचार्य के पास गया तो उन्होंने कहा कि वे असहाय हैं। उन्होंने मुझे चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों को शिकायत करने के लिए कहा। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक नियंत्रण कक्ष में था लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। किसी भी मतदान केन्द्र पर पुलिस नहीं थी। वहां दो या ढाई घंटे तक माफिया राज चलता रहा। मुझे 2200 मतों से हरवा दिया गया जबकि मैं हर जगह से आगे चल रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी उम्मीदवार को एक महीने बाद हरवा दिया गया हो? इन 34 मतदान केन्द्रों में लगभग 29000 मत पड़े और मुझे मात्र 1800 मत मिले। यह वहां का परिणाम था। यह सभी समाचार-पत्रों में छपा गया। एक बार और ऐसा राज्य तंत्र के माध्यम से किया गया। सन् 1998 में मैंने एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। मुझे कहा गया कि आप किसी भी ब्लाक में बिना बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी के प्रवेश नहीं कर सकते। बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ मात्र एक पुलिस अधिकारी था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह अब मुझे नहीं बचा सकता है। उसने मुझे घर वापस जाने की सलाह दी। मतदान केन्द्र लोगों से घिरे थे। चुनाव एजेंटों को पीटा गया और एक बार फिर मैं लोक सभा में नहीं पहुंच सका। मैं इस बार 3800 से 4000 मतों से चुनाव हार गया।

पुलिस कर्मियों के संबंध में हमारे राज्य का नियम है कि मतदान केन्द्रों में वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें डाक मतपत्रों के माध्यम से अपना मत देना होता है। किसी खास पुलिस यूनियन जो कि पार्टी विशेष के प्रति निष्ठावान होती है के मनोनीत प्रतिनिधि की उपस्थिति में पुलिस कर्मियों को अपने मत पत्र पर मुहर लगानी होती है। उन्हें एक के बाद दूसरे मत पत्र पर मुहर लगानी होती है और तब उसे मतगणना केन्द्रों पर भेजा जाता है। मैं, और ममता जी तथा अन्य चुनाव आयोग के समक्ष इस बात के लिए रोये-धोये, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ।

यहां राजनीति का अपराधीकरण तथा नौकरशाही का राजनीतिकरण हो रहा है। इसमें सरकारी धन शक्ति का भी प्रभाव है। सरकारी धन शक्ति के प्रभाव का क्या अर्थ है? मैं इस बारे में दूसरा उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लीजिए, वहां वी०पी०एल० कार्डधारी होते हैं। चुनाव होने से अड़तालीस घंटे पूर्व इन वी०पी०एल० कार्डों को जमा कर दिया जाता है। इन गरीब

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

लोगों को बताया जाता है कि ये कार्ड अब सरकारी अभिरक्षा में हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि वे किसी खास राजनीतिक पार्टी को मत दें, नतीजों के उपरांत ही उनके कार्ड उन्हें वापस मिल पाएंगे और वे तब ही राशन पा सकेंगे। वर्धबान, बांकुरा, पुरुलिया तथा हुगली जिलों में हममें से कुछ लोगों ने भारी जोखिम के साथ इसका विरोध करने की कोशिश की। यह भी अपनी तरह का एक शोषण है।

यहां अन्य दूसरे सरकारी तंत्र का भी दुरुपयोग होता है। पंचायत राज के माध्यम से गांवों के निर्धनतम लोगों को सप्ताह में एक बार रोजगार दिया जाता है। किसी खास राजनीतिक दल के पंचायत अधिकारी उनसे कहेंगे कि उनके नाम को हाजरी रजिस्टर से हटाया जा रहा है। उनको यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दिन वे इन अधिकारियों का कहना मानेंगे और तब ही हाजरी रजिस्टर में उनके नामों को जोड़ा जाएगा। ये बेचारे गरीब क्या करेंगे? उनके पास अधिकारियों की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है।

प० बंगाल के ग्रामीण इलाकों में 10 बजे के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बात को भूल जाएं। क्या कलकत्ता शहर को छोड़कर, सत्ता दल के अलावा कोई और दल दावा कर सकेगा कि उन्होंने अपने चुनाव एजेंटों को वहां दोपहर के भोजन तक रखा था? वे ऐसा नहीं कर सकते। प० बंगाल में हमारे भय का कारण मत प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह है कि जो लोग चुनाव केन्द्रों पर बैठे हैं उन्हें 5 बजे के बाद सुरक्षित अपने घर कैसे भेजा जाए, यह बहुत कठिन काम है। इस स्थिति में हमारे यहां चुनाव करवाए जाते हैं।

इसलिए मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह के विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं, जब तक कि दूसरे राज्य के संवर्ग के अधीन अर्धसैनिक बलों का दस्ता अनिवार्य रूप से नहीं रखा जाता तब तक आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जाने की बात को भूल जाना होगा।

पिछले लोक सभा चुनावों जिनके माध्यम से मैं इस सभा में आया हूं, में पूरे राज्य में पुलिस गोलाबारी की एकमात्र घटना हुई। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुझे बचाने के लिए किया गया। मैं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित पुवर्गू नाम केन्द्र पर गया था। जब मैं वहां गया तो सड़कों से महिलाओं ने मुझसे कहा कृपया हमें बचाएं, हम आपको आशीर्वाद तो दे सकते हैं लेकिन मत नहीं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र पर स्थानीय दबदबे वाले लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं निराश होकर मतदान केन्द्र गया। मैंने अपने व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी को अपने साथ ले लिया। मैंने वहां देखा कि स्थानीय विधायक तथा स्थानीय असामाजिक तत्व मतदान केन्द्र के पास ही चाय तथा ब्रेड खा रहे थे और निर्वाचन अधिकारी रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ? उसने कहा कि 680 मतों में से 300 मत पहले ही बिना लाइन के डाले जा चुके हैं। ब्रेड और चाय के कप के साथ एक ऐसा ही असामाजिक तत्व मतदान केन्द्र पर आया उसने सूची देखी उसमें से कोई भी नाम चुना और कहा कि नाम उसका ही है और उसने मतदान पत्र उठाया और उस पर मुहर लगा दी। इसके बाद दूसरा आया और इस तरह ऐसा चलता रहा। मैंने इसका विरोध किया। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि महोदय मुझे डर है कि आपके लिए यहां खतरा है। कृपया इस मतदान केन्द्र से चले जाइए। आप किसी अन्य बूथ पर जाइए। मैंने उससे आग्रह किया कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा। इसके बाद उन्होंने मेरे सिर पर बंदूक रख दी। मेरे व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे रोका और शांत रहने के लिए कहा। फिर पीठासीन अधिकारी ने हिम्मत से वहां तैनात पुलिस कांस्टेबल को तुरंत गोली चलाने का आदेश दिया क्योंकि इसके बिना भीड़ शांत नहीं होती। उन्होंने गोली चलाई। एक उम्मीदवार होने के नाते मुझे अपने निजी सुरक्षा अधिकारी के साथ आधा किलोमीटर तक भागना पड़ा। वे मेरा पीछा कर रहे थे। दो घंटे बाद पुलिस आई और उन्होंने चार राउंड गोली चलाई। हमने इस प्रकार चुनावों का सामना किया।

इसलिए, न केवल पीठासीन अधिकारियों और मतदान एजेंटों के लिए बल्कि अत्यंत गरीब लोगों के लिए भी अर्द्धसैनिक सुरक्षा होनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का विश्वास बना रहे। चुनाव अभियान के दौरान मैंने धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, देश की एकता और अखंडता इत्यादि के बारे में कहा था। चुनावी बैठक के अंत में अत्यंत गरीब लोगों ने मुझे कहा, "हम आपको वोट देंगे, परंतु कृपया यह सुनिश्चित करें कि हमें अपने वे राशन कार्ड वापस मिल जाएंगे जो हमसे जब्त किए गए थे।

अपराह्न 5.00 बजे

क्या आप यह सोच सकते हैं कि उन्होंने सड़क या पेयजल या ऐसी अन्य किसी वस्तु की मांग नहीं की? उन्होंने केवल यही कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके राशन कार्ड उन्हें वापस मिल जाएंगे। यही उनकी मनोदशा है। मैं चुनाव आयोग और हरेक के सामने दुहाई देता रहा हूं। कलकत्ता में और उसके आसपास ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां इलैक्ट्रोनिक माध्यम काफी सतर्क है और वहां पुलिस भी उपस्थित रहती है। परंतु गांवों में ऐसा होता है जैसा कि मैंने कहा है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और चाहे जैसे भी हो इस परिपाटी को राज्य में भी अपनाया जाना चाहिए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। मुझे खुशी है कि आज डा० रघुवंश प्रसाद सिंह सुरक्षित हैं। समय आ गया है कि हम सभी को एक साथ मिलकर सोचना चाहिए। किसी समय कुछ लोगों द्वारा चुनाव के दिन असामाजिक तत्वों का प्रयोग किया जाता था। यह सच है। अब वे असामाजिक तत्व सदन में आना चाहते हैं और वे संबंधित विधान सभाओं में आने शुरू हो गए हैं। एक समय था जब पैसे का जोर चलता था और पैसे की ताकत पर कहा जाता था, "मैं आपका और आपकी जीत का ध्यान रखूंगा और आप मेरी जेब और लाइसेंस का ध्यान रखें।" अब वे कहते हैं, "हमारी जेबें भरी हुई हैं और लाइसेंस पर्याप्त हैं, हम चुनाव जीतकर सदन में आना चाहते हैं।" इस प्रकार प्रजातंत्र की पूरी छवि ही बिगड़ गई है।

इसलिए, मैं समझता हूं कि जो विधेयक इस सभा में आया है वह न केवल बिहार के किसी विशेष क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश में प्रजातंत्र सुनिश्चित करने के लिए है।

मैं आपको एक रोचक घटना के बारे में बताना चाहूंगा। बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के बाद मैंने पद यात्रा की थी। मैं बंगाल में दो महीने में 1400 किलोमीटर चलकर तय की थी। मैं सुबह से लेकर शाम तक चलता था और लोगों में दोस्ती बनाए रखने के लिए अपील

करता रहा था। उस अवधि के दौरान, मैं बांकुरा में एक गांव में गया था। उस गांव के लोगों ने मुझे कहा कि वे ग्रामीण विकास कार्यक्रम या ऐसे ही किसी काम के बारे में श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया था और ऐसा कहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वे नहीं जानते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी का देहांत हो चुका है। मैंने यह बात श्री ज्योति बसु से भी कही। वे लोग केवल अपने गांव के बारे में ही जानते हैं। वे केवल यही जानते हैं कि उन्हें अपना यह काम करना है और शाम को उन्हें कुछ राशन मिल जाएगा। उसके बाद मैंने देखा कि इन गरीब लोगों के स्कूल का भवन जला दिया गया क्योंकि उस स्कूल में चुनाव हो रहे थे और उस चुनाव में एक विशेष राजनैतिक दल की जीत हासिल हुई तथा केवल इसी कारण कि गरीब लोग उस स्कूल में वोट डालने गए थे इसलिए उसे जला दिया गया। आज तक, उसका निर्माण नहीं किया गया है। हावड़ा के एक अन्य गांव में, जिसके बारे में श्री संतोष मोहन देव भी जानते हैं, लोगों ने पंचायत के चुनाव में 'हाथ' चिह्न के लिए वोट दिया और जब मतगणना हुई और परिणाम की घोषणा की गई तो पाया गया कि अधिकांश लोगों ने 'हाथ' चिह्न को वोट दिया था। इसके लिए गांव के 16 नेताओं के हाथ काट दिए गए। उनके हाथ काट दिए गए और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। लोगों को प्रजातंत्र का सम्मान करने की सजा दी गई थी।

इसलिए, मैं इस विधेयक का तथा इसे प्रस्तुत किए जाने के तरीके का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को अपने चुनाव घोषणा पत्र तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिए गए वायदे पर सक्रियता से विचार करना चाहिए। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर बोलते हुए, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे किसी भी दल से या राज्य से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर चुनाव सुधार अधिनियम, लाना चाहिए। अन्यथा, जिस तरह से माफिया राज चल रहा है और वित्त तथा राज्य शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है इससे स्थिति और बिगड़ेगी।

जब मैंने अपने जिले के कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि सचिव पद के लिए उनकी पदोन्नति मुख्यमंत्री पर निर्भर करती है। चुनाव के दौरान, वे उसके प्रत्याशी होंगे और वे यह जानते हैं कि चुनाव कानून क्या है। उन्होंने आगे कहा, "आखिरकार, मैं राज्य संवर्ग से हूं। मेरा पूरा भविष्य राज्य पर निर्भर करता है। इसलिए, अगर मैं किसी जिले का जिलाधीश हूं तो चुनाव की अधिसूचना के दिन से ही अगर मुझे पटना स्थानांतरित कर दिया जाता है और अगर आप पटना के जिलाधीश को मेरे स्थान पर ले आते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसका परिचयपत्र पटना सचिवालय द्वारा रखे जाएंगे न कि मेरे बंगाल सचिवालय द्वारा, और मेरे परिचयपत्र बंगाल सचिवालय द्वारा रखे जाएंगे न कि पटना सचिवालय द्वारा। इसका कारण यह है कि मैं यहां निर्भीक होकर काम नहीं कर सकता जबकि वह यहां निर्भीक होकर काम कर सकता है।" इसलिए यही मुख्य बात है।

अतः, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के इस विधेयक पर गंभीरता से विचार करें तथा इस पर तुरंत कार्रवाई करें।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, वैसे इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि लोकतंत्र का मूल आधार निर्वाचन प्रणाली है और हमारी निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन व्यवस्था या चुनाव प्रणाली सर्वथा निष्पक्ष रहनी चाहिए। डा० रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इस विधेयक में इनका कौन-सा स्वरूप दिखाई देता है, यह मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। क्योंकि जिस बिहार राज्य में पंचायत राज संविधान संशोधन होने के बाद भी अभी तक चुनाव नहीं हुआ, जिस बिहार राज्य के अंदर पिछले लोक सभा आम चुनाव के अंदर तीन बार अलग-अलग चुनाव कराए, तब भी हिंसा का नग्न नृत्य वहां हुआ, सर्वाधिक मौतें बिहार में हुईं। जिस बिहार में मौत का तांडव नृत्य हुआ, वहां पैरा मिलिट्री फोर्सेज भेजने के बाद और रैपिड ऐक्शन फोर्स भेजने के बाद भी भूमि सेना के नाम पर, रणबीर सेना के नाम पर, कहीं लालखंडी सेना के नाम पर, कहीं लालू की सेना के नाम पर जो बूथ कैप्चरिंग हुई और धनबल और बाहुबल का दृश्य देखने को मिला, वह रूप बिहार का है और बिहार का दूसरा रूप आदरणीय सांसद प्रस्तुत कर रहे हैं। यह कौन-सा रूप दिखाई दे रहा है, मुझे तो वास्तविकता पर संदेह प्रतीत हो रहा है। क्योंकि पैरा मिलिट्री फोर्सेज भेजना अच्छा सुझाव है, इसकी सब प्रशंसा करना चाहेंगे।...*(व्यवधान)* बिहार में पैरा मिलिट्री फोर्सेज भेजी गईं, लेकिन वहां उनकी व्यवस्था करने का दायित्व बिहार सरकार के हाथों में था। बिहार की पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी, बिहार प्रशासन के अधिकारियों ने ऐसी जगह उस फोर्स को भेजा जहां उनको रास्तों का भी अता-पता नहीं था और बिहार की लोकल पुलिस वहां पर व्यवस्था संभालती रही और मनमाना राज लालू जी के वोट तंत्र का चलता रहा, फर्जी बूथ कैप्चरिंग होती रही।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : पैरा मिलिट्री फोर्सेज कम भेजी गईं। इसलिए कहते हैं कि इतनी फोर्सेज भेजिए कि सभी बूथ आच्छादित हो जाएं। तब देखा जाएगा कि कहां भेजना है और कहां नहीं भेजना है। इंपार्शियल ढंग से और ज्यूडीशियस व्यू से बिल पर आप विचार करें। फिर भी बिहार में कभी भी दांव पर आएंगे तो हम पछाड़ ही देंगे।...*(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : मैंने प्रारंभ में ही कहा कि आपकी भावना अच्छी है, लेकिन जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं और जिस दल से जुड़े हुए हैं, बिहार के जंगल राज की बात आपने अपने मुंह से कही कि लोग जंगल राज की बात कहते हैं। वहां चुनावों में क्या होता है यह सारा देश जानता है और हर चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल कहता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए और दिनेश गोस्वामी समिति की बात हो, इंद्रजीत गुप्त समिति की बात हो या भारतीय विधि आयोग के जीवन रेड्डी जी की अध्यक्षता में उनकी अनुशंसा की बात हो...*(व्यवधान)*

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : आप पुराने सदस्य हैं, इसमें पार्टी की बात कहां से आ गई? प्राइवेट मैम्बर्स बिल में निष्पक्ष और वाजिब एवं कंटीली बात बोलनी चाहिए। उस गड़बड़ी का इलाज क्या है, वही तो हमने बताया है।...*(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, अंग्रेजी में हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं :

"ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की।
एक दूसरे से न मिल सकें, यह विडम्बना है जीवन की।"

[प्रो० रासा सिंह रावत]

बिहार की पृष्ठभूमि में मुझे उर्दू का एक शेर याद आता है। देश में कुछ स्थान भी हैं जहां धनबल और बाहुबल काम में लाया जाता है।

"बस एक ही उल्लू काफी है बरबाद गुलिस्तां करने को
हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा।"

अपराधियों का राजनीतिकरण किया गया है...*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

सभापति महोदय : आप बीच में व्यवधान मत करें।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हम आपकी बात का सपोर्ट कर रहे हैं। केन्द्र की हर शाख पर उल्लू बैठे हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं रघुवंश जी से कहना चाहता हूं कि जो कांच के महल में रहते हैं, उनको दूसरों पर पत्थर फेंकने की आवश्यकता नहीं है। एन०डी०ए० चुनाव सुधारों की समर्थक रही है और व्यापक विधेयक आने वाले समय में लाएगी। एन०डी०ए० की अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी, उसी ने पैरा मिलिट्री फोर्सेज बिहार में सुव्यवस्था करने के लिए भेजी, लेकिन वहां लालू जी के जंगल राज में पैरा मिलिट्री फोर्सेज और आर०ए०एफ० को ऐसे स्थानों पर तैनात ही नहीं किया गया जहां पर उनकी आवश्यकता थी और जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भेज दिया गया। परिणामस्वरूप चुनावों में हिंसा हुई।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया चेयर को संबोधित कीजिए।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने वहां ऑब्जर्वर भेजे और उनके मुताबिक ही फोर्सेज का डेपुटेशन किया गया।

सभापति महोदय : आपको उत्तर देने की जरूरत नहीं है। आप बीच में व्यवधान मत कीजिए।

(व्यवधान)

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, यह ठीक नहीं है। वे बिल के ऊपर न बोलकर अतथ्यात्मक बोल रहे हैं और बिहार के बारे में विवादास्पद बातें कह रहे हैं, जो ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)*

मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत?

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : सारे आब्जर्वर केन्द्र सरकार के द्वारा बिहार भेजे गए। केन्द्र सरकार ने फोर्सेस को डिप्यूट किया। कहां-कहां पिक एंड चूज हुआ उसको हमने बताया, उसका इलाज भी हमने बताया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, आपको उनकी बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप कृपया मुझे संबोधित करते हुए बोलिएगा।

प्रो० रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, हमारे दल की यह मान्यता है और एन०डी०ए० की भी यह इच्छा है कि चुनाव सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय बनाया जाना चाहिए। जैसे अभी राज्य सभा में चुनाव हुए, विभिनन दलों द्वारा धन बल का प्रयोग किया गया और क्रॉस वोटिंग का भी शिकार होना पड़ा, उसको देखते हुए सभी दल यह चाहते हैं कि धन बल का प्रभाव भी चुनावों से दूर रहना चाहिए और निष्पक्ष चुनाव हों, इस बात की व्यवस्था का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। इसी प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अगर सारे राजनीतिक दल सच्चे मन से चाहें, तो भली प्रकार से चुनाव सुधार कार्य संपन्न हो सकता है, नहीं, तो वही कहावत चरितार्थ होगी—'मीठा-मीठा गप्प और कड़वा-कड़वा थू' जिस राज्य में अपनी सरकार होती है, वहां तो मनमाने ढंग से चलना चाहते हैं और जहां अपनी सरकार नहीं होती, वहां के लिए राष्ट्रपति शासन या तटस्थ सरकार की मांग करते हैं।

सभापति महोदय, आज देश में तीन अंकों वाले राजनीतिक दलों की संख्या केवल दो रह गई है। बाकी तो कुकुरमुत्ते की तरह कहीं 5, 7, 10, 15 हो गई है। देश में राजनीतिक दलों की संख्या तीन-चार से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। चुनावों में धन बल का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बिलकुल नहीं होनी चाहिए। बाहुबल और बूथ कैपचरिंग होती है, गरीबों को वोट नहीं डालने दिया जाता, उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को वोट डालने नहीं देते हैं, यह सब बंद होना चाहिए। जहां मतदान होता है वहां पर अर्धसैनिक बलों को नियुक्त किया जाए। वहां चार सशस्त्र लोग हों ताकि मतदान सुविधा पूर्वक संपन्न हो सके, सेना या अर्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी हो, ताकि सुविधाजनक रूप से निर्भीकता के साथ लोग मतदान कर सकें, ये सारी चीजें आदर्श रूप में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो? यह तो वही बात हुई कि '900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' या फिर 'शैतान बाइबिल का पाठ करे'। यह मैं केवल कहावत के रूप में कह रहा हूं। इसे कोई अन्यथा न समझे और न ले। मतदान केन्द्र पर सुव्यवस्था रहनी चाहिए, लेकिन बिहार के अंदर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, जो बिहार के बड़े-बड़े बदमाश थे, जो जेलों में बंद थे, जो सीखचों के अंदर थे, उनमें से सर्वाधिक लोगों को टिकिट किस पार्टी ने दिए, वह कौन-सी पार्टी है, वह सबको मालूम है। वह स्वयं अपने मन में आत्मनिरीक्षण कर ले। मैं उस पार्टी का सदन में नाम उजागर नहीं करना चाहता हूं। लोग मतदाताओं को धमकाकर जीत गए हैं। जो जघन्य हत्याकांडों में लिप्त थे, जो डाकू थे, वे लोग जीतकर आए हैं। वे किसी न किसी नाम से जीतकर आ जाते हैं। ऐसे अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने की बात है। यह भी चुनाव सुधार का एक अभिन्न अंग है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, स्टेट फंडिंग की बात भी लागू होनी चाहिए। चुनावों में काला धन काम न आए इसके लिए धन देने की व्यवस्था राज्य की तरफ से हो। सूचीबद्ध राजनीतिक दलों के लिए स्टेट की तरफ से फंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर कोई और दूसरी प्रणाली अपनाई जाए, लेकिन चुनावों के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए व्यापक विचार-विमर्श करके एक निश्चित व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से राजनीतिक दृष्टि से चुनाव सुधारों का स्वागत करते हुए, मतदान केन्द्रों की सुव्यवस्था के लिए, अर्धसैनिक बलों की आवश्यकता है, उसका भी समर्थन करते हुए, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करें, ताकि आगे किसी भी राज्य के अंदर, चाहे विधान सभा का चुनाव

हो, पंचायतों का चुनाव हो, स्थानीय निकायों का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उनमें हिंसा का सहारा न लेना पड़े और लोग अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर, जिस विचारधारा के अंदर आस्था और विश्वास रखें, उस निर्भीकता के साथ मतदान कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था मतदान केन्द्रों पर होनी चाहिए। आज कुछ राज्यों में दुर्भाग्य से लोकतंत्र लाठीतंत्र हो गया है। उसमें बिहार भी एक है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जहां जिसका बोलबाला है, वहां उसका राज है। मुझे समाचार पत्र में देखने को मिला, पत्र-पत्रिकाओं के अंदर चित्र देखा कि एक आदमी राइफल लिये हुए है और उसके साथ 40-50 लोग बंदूकें लिये हुए हैं। वे मतदाताओं के बीच में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। वे जहां प्रचार करने के लिए जाएंगे, वहां की भोली-भाली जनता उनके हथियार देखकर, उनके साथ जो ताम-झाम है, उस सारी व्यवस्था देखकर आतंकित हो जाएगी और अपनी भावना भी व्यक्त नहीं कर पाएगी। इसलिए ऐसे अपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

देश में चुनाव सुधारों की बात को लेकर जितने आयोग या कमेटियां गठित हुईं या निर्वाचन आयोग ने जितनी बातें कहीं, वे सारी बातें ठंडे बस्तर के अंदर डाल दी जाती हैं। जब चुनाव होते हैं तो लोग उसे थोड़े दिन तक याद करते हैं लेकिन उसके बाद वे सारी बातें भूल जाते हैं। कोई उसको याद नहीं करता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि देश के लोकतंत्र का जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष मना चुके हैं, भारतीय संविधान की स्थापना का भी स्वर्ण जयंती वर्ष संपन्न करने जा रहे हैं तो ऐसे समय में अत्यंत आवश्यक है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रीय देश, भारत के अंदर होने वाला निर्वाचन निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और सब प्रकार की कमियों और दोषों से दूर हो। वह कमियां और दोष जिनको केवल मात्र मैं आपके सामने गिनाने का काम ले रहा हूं, दलबदल पर रोक लगे। दलबदल का कानून पहले बना था और संविधान में संशोधन भी हुआ लेकिन उसमें ऐसा लैकुना रख दिया गया कि जहां पर एक-तिहाई लोग चाहें, वहां पर दलबदल कर सकते हैं या उसमें और कई कमियां रख दी गई हैं। उसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति जिस राजनीतिक धारा और राजनीतिक चिह्न पर जीतकर आया, वह उससे अलग होता है तो उसे त्यागपत्र देकर जनता के बीच में जाकर फिर जीतकर आना चाहिए, नहीं तो इस दलबदल के ऊपर भी अंकुश लगाया जाए।

जो धन बल है, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाए। स्टेट फंडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ आचार संहिता लागू होनी चाहिए और निर्वाचन आयोग ने अभी जो सुझाव दिया है, उस पर बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि जब चुनाव आते हैं, तो चुनाव के समय राज्यों के अंदर तटस्थ सरकार हो। अगर दल विशेष की सरकार होगी तो अपने मनमाने ढंग से कितनी भी निष्पक्ष चले, फिर भी आरोप लगाने वाले लोग उस पर आरोप लगा देते हैं। ऐसी समय में क्या व्यवस्था हो ताकि वह तटस्थ भी दिखे, निष्पक्ष भी दिखे और किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं मिले। परिणामस्वरूप सुव्यवस्था भली प्रकार से हो सके। इसके लिए तभी होगा जब विभिन्न राजनीतिक दल जिनका अलग-अलग राज्यों के अंदर शासन है, वह सब मिल-बैठकर अपने दल विशेष की विचारधारा से ऊपर उठकर सच्चे अर्थों में निर्वाचन सुधार के लिए प्रयास करेंगे।

मैं चाहूंगा कि दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, भारतीय विधि आयोग और समय-समय पर निर्वाचन आयोग भी जो सुझाव देता रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय-समय पर सुझाव दिए हैं, उन सबका समग्र समेकन करके एक व्यापक चुनाव सुधार बिल लाया जाना चाहिए और इस बिल को सारे दल मिलकर पास करें ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सच्चे अर्थों में अपने गौरव को, महानता को और लिच्छवी गणतंत्र की जो पवित्रता थी, उसको प्राप्त कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री सिंह द्वारा प्रस्तुत जो यह विधेयक है, इसमें जो भावना व्यक्त की गई है कि धनबल, बाहुबल और गुंडागर्दी को रोकने के लिए तथा छोटे वर्ग बिना किसी डर के मतदान कर सकें, मतदान केन्द्रों पर सैन्य बलों की व्यवस्था हो लेकिन वह सही और कुशल हाथों में हो, सही और कुशल प्रशासन के हाथों में हो, निष्पक्ष अधिकारियों के हाथों में हो ताकि सही उपयोग हो सके, का मैं स्वागत करना वास्तविक अर्थों के अंदर उसका लाभ आम जनता को प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह जो विधेयक लाए हैं, वह देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सरकार से अपील करूंगा, जो लोग बाहुबल और धन के बल पर चुनाव जीतते हैं, लोकतंत्र में वह चुनाव जीतना नहीं होता। यदि लोकतंत्र में चुनाव जीतना है, तो लोगों के बीच जाना होगा, लोगों का विश्वास जीतना होगा। जो लोग लोगों का विश्वास जीतकर आते हैं, वही सही लोकतंत्र के लोग कहलाते हैं। गुंडागर्दी पर पाबंदी लागने के बारे में बहुत बार हाउस और असेम्बली में चर्चा हुई। हम गुंडागर्दी को रोकने का प्रयत्न करते हैं। वहां पुलिस और आर्मी भेजते हैं। इसके बावजूद कालाबाजारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो ज्यादा से ज्यादा धन देगा, कुछ लोगों में उसी को चुनकर भेजने की भावना बढ़ रही है। इस तरह की भावना से लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। जिस तरह सरकार ने बात की है, 15 लाख रुपये में चुनाव पूरा होना चाहिए। लेकिन 15 लाख रुपये में चुनाव नहीं होता। मुझे लगता है कि चुनाव के लिए 15 लाख रुपये की भी जरूरत नहीं है, 1-2 लाख रुपये में चुनाव होना चाहिए। 1-2 लाख रुपये सरकार के पास जमा करवा दें। यदि एक-दूसरे के खिलाफ बात करनी है तो कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर दूसरी पार्टी की नीतियों को विरोध करना है तो इस तरह हो सकता है। दूसरे देशों में चुनाव में सरकार की तरफ से पोस्टर लगाए जाते हैं। लोगों का नाम एक लिस्ट में रहता है। इलेक्शन सिस्टम में चेंजेज करने की आवश्यकता है। कम से कम पैसे में चुनाव लड़ा जाए, सरकार को इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए। यह किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मंजूर करने की आवश्यकता है। जब तक चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा तब तक लोकतंत्र ठीक नहीं रह सकता। मैं सरकार से अपील करता हूं कि आप एक अच्छा काम करने का प्रयत्न करें, छः महीने में तो कोई अच्छा काम नहीं किया है। आपको लगता होगा कि यदि इलेक्शन सिस्टम में बदलाव करेंगे तो दुबारा सत्ता में आना मुश्किल है। आप इस विधेयक को स्वीकार नहीं करेंगे फिर भी इलेक्शन प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयत्न करें।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी) : सभापति महोदय, इस सभा में एक बहुत रोचक बहस चल रही है। मैं श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को इस सम्मानीय सदन में बहस और चर्चा के लिए प्रस्तुत किया।

उद्देश्यों और कारणों को बताते हुए अपने वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों के दौरान पीठासीन अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारियों को बंदूक की नोंक पर धमकाया और डराया गया है, बूथों पर कब्जा किया गया है, मतदाताओं को आने से रोका गया है तथा उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया, विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों को। उन्हें निर्वाचन केन्द्रों के क्षेत्र में घुसने तक से पूरी तरह रोका गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर बूथों पर कब्जा किया जाना, पीठासीन अधिकारियों को डराया जाना तथा कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखे जाने जैसी बुराइयों को दूर नहीं किया जाता है तो चुनाव केवल एक मजाक ही बनकर रह जाएंगे।

सभापति महोदय, उस दिन जब मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लिया था तब मैंने गर्व और हर्ष के साथ इस महान प्रजातंत्र के एक नागरिक के रूप में कहा था, "कि जब कभी भी हम विश्व की किसी भी राजधानी की गलियों में से गुजरेंगे तो हम अपने सिर गर्व और सम्मान के साथ उठाकर कह सकेंगे कि मैं ऐसे देश का रहने वाला हूं जहां इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद पिछले पांच दशकों से प्रजातंत्र सफल रहा है।" परंतु, महोदय जब हम यह दावा करते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, तो वास्तव में हमारे देश का प्रजातंत्र सभी प्रजातंत्रों में, विशेषकर एशिया में तथा विशेष रूप से जब हम अपने पड़ोसी देश से तुलना करते हैं जहां प्रजातंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है, सबसे अच्छी तरह काम कर रहा है। इसके साथ ही मुझे इस बात पर शर्म भी आती है कि इस देश के नागरिकों को निर्वाचन बूथों पर जाकर मतदान तक नहीं करने दिया जाता।

महोदय, संविधान के निर्माता, महान विचारक, डा० बाबा साहेब अम्बेडकर तथा अन्य कानूनविद लोगों ने संविधान का निर्माण करते समय इस देश के नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी दी थी। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक अध्याय है। मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है परंतु अगर इस देश का कोई नागरिक, कमजोर वर्ग का कोई गरीब व्यक्ति निर्वाचन बूथ पर जाकर मतदान नहीं कर सकता तो मौलिक अधिकारों की बात करना एक ढोंग ही है। मैं किसी राजनैतिक दल पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता।

एक अच्छे वक्ता, इस विधेयक के प्रस्तुतकर्ता के रूप में श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कई पक्षों को उजागर किया है। जब हम यह देखते हैं कि अधिकांश राज्यों में चुनाव किस प्रकार होते हैं और जब हम यह पढ़ते हैं कि कितने लोगों ने मतदान किया तथा कितने लोगों ने चुनाव में भाग लिया तो हम पाते हैं कि उनकी संख्या 50 प्रतिशत में 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। बाद में मैंने पाया कि यह 35 से 40 प्रतिशत से अधिक नहीं था। परंतु इस मामले में भी अगर 40 प्रतिशत मत डाले गए हों तब भी दस लाख मतों में से कुल चार लाख ही मत पड़े तथा अगर विभिन्न दलों से दस प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं तो एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले?

हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं अधिकांश सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों से संबंधित हैं। हमें कितना मत मिल रहा है? यह 10 प्रतिशत या 12 प्रतिशत या 15 प्रतिशत हो सकता है क्योंकि कुल मत दस राजनैतिक दलों के बीच विभाजित हो जाते हैं। दस प्रतिशत मत पाने वाला व्यक्ति लोक सभा या राज्य विधान सभा के लिए चुना जा सकता है। यह प्रणाली ऐसी इसलिए है क्योंकि हमने ब्रिटिश संविधान की पूरी नकल की है अर्थात् भारत सरकार अधिनियम, 1935। अमेरिका में यह प्रणाली अलग है। उनकी चुनाव प्रक्रिया भिन्न है। फ्रांस की प्रणाली बिल्कुल भिन्न है। परंतु यहां पहला व्यक्ति पहले आता है। दौड़ में, जो भी व्यक्ति जीत के निशान के पास पहले पहुंचता है वह विजेता कहलाता है। इसी प्रकार हम वही प्रणाली अपना रहे हैं। तीस उम्मीदवारों में जिस उम्मीदवार को अन्य 29 उम्मीदवारों से अधिक वोट मिलते हैं उसे चुना गया घोषित किया जाता है। हमारे यहां यही प्रणाली है।

महोदय, हमने सभी पुरुषों और महिलाओं को मतदान का अधिकार तो दे दिया है हमें इस बात की खुशी है। जब मैंने कहा कि हमने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की नकल की है। लेकिन इंग्लैंड में मतदान का अधिकार लेने के लिए एंग्लो सैक्सन माडल ने कई दशकों तक, कई वर्षों तक संघर्ष किया। आज मुझे खुशी है कि हम महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और मैं इस बात का वचन देता हूं। परंतु महोदय इंग्लैंड में उन्हें मतदान का अधिकार लेने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड में महिलाओं ने वर्ष 1860 में एक आंदोलन शुरू किया था। वे मतदान का अधिकार चाहती थीं। उस समय उनको मतदान का अधिकार नहीं था। वर्ष 1866 में लंदन में हाइड पार्क में एक बड़ी बैठक की गई। वे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से मिलना चाहती थीं। उस समय मिस्टर अस्किट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे परंतु महिला संगठन को प्रधानमंत्री के निवास पर उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने पूरी कोशिश की परंतु उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ? यह बहुत रोचक बात है। मतदान के अधिकार की समर्थक महिला प्रमुख श्रीमती ऐमिली बैंकर्स, को उस संगठन का नेता चुना गया जो मतदान का अधिकार पाने के लिए आंदोलन कर रहा था। वह महिला लंदन के प्रमुख डाकघर में गई। वह पार्सल शाखा में गई और बोली, "मैं इस देश के प्रधानमंत्री, जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहते हैं, को एक पार्सल भेजना चाहती हूं। इस पर मुख्य डाकघर में बैठे व्यक्ति ने पूछा, "पार्सल कहां है?" वह बोली, पार्सल तैयार है। क्या आप तुरंत पार्सल भेज देंगे? फिर आदमी ने पूछा ठीक है हम पार्सल भेज देंगे। उसके बाद श्रीमती ऐमिली बैंकर्स ने कहा, "मैं पार्सल हूं।" वह व्यक्ति हैरान हो गया और बोला, "आप क्या कह रही हैं?" वह बोली, आप कृपया मुझे पोस्ट ऑफिस के नियम और अधिनियम दिखाइए कि किस तरह के पार्सल भेजे जा सकते हैं। क्या कोई प्रतिबंध है? उस व्यक्ति ने अन्य कानून ज्ञाताओं से बात की। इस बारे में अधिनियम में कुछ नहीं कहा गया था। फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उस महिला के हाथ की कलाई पर एक पट्टा बांधा गया जिस पर मिस्टर अस्किट प्रधानमंत्री, 10 डाउनिंग स्ट्रीट का पता लिखा था। फिर केन्द्रीय डाकघर का एक व्यक्ति इस महिला को प्रधानमंत्री के पास

ले गया। वहां प्रधानमंत्री के सचिव ने कहा, "यह क्या है? एक मानव पार्सल प्रधानमंत्री के पास आया है।" फिर यह मामला प्रधानमंत्री के पास ले जाया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 45 मिनट तक उस महिला की बात सुनी। यह इतिहास बन गया है। इस प्रकार उन्होंने कई वर्ष तक संघर्ष किया। वर्ष 1910 में भी लंदन में एक बड़ा आंदोलन हुआ था। फिर उसके बाद 1914 में विश्व-युद्ध छिड़ गया। चार वर्षों के बाद अर्थात् 1918 में पहली बार इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। वह भी जो महिलाएं 30 वर्ष से अधिक उम्र की थीं उन्हें ही मत देने का अधिकार दिया गया। दस वर्षों के बाद, 1928 में, 21 वर्ष से अधीक उम्र की महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।

मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करना एक मूल अधिकार है। डा० रघुवंश प्रसाद सिंह यहां बता रहे थे कि बिहार में क्या हो रहा था। जो कुछ श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अर्थात् 1989, 1991 और फिर 1998 के प्रत्येक चुनाव में उन्हें किस प्रकार धमकाया गया, किस प्रकार बंदूकधारियों ने उनका पीछा किया, किस प्रकार मतदान में हेराफेरी की गई और किस प्रकार उन्हें परास्त किया गया था।

मुझे याद है कि वर्ष 1971 में जब पश्चिम बंगाल में श्री सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री थे तो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने एक बयान दिया था कि 12 बजे तक वे चुनावी कार्यकलाप से हट जाएंगे। वे अनेक मतदान केन्द्रों में नहीं जा सके थे। जिस चुनाव क्षेत्र से वे चुनाव लड़ रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने कहा था कि वहां आतंक व्याप्त था मतदान केन्द्रों में व्यापक हेराफेरी की गई और कब्जा किया गया। इस मामले पर हमारा कोई वश नहीं है। इसलिए हम चुनाव कार्यकलाप से हट रहे हैं।

आज जब श्री प्रियरंजन दासमुंशी ही सारी बातें बता रहे थे तो मुझे वास्तव में वेदना पहुंच रही थी, तब मैंने सोचा कि चेलों ने गुरुओं को पछाड़ दिया है। मैं नहीं जानता कि वे क्या बोल रहे थे। वहां भी यही प्रथा प्रचलित है। वह वहां की व्यवस्था है। सत्तारूढ़ दल यह सब कर रहा है। सभी मतदान केन्द्रों में कब्जा किया जाएगा। हेराफेरी होगी। यह निर्णय उन्हें करना है न कि जनता को कि कौन विजयी है देश के कुछ भागों में, विशेष रूप से बिहार में, अंधेरा होने के पश्चात् कुछ लोग—मैं किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इसमें अधिकतर राजनीतिक दलों की भूमिका है—गांव में बैठक करेंगे। वे कहेंगे कि इस जाति विशेष को 80 मत आबंटित हैं और फलां को 70 मत, फलां को 100 मत और फलां को 120 मत आबंटित किए गए हैं। कल इतने मत डाले जाएंगे। अगले दिन जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी तीन-चार युवा मतदान केन्द्र पर जाएंगे और निर्वाचन अधिकारी को वह कहेंगे और बीती रात किए गए निर्णय के अनुसार मत डालेंगे। वे मतपत्र लेंगे और बीती रात तय फार्मूले के अनुसार मत डालेंगे।

महोदय, अधिकतर मतदान केन्द्रों में हथियारबंद लोग घुसते हैं और मतदान अधिकारी कांप उठते हैं और किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं। वे मतपत्र छीनेंगे और मुहर मारेंगे और हस्ताक्षर भी करेंगे। यह हो रहा है। हर कोई जानता है कि देश के अनेक भागों, विशेष रूप से बिहार में यह हो रहा है।

महोदय, मुझे वास्तव में खुशी है कि डा० रघुवंश प्रसाद सिंह मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की घृणित परंपरा और मताधिकार के बुनियादी अधिकार से वंचित रखने की खतरनाक प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए इस विधेयक को लाए हैं।

इन कदाचारों के अनेक चरण हैं। मुझे बताया गया है कि मतदाता सूची तैयार करने से मतगणना तक प्रत्येक चरण में कदाचार होता है। अनेक लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाते हैं। मुझे बताया गया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करना सत्तारूढ़ दल की इच्छा पर निर्भर करता है। किंतु वह घटित हो रहा है। हमें इसके बारे में समाचार पत्रों से पता चला। हमें इस बारे में उन लोगों से भी जानकारी मिली जो बिहार से अन्य राज्यों में गए और उन्होंने वहां पर कार्य किया। जब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वापस आते हैं और हम उनसे पूछते हैं तो वे बताते हैं कि यह बहुत आसान है। वहां पर निजी सेनाएं हैं। वे निर्णय करती हैं। निजी सेनाएं आगे आती हैं और लोगों पर तांडव मचाती हैं जिससे लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि वे नाम से ही डर जाते हैं। अत: चुनाव स्वांग बनकर रह गए। ऐसे चुनाव हो रहे हैं।

अत: यह उचित समय है कि हम चुनाव सुधारों पर चर्चा करें। हमारे यहां अनेक आयोग हैं किंतु यदि हम स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं तभी लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वास्तविक लोकतंत्र बना रहेगा।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह अब्राहम लिंकन के बारे में बात कर रहे थे। हां, उन्होंने कहा है, "सरकार जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा होती है—गेट्टिस्बर्ग का कब्रिस्तान। सतासी वर्ष पूर्व उन्होंने अपना भाषण इन शब्दों के साथ समाप्त किया, "सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए है।" किंतु यहां सरकार लोगों पर चुनाव थोप देती है। लोगों को चुनावी परिदृश्य से दूर रखा जाता है और मतों व लोगों को खरीदा जाता है। यह लोकतंत्र नहीं है अत: जब तक हम अपने दिल और दिमाग में नहीं झांकेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं? क्या मात्र अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती से यह संभव है? बिलकुल नहीं। मेरे सीमित ज्ञान के अनुसार उससे सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि इससे वही स्थिति बनी रहेगी। अर्द्धसैनिक बलों को निर्देश कौन देगा? वे संवदेनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों का चयन करते हैं और फिर कहते हैं कि ये सामान्य मतदान केन्द्र हैं। इन मतदान केन्द्रों का चयन कैसे किया गया? इन मतदान केन्द्रों का चयन सत्तारूढ़ दल द्वारा किया जाता है चाहे वे जो भी हों। जिनके हाथों में शासन की बागडोर होती है वे लोकतंत्र की मदद से निर्णय करते हैं कि ये संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं। मेरा मानना है कि कई बार सामान्य मतदान केन्द्रों को संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र घोषित किया जाता है और फिर उन केन्द्रों पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है। उन्हें उन स्थानों पर नहीं भेजा जाता है जहां पर वास्तव में उनकी आवश्यकता होती है। मुझे बताया गया है कि वे चुनाव आयोग को सूचित करेंगे कि ये क्षेत्र अशांत क्षेत्र हैं, गड़बड़ी की आशंका वाले क्षेत्र हैं, संवदेनशील मतदान केन्द्र हैं अत: इन स्थानों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात की जाए। किंतु अंतिम क्षणों में वाहनों की व्यवस्था नहीं की जाती और वे उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मुझे बताया गया कि हाजीपुर में, जहां

[श्री वैको]

से श्री राम विलास पासवान ने चुनाव लड़ा था, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एक स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक को मतदान केन्द्र में गिरफ्तार किया। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो इसमें सुधार किया जाए। उस पुलिस उपाधीक्षक को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह एक विशेष मतदान केन्द्र पर कब्जा करने में सहायता कर रहा था। अत: कभी-कभी पुलिस अधिकारी और कर्मी गुंडों के साथ मिलकर काम करते हैं। इन अधिकारियों का चयन कैसे किया जाता है? श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ कामरेड यहां उपस्थित नहीं हैं। मेरी नीति है कि प्रतिपक्षियों की अनुपस्थिति में उनकी आलोचना न की जाए। क्योंकि वह ईमानदारी से लड़ी लड़ाई नहीं होगी। अत: मैं किसी राजनीतिक दल और किसी राज्य का नाम लेना नहीं चाहता हूं। किंतु मैं समझता हूं कि जब किसी मतदान केन्द्र के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है तो उनका चयन सत्तारूढ़ दल के प्रति निष्ठावान सरकारी संगठन से किया जाता है। उस संगठन से कर्मचारियों का चयन किया जाता है और उन्हें इस कार्य पर लगा दिया जाता है इसलिए वे गुंडों और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्त्ताओं के साथ मिलकर कार्य करते हैं। ऐसा करना आसान है। अत: मतदान केन्द्रों पर जाने से पूर्व वे मतदान के परिणाम का निर्णय कर देते हैं। मतदान केन्द्रों के बारे में मुझे यह बताया गया है।

अब मैं मतगणना केन्द्रों पर क्या होता है इस बारे में प्रकाश डालता हूं। मतगणना केन्द्रों पर प्रत्याशियों को भी मतगणना स्थल पर जाने दिया जाता है और वहां पर यही अधिकारी पुलिस अधिकारियों की सहायता से वहां बैठे गुंडों के साथ हेराफेरी करते हैं।

वे मतगणना के परिणाम के बारे में निर्णय करते हैं। चुनाव प्रणाली से इन सभी कदाचारों का उन्मूलन किया जाना चाहिए। जब आप अर्द्धसैनिक बलों की बात करते हैं तो यह एक अच्छा सुझाव है किंतु जब अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है तो वे किसके नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे?

मैं संघवाद की अवधारणा के प्रति प्रतिबद्ध हूं क्योंकि संघवाद की अवधारणा के माध्यम से ही देश में एकता बनी रह सकती है। आज राज्य में डा० रघुवंश प्रसाद सिंह की पार्टी सत्तारूढ़ है कल कोई और पार्टी वहां पर सत्ता में आ सकती है किंतु राज्यों के मामले में संघ सरकार का वर्चस्व होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब राज्य में किसी विशेष राजनीतिक दल की सरकार हो और केन्द्र में भिन्न राजनीतिक दल या राजनीतिक गठबंधन सत्तारूढ़ हो और यदि केन्द्र में सत्तारूढ़ गठबंधन यह निर्णय करता है कि उस विशेष राज्य में किस प्रकार के चुनाव हों तो वह राज्य की सहमति के बिना भी वहां पर अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती कर सकता है और इसमें चुनाव आयोग को अपनी भूमिका निभानी होती है। किंतु फिर भी अर्द्धसैनिक बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य की सत्तारूढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन होंगे। हमें इन बातों पर विचार करना होगा।

अत: इस बुराइयों को समाप्त करने का यह उचित समय है। हमें इस बारे में मिलकर सोचना होगा और सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना होगा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए।

फोटो पहचान पत्र शुरू किए गए। इससे जाली मतदान रोकने में कुछ हद तक सहायता मिलेगी। फिर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन होने के बावजूद कुछ लोगों को जाली मतदान करने में महारत हासिल है और उनके लिए यह बहुत आसान काम है। 100 लोग भेजने पर 100 जाली मत डालने की बजाय दो या तीन लोग इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को चला सकते हैं और वे 100 जाली मत डाल सकते हैं। यह बहुत आसान है। जब कभी भी कोई नई प्रणाली लाई जाती है तो शरारती तत्व इन अभिनव उपायों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। इस व्यवस्था में यह हमेशा होता है।

अत: मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की इस बुराई को समाप्त करने का यह उचित समय है। सभी राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए और लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाना चाहिए।

अपने भाषण के आरंभ में मैंने कहा था कि 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता, विशेष रूप से पढ़े-लिखे मतदाता, मतदान केन्द्रों पर मतदान करने नहीं जाते हैं। तथाकथित सफेदपोश शिक्षित लोग, जिन्हें मध्यम चिंतक कहा जाता है, जो समाचार पत्रों के संपादकीय पढ़ते हैं और जो राजनेताओं के बारे में उपदेश देते हैं कि सभी राजनेता गलत हैं और इन राजनेताओं ने देश को बरबाद कर दिया है, मतदान केन्द्रों पर मतदान करने नहीं जाते हैं। हमें एक वर्ग के रूप में ब्रांड कर दिया जाता है।

निश्चित तौर पर मैं एक राजनीतिक दल का सदस्य हूं। अपने छात्र जीवन से लेकर 37 वर्षों से अधिक समय से मैंने राजनीतिक जीवन में बिताया है। मैं 23 बार जेल गया हूं। मीसा के दिनों में मैं एक साल से अधिक समय तक निरुद्ध रहा। यह कहना आसान है कि सभी राजनेता धोखेबाज हैं और वे देश की परवाह नहीं करते किंतु ये लोग जो ऐसे निर्णय देते हैं स्वयं मतदान तक नहीं करते। जब मैं हवाई यात्रा करता हूं तो मैं इन बड़े लोगों की बातें सुना करता हूं जो राजनेताओं और संसद सदस्यों के बारे में उपदेश व भाषण देते हैं : ''ओह ! ये सभी संसद सदस्य खराब हैं'' ये लोग मत डालने मतदान केन्द्रों पर नहीं जाते हैं। वह मताधिकार से वंचित लोग नहीं हैं। वे मत डालने मतदान केन्द्रों पर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वे बड़े बुद्धिजीवी हैं। वे अपने मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं किंतु वे राजनेताओं और समाज के बारे में व्याख्यान दिया करते हैं।

किंतु परिवार की आजीविका कमाने वाला अपने माथे में पसीने की बूंदों के साथ सुबह-सुबह मतदान केन्द्र पर जाता है और वहां पंक्ति में खड़ा हो जाता है। देश के बारे में वह निर्णय करता है। उसे सलाम। मैं उन लोगों, विशेष रूप से गरीब व पददलित लोगों, को सलाम करता हूं जो अपनी अंतरात्मा के साथ और अपने अधिकार के प्रति सजग रहते हुए मतदान केन्द्रों पर जाते हैं और वहां पंक्ति में खड़े होते हैं। वे अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं और मताधिकार और मत पत्रों का मूल्य और वैधता जानते हैं।

महोदय, इसलिए मैंने एक विधेयक पुर:स्थापित किया है। यह कार्यसूची में सूचीबद्ध है। इसके लिए मतदान अनिवार्य होना चाहिए। जब तक मत न देने का कोई उचित कारण न हो मतदान न देने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। यदि वे मतदान करने नहीं जाते हैं यदि वे अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं और मतदान केन्द्र पर जाने के अपने अधिकार का प्रयोग न करने का कोई उचित आधार या कारण नहीं है तो उनका राशन कार्ड जब्त करने और उन्हें सरकार से कोई लाभ न मिलने के रूप में दंडित किया जाना चाहिए। मैंने यह विधेयक गहन

विचार-विमर्श और चर्चा करने के लिए पुरःस्थापित किया है क्योंकि अधिकतर लोग मतदान केन्द्रों पर मतदान डालने नहीं जाते हैं उन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए और जिस पार्टी में वे विश्वास करते हैं उन्हें वोट देना चाहिए। उसी स्थिति में लोकतंत्र फल-फूल सकता है। जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है और इस जनता की इच्छा प्रतिबिंबित की जा सकती है। हम इस पर विचार कर सकते हैं। कुछ मतदान केन्द्रों में लोग पर्याप्त संख्या में मतदान नहीं करते। कम न्यूनतम मतदान प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए फ्रांस में अलग प्रणाली अपनाई गई है। चूंकि हमारे पास समय कम है इसलिए मैं वहां प्रचलित इस प्रणाली के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बहुत कम होता है। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। यदि मतदान अनिवार्य किया जाए तो स्थिति में निश्चित सुधार आएगा और जनता की इच्छा प्रतिबिंबित हो सकेगी। महोदय, अधिकतर सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में 10, 12 या 18 प्रतिशत मत मिलते हैं। जहां तक मेरा संबंध है 1998 और 1999 के चुनावों में मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुल मतों के 50 प्रतिशत से अधिक मत मिले अन्यथा मुझे भी अपराधबोध होता। दूसरी ओर हम इस विधेयक पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कमजोर वर्गों के लोगों और गरीब लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग करने से पूर्णतः वंचित किया जाता है। यह बहुत गलत है और ऐसी बातें अन्य देशों में नहीं होती हैं।

तथापि, हमें साफ-साफ कहना होगा। हमारे देश में कार्यशील और वास्तव में सफल लोकतंत्र है। अन्य देशों में भी लोकतंत्र है किंतु साथ ही इन कदाचारों को दूर किया जाना चाहिए। मैं राजनीति के अपराधीकरण के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। इन कदाचारों, बुराइयों, घृणित बुराइयों पर पूर्ण अंकुश लगना चाहिए। अतः यह उचित समय है कि सरकार इस बारे में विचार करे कि डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा पेश किए गए विधेयक की भावना और संदेश को किस प्रकार लागू किया जाए।

मैं डा० रघुवंश प्रसाद सिंह को बधाई देता हूं। महोदय, इस सभा का बहुमूल्य समय लेने और मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज बहुत स्वस्थ चर्चा चल रही है। डा० सिंह साहब ने जिस मानसिक वेदना के साथ यह चर्चा शुरू की मैं उसे समझ रही हूं। हमारे पूर्ववक्ताओं ने अपनी बात को रखा और बहुत गंभीरता से इसके बारे में बताया कि हमें चुनावों में क्या करना चाहिए? आज संविधान के बारे में यहां चर्चा हो रही है। लोक सभा सर्वोच्च सदन है। संविधान के मर्म को समझकर कानून बनाने वाले यहां बैठते हैं। संविधान बनाने वाले किस रास्ते से चले हैं, उसे समझकर हम आगे जाकर क्या करेंगे, यह यहां लोक सभा में हिस्सा ले रहे हम लोगों पर निर्भर करेगा।

आज बहुत से वक्ताओं ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार बहुत आवश्यक है। मैंने अपने जीवन में 6 बार चुनाव लड़ा। पांच बार विधान सभा में और अब मैं लोक सभा में पहली बार आई हूं।

मैं सवा लाख वोट पाकर विजयी हुई हूं। लेकिन किस परिस्थिति में चुनाव के दौरान मुझे असलियत मालूम हुई, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे। शिक्षित वर्ग कितनी संख्या में वोट देने जाता है और जिम्मेदारी के साथ कितनी संख्या में लाइन में खड़ा होता है। यदि कोई उनसे पूछता है तो वह कमेंट्स करता है कि आज का पालिटिशियन सब प्रकार से जिम्मेवार है। इसलिए हमें सोचना होगा कि आज केवल आलोचना करने का ही रास्ता नहीं है। जनसमस्याओं पर हमें केवल आलोचना ही नहीं करनी है सुधार के लिए भी रास्ता खोजना है। आज देखा यह जाता है कि आलोचना करने का अधिकार उपयोग में आता है लेकिन काम करने का अधिकार पूरा नहीं किया जाता है। अगर उनसे यह कहा जाए कि आज देश पर इतना बड़ा संकट है, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, क्यों आज भाव बढ़ रहे हैं तो इसके लिए उन्हें केवल सरकार दिखाई देती है। कहा जाता है कि यह सब सरकार कर रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि जो कुछ होता है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं कि हमें योग्य प्रतिनिधि को अपना वोट डालने जाना है। हम लोग घर पर जाकर दस बार कहते हैं कि चलिए उठिए वोट डालने जाना है तो आलोचना करने वाले नहीं उठेंगे। अगर गर्मी का मौसम है तो कहेंगे कि अभी आराम करने दीजिए, थोड़ा ए०सी० में बैठे हैं। आलोचना प्रेमी ऐसे लोगों की यही भावना रहती है। आज वोटिंग इतनी बड़ी जिम्मेदारी की चीज है। जिसको वोट करने का अधिकार है, उसके लिए अनिवार्य मतदान प्रणाली लागू होनी चाहिए। ऐसे कानून की आवश्यकता है कि जो वोट डालने नहीं जाता है उसे पैनलाइज किया जाना चाहिए। जब तक यह कम्पलसरी मतदान की अनिवार्यता नहीं होगी तब तक इसके बारे में सोच नहीं बदलेगी। जब यह कम्पलसरी हो जाएगा तो जिम्मेदारी समझेंगे कि हमारी राष्ट्र और संविधान के प्रति क्या जिम्मेदारी है और कार्य के प्रति क्या जिम्मेदारी है। इसके लिए आज लोकतंत्र में वोटिंग की जिम्मेदारी है। मतदाता को अवश्य सौंपी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, चुनाव आयोग बना दिया गया है जो अपने नियम बनाता है लेकिन बताया गया है कि चुनाव के समय पुलिस फोर्स चारों ओर व्यस्त होती है। इस सबके बावजूद बूथ कैप्चरिंग होती है जो बहुत गलत तरीका है। आज बूथ कैप्चरिंग की जो लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं, वे प्रजातंत्र विरोधी रास्ते पर गलत लोगों को भेज रहे हैं। इस पर विचार होना चाहिए। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है और यह देखा भी गया है कि अपराधी चरित्र वालों को टिकट दिया जाता है। जब किसी क्रिमिनल को आप टिकट देते हैं तो वह अपना वैसा ही रास्ता अपनाएगा। उसे अपराधी छवि के साथ इस तरह से लोक सभा में भेजेंगे तो वह सुधरेगा नहीं। अपराधी चरित्र को सुधारने के बहुत से रास्ते हैं। उसके लिए सामाजिक स्तर पर कार्य जरूरी है। वाल्मीकि ने अपने जीवन में सुधार ला दिया था, ये लोग भी अपना रास्ता सुधार सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को भेजकर उनको सुधारने की प्रक्रिया गलत है, इसके बारे में विचार होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ है, प्रजातंत्र है।

[अनुवाद]

यह जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा होती है।

[हिन्दी]

वाली बात जो कही गई है, बिलकुल सच है। हमें लोगों को शिक्षित करना है। मेरा यह व्यक्तिगत मत है कि मतदाता को कम से कम चौथी या पांचवीं पास होना चाहिए ताकि वह गलत रास्ते पर वोटिंग न कर सके। इस पर अंकुश लगना चाहिए ताकि वह सोच-समझकर

[श्रीमती जयश्री बैनर्जी]

बिना किसी दबाव के वोटिंग करें और अपने मन से करे कि वोट हमें कहां डालना है। इसलिए मैं सोचती हूं कि यहां जो इस विषय पर स्वस्थ चर्चा हुई है, उस में सीमित लोग हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया है।

सभापति महोदय : श्रीमती बैनर्जी, आप अपना भाषण आगे जारी कर सकें. एक मिनट सुनिए। मुझे हाउस से यह अनुमति लेनी है कि

[अनुवाद]

पांच अन्य माननीय सदस्य वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं फिर माननीय मंत्री को हस्तक्षेप करना होगा और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को उत्तर देना होगा। अत: यदि सभा सहमत हो तो हम इस आबंटित समय को एक घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय मंत्री : जी, हां।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, हम चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा के लिए आबंटित समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए जिस पर बाद में चर्चा जारी रह सकती है, आज नहीं।

श्री चैकी : महोदय, इस विषय के लिए पहले ही दो घंटे आबंटित किए गए हैं और यदि आप इस विषय पर चर्चा के लिए आबंटित समय को एक घंटे के लिए बढ़ा दें तो कम से कम अगली बार मुझे अपना विधेयक प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जो कि मेरे नाम से है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी : माननीय सभापति महोदय, स्वतंत्र चुनाव के बारे में यहां जो चर्चा हुई, मैं सोचती हूं कि इस तरह की चर्चा काफी लंबी होनी चाहिए, सब लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए और इसमें सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय : मैडम, अब आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकती हैं।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 24 अप्रैल, 2000/4 वैशाख, 1922 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।